खण्ड-471, अंक-4
शुक्रवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1931
(7 अगस्त, 2009 ई0)

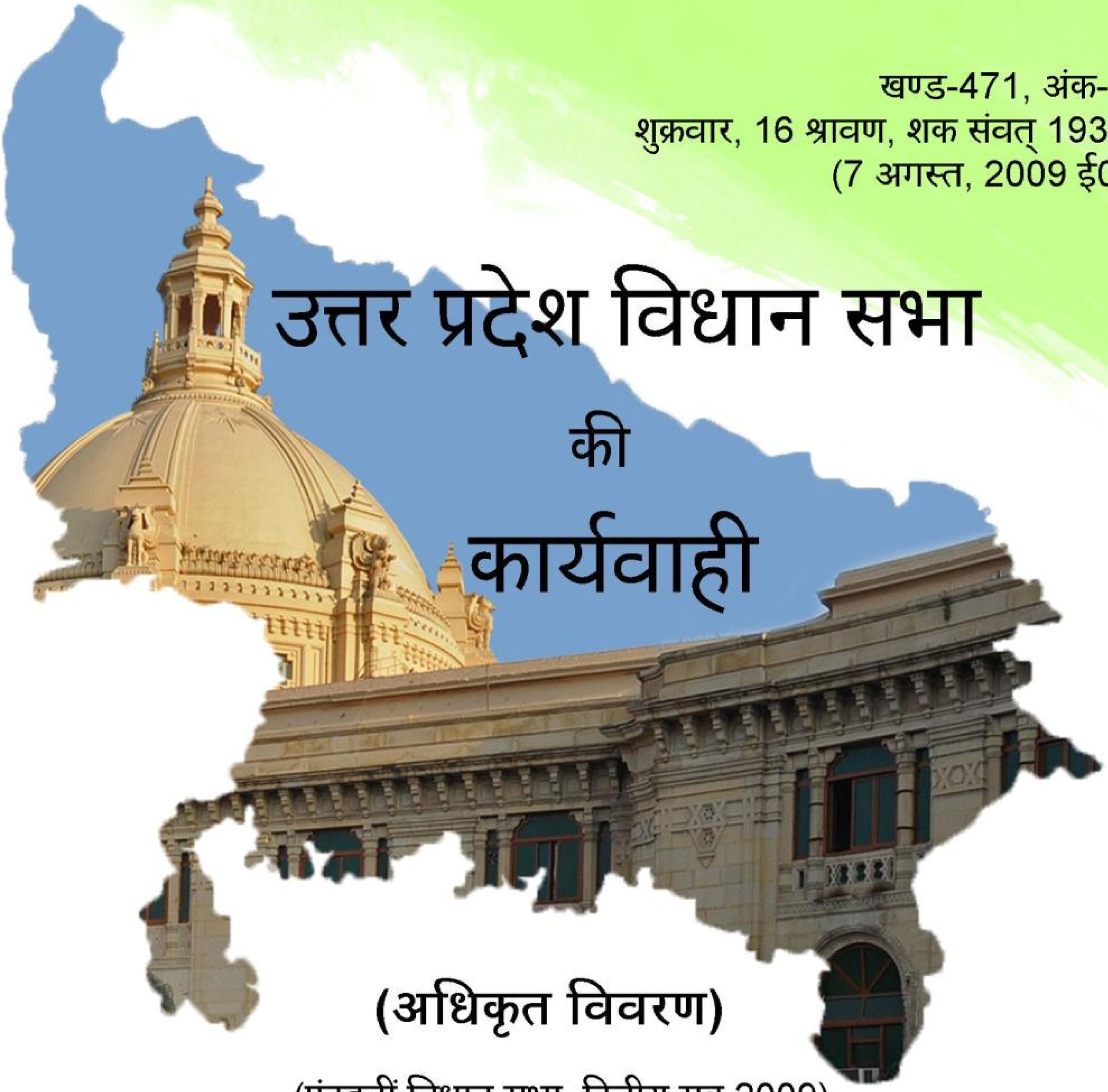

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2009)

खण्ड 471 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
नियम-311 की विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग... ...	1-2
प्रश्नोत्तर (जारी)	2-3
वर्तमान सत्र में एक ही विभाग से सम्बन्धित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न एक ही प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के नाम से प्रत्येक दिन की कार्यसूची में पहले नम्बर पर आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	3-5
प्रश्नोत्तर	5-116
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हुए बिना एजेण्डे में नत्थी "ङ" के रूप में 'जन गण मन' शामिल किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	116-126
उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के वर्तमान नियम-59 को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	126-136
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	136-138
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत गढ़ीपुर मगई नदी पर पैदल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	138
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने एवं कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	138
जनपद आगरा के फतेहाबाद नगर में पुरानी तहसील में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद गोण्डा में समूह 'ग' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	139
प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में कम्पाउण्डरों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं स्टाफ मैनों के खाली पदों को तत्काल भरने तथा जनपद फतेहपुर के खागा एवं बिन्दकी पशु चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत फण्ड को रिलीज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	139-140
जनपद कुशीनगर में रामकोला अन्तर्गत नहरों का पानी टेल से हेड तक पहुंचाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद जौनपुर के ग्राम सारा जहांगीर में दिनांक 26-4-2009 को छेड़-छाड़ की घटना में मुल्जिमों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	140

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर नगर में गम्भीर पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए शिवपार्क ओमपुरवा एवं सूतरखाना स्थित ट्यूबवेल के पूरी क्षमता से काम न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
मिर्जापुर के कतिपय विकास खण्डों में दूसरे क्षेत्र के विधायक के लोकार्पण पत्थर हटवाकर क्षेत्रीय विधायक के नाम से बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	141
चौदहवीं विधान सभा की तरह 250 हैण्डपम्प नगरीय विधान सभाओं में भी जल निगम द्वारा लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141-142
जनपद फतेहपुर के कतिपय गांव में सिंचाई हेतु नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	142
प्रदेश में कम्बल, लोई, शाल पर वाणिज्यकर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ववत 4 प्रतिशत कर देयता का शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142
किसान मित्रों (ग्राम पंचायतों में कार्यरत) का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	143
महसी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल नानपारा, बहराइच का निजीकरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर द्वारा गाहासाड़-कोलिया बन्धों की निविदा एवं रेगुलेटरों के निर्माण की टी0 ए0 सी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	144
लखीमपुर की ग्राम पंचायत कीरतपुर में तुरन्तानाथ मंदिर/आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद झांसी में सूखे के कारण विगत तीन वर्षों का लगान माफ करने एवं भविष्य में खाद, बीज मुफ्त दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	144-145
विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में सरकुलर रोड से रेशुविहार, परिक्रमा मार्ग, अलमासपुर नवीन मण्डी स्थल एवं गांधीनगर के जर्जर मार्ग के निर्माण एवं उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
प्रदेश में पम्पसेट पर वैट की दरें 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145-146

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में बन्द पड़े सरकारी नलकूपों को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	146
जनपद फैजाबाद के ब्लाक रूदौली अन्तर्गत कैथी में घाघरा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146-147
जनपद महामायानगर (हाथरस) के ब्लाक हाथरस के अन्तर्गत खारे पानी से प्रभावित कतिपय क्षेत्रों में पानी की टंकी द्वारा जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	147
पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में हो रही भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147-148
जिला पंचायत, आगरा में सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, आगरा द्वारा संविधान के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148
गाजीपुर के क्षेत्रीय यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, घूसखोरी, फर्जी एल0 पी0 सी0 एवं अन्य मामलों में दोषी पाये जाने के बाद भी शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	148-149
जौनपुर शहर के सुतहटी बाजार स्थित पुराने कुएं की सफाई करते समय जहरीली गैस से मरे पिता एवं पुत्र के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149
जनपद जौनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	150
जिला कारागार, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में बन्दियों को घटिया खाना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	150
श्री उत्तम कुमार शुक्ला, ग्राम-कुसमौरी, थाना गोला, जनपद खीरी की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	150-151
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में देवरिया-कसया मार्ग पर रेल लाइन के ऊपर उपरिगामी सेतु के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151
जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बालू, गिट्टी, मोरंग और पत्थर की निकासी के बाद हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	151

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण का उल्लंघन एवं धांधली किये जाने की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल में फैल रही बीमारी से सैकड़ों करोड़ की हो रही हानि को तत्काल रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम सुसाइन, करसौरा धन्नौटी, सरायदाऊद एवं रदोई के क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152-153
प्रदेश के 100 प्राविधिक इण्टर कालेजों में ट्रेड उपकरण क्रय किये जाने हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153
जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण अंचल के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आंकलन के बावजूद विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153-154
जनपद बाराबंकी के ग्राम गोरखपुर के श्री सुन्दरलाल की नाबालिक पुत्री के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	154
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जीवन-रेखा पूर्वी यमुना नहर को एक हजार क्यूसिक अतिरिक्त पानी देने तथा उसके रजबहों की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154-155
जनपद गोण्डा के नगर पालिका कटरा बाजार निवासी श्री गुलाम रसूल की पुत्री कु0 सुरैयाबानों के लापता होने की नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के उतरौला घाट पर सिद्धार्थनगर की तरफ मिट्टी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	155-156
आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में वर्ष 2008-2009 में बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फर्जी चेक देने की जांच कराने तथा चेकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156
जनपद मथुरा की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	156-157

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना, परगना व तहसील शामली में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण कराने एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	157
शाहजहांपुर जिला योजना समिति द्वारा संस्तुत विसरात घाट पर सीढ़ियों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	157-158
सिद्धार्थनगर के नगर पालिका बांसी में कामर्शियल एच0बी0-2 द्वारा बिजली का बिल लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	158
जनपद बदायूं को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	158
जनपद लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ग्वारी रेलवे क्रासिंग के बाद बने गायत्री शक्ति पीठ पुरम में निर्मित मकानों को विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	158-159
जनपद बांदा के ग्राम मटौन्ध, दूरेड़ी, पिपरी में चकबन्दी एवं धारा-52 का प्रकाशन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
सुल्तानपुर में विद्युत आपूर्ति में निर्धारित रोस्टर के अतिरिक्त विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	159-160
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	160-161
फैजाबाद में सपा के कोषाध्यक्ष श्री सियाराम पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	161-162
श्री कैलाश चौरसिया के निर्वाचिन क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर दूसरे क्षेत्र के सदस्य का लोकार्पण बोर्ड पी0डब्लू0डी0 द्वारा लगा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	162-164
ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-91-वि0नि0-38-3-2002-500(1)/98 (टी0सी0), दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के प्राविधान 3-2 के अनुसार मा0 विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर धनराशि की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	164-167
मा0 विधायकों हेतु रेल कूपन सुविधा को तत्काल आरक्षण एवं इन्टरनेट द्वारा आरक्षण में भी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	167

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत प्रश्नों, जिनके उत्तर सत्र समाप्ति के बाद नहीं आ पाते हैं, के लिखित उत्तर मा0 विधायकों को भेजे जाने में पक्षपात किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	168-169
मा0 विधायकों की संस्तुति पर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था को वर्तमान में जिलाधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	169-173
विधान सभा में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	173
लखनऊ में काशीराम स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु उस पर बने हुये नाले को शिफ्ट करके क्षेत्र के मोहल्लावासियों के मुख्य द्वारों के सामने 11 फीट ऊंची कंकरीट की दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	173-174
गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1462/छः-पु-2-08-700 (131)-07, दिनांक 31 जुलाई, 2009 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	174
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या-5/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	174
दिनांक 19-12-1999 को जनपद गाजीपुर में हुई आगजनी एवं फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं संकल्प (सदन के पटल पर रखा गया)	174-175
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	175-176
मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में योजित याचिका संख्या-5563(एमबी) सन् 2009 नगरपालिका परिषद्, मथुरा एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदनों के जांच सम्बन्धी समिति" की संस्तुति एवं अपेक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका परिषद्, मथुरा के कतिपय वर्षों का स्पेशल आडिट किये जाने के निर्गत आदेशों पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगनादेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना ...	176-178
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न	178
श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 14 फरवरी, 2008 को दी गयी विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	178-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री यशपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी, परियोजना निदेशक, महामायानगर (हाथरस) के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की समविषयक सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	180-181
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार दिनांक 21 अगस्त, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या-138 के उत्तर के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	181-183
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)... ...	183
जी0 एल0 ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	183
उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	184
कानपुर महानगर में गृहकर की वृद्धि का प्रकरण उठाने का प्रयास ...	184-185
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	185-186
केन्द्रांश का पैसा राज्य सरकार द्वारा अभी तक खर्च न करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दिये जाने सम्बन्धी नियम-56 की सूचना पर ध्यानाकर्षण ...	187
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	187-237
श्री विजय मिश्रा, सदस्य, विधान सभा ज्ञानपुर (भदोही) की सुरक्षा की मांग ...	237-238
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	238-243
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	243
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	243
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-1994, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	244
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	244

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	244
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	244
डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	244-245
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	245-249
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	250-263
उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)... ...	263-270
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	271-274
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	274-277
उत्तर प्रदेश सरकार या० सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	278-280
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	280-284
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	285-287
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	287-290
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	290-306
इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पारित)	306-325
जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 (पारित)	326-343
उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	343-344

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)	345
उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा सन्त रविदास नगर को सम्मिलित करके पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को प्रस्तुत किये गये नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा को आज की कार्य-सूची में सम्मिलित न किये जांने पर आपत्ति तथा आगे के लिये स्थगित करने का अनुरोध (स्वीकृत) ...	345
प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	345
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)	345
जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन की प्रदेश स्तर पर गठित समिति में क्षेत्र में होने वाले कार्यों के चिन्हीकरण एवं प्रस्ताव में सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	345-346
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	346-350
प्रदेश के कारागार विभाग में जेल अधीक्षकों/जेलरों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	350-351
जनपद लखीमपुर के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	351-352

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम जेंवई में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में मृतिका श्रीमती सेवकहीन के परिवार एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा निर्दोषों पर फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य	352-353
जनपद कुशीनगर स्थित जे0 आर0 आर्गेनिक्स लिमिटेड इकाई डिस्टलरी, कप्तानगंज के मजदूरों का वेतन एवं अन्य बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य	353-354
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम/निगम यू0पी0 डेस्को द्वारा अपने कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	354-355
मेसर्स रिलायंस एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड को दी गयी हजारों एकड़ भूमि वापस लेने व सरकार द्वारा गैस आधारित पावर प्लान्ट स्वयं लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	355
जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	356-357
प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गई मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	357
प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग व हार्टीकल्चर विभाग द्वारा सुविधा की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	357
खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र व सुविधाओं से वंचित रखने के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	357-358
जिला महिला अस्पताल, आजमगढ़ में बने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों को स्टाफ नर्सों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	358-359

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत भवनों के गृहकर जी0 आई0 एस0 आकाशीय सर्वे द्वारा कई गुना रेट बढ़ाकर बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	359-361
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुदानित योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट के वितरण में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य	361-364
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में निजी स्कूलों द्वारा की गयी फीस में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	364-366
जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	366-367
सदन के संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन	367-371
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	372
राष्ट्रगान	372

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(पन्द्रहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 07 अगस्त, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-317

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली

आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकर नगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा

निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला पासवान, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदास नगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राघव लखन पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लाखी राम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वारिस अली, श्री	बहराइच
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सी0वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज एवं सहकारिता मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 की विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमने नियम 311 में प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था की स्थिति पर सूचना दी है। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का है और नियम-311 के अन्तर्गत हमने सूचना दी है और इसलिये सदन का सारा कार्य रोककर पहले आप इस पर सुन लें। सबसे पहले इस सूचना को ले लें। हमारा अनुरोध है कि सदन के सभी नियमों को निलम्बित करके नियम-311 की हमारी सूचना को सुन लें जहां लोगों का जीवन ही सुरक्षित नहीं है वहां इससे महत्वपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। यह घटना एक जगह की नहीं हैं श्रीमन्, पूरे प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक प्रत्येक स्थान पर एक ही स्थिति है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, जरा बैठ जायें। कौकब साहब बैठ जायें, एक-एक आदमी कहिए।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, भारतवर्ष के इतिहास में 6 तहसीलों का लैण्ड इक्वीजीशन के लिये नोटिफिकेशन एक साथ कभी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं ? आपने नोटिस दी है ?

डा0 अनिल चौधरी-

जी मान्यवर, नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए अच्छा बैठ जाइये, हम सुन लेंगे। माननीय चौधरी साहब, कई माननीय सदस्यों की सूचना इस संदर्भ में है। आपने नियम 311 में सूचना दी है। आज थोड़ी मदद ही कर दें। आपने अनुरोध किया है, मैं भी अनुरोध कर रहा हूं कि मैं सुन लूंगा, सूचना को चयनित भी किया है। तीन सूचनाओं को सुनने के लिये चयनित किया है बिजली है और महंगाई है। प्रथम नम्बर पर ले लिया गया है तो आप कह लीजिएगा, शांति से अपनी बात रख दें। इसलिये हम सबका सुनेंगे।

(श्री कौकब हमीद के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब जब मैंने कह दिया है कि सुनेंगे तो अब क्या कहना है ?

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, नियम 311 में नोटिस दिया है। मथुरा जनपद की माँट और महावल.....

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है, आज हम आपकी बात सुन लेंगे। चलिए कह दीजिएगा।

डा0 अनिल चौधरी-

ठीक है मान्यवर।

(श्री सतीश महाना के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब आपका ले लिया गया है। कम से कम आज तो प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रश्नकाल से सम्बन्धित है। मान्यवर, मेरी बात सुन तो लीजिए। मान्यवर, प्रश्नकाल से सम्बन्धित व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल से सम्बन्धित व्यवस्था उठायी जाती है लेकिन कब उठायी जाती है आप जानते हैं। अभी हम प्रश्नकाल शुरू भी नहीं किये हैं।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश में छठा वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

**1.-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छठा वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त रिपोर्ट के तहत दिये गये वेतनमानों एवं ग्रेड पे में काफी विसंगतियां हैं, जैसे वेतनमान रु0 5000, 5500 एवं 6500 पर ग्रेड पे रु0 4200 दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों वेतनमानों की ग्रेड पे पृथक-पृथक निर्धारित करते हुए शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो उक्त का शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? क्या सरकार वेतनमान रु0 4500-7000 के लिए ग्रेड पे रु0 4200 निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो उक्त का शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं। छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां सीधे लागू नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता ? राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का सिद्धान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन

किया गया है। राज्य कर्मचारियों को चूंकि केन्द्र में उपलब्ध समकक्ष पद के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का सिद्धान्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः वेतन समिति की संस्तुति पर राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों सहित कतिपय अन्य वर्ग के कार्मिकों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये गये हैं जिसमें केन्द्र सरकार के समान वेतनमान रु0 5000-8000, रु0 5500-9000 तथा रु0 6500-10500 के लिये एक ही ग्रेट वेतन रु0 4200 अनुमन्य कराया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिये जाने की जानकारी नहीं है।

अभी प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतनमान रु0 4500-7000 के लिये ग्रेड वेतन रु0 2800 ही अनुमन्य है।

श्री सुधीर कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

वर्तमान सत्र में एक ही विभाग से सम्बन्धित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न एक ही प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के नाम से प्रत्येक दिन की कार्यसूची में पहले नम्बर पर आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया है, पहले मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें, लेकिन पहले कौन बोलेगा यह आप लोग आपस में तय कर लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, जिस समय सरकार के द्वारा सदन को बुलाने का निर्णय किया जाता है और महामहिम श्री राज्यपाल उसके लिये अधिसूचना जारी करते हैं। उसके बाद अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का हम लोग निवेदन करते हैं। मान्यवर, सभी माननीय सदस्य ने अपने-अपने हिसाब से प्रश्न करते हैं। माननीय सदस्यों ने जिस प्रश्न का निवेदन किया है मैं उस के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, यह तो माननीय सदस्य का अधिकार है। मान्यवर, 03 तारीख को इसी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 पर इन माननीय सदस्य का प्रश्न आया और इसी विषय से सम्बन्धित था, उसके बाद दूसरा प्रश्न मेरा था जो विधायक निधि से सम्बन्धित था, लेकिन मान्यवर, उस दिन हाउस नहीं हो सका, अव्यवस्थित हो गया, नहीं सुना गया। ठीक है, नहीं सुना गया, उसके बाद 04 तारीख को पुनः एक नम्बर प्रश्न

पर यही अलपसूचित तारांकित प्रश्न, इन्हीं माननीय सदस्य जी का, इस विषय के ऊपर आता है। मान्यवर, यह तीन तारीख की कार्य-सूची है, यह चार तारीख की कार्य-सूची हैं मान्यवर, आज 07 तारीख को फिर इन्हीं माननीय सदस्य जी का उसी विषय पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-01 के रूप में उल्लिखित है। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या केवल यही एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो प्रश्न संख्या-01 के रूप में बार-बार आता है। मैंने विधायक निधि से सम्बन्धित प्रश्न लगाया था और अन्य मा0 सदस्यों ने भी अपने हिसाब से किसी ने चाहे अपराध के ऊपर लगाया हो, चाहे सूखे के ऊपर लगाया हो या अन्य विषय से सम्बन्धित प्रश्न लगाया था। तो क्या मान्यवर, यह एक प्रश्न खास है या उनको इस बात का सर्वाधिकार सुरक्षित है, या आपके द्वारा ऐसा कोई निर्देश दिया गया है, इसको बार-बार एक नम्बर पर लिया जाता है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्न किस सीरियल से लगाया जायेगा, यह आपका विवेकाधिकार है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, दूसरी बात मान्यवर, नियमों के अनुसार प्रश्न प्रहर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में वार आवंटन के अधिकारों के बारे में प्राविधान है कि किस विभाग से सम्बन्धित प्रश्न किस वार को लिये जायं और मान्यवर, प्रमुख सचिव हमको सूचित करते हैं बाकायदा बुलेटिन जारी करके कि किस-किस विभाग के प्रश्न किस दिन लिये जायेंगे और किन प्रश्नों का उत्तर कौन मा0 मंत्री देंगे श्रीमन् उसी के अनुसार लगता है तो हमारी नियमावली के हिसाब से और जो सूचना दी गई है किसी भी विभाग का भले ही वह वित्त विभाग हो, रोज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार यह पांचोंवार को एक विभाग के प्रश्न लगाये जाने की न तो सूचना है न तो निर्देश हैं। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि नियमावली और विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना, इन दोनों का अनुबन्धन करके सिर्फ नियम पढ़ा जाना कि औचित्य के प्रश्न उपस्थित नहीं किये जायेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा श्रीमन्, आप स्वयं भिज्ञ हैं और इस सदन में प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रश्नकाल में ही औचित्य के प्रश्न उपस्थित किये जाने की एक परम्परा है और उस पर व्यवस्था दिये जाने की परम्परा है। मैं श्रीमन्, आक्षेप कहीं नहीं कर सकता लेकिन क्या बात है कि एक प्रश्न एक माननीय सदस्य का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार चाहे जो वार पड़े प्रथम अल्पसूचित तारांकित प्रश्न एक विभाग का रोज रोज मान्यवर, उपस्थित हो, इस सदन में यह दिन कभी देखा नहीं है। इसमें जो जिम्मेवार हो मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो जिम्मेवार हो इस प्रश्न को अपने नियत वार के अतिरिक्त लगाने के लिये वह उसके लिये चिन्हित किया जाय, दण्डित किया जाय। श्रीमन्, एक छोटे क्लर्क को या छोटे सहायक को दण्डित करके इतिश्री नहीं होनी चाहिए जिसके इशारे पर यह चीजें हो रही हो उसको भी चिन्हित किया जाना अनिवार्य है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा वार सामान्य प्रश्न के लिये आवंटित है लेकिन अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के लिये कोई वार आवंटन नहीं है। यह 24 घंटे का सामान्य निर्देश है उसके अनुसार आपकी इच्छा पर है आपके विवेकाधीन है इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो आपने कहा उससे कोई मतलब नहीं था वह तो एक एडीशनल बात इन्होंने कही। सवाल इस बात का है कि क्या एक ही प्रश्न अल्पसूचित के रूप में तीन-तीन बार दोहराया जायेगा। 17 करोड़ का प्रदेश है जनता हित में न जाने कितने प्रश्न आये वह नहीं आ सके एक वर्ग विशेष तक सीमित हैं। यह प्रश्न आखिर ऐसे क्या कारण थे कि बार-बार दोहराया गया और लिया गया ?

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित प्रश्न को चयन करने में वार का कहीं इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन तब भी मैं इसे दिखवा लेता हूं कि कैसे इस तरह की स्थिति आई है ?

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, जैसा कि अभी मंत्री जी ने इस प्रश्न के संदर्भ में जवाब दिया मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से 5000, 5500 और 6500 पर ग्रेड पे 4200 निर्धारित किया गया है उसमें यह बताया गया कि केन्द्र के समान वेतनमान 5000-8000, 5500-9000, 6500-10500 पर 4200 ग्रेड पे वेतन निर्धारित किया गया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार में छठा वेतनमान लागू किया गया है चाहे वह मकान किराया भत्ता हो या अन्य कोई भी भत्ते हों क्या वह उसी तरह से केन्द्र को देख करके उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया जायेगा प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब चाहूंगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसमें भत्तों का जिक्र नहीं है आप देख लें, इसलिये यह अलग है और वह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

सही है, जब प्रश्न से अलग विषय उठा दिया है तो इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित मेरा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपने उसमें भत्ते के संदर्भ में पूछा है कि हाउस रेन्ट इनको देंगे, भत्ता देंगे यह एक अलग विषय है, मूल प्रश्न से हटकर पूछा है।

श्री सुधीर कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में केन्द्र सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाओं को और इसी ग्रेड पे को आधार बनाया गया है क्या मकान किराया भत्ता या छठा वेतनमान जिस तरीके से केन्द्र में लागू किया गया है, उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

यह आप कह रहे हैं कि आधार बनाया गया है। अगर इस प्रश्न में आप कहीं अलग से प्रश्न करते कि क्या जो छठा वेतन लागू किया गया है उसमें अनुमन्यता उनके आवास किराये का या भत्ते का है या इसी पे ग्रेड को आधार बनाया गया है प्रश्न करते तो उसकी सूचना आती। आपने तो सीधे पूछा है कि लागू किया गया कि नहीं लागू किया गया और जो हमारा पे ग्रेड फिक्सेशन है 4200 का क्या इसी पर निर्धारण हुआ है बस यही आपका प्रश्न है तो इस परिधि में नहीं आता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये है। श्रीमन्, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये मात्र छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां नहीं हैं। श्रीमन्, छठा वेतन आयोग या कोई भी वेतन आयोग जब गठित होता है तो वेतन आयोग की एक राय होती है और वह किसी सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं होती है। मान्यवर, आपने दूसरे उत्तर में लिखा है कि "छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया है।" मान्यवर, तात्पर्य यह है कि पहले केन्द्र सरकार लागू करेगी और उसके बाद राज्य सरकार लागू करेगी। मान्यवर, अनेक अवसरों पर कर्मचारी आन्दोलनों के उपरान्त जो बातें समझौते के रूप में तय हों उसमें यह बात पहले से तय है कि पे-कमीशन की जो रिपोर्ट आयेगी उसे पहले केन्द्र सरकार और बाद में उसे राज्य सरकार लागू करेगी, किस तिथि से लागू करेगी उस तिथि की भिन्नता हो सकती है केन्द्र सरकार की कोई दूसरी तिथि होती है और राज्य सरकार की कोई दूसरी। इसलिए श्रीमन्, छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों में बाकी भत्तों का जिक्र यथावत् है उसमें सिर्फ वेतन का ही जिक्र नहीं है। पे-कमीशन छुट्टियां बताता है, इनकैशमेंट लीव का प्रावधान रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए मा0 मंत्री जी यह न कहें कि यह अनुपूरक मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है मूल प्रश्न छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के बारे में है। तो भत्तों का सवाल उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह संस्तुतियां भी वेतन आयोग ने की हैं मान्यवर,

मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार, जो निगम के कर्मचारी हैं प्रदेश के अध्यापक है और अन्य इससे प्रभावित होने वाले जो वर्ग हैं उनको छठे वेतन आयोग का लाभ सरकार कब तक दे देगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रश्न को स्वयं देख लें जो मूल प्रश्न है उसी से सम्बन्धित उत्तर तो हम तैयार करेंगे, उसी के सम्बन्ध में बात करेंगे और मान्यवर, प्रश्न था कि क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त रिपोर्ट के तहत् दिये गये वेतनमानों एवं "ग्रेड-पे" में काफी विसंगतियां हैं जैसे वेतनमान 5000, 5500 एवं 6500 पर ग्रेड-पे 4200 दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों वेतनमानों की "ग्रेड-पे" पृथक-पृथक निर्धारित करते हुए शासनादेश जारी करेगी ? मान्यवर, इसमें कहीं भी भत्तों या निगम कर्मचारियों का जिक्र नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह अनुपूरक प्रश्न है और अनुपूरक मूल प्रश्न से सम्बन्धित है। यदि अनुपूरक नहीं लेना है तब तो लिखा हुआ उत्तर ही काफी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वेतनमान और ग्रेड-पे के सम्बन्ध में प्रश्न है और उसके बारे में पूरा उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यदि मा0 मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो सदन से समय ले लें अथवा इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें अथवा हम आपको लिख करके दे दें और आप नियम-49 में चर्चा करा लें, इस प्रकार से मान्यवर, अनेक विकल्प मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष-

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है। इसमें कहीं केन्द्र सरकार, निगम, भत्तों या शिक्षकों का जिक्र नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यही तो अनुपूरक है। यदि आप ऐसी रूलिंग दे देंगे तब तो मुश्किल हो जायेगी। मान्यवर, यदि मा0 मंत्री जी के पास उत्तर मौजूद नहीं है तो समय ले लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरा उत्तर आ गया है और यदि इसमें कोई और जानकारी वह चाहते हैं तो वह जानकारी भी मिल जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 मंत्री जी तैयार नहीं हैं और संज्ञान नहीं लिया जाता है दीर्घाओं का लेकिन उनको पर्ची अभी तक देने के लिए यदि अभी तक उनका कोई काम्पिटेंट अधिकारी भी तैयार नहीं है तो

सरकार को यदि थोड़ी बहुत शर्म आ रही है तो अपनी शर्म को ढके रहें। मान्यवर, आप इस प्रश्न को सन्दर्भित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप इसे पढ़ लीजिये। जी नहीं, छठे वेतन आयोग की संस्तुति केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिये छठे वेतन आयोग की संस्तुति सीधे लागू नहीं है। आप सीधे लागू कराना चाहते हैं निगम में, शिक्षक कर्मचारियों के लिये कि आप इनको लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी लागू ही नहीं किये हैं तो कब तक का प्रश्न ही नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसीलिये तो मैंने कहा था कि या फिर यह बता दें कि लागू नहीं करेंगे। आप कह दें कि नहीं करेंगे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा प्रश्न सन्दर्भित कर दिया। मेरा प्रश्न यही है कि क्या लागू करेंगे और कब तक करेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी आप सचमुच हमारे संरक्षक है। मैं फिर से अपना प्रश्न स्पष्ट कर रहा हूं। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार के बाद लागू किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति राज्य सरकार की है। ऐसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे भाग में स्वीकार किया। मैं पढ़ दूं छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के उपरान्त प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनर्रीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया है। अब वेतन समिति की क्या रिपोर्ट है यह तो इनके पास होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के कार्मिकों को जिसमें अध्यापक और अन्य कार्मिक भी हैं, जिनको इसके पूर्व में पंचम वेतन आयोग का लाभ दिया जाता रहा है उसी परम्परा के अनुरूप छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्या लागू करेंगे और कब तक लागू करेंगे यह बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों सहित कतिपय अन्य वर्ग के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये गये हैं। मान्यवर, यह लागू हो गया है तो मैं यह स्पष्ट उत्तर पहले ही दे चुका हूं। इसके अलावा अगर और कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर लीजिये मैं जवाब दे दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप इनसे सीख रहे हैं यह आपसे सीख रहे हैं मैं तो आप दोनों से सीख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो हमेशा बीच वाले हैं। (हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो जितना मालूम था, वह तो पुराना हो चुका, लेकिन नये की जानकारी आपही देते हैं। मैं सिर्फ दो ही प्रश्न करना चाहता हूं एक माननीय मंत्री जी से और एक

सिर्फ आपसे मान्यवर। माननीय मंत्री जी से मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि 1988-89 में एक नीतिगत समझौता माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और मान्धाता सिंह जी के बीच में हुआ था जो कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे थे। वह समझौता यही था कि जब भी केन्द्र का कोई वेतनमान आयेगा, वह स्वयंमेव, उसमें कोई मांग या लिखना-पढ़ना नहीं होगा, स्वयंमेव निगम कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर जो समकक्ष कहलाते हैं, जहां वेतनमान है और जहां वेतनमान नहीं है, मान्यवर, वह स्वयंमेव लागू हो जायेगा। तो मान्यवर, अब तक स्वंयमेव लागू होता रहा है तो अब क्या कारण है कि माननीय मंत्री जी अब इसे स्वयंमेव लागू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं पूरे जो सिद्धान्त होते हैं सरकार के जो कमिटमेंट होते हैं, वह एक अनवरत प्रक्रिया है तो एक सरकार ने जब यह समझौता किया था कि वह स्वयंमेंव लागू हो जायेंगे तो इसमें लागू करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और दूसरा प्रश्न मान्यवर आपसे मेरा है कि यह कर्मचारियों पर लागू हो जायेगा निगम पर लागू हो जायेगा, शिक्षकों पर लागू हो जायेगा लेकिन यह सम्मानित विधायकों पर छठा वेतन आयोग कब आप लागू करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमेशा जब-जब केन्द्र सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है उन्होंने जब लागू किया वेतनमान, उसके बाद प्रदेश सरकार ने समिति गठित की है और उस समिति का प्रतिवेदन आने के बाद राज्य सरकार विचार करके उसको स्वीकार करती है। उस समझौते में जिसका जिक्र मा0 प्रमोद तिवारी जी ने किया है उसमें कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान स्वीकार करने की प्रतिबद्धता है परन्तु भत्तों के सम्बन्ध में समानता स्वीकार नहीं की गयी थी। उस समय भी नहीं की गयी थी और आज तक कभी भी नहीं की गयी है। मान्यवर, वेतनमान और मंहगाई भत्ता दो में समानता स्वीकार की गयी थी। वही व्यवस्था आज तक है। बाकी भत्तों में कोई समानता स्वीकार नहीं की गयी थी। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे था कि छठां वेतनमान यहां पर कब से लागू हो रहा है, इसकी जानकारी दे दें। यह जानकारी मैं वर्मा जी से लेना नहीं चाहता। सत्र शुरू होते ही इनके मुंह पर एक टेप लगा दिया जाता है और 'न' के अलावा 'हां' तो कह ही नहीं सकते। राज्यपाल महोदय के सत्र के सत्रावसान की घोषणा के बाद यह टेप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि छठा वेतनमान का लाभ सदन को कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

केन्द्र सरकार जैसे अनुमन्य करेगी यहां भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वहां पर बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष-

वहां अनुमन्य हो गया है तो यहां भी देखा जायेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे निगम ऐसे हैं जहां अभी तक पंचम वेतनमान लागू नहीं हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश के नेता सदन के द्वारा यह घोषणा इस सदन में की गयी थी कि छठा वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू कर दी गयी हैं जबकि तमाम निगम ऐसे हैं जहां पांचवां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ इसको ले करके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आन्दोलन हुए, पीछे भी आन्दोलन हुए उसके बाद भी अब तक उन निगमों में पंचम वेतन आयोग लागू नहीं हुआ और बहुत सारे निगम ऐसे हैं जहां कर्मचारी 500 से 800 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह पा रहे हैं। मान्यवर, जब छठां वेतनमान लागू हो गया है तो फिर पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें क्यों नहीं लागू हो पा रही है ? उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम में पंचम वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है जबकि यह निगम लाभ में चल रहा है। इसलिए मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पंचम वेतनमान लागू नहीं हुआ वहां कब तक लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

छठें वेतनमान के बारे में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और अनुपूरक प्रश्नों में बता दिया गया है। जहां तक पंचम वेतनमान लागू करने का प्रश्न है तो इसमें आप अलग से प्रश्न लगा दीजिये क्योंकि इसमें मंत्री जी को सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री सुधीर कुमार-

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से जवाब चाहूंगा कि जब केन्द्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी दोनों उन्हीं माहौल और परिस्थितियों में और उन्हीं आधारों पर सर्विस कर रहे हैं तो फिर केन्द्रीय कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में यह भेदभाव क्यों है ? आखिर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है और संवेदनशील है। आये दिन धरना-प्रदर्शन, कहीं रोड जाम, कहीं विधान सभा के सामने धरना आये दिन चला करता है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के प्रति इतना संवेदनहीन क्यों हैं ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में केन्द्रीय कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं माहौल में राज्य कर्मचारी भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो ये विसंगतियां किस आधार पर रखी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपका भावनात्मक सुझाव है। कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है कि आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री सुधीर कुमार-

जो वेतन विसंगतियां हैं क्या उनको आगे चल करके खत्म किया जायेगा या नहीं और केन्द्र की भांति वेतन भत्ते कब तक लागू किये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया है।

श्री सुधीर कुमार-

मेरा अनुरोध भत्तों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि इस तरह का निर्देशन नहीं है।

श्री सुधीर कुमार-

यह विसंगति कब तक दूर हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने अभी उत्तर तो दिया है कि विसंगतियों के सम्बन्ध में समिति गठित की गई है वह इसको देखेगी। यह लिखित उत्तर में दिया हुआ है अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

पूरे प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय व इससे सम्बद्ध डिग्री कालेज के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है बाकी सभी विश्वविद्यालयों में छठे वेतनमान का लाभ मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध की बिक्री को रोकने की मांग

**2-श्री सुन्दर लाल लोधी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिन्थेटिक दूध व दुग्ध पदार्थों का निर्माण व बिक्री पर नियंत्रण के बावजूद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कृत्रिम दूध बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने हेतु कोई ठोस तथा कारगर कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

जी नहीं। वर्ष 2009 में अप्रैल, 2009 तक दुग्ध खाद्य सामग्री के कुल एकत्रित 758 नमूनों में से 655 नमूनें विश्लेषित किये गये, जिनमें से 198 नमूनें अपमिश्रित पाये गये हैं। विश्लेषित नमूनों में किसी भी नमूने में कृत्रिम दूध नहीं पाया गया है।

खाद्य अपमिश्रण तथा दूध एवं दुग्ध निर्मित उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। प्रदेश में सिंथेटिक/अपमिश्रित दूध के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-जी0आई0 141ए/पांच-8-08-123खा/2008, दिनांक 28-11-08 एवं पत्रांक 1986/पांच-8-08-123खा/2008, दिनांक 30-06-09 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाये जाने एवं मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों

की संयुक्त टीम गठित कर विशेष छापामार अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि अपमिश्रित नमूनों के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़ा ही गोल-मोल जवाब दिया है। मैंने पूछा था कि क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिन्थेटिक दूध व दुग्ध पदार्थों का निर्माण व बिक्री पर नियंत्रण के बावजूद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कृत्रिम दूध बेचा जा रहा है उन्होंने कहा कि जी नहीं, फिर आंकड़े बता दिये कि कुल एकत्रित 758 नमूनों में से 655 नमूने विश्लेषित किये गये दूध में कुछ नहीं पाया गया प्योर दूध आज बेचा जा रहा है। पूरे प्रदेश में शुद्ध दूध बेचा जा रहा है। लेकिन दूसरा अनुपूरक प्रश्न यदि हां तो क्या सरकार इसको रोकने हेतु कोई ठोस तथा कारगर कार्य योजना बनायेगी ? इसमें मंत्री जी ने भिन्न उत्तर दिया हमने कोई शासनादेश नहीं पूछा, हमने केवल इतना पूछा अगर बेचा जा रहा है तो क्या कोई ठोस कार्यवाही बनेगी ? जब बेचा नहीं जा रहा है तो फिर उत्तर में यह क्यों लिखा कि 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। आपने जब एक नया विभाग खोल दिया है तो इसके लिए कोई व्यवस्था की है इन कर्मचारियों को बिठाने के लिए ठिकाने बनाये हैं या लाखों करोड़ों रुपया फोकट में बरबाद कर रहे हैं यह जवाब दिला दें। किस अधिनियम के तहत इन्होंने गठन किया है इसकी क्या कार्य योजना होगी ? क्या बजट रखा गया है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

सदस्य की जिज्ञासा स्वाभाविक है पता नहीं कहां से इन्होंने सूचना एकत्रित की है। कार्य योजना इस सरकार ने इस उद्देश्य से बनाई है कि जो अभी तक कभी भी दूध पर, ड्रग्स पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सका ड्रग्स कंट्रोलर बनाया था। फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर होते थे वह अगर किसी पर कार्यवाही करना चाहें तो वह कार्यवाही नहीं हो पाती थी कई बार सदन में प्रश्न पूछने की सीमा तक हो जाता था लेकिन तुरन्त प्रभावी कार्यवाही नहीं होती थी। हम अंकुश नहीं लगा पाते थे। इसका गठन करने के बाद हमने समस्त जिलाधिकारियों को इस फूड और ड्रग एथारिटी के माध्यम से जिम्मेदारी दी है कि वे इसका नियंत्रण भी करेंगे और निर्देशित भी करेंगे। फूड इन्सपेक्टर्स और ड्रग इन्सपेक्टर्स को जहां नकली दवाएं बेची जायेगी और एक आई0पी0एस0 रैंक का आफिसर जिसकी पोस्टिंग उस ड्रग एथारिटी में इसलिये की गई है क्योंकि आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 का ज्ञान फूड इन्सपेक्टर और ड्रग इन्सपेक्टर को जरा कम होता है। उनका काम नहीं होता है और जब तक कानून का भय नहीं होता है किसी गलत काम करने वाले को हम दण्डित नहीं कर सकते हैं और इसका प्रमाण है लखनऊ में अभी शायद आपने अखबार पढ़ा होगा लखनऊ में नकली तेल बेचा जा रहा था। उस पर छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद उस पर कार्यवाही हुई और पिछले साल रासुका तक लगी है। (कई सदस्यों के बोलने पर शोर) हम दूध की बता रहे हैं। एक मिनट आप लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं। मान्यवर, यह दूध के बारे में जानना चाहते हैं तो जो इन्होंने क्वैश्चन लिखा है सिंथेटिक दूध। सिंथेटिक दूध नहीं बेचा जा रहा है। दूध में जहां यूरिया मिलाया जाता है यह सिर्फ सिंथेटिक दूध की बात कर रहे हैं इसलिये हमने

लिखा है कि सिंथेटिक दूध नहीं बेचा जा रहा है, दूध का अंश उसमें होता है। मिलावटी दूध कहां होता तो उसका जवाब मैं देता। सिंथेटिक दूध जो होता है प्योरली, उसमें दूध का अंश होता ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है तो उसको कैसे स्वीकार कर लें कि हमारी जितनी भी यह जांचें हुई हैं उसमें सिंथेटिक दूध नहीं पाया गया, मिश्रित दूध पाया गया है। जहां पर भी मिश्रित दूध पाया गया है, हमने वहां पर कार्यवाही की है और लोगों को जेल भेजा है। इस पर प्रभावी नियंत्रण निश्चित रूप से होगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि अभी आपने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कृत्रिम दूध नहीं बेचा जा रहा है। जितने नमूने लिये थे इन्होंने उसमें कहीं मिलावट नहीं थी। सम्भवतः माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में होगा कि लगभग करीब-करीब एक महीने होने जा रहा है गाजियाबाद के पास पराग की डेरी के पास भी इस तरह दूध पकड़ा गया था जो कृत्रिम भी था और मिलावट भी थी तो माननीय मंत्री जी शायद जानबूझकर के उन तथ्यों की अनदेखी करना चाह रहे हैं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने दवाओं के ऊपर भी कंट्रोल रखा है कि वो सब मिलने न पाएं। मैं मात्र आपसे एक बात जानना चाहती हूं क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिये जानना चाहती हूं कि आक्सीटोसिन का इन्जेक्शन जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है आज भी मार्केट में मिल रहा है (शोर) नहीं इससे सम्बन्धित है, नहीं माननीय मंत्री जी। पहली बात तो माननीय अध्यक्ष जी, सिंथेटिक दूध मिल रहा हैं माननीय मंत्री जी देखना नहीं चाहते हैं वो अलग बात है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

हद तो यह है कि जो दूध डेरी से आता है जो दूध ग्वाले दे रहे हैं उसमें भी यूरिया की भी मिलावट है और सिंथेटिक भी है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको भी दिखेगा। जानबूझकर आप न देखना चाहें तो वह अलग बात है। आक्सीटोसिन की बात मैंने इसलिये कही क्योंकि आक्सीटोसिन का इन्जेक्शन लगा हुआ दूध मिल रहा है और उसका हम सबके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसलिये माननीय मंत्री जी से कहना है कि जो दवा बाजार में प्रतिबंधित है, वह दवा बाजार में मिल क्यो रही है इसलिये हमें माननीय मंत्री जी से कहना है। माननीय अध्यक्ष जी, आप इसका जवाब हमको माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिये कि पराग डेरी के ऊपर जो दूध आया था वहां पर कृत्रिम दूध था कि नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी, पराग डेरी के पास जो पकड़ा गया वह सिंथेटिक दूध था कि नहीं था, क्या था ? इसकी तो माननीय मंत्री जी को सूचना लेनी पड़ेगी। वो कैसे जान रहे हैं ? आपने तो मान लीजिये व्यक्तिगत कहीं न कहीं से जानकारी कर लिया कहीं न कहीं से। माननीय मंत्री जी को तो उसकी जानकारी नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, इतना गम्भीर विषय है, इसको इतने हल्के से न लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं मैंने हल्के से नहीं लिया है। यह जिस चीज को पूछ रही हैं कि वहां पर दूध बनाने की अलग से मिलावटी दूध बनाया जा रहा था, इसको पकड़ा गया है तो अब यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि नहीं यह पूछिये तब तो आगे मंत्री जी बताते कि हां पकड़ा गया कि नहीं। यह तो अपनी एक जानकारी बता रही है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

आगरा में घी की मिलावट पकड़ी गयी थी। दूध और घी में मान्यवर, कोई ज्यादा अन्तर नहीं है, खाते वह भी हैं और खाते यह भी हैं और दूध का ही वह बाई प्रोडेक्ट है, अगर मिश्रित है, अगर उसमें चर्बी थी, दूध जो पकड़ा गया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उसमें आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष-

आप पूछ लीजिए, आप बता रही हैं कि गाजियाबाद में पराग डेरी के पास मिलावटी दूध पकड़ा गया था।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मिलावट जो पकड़ी गयी थी माननीय मंत्री जी बता दें उसमें क्या कार्यवाही हुई ? अपर हाउस में क्या हुआ ? जांच के लिये भेजा गया था, जहां से दूध की सप्लाई हुई और जहां से घी बना, मार्केट में आया, इतना बड़ा सिस्टम रन कर रहा है माननीय मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है हम माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि अगर गन्दगी को गलीचे के नीचे छिपाया जायेगा तो नतीजा यह होगा कि पूरा गलीचा सड़ जायेगा। उसमें क्या कार्यवाही हुई आज प्रदेश में कृत्रिम दूध बिक रहा है, छोटे-छोटे बच्चे अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करिए। आपका विचार अच्छा है।

(हुकुम सिंह जी का नाम पुकारा गया)

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने हुकुम सिंह जी को बुला लिया है पहले हुकुम सिंह जी बोल लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश की जनता के जनजीवन से जुड़ा हुआ है और इसको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। केवल तकनीकी कारण दे करके माननीय मंत्री जी ने बहुत हल्केपन से इस प्रश्न को लिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कोई सर्वे कराया कि इस समय प्रदेश में कितने दूध का उपयोग हो रहा है और दूध का उत्पादन कितना है। क्योंकि मान्यवर, इस समय लाखों लीटर दूध प्रदेश से दिल्ली जा रहा है, और लाखों लीटर दूध प्रदेश से पश्चिम बंगाल और कलकत्ता में जा रहा है और यहां पर उत्तर प्रदेश में एक नहीं कम से कम पचास दुकानें तो मैं बता सकता हूं इस सदन में, जहां यूरिया से और ऐसी चीजों से दूध का उत्पादन किया जा रहा

है। जो यूरिया का दूध है वह सिन्थेटिक दूध ही तो है। अब उसको आप टेक्निकल डेफनीशन में लेंगे कि साहब उसमें दूध का अंश भी था, वह दूध का अंश था या नहीं था यह तो अलग बात होगी लेकिन ऐसे जहरीले पदार्थों से दूध का रंग देकर उसे दूध कहा जा रहा है वह दूध है नहीं उसे दूध का नाम दिया जा रहा है और यहां के जन जीवन पर कितना प्रभाव उसका पड़ रहा है यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना यह चाहता हूं आपने जिलाधिकारी को आदेश दिये जिलाधिकारी तो सारे आदेश पालन भी करते हैं और पालन करने की स्थिति में भी हैं खाली बैठे हैं वह तो, उनके पास न प्रशासनिक काम है और न ही और काम हैं उन्हीं को आपने आदेश दे दिया और आपने कह दिया कि आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 की जानकारी हमारे अधिकारियों को नहीं है, फूड एडल्ट्रेशन की जानकारी इसमें होनी चाहिए। आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 पढ़ाने की आवश्यकता क्या है ? आपका स्पेशल ऐक्ट है, स्पेशल ऐक्ट की जानकारी स्पेशल अधिकारी को होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मान्यवर, जब विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा ही सिन्थेटिक दूध के निर्माण में सक्रिय रुचि ले रहा है तो यह खत्म कहां से हो जायेगा ? क्या आप यह आश्वासन देंगे आज के बाद में, कल से सघन अभियान चलाकर के जहां सिन्थेटिक दूध का निर्माण हो रहा है वहां छापे मारकर पकड़वायेंगे और कार्यवाही की जानकारी सदन को देंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दूध बाहर चला जाता है तो उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, किसको हम रोक दें कि अपना दूध बाहर न बेचो।

श्री हुकुम सिंह-

यह बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं इसलिये सब लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने इनको स्थिति बताई मेरी इस पर आपत्ति नहीं थी। दूध का उत्पादन यहां कम है यहां दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। मैंने अपने प्रश्न पर बल देने के लिये इस तथ्य को रखा, मेरा कहना है कि दूध का उत्पादन इतना है नहीं जितना इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो कृत्रिम दूध बन ही रहा है। यह बात घुमाने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी जानना चाहते हैं कि सिन्थेटिक दूध बनाने की जिन लोगों ने व्यवस्था की है.....

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

आप हमें सूचना भिजवा दीजिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य आप लोग बैठ जाएं मैं स्पष्ट करता हूं। खन्ना जी, आप बैठ जाइये। फातिमा जी, इस खुशी के माहौल में बैठ जाइये।

माननीय हुकुम सिंह जी मंत्री जी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जहां पर मिलावट का मसला है वहां पर कड़ाई करें, लोगों का चालान करें। मंत्री जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या कोई आप सघन अभियान चलायेंगे कि ऐसे सिन्थेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

(शोर)

जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमें सूची भेज दीजिए। रोज मीडिया छाप रहा है, रोज टेलीविजन दिखा रहा है, सारा हाहाकार मचा है और मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें सूची भिजवा दीजिए। यह प्रमाणित करता है कि जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है, इस विभाग के और सत्ता की सांठगांठ से हो रहा हैं यह निश्चित रूप से उसमें साझीदार है और मंत्री सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी सांठगांठ का पर्दाफाश न होने पाये, वरना ये सूची न मांगते। इनको जानकारी होनी चाहिए, रोज मीडिया दिखा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, उसी को मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कराना चाहता था। माननीय मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में व्यवस्था दी है, एक समिति भी गठित की है और शासनादेश भी जारी किया है, जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिये हैं। माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इसके लिये कोई सघन अभियान चलायेंगे जिससे सिन्थेटिक दूध बनाने पर रोक लग सके।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इसके लिये निश्चित रूप से सघन अभियान चल रहा है और आगे भी हम इसके लिये सघन अभियान चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गये हैं आप लोग बैठ जाइये। पूरन जी जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो बैठ जाना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में इस समय दूध में मिलावट चल रही है और अधिकारियों और सरकार के बीच सांठगांठ है। पूरे प्रदेश में मान्यवर, दूध में मिलावट हो रही है। सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है और यहां तक पेण्ट से भी दूध बनाया जा रहा है जो पुताई करने वाला रंग है उससे भी दूध बनाया जा रहा है।

(शोर)

डॉ0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को व्यवस्थित करिये नहीं तो कोई भी बोल नहीं पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये हम सदन को व्यवस्थित कराते हैं, हम शांत करायेंगे। कोई माननीय सदस्यगण या माननीय मंत्री बोल रहे हों तो सभी लोग शांति से सुनिये।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मिलावट के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और कहीं पर भी इस मिलावट के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं हो रही है और रोज लगातार मिलावट बढ़ती जा रही है। दूध, घी और जितनी भी वस्तुएं हैं यहां तक दवाओं में भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कुछ अनुपूरक भी करें।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मिलावट हो रही है, मंत्री जी इसको कब तक रोकेंगे और अब तक कितनी कार्यवाही हुई है, वह बतायें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं कि मिलावट के कितने केसेज अब तक पकड़े गये हैं, क्या कार्यवाही हुई है, बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, यह सरकार मिलावट रोकने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनकी मिलीभगत है, इनके अधिकारियों की मिलीभगत है। सरकार की जन स्वास्थ्य के प्रति इस असफल और मिलीभगत के विरुद्ध हम सदन से वाकआउट करते हैं।

(अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मिलावट करने वाले लोग सदन छोड़कर चले गये। मान्यवर, यह सरकार मिलावट की गम्भीरता को देखते हुए, दूध में किसी प्रकार की मिलावट न होने पाये, सिंथेटिक दूध लोगों को न उपलब्ध हो, इसलिये इसको गम्भीरता से लेते हुए मान्यवर, पहली बार जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसकी रोकथाम के लिये एक अलग विभाग ही गठित है, खाद्य एवं औषधि विभाग का प्रशासन गठित किया गया है और मान्यवर, स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात का जिक्र किया है कि 30-06-2009 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है इसके अन्तर्गत जिलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाये जाने एवं मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों की टीम गठित कर विशेष छापामार अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, निर्देशित किया गया है और दूध में किसी प्रकार का मिश्रण भी न होने पाये और साथ ही साथ सिंथेटिक दूध किसी भी हालत में प्रदेश की जनता को उपलब्ध न होने पाये और बनाया न जाए उसके लिये विभाग ने प्रभावी कदम उठाया है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए विभाग ने एक अलग इकाई का गठन करके उसे एक जिम्मेदारी दी है, और निश्चित रूप से मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी इस बात को हम आश्वस्त करते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, 2007 में 244, 2008 में 171 और अप्रैल तक 29 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इन पर सख्त कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, कार्यवाही के बारे में बता दिया।

डॉ0 पी0 के0 राय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से मात्र दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी स्वयं सहमत होंगे और मेरा दावा है कि मा0 मंत्री जी बाहर का खोया और पनीर की मिठाइयां निश्चित तौर पर नहीं खाते होंगे। मेरा प्रश्न है कि इतने बड़े विभाग और 17 करोड़ जनता के स्वास्थ्य रक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपके पास इतना डाक्टरों का अमला है और जो मुख्य चिकित्साधिकारी जिसको उसके बारे में ज्यादा ज्ञान है और वह आपका प्रशासनिक अधिकारी है, उससे हट करके जिलाधिकारी को इस कार्य को सौंपना पड़ा है क्योंकि जिलाधिकारी के पास वैसे भी बहुत से कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं और दूसरा मेरा प्रश्न है, इससे सरकार अपने को बचाने का प्रयास न करे कि कृत्रिम दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है, चाहे इस्तेमाल यूरिया का हो या पेण्ट का हो।

मान्यवर, निश्चित तौर पर कृत्रिम दूध मिश्रित दूध से सब लोग भयाक्रांत हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या कोई व्यवस्था इस तरह की गई है कि अभियान के तौर पर जांच करके और जांच की रिपोर्ट भी जितनी शीघ्रता से आ सकती हो वह आ जाए ताकि उस पर शासन द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा सकें। इस दिशा में आपके स्तर से क्या कोई प्रयास किया गया है।

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, जिलाधिकारी को उसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सी0एम0ओ0 और डिप्टी सी0एम0ओ0 के अधिकार छीन लिये गये हैं। उनके बराबर के अधिकार हैं, जो हमारे चीफ फूड इंस्पेक्टर जाते हैं छापा मारने तो उनके साथ डिप्टी सी0एम0ओ0 और एडिशनल सी0एम0ओ0 जिनके पास चार्ज है वह साथ में जाते हैं, यहां से ऐसे निर्देश भी हैं।

(व्यवधान)

श्री पूरन प्रकाश-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इस प्रश्न पर चर्चा बहुत हो गई और सुझाव भी आ गये। पूरक प्रश्न भी बहुत सारे हो गये। मान्यवर, अधिनियम तमाम आप लोगों ने बनाने का काम किया है, रोकथाम करने के लिये काफी प्रयास किये गये हैं, कमेटी गठित करने का प्रयास हो गया।

मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह मानना है कि बाजार में सिंथेटिक दूध और मिलावटी दूध भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आपकी एक टीम छापा मारने का

नोट :-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

काम करती है लखनऊ में। यह फोटो छपी है अखबार में इसमें यह दिखा गया है कि जांच टीम को देखने के बाद दूध का कारोबार करने वाले लोग अपना सारा सामान छोड़कर भाग गये, और सारा सामान भी छोड़ गये। जिस तरह कोई चोरी की गाड़ी लेकर सड़क पर चलता है और पुलिस उसे पकड़ ले तो वह गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। लेकिन असली गाड़ी का मालिक गाड़ी छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि कई लाख की गाड़ी होती है। लेकिन यहां तो गाड़ी छोड़कर भी भाग गये। इससे जाहिर है कि वह गाड़ी के असली मालिक नहीं थे। मान्यवर, यह नकली दूध का काम पूरे प्रदेश में जोरों पर है। आप कोई ऐसी कार्यवाही कर दें जिससे इस मिलावटी दूध से जनता को छुटकारा मिल जाय। ऐसा कोई काम आप जल्दी ही कर दीजिये, क्योंकि मेरा परिवार भी पीड़ित है इससे। और तमाम परिवार भी पीड़ित हैं इससे। आज लोग दूध पीने का काम नहीं करते हैं और दूध के नाम से डरते हैं। मेरे पास एक मेहमान आये मैंने चाय पीने के लिये कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा आप चाय क्यों नहीं पियेंगे तो उन्होंने कहा कि चाय में दूध मिला होगा और बाजार में दूध बहुत खराब आ रहा है। तो यह छवि दूध के बारे में आज बन गई है। जो सच्चाई है माननीय मंत्री जी, आपको भी स्वीकार करनी चाहिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपने सारे इंतजाम किये हैं, कमेटी गठित कर दी, डी0एम0 साहब को भी शामिल कर दिया। लेकिन क्या ये सब प्रभावी रूप से उस पर नियंत्रण का काम कर रहे हैं। खाद्य तथा रसद विभाग में एक कमेटी गठित करने का काम हो गया। मैंने अपने एक परिचित से पूछ लिया कि अब तो एक और अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है जो आपके सामने बैठकर खाद्य पदार्थों को बंटवाने का काम करेगा अब तो कोई हेरा-फेरी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नहीं काम तो जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो अधिकारी अब बैठकर के बंटवाने का काम करता है मिट्टी का तेल और खाद्य पदार्थ, उस पर 500 रुपये का खर्चा और बढ़ गया है तो यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, तमाम सारी प्रशासनिक सुविधायें उपलब्ध हैं, वह धरातल पर जाकर, नीचे जाकर काम करेंगे, और क्या आप इससे सम्बन्धित सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगे।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, हममें से अधिकतर लोग यहां पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। हमारे गांव में और अधिकतर गांवों में दूध निकालने वाले लोग हैं और बहुत से लोग दूध से निर्मित मावा-खोवा बनाने का काम करते हैं। आप विस्तृत रूप में सर्वे/निरीक्षण करवा लें तो आज 90 प्रतिशत में मिलावट मिलेगी। मान्यवर, आज स्थिति यह है जिस गांव में 40 भैंस हैं और कुल मिलाकर उससे 300-400 लीटर दूध होना चाहिये वहां पर आज 3000-4000 लीटर दूध हो जा रहा है और उस दूध तथा उससे निर्मित अन्य पदार्थों की सप्लाई प्रतिदिन हो रही है। आप प्रदेश के 50 चिन्हित गांवों का एक रैण्डम सर्वे करवा लें और उसमें यह दिखवा लें कि प्रत्येक गांव में कितनी भैंस हैं और कितना दूध है और उसके फलस्वरूप कितने दूध की और उससे निर्मित्त पदार्थों की सप्लाई हो रही। मान्यवर, स्थिति यह है कि जिस गांव में ब्याह-शादी के मौके पर दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती है उस गांव में आज भरपूर मात्रा में दूध की आपूर्ति और अन्य पदार्थों की सप्लाई हो जा रही है। इससे जाहिर है कि सिंथेटिक दूध है इस प्रदेश में और यह चिन्ता का विषय है। आप इस तरह का सर्वे करवा लेंगे तो सारी चीजों का खुलासा हो जायेगा और जो इस प्रश्न को उपस्थित करने का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मंत्री जी की तरफ से बात आ गयी कि वह एक सघन सर्वे करायेंगे। माननीय मंत्री जी आप एक स्पेसिफिक गांव के बारे में बता रहे हैं उसको आप दिखवा लेंगे।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं किसी एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं पूरे प्रदेश के हर गांव की बात बता रहा हूं।

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मंत्री जी कानपुर शहर के निवासी हैं। उन्होंने एक विवरण सदन में रखा कि वर्ष 2007, 2008 और इस वर्ष में अप्रैल माह में अब तक इतने लोग इस सम्बन्ध में पकड़े गये हैं। वे यह बता दें कि इस सम्बन्ध में कानपुर शहर से कितने लोग पकड़े गये हैं। मान्यवर, आज कानपुर शहर में मिलावटी दूध मिल रहा है, मूलगंज है, मालरोड है, नई सड़क है, सिविल लाइन्स है, यहां यह मिल रहा है। आप चाहें तो अभी कानपुर के डी0 एम0 को फोन करके स्थिति को दिखवा लें। क्या आप वहां पर कोई छापा डलवाने का काम करेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो लोग इस अपराध में लिप्त हैं और पकड़े जा रहे हैं उनकी सजा को सरकार बढ़ाने का काम करेगी ताकि दूसरे लोग अपराध न कर सकें। कानपुर में जितने आदमी पकड़े गये हैं उनके नाम आप बताने का कष्ट करेंगे, ताकि उनसे मैं जाकर जेल में मिल आऊं।

श्री अध्यक्ष-

क्यों आप वहां पर मिलने जायेंगे ?

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, अभी दो महीने पहले कानपुर में सबसे बड़ी खोवा मंडी है नवगढ़े में, वहां पर 500 किलोग्राम नकली खोवा पकड़ा गया था लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या मंत्री जी खोवा नहीं खाते हैं या खाना छोड़ दिया है। यहां पर दरियाबादी जी बैठे हुये हैं वह भी कानपुर से विधायक हैं। वह भी आपको बता सकते हैं। मान्यवर, खोवा मण्डी में 500 किलो खोवा पकड़ा गया।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मान्यवर, इसमें हम दिखवा लेंगे।

प्रदेश में कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने की कार्य-योजना

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के भदोही तथा शाहजहांपुर जैसे कई नगरों में कालीन की बुनाई की जाती है तथा उसका निर्यात किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालीन उद्योग के लिये निर्यात जोन का विकास करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ऐसे उद्यमियों को क्या-क्या सुविधा प्रदान करायेगी ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्रदेव राम यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कालीन उद्योग सहित सभी निर्यातक उद्योगों के प्रोत्साहन की कार्यवाही उ0 प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से की जाती है। अतः अलग से निर्यात जोन विकसित करने की योजना नहीं है।

उ0 प्र0 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से उ0 प्र0 के निर्यातकों को आर्थिक सहायता/सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है।

1-परामर्श

2-निर्यातक इकाइयों के पंजीयन

3-गोल्ड/सिल्वर कार्ड

4-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना

यह योजना ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 में प्रदेश के निर्यात को दसवीं पंचवर्षीय योजना के सापेक्ष और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न सेक्टर के माध्यम से निर्यातकों को प्रोत्साहन दिये जाने की निम्नवत् व्यवस्था की गयी है :-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता।

(2) गेट-वे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान।

(3) निर्यातकों की क्षमता का विकास।

(4) अध्ययन, सर्वे, ब्रान्ड प्रोत्साहन एवं आंकड़े उपलब्ध कराना।

(5) निर्यात पुरस्कार।

5-वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना।

6-उपर्युक्त क्रमांक-4 पर अंकित त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत एक घटक योजना राष्ट्रीय स्तर पर विपणन सहायता योजना उद्योग निदेशालय के द्वारा भी चलाई जाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर 2 छोटे-छोटे से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को यह जानकारी होगी कि शाहजहांपुर में लगभग 40 से 50 हजार लोग इस कालीन उद्योग से सम्बन्धित है, बुनकर है। उनकी मजदूरी बहुत कम है। कम से कम भदोही और शाहजहांपुर में तुलना की जाये तो उनकी मजदूरी बहुत कम है। मान्यवर, अगर निर्यात जोन बना दिया जाये तो उनकी मजदूरी आटोमेटिक बढ़ जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो करों का रेट है, मान्यवर दो स्थानों से ऊन आता है। एक पानीपत से और एक बीकानेर से। इसमें एक के ऊपर 4 प्रतिशत वैट है और एक पर 12 प्रतिशत वैट है। क्या माननीय मंत्री जी इसमें निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये करों में कमी करेंगे ? ओर साथ-साथ क्या इस सम्बन्ध में वहां क्वालिटी बेहतर हो इसके लिये कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

मान्यवर, मैं अपने वरिष्ठ सदस्य श्री खन्ना साहब को बताना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें निर्यातकों के बारे में सुविधा और एक अलग से जोन बनाने के बारे में पूछा है। ऊन के बारे में नहीं पूछा है और न सवाल में इस तरह का कोई जिक्र है। लेकिन आपकी जिज्ञासा जो रही है वह खास तौर से शाहजहांपुर की रही है और यह एक ही जगह जोन बनाकर अब तक निर्यात होता रहा, कलकत्ता और मुम्बई से। अब आपकी बात कहां तक है, मैं बताना चाहूंगा कि भदोही में कार्पेट सिटी तथा जमुनीपुर की तर्ज पर शाहजहांपुर में कार्पेट के डिजाइन तथा योजना का प्रपोजल हस्तशिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योजना उद्योग निदेशालय द्वारा बनायी गयी है तथा भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। शाहजहांपुर तथा प्रदेश के 5 हजार लोगों को इससे फायदा मिलेगा और आगे अलग से जोन बनाने की स्कीम नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि निर्यातकों को क्या-क्या सुविधा दी जा रही है तो उसको मैं आपको बता दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि आपने एक योजना बनायी जो भारत सरकार को सबमिट की। उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या उस सम्बन्ध में कोई वार्तालाप हुआ, आपने कोई पत्र लिखा ? उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से भदोही से जो कार्पेट एक्सपोर्ट होता है उसके लिये सरकारी तौर पर वाशिंग प्लांट की व्यवस्था की गयी है।

क्या उसी प्रकार भदोही की तर्ज पर शाहजहांपुर में भी इसी प्रकार वार्षिक प्लाण्ट की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जायेगी ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ नेता मा0 खन्ना जी को यह बात बताना चाहता हूं, पहले मैंने बताया कि कोई अलग से इसका जोन अभी बनाने का न तो कोई प्रस्ताव है न तो कोई विचार है, भदोही से ही अभी यह निर्यात होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जो योजना आपने बनाकर भारत सरकार को भेजी है, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, कब भेजी गई, उसके ऊपर परस्यूयेशन हुआ, कोई बात-चीत हुई, कोई टेलीफोनिक बात हुई, कोई लेटर भेजा गया, उसके बारे में मान्यवर, जानकारी दिला दें ?

श्री अध्यक्ष-

उत्तर में कहां है कि योजना भारत सरकार को भेजी गई ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने अभी अनुपूरक में बताया है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक में कहां बताया कि भारत सरकार को हमने भेजा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप कार्यवाही देख लें, पूरे हाऊस ने सुना है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपने बताया है ? भारत सरकार को संदर्भित की है कोई योजना ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

मान्यवर, एक ऐसी स्कीम है जो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से और कुछ वहां के लोगों को मिला कर के एक स्कीम बनाई गई है, वह भारत सरकार को गई है और हम लोग परश्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत सरकार से कोई स्वीकृति मिली नहीं है। अब हम आपसे क्या बतायें ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 खन्ना जी, अब बैठ जायें जब मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि अब हम आपसे क्या बतायें, तो आप समझ जाइये, अब आप बैठ जायें ? मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में तापीय विद्युतघरों में बिजली का उत्पादन एवं मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु योजना

*2-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तापीय बिजली घरों में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा प्रदेश में कितने मेगावाट बिजली की मांग है ? क्या यह सही है कि उत्पादन कम और मांग ज्यादा होने के कारण प्रदेश में बिजली की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

प्रदेश के तापीय बिजली घरों से वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा प्रदेश में वर्तमान में विद्युत की मांग लगभग 10,000 मेगावाट है।

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में राज्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन/प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का विवरण

(1) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन तापीय विद्युत परियोजनाएं

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र :-

(i) 2x250 मेगावाट पारीक्षा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

(ii) 2x250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

(iii) 2x500 मेगावाट अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना

(ब) निजी क्षेत्र :-

(i) 4x82.5 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना

(ii) 2x300 मेगावाट रोजा तापीय विद्युत परियोजना

(iii) 2x600 मेगावाट अनपरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना

(2) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तापीय विद्युत परियोजनाएं

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र :-

(i) 2x500मेगावाट ओबरा 'सी' विद्युत परियोजना

(ii) 1x250 मेगावाट पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

(iii) 2x250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार (द्वितीय चरण) तापीय विद्युत परियोजना

(ब) संयुक्त क्षेत्र :-

(i) 2x600 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना

(ii) 2000 मेगावाट फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजना

(स) निजी क्षेत्र :-

(i) 3x660 मेगावाट प्रयागराज तापीय विद्युत परियोजना

(ii) 2x660 मेगावाट संगम तापीय विद्युत परियोजना

(3) ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत की कमी को दूर करने के लिये 25000 मेगावाट का उत्पादन/क्रय प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(i) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-1) के आधार पर 5000 मेगावाट विद्युत क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

(ii) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-2) के आधार पर 15000 मेगावाट की परियोजनायें स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से निम्नलिखित परियोजनाओं का चिन्हांकन हो चुका है :-

- 4000 मेगावाट ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1320 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1980 मेगावाट दोपहा तापीय विद्युत परियोजना

शेष 8000 मेगावाट क्षमता के लिये अतिरिक्त परियोजनाओं का चिन्हांकन किया जायेगा।

(iii) राज्य सेक्टर में 5000 मेगावाट की परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नलिखित दो परियोजनायें चिन्हित है :-

2000 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना (नोयडा अथारिटी, ग्रेटर नोयडा अथारिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 25-25 प्रतिशत भागीदारी के आधार पर)

1320 मेगावाट अनपरा 'ई' तापीय विद्युत परियोजना

शेष 1680 मेगावाट के लिये परियोजनायें चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अपने इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले सूखा घोषित हो गये और बिजली की भारी कमी है, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया भी है। 10 हजार मेगावाट विद्युत की हमारी मांग है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें चाहिये लेकिन उसके सापेक्ष उत्पादन बहुत कम है। इतना भारी अन्तर दोनों में है तो इस भारी अन्तर को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कर रही है किसानों के लिये क्योंकि आज तमाम सूखे में किसान परेशान है, बिजली है नहीं, मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र की जानकारी है, तीन से चार घण्टे बिजली किसानों को मिल रही है, मेरा प्रश्न पूछने का सिर्फ इतना मतलब है कि यह जो मांग और आपूर्ति में इतना बड़ा अन्तर है दोनों के सापेक्ष, इसकी पूर्ति करने के लिये सरकार की क्या-क्या योजनायें हैं, यह जो योजनायें मा0 मंत्री जी ने बताई है वह तमाम योजनायें लिखित में आ गई है जो क्रियान्वित है, उसके लिये तो मा0 मंत्री जी को बधाइयां कि वह तमाम योजनायें लाने का काम कर रहे हैं लेकिन उन योजनाओं को आने में अभी समय लगेगा जैसा कि मेरा मानना है, तो तब तक विद्युत आपूर्ति को सुचारु करने के लिये किसानों को बिजली देने के लिये मा0 मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या मा0 मंत्री जी दूसरे प्रदेश में से विद्युत मांगने का काम कर रहे हैं ? क्या सरकार केन्द्र सरकार से अतिरिक्त बिजली लेने का काम कर रही है और अगर काम कर रही है तो केन्द्र सरकार ने कितनी कितनी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को देने का काम किया ? क्योंकि दोनो ही सरकारें किसानो के लिये उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बड़ी तत्पर है केन्द्र सरकार भी बड़े-बड़े दावे कर रही है तो सिर्फ इतना जानना है कि इस भारी मांग की पूर्ति के लिये केन्द्र सरकार ने कितनी बिजली देने का काम किया और मंत्री जी ने क्या-क्या प्रयास किया।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से अभी हमने सूखे की स्थिति को देखते हुये और प्रदेश में जो बिजली की कमी है, उसको पूरा करने के लिये केन्द्र से हमने 700 मेगावाट की मांग की है, लेकिन मात्र हमको 100 मेगावाट मिली है। 300 मेगावाट का हमने गुजरात से एग्रीमेण्ट किया है लेकिन कैरीडोर हमको नहीं मिल पा रहा है, जब कैरीडोर हमको मिल जायेगा तो 300 मेगावाट बिजली हमको वहां से मिल जायेगी, बाकी मान्यवर, सारी बातें, जितनी परियोजनायें हम लगा रहे हैं, उत्तर में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या नार्दन रीजनल पावर कमेटी ने सितम्बर, अक्टूबर ओर नवम्बर माह में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के बारे में कोई रिपोर्ट दी है, यदि हां, तो वह क्या है ? और शासन इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यह एक छोटा सा अनुपूरक प्रश्न है और दूसरा क्या केन्द्र ने अपने सेण्ट्रल सेक्टर का जो 40 हजार मेगावाट है उसका जो 15 परसेण्ट का कोटा होता है राज्यों में जिनमें कमी हो, उनको देने की जगह पर मूल्य के आधार पर देने का निर्णय लिया है यदि हां, तो आपने उसके विरोध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, भारत सरकार से जो अल्टामेगा पावरात लगायी जा रही है उनसे 2230 मेगावाट का बिजली का हमने अनुबन्ध किया है और बाकी बिजली की कमी को देखते हुये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर प्रश्न कुछ है और माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। प्रश्न मैं दोहरा दे रहा हूं। मैंने दो प्रश्न किये हैं माननीय मंत्री जी से, क्या नार्दन रीजनल पावर कमेटी ने सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर महीने की प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है, आपके संज्ञान में है ? तो वह क्या है ? और उस संदर्भ में शासन ने क्या एहतियाती कदम उठाये हैं ? यह पहला प्रश्न है नार्दन रीजनल पावर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। दूसरा, क्या केन्द्र सरकार ने अपने सेन्ट्रल सेक्टर के 15 प्रतिशत का जो डिस्क्रेशनरी कोटा होता है वह कम विद्युत वाले राज्यों को प्राथमिकता पर देने की जगह पर बाजार में बेचने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो आपने क्या कार्यवाही की है ? यह दो प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, पहला जो नार्दन रीजनल पावर कमेटी बनी है उसने कोई संस्तुति भेजी है, आपके संज्ञान में अगर हो तो वह बता दें। दूसरा, डाक्टर साहब, भारत सरकार का 15 प्रतिशत डिसक्रेशनरी पावर है तो इसके बारे में क्या पता लगावें कि वह दूसरे को दे रही है या बेच दे रही है ? वह नार्म्स को पूरा नहीं कर पा रही है, यह सेन्टर का निर्णय है सेन्टर के निर्णय को माननीय मंत्री जी कहां तक बतायेंगे ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, वह ऐसा कर रही है, जिन राज्यों में विद्युत कम है उनको न देकर बाजार में बेचना चाह रही है तो उन राज्यों का दायित्व है जो बिजली की कमी से परेशान है जो यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार बिजली नहीं दे रही है वह अपनी आपत्ति दर्ज करायें। आपत्ति के बहुत से स्तर हो सकते हैं, संसद में आपत्ति हो सकती है, मंत्री को आपत्ति हो सकती है, कहीं तो वह दर्ज करायेंगे लेकिन क्या उनके संज्ञान में यह विषय है।

श्री अध्यक्ष-

हां, यह पूछिये कि आपके संज्ञान में है कि जो डिसक्रिशन है भारत सरकार का 15 प्रतिशत देने का जहां विद्युत संकट है अगर वह बेच रहे हैं दूसरी जगह, अगर इनको नालेज हो तब तो बतायें, आपको जानकारी है इस तरह की ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, पहला प्रश्न था आपका एनआरपीसी ने अपने रिपोर्ट में प्रदेश में विद्युत उपलब्धता की कमी बताई है हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों कार्ययोजना बना रहे हैं और उसमें कार्यवाही चल रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं जानना चाहूंगा सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह तीन महीने हैं जो शायद विद्युत वितरण के इतिहास में सबसे खराब होने वाले हैं। वह रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को इस सदन में रखनी चाहिये क्योंकि हम अगस्त माह से गुजर रहे हैं सितम्बर, अक्तूबर आने वाला है। हमें जो आपने यह जवाब दिया है कि हमने इतने उद्योग धन्धे लगा दिये इतना विद्युत उत्पादन करेंगे यह सब बारहवीं योजना में आ करके विद्युत पैदा होगी। यह 2012 के बाद की स्थिति है। अभी जो हमारे सामने समस्या सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर मे आने वाली है वह क्या है और उसके रोकथाम के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को अपने विवेकाधीन कोष से अधिक बिजली देने के लिये लिखा है और व्यक्तिगत रूप से कहा भी है उनसे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस प्रदेश की विद्युत समस्या वास्तव में बहुत विकट है यह छिपी हुई बात नहीं है। सरकार भी मानती है विपक्ष भी कह रहा है और आम जनता में भी चर्चा यही है। इसके समाधान के लिये एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दादरी में लगने वाला है जिससे बहुत हद तक उसका समाधान होने वाला था। मेरे छोटे-छोटे दो प्रश्न है कि जो पावर प्रोजेक्ट विद्युत समस्या के समाधान के लिये दादरी में प्रस्तावित था उसकी प्रगति क्या है और प्रदेश सरकार उसको सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरा है, जो प्रदेश में चीनी मिल स्थापित है, कई चीनी मिलों के प्रस्ताव थे कि हम भी विद्युत उत्पादन करना चाहते हैं उस दिशा में अब तक क्या प्रगति है और आगे जो चीनी मिल लगे भी हैं अब तक क्या उनका सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है कि उत्पादन करेंगे और सरकार को बिजली उपलब्ध करायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जहां तक दादरी प्रोजेक्ट की बात है तो जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी थी उससे आगे कोई काम नहीं शुरु हुआ हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है उसमें कोई टिप्पणी करना या कुछ कहना उचित नहीं होगा। जहां तक को-जनरेशन की बात है तो हमने जो

शुगरमिल है उनके मालिकों से बात की है और मीटिंग करके उनसे कहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विद्युत उत्पादन करें वह हम सारा का सारा विद्युत लेने को तैयार हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने दादरी के प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है मान्यवर, निश्चित रूप से वह सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है तो मामला सब-जुडिस है लेकिन वह कौन से बिन्दु हैं, बिन्दुओं के बारे में तो बताया जा सकता है कि इन कारणों से यह स्पेशिफिक प्वाइंटस हैं जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है। कौन सी इस प्रकार की अपील है, कौन सी पीआईएल है, कौन सी रिट पिटीशन है उसके पीछे क्या कारण है ? सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा उसके पीछे क्या करेगा वह सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है लेकिन किन बिन्दुओं को लेकर किस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा लेकिन जमीन के अधिग्रहण का जो मामला है वही मामला पेन्डिंग है, लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन गलत ली।

श्री अध्यक्ष-

अधिग्रहण का मामला पेन्डिंग है।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में बिजली दर प्रस्थापित करने की मांग

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजना के अन्तर्गत कोई बिजली घर उ0प्र0 राज्य में भी स्थापित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या अन्य राज्यों में स्थापित होने वाले इन बिजलीघरों से प्रदेश के लिये बिजली देने हेतु भारत सरकार से कोई मांग की गई है ? यदि हां, तो कितनी बिजली मिलने की सम्भावना है और क्या उससे प्रदेश की मांग की पूर्ति हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आगामी 3-4 वर्षों में बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी को देखते हुए बिजली प्राप्त करने हेतु कोई अन्य प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

जी हां।

अन्य राज्यों में स्थापित होने वाले बिजली घरों से प्रदेश को 2230 मेगावाट बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है। उक्त से उत्तर प्रदेश की विद्युत मांग की आंशिक पूर्ति हो सकेगी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में केवल बाल्मीकि समाज के व्यक्तियों की नियुक्ति करने की मांग

*4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में क्या सरकार केवल बाल्मीकि समाज के व्यक्तियों को ही सफाई कर्मचारियों के पद पर नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म, पंचायती राज, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी नहीं।

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिनमें नियमित सफाई कर्मी शामिल हैं, की नियुक्ति हेतु आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रदेश में विद्युत कमी को दूर करने के उपाय

*5-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की व्यापक कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में विद्युत की व्यापक कमी को दूर करने के लिये उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1-नई विद्युत परियोजनायें लगाना

(अ) उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1-2x250 मेगावाट परीक्षा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

2-2x250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

3-2x500 मेगावाट अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं :-

1-2x500/2x600 मेगावाट ओबरा "सी" तापीय विद्युत परियोजना।

2-2x250/1x660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-फेज (द्वितीय)।

3-1x250 मेगावाट पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना।

4-2x660 मेगावाट अनपरा "ई" तापीय विद्युत परियोजना।

(स) इनके अतिरिक्त निम्न विद्युत परियोजनाएं उ0नि0लि0 द्वारा एन0टी0पी0सी0 एवं मेसर्स नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के साथ संयुक्त उपक्रम में प्रस्तावित है :-

1-2x660 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना (एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में) जिसके लिए संयुक्त उपक्रम कम्पनी की स्थापना की जा चुकी है।

2-2000 मे0वा0 की फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजना मेसर्स नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के एवं उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में प्रस्तावित है।

(द) निजी क्षेत्र-

1-3x660 मेगावाट प्रयागराज तापीय विद्युत परियोजना, बारा

2-2x660 मेगावाट संगम तापीय विद्युत परियोजना, करछना

2-अधिष्ठापित विद्युत गृहों एवं बन्द इकाइयों के जीर्णोद्धार/आर0 एण्ड एम0 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

इन योजनाओं के अन्तर्गत ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह की 50 मे0वा0 की दो इकाइयों का रिफर्विशमेंट कार्य विगत मई, 2009 में पूर्ण किया गया है। ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह की 5x200 मेगावाट इकाइयों की रिफर्विशमेंट योजना तथा 3x210 मेगावाट अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाइयों की आर0 एण्ड एम0 योजना प्रगति पर है।

3-ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए 25000 मेगावाट का उत्पादन/क्रय प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(I) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-1) के आधार पर 5000 मेगावाट विद्युत क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

(II) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-2) के आधार पर 15000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से निम्नलिखित परियोजनाओं का चिन्हांकन हो चुका है :-

- 4000 मेगावाट ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1320 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1980 मेगवाट दोपहा तापीय विद्युत परियोजना

शेष 8000 मेगावाट क्षमता के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं का चिन्हांकन किया जायेगा।

(III) राज्य सेक्टर में 5000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नलिखित दो परियोजनाएं चिन्हित हैं :-

- 2000 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना (नोयडा अथारिटी, ग्रेटर नोयडा अथारिटी, यमुना एक्सप्रेस-वे अथारिटी एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 25-25 प्रतिशत भागीदारी के आधार पर)
- 1320 मेगावाट अनपरा "ई" तापीय विद्युत परियोजना

शेष 1680 मेगावाट के लिए परियोजनाएं चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में परिवहन निगम के घाटे को कम करने के उपाय

*6-डा0 अजय तोमर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिवहन निगम में वर्तमान में 31 मार्च, 2009 तक कितना घाटा है ? क्या घाटे को कम करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राम अचल राजभर)-

प्रदेश में परिवहन निगम के गठन (वर्ष 1972) से 31 मार्च, 2009 तक रु0 804.76 करोड़ का संचित घाटा है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2008-09 में परिवहन निगम ने रु0 7.00 करोड़ (अनन्तिम) का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है।

जी हां।

घाटे को कम करने हेतु विगत् वर्षों में सफल प्रयास हुआ है, जिसके कारण अब निगम वित्तीय वर्ष 2004-05 से शुद्ध लाभ अर्जित कर रहा है एवं कार्यकुशलता के मापदण्डों में लगातार उन्नति प्राप्त कर रहा हैं। यथा बस उपयोगिता, सड़क पर बस प्रतिशत लोड फैक्टर आदि।

1-वर्ष 2009-10 हेतु 2200 नई बसें बेड़े में सम्मिलित किये जाने का लक्ष्य है।

2-वर्ष 2008-09 में आन रोड बसों का प्रतिशत 95 रहा, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2009-10 हेतु 97 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

3-वर्ष 2008-09 में निगम बसों से 334 कि0मी0 प्रतिबस/प्रतिदिन बस उपयोगिता तथा 64 प्रतिशत का लोड फैक्टर प्राप्त हुआ, जिसमें और सुधार कर बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने का लक्ष्य है।

4-वर्ष 2008-09 में 5.32 कि0मी0 प्रति लीटर ईधन माध्य प्राप्त हुआ, जिसमें वर्ष 2009-10 में और सुधार करने का लक्ष्य है।

5-आय में वृद्धि एवं ईधन माध्य में सुधार के साथ-साथ बेहतर बस उपयोगिता हेतु विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

*7-श्री लाल जी यादव-

[3रे सोमवार के तारा0 प्रश्न सं0-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने की योजनायें

*8-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री भगवती प्रसाद सागर)-

जी हां सरकार द्वारा स्वतः रोजगार की कई योजनायें चलायी जा रही है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की कई योजनायें चलायी जा रही है। इन सभी योजनाओं को रोजगार संकल्प (रोजगार छतरी योजना) के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सवेतन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायु प्रदूषण मुक्त करने हेतु सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण की योजनायें

*9-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाकर वायु को प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन, जन्तु, उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

जी हां।

प्रदेश में सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्षों का रोपण निम्न योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है-

1-सामाजिक वानिकी योजना।

2-शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना।

3-वृक्षारोपण विस्तार योजना।

सड़कों के किनारे आम, महुआ, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, गुलमोहर, केसिया आदि प्रजातियों का रोपण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मिनिस्ट्रियल रेगुलेशन 1970 का उल्लघंन कर मुख्य अभियन्ता कैडर समाप्त करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

1-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 348/पी-1/2001-24, दिनांक 25-1-2001 एवं मिनिस्ट्रियल रेगुलेशन, 1970 का उल्लंघन कर मुख्य अभियन्ता कैडर समाप्त करने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 13-3-09 जो मुख्य मंत्री उ0प्र0 सरकार अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0/ उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 13-03-2009 में उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है:--

1. उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2000 एवं उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना-II संख्या-348/पी-1/2001-24, दिनांक 25-01-2001 प्रभावी है।

2. यू0पी0 स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड मिनिस्ट्रियल इस्टेबलिसमेंट (आफिस आफ दि चीफ इंजीनियर एण्ड अदर सबार्डिनेट आफिस) रेग्यूलेशन 1970 लागू है।

3. उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के मैमोरण्डम एण्ड आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के नियम 118 (IX) में निगम के क्रिया-कलापों के सुचारू संचालन हेतु पदों के सृजन तथा वेतनमान एवं अन्य शर्तों के निर्धारण के अधिकार निदेशक मण्डल में निहित है। इस प्राविधान के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता संवर्ग (तृतीय श्रेणी के पदों के संदर्भ में) समाप्त करने हेतु निदेशक मण्डल सक्षम है।

4. श्री नन्दलाल जायसवाल की सेवा शर्तें कम नही की गई। श्री जायसवाल को प्रशासनिक आधार पर सक्षम स्तर से विद्युत उत्पादन खण्ड, खारा, सहारनपुर स्थानान्तरित किया गया था, जिसे बाद में श्री जायसवाल के अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया।

मुख्य अभियन्ता संवर्ग समाप्त करने का निर्णय निदेशक मण्डल स्तर से हुआ है। अतः श्री अरूण कुमार, मुख्य अभियन्ता द्वारा मनमानी आदेश करने एवं श्री अशोक गोयल, महाप्रबन्धक (क्रा0प्र0) द्वारा उन्हें संरक्षण देने सम्बन्धी लगाया गया आक्षेप परीक्षणोपरान्त सही नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को करोड़ों की क्षति पहुंचाने वाले मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

2-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को करोड़ों की क्षति पहुंचाने वाले मुख्य अभियन्ता (ओ0एण्ड एम0) एवं अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित करने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 4-12-2008 एवं 8-2-09 जो मुख्य मंत्री/ मुख्य सचिव/सी0एम0डी0 यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के प्रश्नगत पत्र दिनांक 04-12-2008 में संदर्भित मुख्य बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में स्थिति यह है कि बेल्का एवं बबैल लघु जल विद्युत परियोजनाओं की मशीनों के परिचालन व अनुरक्षण के अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के आवर्ती अनुरक्षण के साथ-साथ बैटरी व बैटरी-चार्जर, स्विचयार्ड, वाटर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, लाइटनिंग अरेंजमेंट, लाइनों का अनुरक्षण, गेट सील्स का बदलना तथा विद्युत गृह की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था आदि के कार्य नियमानुसार खुली निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाताओं को दिये गये और इससे कम दर पर किसी भी फर्म ने निविदा नहीं दी थी।

2.(क) प्रश्नगत पत्र दिनांक 08-02-2009 के संदर्भ में स्थिति यह है कि अनुबन्धों में टंकण त्रुटि के कारण "उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0" के स्थान पर निगम का पूर्व नाम "उ0प्र0 लघु जल विद्युत निगम लि0" अंकित हो गया था। बाद में सम्बन्धित खण्ड द्वारा इस सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया था।

(ख) पत्र में सन्दर्भित कार्मियों का स्थानान्तरण ललितपुर जिला प्रशासन की संस्तुति पर प्रशासनिक आधार पर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेशों को सम्बन्धित कार्मिकों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें दाखिल कर चुनौती दी थी, जिन्हें मा0 न्यायालय ने स्थानान्तरण में किसी विधिक नियम का उल्लंघन न पाने पर दिनांक 23-01-2008 को तीनों याचिकायें खारिज कर दी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम औरहवा में मिड-डे-मील एवं छात्रवृति एवं निर्माण सम्बन्धी रिकार्ड में हेराफेरी के सम्बन्ध में पत्र

3-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जहीरुद्दीन पुत्र मकबूल अहमद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नि0 ग्राम-औरहवा, वि0स0 पचपेड़वा, बलरामपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 15-10-08, जो बलरामपुर की ग्राम सभा औरहवा के प्रस्ताव रजिस्टर खर्च के विवरण मिड-डे मील के खर्च एवं छात्रवृत्ति एवं निर्माण सम्बन्धी रिकार्ड में हेराफेरी के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 में जांचोंपरान्त लाखों का भुगतान विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

4-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 एवं सचिव (ऊर्जा) की जांच रिपोर्ट आने के बाद दिनांक 23-1-2008 को संज्ञेय अपराध में दर्ज मुकदमा के बावजूद लाखों रुपये के भुगतान विषयक माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 22-8-2009 जो मुख्य मंत्री, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का पत्र दिनांक 22-08-2008 प्राप्त हुआ है।

मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 22-08-2008 में कार्यालय ज्ञाप संख्या-262/का0 प्र0/ज0वि0 नि0लि0/कैम्प/20(32)/टीसी/07 दिनांक 30-06-2008 को स्थगित अथवा निरस्त करने की मांग की गई है। यह कार्यालय ज्ञाप उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के मूल कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान की सुविधा अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित है, जो कि निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप है। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय को स्थगित/निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन खण्ड माताटीला-ललितपुर के कर्मियों के सरकारी आवास जबरन खाली कराने सम्बन्धी प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

5-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0पी0सी0एल0/उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत ललितपुर के अनुसूचित जाति कर्मियों को वर्ष 2008 की ठिठुरती ठण्ड में सरकारी आवास से सामान फेंकने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्य अभियन्ता (ओ0 एण्ड एम0)/अधिशासी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड माताटीला, ललितपुर को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज करने विषयक भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 6-9-07, 21-12-2007, 4-1-2008 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/अध्यक्ष, यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ललितपुर जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला (ललितपुर) के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यालय में अव्यवस्थायें फैलाने, झूठी शिकायतें करने, कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि के तथ्य सामने आने पर उनके स्थानान्तरण की संस्तुति की गई। जिला प्रशासन, ललितपुर की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में तीनों कार्मिकों को प्रशासनिक आधार पर माताटीला जल विद्युत परियोजना से माह अगस्त 2007 में अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया। सम्बन्धित कार्मिकों मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें दाखिल कर स्थानान्तरण आदेशों को चुनौती दी थी, जिन्हें मा0 न्यायालय ने स्थानान्तरण में किसी विधिक नियम का उल्लंघन न पाने पर दिनांक 23-01-2008 को तीनों याचिकायें खारिज कर दी।

उक्त कार्मिकों द्वारा कई माह तक माताटीला के सरकारी आवास खाली न करने एवं स्थानीय प्रशासन को उनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सरकारी आवास रिक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया परन्तु उन्होंने सरकारी आवास रिक्त नहीं किये। अतएव दिनांक 04 जनवरी, 2008 को स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से सरकरी आवास रिक्त कराये थे।

उपरोक्त प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (ओ0एण्डएम0) एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उत्पादन खण्ड, माताटीला के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का कोई आधार नहीं बनता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक प्राप्त पत्र

6-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरी चरन प्रकाश, विशेष सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 का पत्र संख्या 4357/सी0एस0एच0ई0, दिनांक 25-11-2005, जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है और जो रुपये 10 करोड़ से अधिक की क्षति यू0पी0पी0सी0एल0 को पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच की गई ? क्या जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ? किन-किन अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है तथा क्षति की वसूली कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कथित अनियमितताओं की जांच उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा की गई जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-मै0 वीनस कास्टिंग प्रा0 लि0, भरुआ सुमेरपुर, हमीरपुर के संयोजन पर माह 11/94 में विद्युत चोरी के प्रकरण की जांच कारपोरेशन की 'रेड' इकाई तथा सतर्कता इकाई द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी। जांच में 04 अधिकारी दोषी पाये गये, जिन्हें दण्डित किया गया।

2-मै0 रिमझिम इस्पात प्रा0 लि0, हमीरपुर पर बकाया धनराशि को 36 किश्तों में वसूल किये जाने का सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया।

3-मै0 मवाना स्टील, कानपुर देहात के संयोजन की जांच वाणिज्य स्कन्ध की 'रेड' इकाई तथा सतर्कता इकाई द्वारा की गयी जिसमें आरोपित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

मवाना स्टील के प्रकरण में जांच अभी प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के ग्राम बल्लियां में गठिया कालोनी, आई0टी0आई0 कालोनी में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद की तहसील सदर ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम बल्लियां जो वर्ष 2008-09 में अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ है, के मठिया कालोनी, आई0टी0आई0 कालोनी में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है एवं ग्राम निवाजपुर के अनुसूचित जाति बाहुल्य मोहल्ला टिक्कल में एक भी विद्युत का पोल या तार नहीं खींचा गया है तथा रौजा के मा0 आदर्श नगर में 8 विद्युत पोलों की कमी है ? क्या सरकार इस कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर, ब्लाक भावल खेड़ा का ग्राम बल्लियां वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित हुआ जिसका विद्युतीकरण माह दिसम्बर, 2008 में पूर्ण कर दिया गया है।

मठिया कालोनी तथा आई0टी0आई0 कालोनी, ग्राम बल्लियां के क्षेत्र से बाहर है। इसलिये उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

ग्राम निवाजपुर के अनुसूचित जाति बाहुल्य मोहल्ला टिक्कल का चयन वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया गया है जिसका विद्युतीकरण माह दिसम्बर, 2008 में पूर्ण कर दिया गया है।

मोहल्ला आदर्शनगर, नगर पंचायत रोजा के अन्तर्गत आता है जिसके विद्युतीकरण का कार्य इस योजना में शामिल नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में विकास योजनाओं हेतु ग्राम प्रधानों से लिये गये प्रस्ताव

8-श्री प्रदीप माथुर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की जिला योजना वर्ष 2008-2009 में नवीन व्यवस्थानुसार ग्राम सभा स्तर से विकास योजनायें तैयार कराई गई हैं ? यदि हां, तो मथुरा विधान सभा के अन्तर्गत कितने ग्राम प्रधानों से इसके प्रस्ताव लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। मथुरा विधान सभा क्षेत्र के सभी 23 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों से इसके लिए प्रस्ताव लिये गये हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा में चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

9-डा0 अनिल चौधरी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम चिकित्सा सेवा में अस्थाई रूप से कार्यरत चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 5033/रालोद/विमदल/विस0/09, दिनांक 18-2-09 प्रमुख सचिव, श्रम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बादशाह सिंह)-

जी हां।

क0रा0बी0 योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ0 प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत 21 तदर्थ रूप से नियुक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 20-4-2009 को विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गयी। विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुरूप उपयुक्त पाये गये चिकित्सा अधिकारियों को विनियमितीकरण शासन के पत्र संख्या-1126/36-6-2009-5 (183)/86, दिनांक 24-7-2009 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद के मेयोहाल रामबाग पावर स्टेशनों पर प्रस्तावित कार्यों का विवरण

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में ए0पी0डी0आर0पी0 (ऐक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफार्म प्रोग्राम) लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा इसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं ? इसके अन्तर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्रों में क्या-क्या कार्य कराये गये एवं वर्ष 2009-10 में मेयोहाल रामबाग पावर स्टेशनों पर क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी क्षमता के प्रस्तावित हैं तथा उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वर्ष 2004-05 में लागू ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि नयी 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण एवं अतिभारित परिवर्तकों के स्थान पर उचित भार के परिवर्तक लगाने तथा इन परिवर्तकों की मीटरिंग इत्यादि का कार्य किया जाना प्रस्तावित था।

इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में उपरोक्त सभी कार्य करा दिये गये हैं। केवल गोविन्दपुर 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पूर्ण नहीं हुआ है।

केस्को कानपुर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में करोड़ों के घपले विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केस्को कानपुर में ट्रान्सफार्मर रिपेयरिंग में करोड़ों के घपले विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 25-11-08 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन की जांच समिति-1 को सन्दर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में हुए घोटाले की जांच

12-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0 में हुए रुपये 1000 करोड़ के घोटाले की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 25-1-2007 एवं 26-1-2007 जो मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

स्थिति निम्नवत् है :-

1-उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 की वार्षिक राजस्व प्राप्तियां लगभग रुपये 50-55 करोड़ मात्र ही है, अतः रुपये 1000 करोड़ के घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता।

2-किसी भी कार्मिक को एल0एम0वी0-10 की सुविधा दो स्थानों पर नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

13-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीआर0एस0 राणा, उप सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 17/05/पी-1/2007, दिनांक 25-2-08 जो मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है तथा जिसमें मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, के पत्र दिनांक 27-1-2008, 1-2-08, 3-2-08, 6-2-08 एवं 7-2-08 में उल्लिखित यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के भ्रष्टाचार की जांच का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

1-मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा से उनके पत्र दिनांक 27-1-2008 में उल्लिखित कथित घोटालों से सम्बन्धित विवरण मांगा गया है।

2-मा0 सांसद के पत्र दिनांक 01-02-2008 में सन्दर्भित निविदायें जल विद्युत उत्पादन खण्ड माताटीला द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार ही आमंत्रित की गई थी।

3-मा0 सांसद के पत्र दिनांक 3-2-2008 में श्री अरुण कुमार, मुख्य अभियन्ता एवं श्री एस0सी0 बुनकर, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मियों के कथित उत्पीड़न की शिकायत परीक्षणोपरान्त सही नहीं पाई गई।

4-मा0 सांसद के पत्र दिनांक 6-2-2008 में सन्दर्भित कार्मिकों का स्थानान्तरण ललितपुर जिला प्रशासन की संस्तुति पर प्रशासनिक आधार पर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेशों को सम्बन्धित कार्मिकों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें दाखिल कर चुनौती दी थी, जिन्हें मा0 न्यायालय ने स्थानान्तरण में किसी विधिक नियम का उल्लंघन न पाने पर दिनांक 23-1-2008 को तीनों याचिकायें खारिज कर दी थी।

5-मा0 सांसद के पत्र दिनांक 7-2-2008 में सन्दर्भित भोला, सलावा, चित्तौड़ा, निरगाजिनी जल विद्युत गृह 70-80 वर्ष पुराने होने के कारण इनके पूरी क्षमता पर न चल पाने के लिये किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इन परियोजनाओं के स्थान पर नये विद्युत गृह स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, जिनकी डी0पी0आर0, ए0एच0ई0सी0, आई0आई0टी0, रुड़की से बनवाई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 की सतर्कता शाखा के पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्युत चोरी की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

14-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अंतर्गत सतर्कता शाखा के पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) द्वारा विद्युत चोरी के जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 16-1-09 जो मा0 मुख्य मंत्री/ मुख्य सचिव, उ0प्र0 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता) एवं अध्यक्ष, सह प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 16-1-09 के साथ संलग्न श्री नन्दलाल जायसवाल, महामंत्री ज0वि0ई0, लखनऊ में प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-1-09 में लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में पूर्व में मा0 सांसद के शिकायती-पत्र दिनांक 5-6-08 में लगाये गये आरोपों की जांच अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) से करायी जा चुकी है। अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) की जांच के अनुसार शिकायती-पत्र में अंकित आरोप साक्ष्य के अभाव में अप्रमाणित पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को क्षति पहुंचाने एवं वित्तीय अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

15-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को क्षति पहुंचाने एवं वित्तीय अनियमितता विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 1-9-07, 23-10-07, 23-11-07, 24-1-08 एव 4-12-08 जो मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो जांच की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा के प्रश्नगत पत्रों के सन्दर्भ में स्थिति निम्नवत् है :-

1-पत्र दिनांक 01-09-2007

इस पत्र में संदर्भित कार्मिकों का स्थानान्तरण ललितपुर जिला प्रशासन की संस्तुति पर प्रशासनिक आधार पर किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेशों को सम्बन्धित कार्मिकों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिकायें दाखिल कर चुनौती दी थी, जिन्हें मा0 न्यायालय ने स्थानान्तरण में किसी विधिक नियम का उल्लंघन न पाने पर दिनांक 23-1-2008 को तीनों याचिकायें खारिज कर दी।

2-पत्र संख्या-690, दिनांक 23-10-2007

मा0 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को निगम के पत्रांक-1790-पी0एस0एम0डी0/ज0वि0नि0, दिनांक 26-11-2007 द्वारा सूचित किया गया कि जिलाधिकारी, ललितपुर के माध्यम से शिकायत की कराई गई जांच में श्री एस0सी0 बुनकर, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत पाये गये एवं दोषी कार्मिकों का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया गया।

3-पत्र संख्या-717, दिनांक 23-11-2007

दैनिक जागरण के झांसी अंक में दिनांक 23-11-2007 को "पचड़े में पड़ी ढुंकवा जल विद्युत परियोजना" शीर्षक से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित खबर के सन्दर्भ में मुख्य सम्पादक को त्रुटि संशोधन हेतु पत्र संख्या-158/सीई (ओ0एण्डएम0)/कैम्प/सी-1, दिनांक 17-12-2007 लिखा गया है।

4-पत्र संख्या-718, दिनांक 23-11-2007

उक्त के संदर्भित निविदा संख्या-40 व 41/2007-08 निरस्त कर दी गई। किसी संघ पदाधिकारी के कहने पर ठेकेदार विशेष को कोई कार्य नहीं सौंपा जा सकता है।

5-पत्र संख्या-764, दिनांक 24-01-2008

आवेदक श्री सुशील कुमार को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनायें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

6-पत्र संख्या-963, दिनांक 04-12-2008

बेलका एवं बबैल लघु जल विद्युत परियोजनाओं की मशीनों के परिचालन व अनुरक्षण के अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के आवर्ती अनुरक्षण के साथ-साथ बैटरी व बैटर चार्जर, स्विचयार्ड, वाटर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, लाइटनिंग अरेंजमेंट, लाइनों का अनुरक्षण, गेट सील्स का बदलना तथा विद्युत गृह की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था आदि के कार्य नियमानुसार खुली निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाताओं को दिये गये और उससे कम दर पर किसी भी फर्म ने निविदा नहीं दी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र बागपत के विद्युत उपकेन्द्र कान्हड के परिवर्तक बदलने विषयक प्राप्त पत्र का कार्यवाही

16-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-08, जो विधान सभा क्षेत्र बागपत के विद्युत उपकेन्द्र कान्हड के परिवर्तक बदलवाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0 वी0 कान्हड उप स्थान की क्षमतावृद्धि 3x5+3 से 4x5 एमवीए दिनांक 6-09-08 को की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम रछान्ड में विद्युत उपकेन्द्र बनवाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

17-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-8-08, जो जनपद बागपत के ग्राम रछान्ड में एक विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद बागपत के ग्राम रछान्ड में 2x3 एमवीए क्षमता के 33/11 केवी नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बरनावा के ग्राम बिनौली में अतिभारित विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

18-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-8-2008 जो ग्राम बिनौली विधान सभा क्षेत्र बरनावा के अतिभारित विद्युत केन्द्र की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत केन्द्र की क्षमता बढ़ा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बिनौली की क्षमता पूर्व से ही 18 एम0वी0ए0 है उससे अधिक क्षमता वृद्धि किया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है। इस उपकेन्द्र की अतिभारिता समाप्त करने के लिए मवीकला में 1x5 एम0वी0ए0 एवं रन्छाड में 2x3 एम0वी0ए0 के नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कमाला के श्री केशोराम के निजी नलकूप कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

19-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-10-08, जो ग्राम कमाला निवासी श्री केशोराम आत्मज श्री रघुवीर सिंह के निजी नलकूप कनेक्शन का बिल अदा न होने के कारण कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

संदर्भित उपभोक्ता के निजी नलकूप के निकट स्थापित 63 केवीए क्षमता के परिवर्तक से उपभोक्ता का संयोजन जुड़ा था परन्तु उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल जमा न करने के कारण पूर्व में कनेक्शन काटने के बाद भी उपभोक्ता बार-बार अपना संयोजन अवैध रूप से जोड़ कर चालू कर लेता था। अतः उपभोक्ता द्वारा बिल जमा न करने तथा अवैध रूप से कनेक्शन चलाने के कारण उपभोक्ता के निजी नलकूप के निकट स्थापित परिवर्तक को अन्य स्थल पर स्थापित कर शेष उपभोक्ताओं की आपूर्ति चालू करा दी गयी थी। बाद में उक्त उपभोक्ता द्वारा ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत बिल जमा करने के उपरान्त उसे पुनः विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिये 03 पोल की एल0टी0 लाइन का एस्टीमेट स्वीकृत कर लाइन बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु उपभोक्ता ने एल0टी0 लाइन से कनेक्शन लेने से मना कर दिया तथा बार-बार परिवर्तक लगाकर संयोजन देने हेतु अनुरोध करता रहा। अतः कथित संयोजन निर्गत नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत पुराने तारों एवं ट्रान्सफार्मरों को बदलने की योजना

20-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2008-09 में ऊर्जा विभाग/पावर कार्पोरेशन द्वारा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत किन-किन मुहल्लों में पुराने तारों एवं ट्रान्सफार्मरों को बदलने तथा कहां-कहां पर नये ट्रान्सफार्मरों को लगाने की योजना है और अभी तक उसमें कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं ? क्या इस योजना में छोटा बघाड़ा, दरहरिया, सादियाबाद, बड़ाबघाड़ा, चांदपुर, सलोरी, ओम गायत्री नगर, लाला की सरैया, बड़ी बगिया मम्फोर्डगंज, नया पूरा स्टेनली रोड, कमला नगर, बेली गांव, नेवादा, गंगा नगर, राजापुर, बाबाजी का बाग, बक्शी कला, दारागंज, अल्लापुर आदि मुहल्ले भी सम्मिलित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद इलाहाबाद में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 381 किमी0 जर्जर तार बदला जाना था, इसमें से इलाहाबाद शहर में 271 कि0मी0 तार बदला जाना था, उक्त के सापेक्ष इलाहाबाद शहर में 213 किमी0 जर्जर तार बदला गया है, जिसमें 121 कि0मी0 कन्डक्टर एवं 92 किमी0 एरियल बन्च कन्डक्टर लगाया गया है।

इलाहाबाद शहर में पुराने परिवर्तकों को बदलने की कोई योजना नहीं है परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति मे बदले जाते हैं। शहर में 10 नग नये परिवर्तक की स्थापना एवं 4 नग परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि की गयी है। उक्त कार्यों की सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।†

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र संख्या-50 शाहजहांपुर में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त धनराशि का विवरण

21-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र की संख्या 50 शाहजहांपुर में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से दि0 13-5-08 से 30-11-08 तक विद्युत के तार/खम्भे लगाने के लिये कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या जिस कार्य हेतु धन आवंटित किया गया था वह कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र सं0-50 शाहजहांपुर में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से दिनांक 13-5-08 से 30-11-2008 तक कुल रु0 2.29 लाख धनराशि प्राप्त हुई।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 ज0वि0नि0 एवं यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाने वाले मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

22-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0ज0वि0नि0 एवं यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 को रुपये 3000 करोड़ की क्षति पहुंचाने वाले मुख्य अभियन्ता (ओ0एण्ड एम0) उ0प्र0 ज0वि0 नि0 के विरुद्ध मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 23-3-2009, जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/सी0एम0डी0, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं उ0प्र0ज0वि0नि0 लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद हुए घोटाले के सम्बन्ध में प्राप्ति पत्र पर कार्यवाही

23-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद हुए घोटाले के सम्बन्ध में तत्कालीन अध्यक्ष, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के आदेश के अनुपालन सम्बन्धी माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 17-12-2008 जो प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है ? प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 17-12-08 में अनेक पत्र उल्लिखित हैं, जिसके सम्बन्ध में स्थित निम्नवत् है :-

1-पत्र संख्या-860/लख0/08, दिनांक 30-06-08

श्री ए0के0 गुप्ता, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, इलाहाबाद द्वारा फर्जी भुगतान की शिकायत के सम्बन्ध में प्रकरण में कारपोरेशन के आदेश सं0-668-अ0का0 एवं सत0-05ए/09, दिनांक 30-3-09 द्वारा प्रकरण की जांच कारपोरेशन की सतर्कता इकाई को संदर्भित कर दी गई है।

2-पत्र संख्या-964/लख0/08, दिनांक 5-12-08

मेसर्स रिमझिम इस्पात, हमीरपुर को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में जांच समिति के माध्यम से अनु0 कार्यवाही की गई तथा दोषी पाये गये सर्वश्री बी0पी0 पाण्डे, अधीक्षण अभि0, जी0के0 अरोरा, अधि0अभि0 तथा श्री आर0के0 बाजपेई, लेखाकार को दण्ड दिया गया। श्री पाण्डे द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध उ0 प्र0 लोक सेवा न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा दण्डादेश निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात् कारपोरेशन के आदेश संख्या-207 शि0जा0-05इ/पाकालि/09, दिनांक 28-2-09 निर्गत किया गया।

पत्र दिनांक 5-12-08 के बिन्दु 4 के सम्बन्ध में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया।

3-पत्र संख्या-866/लख0/08, दिनांक 6-07-08

श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के कथित उत्पीड़न की शिकायत सही नहीं पाई गयी।

4-पत्र संख्या-885/लख0/08, दिनांक 23-07-08

श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के विषय में श्री सतीश कुमार अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी टिप्पणी के सम्बन्ध में श्री सतीश कुमार के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया।

5-पत्र संख्या-958/लख0/08, दिनांक 25-11-08

अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण कारपोरेशन की जांच समिति को संदर्भित कर दिया गया है।

6-पत्र संख्या-948/लख0/08, दिनांक 19-11-08

प्रकरण की जांच मु0अ0 (वितरण) आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा कराई जा चुकी है। जांचोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्रीमती मीरा पाठक, लिपिक के स्थान पर श्री संतोष कार्य नहीं करते हैं बल्कि श्री संतोष पाठक अपनी फर्म के विरुद्ध फ्रैंन्चायजी का कार्य करते हैं।

7-पत्र संख्या-962/लख0/08, दिनांक 28-11-08

सतर्कता जांच आख्या-वी0सी0-06/08 में संदर्भित डी0पी0आर0 की मूल प्रति गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-तालबेहट, ललितपुर में दर्ज कराई जा चुकी है।

8-पत्र संख्या-963/लख0/08, दिनांक 4-12-08

संदर्भित पत्र में मुख्य विन्दु के परिप्रेक्ष्य में स्थिति यह है कि बेल्का एवं बबैल लघु जल विद्युत परियोजनाओं की मशीनों के परिचालन एवं अनुरक्षण के अतिरिक्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के आवर्ती अनुरक्षण के साथ-साथ बैटरी व बैटरी-चार्जर, स्विचयार्ड, वाटर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, लाइटनिंग अरेंजमेंट, लाइनों का अनुरक्षण, गेट सील्स का बदलना तथा विद्युत गृह की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था आदि के कार्य नियमानुसार खुली निविदायें आमंत्रित कर न्यूनतम निविदादाताओं को दिये गये और इससे कम दर पर किसी भी फर्म ने निविदा नहीं दी थी।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 4-12-08 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित कारपोरेशन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3032, दिनांक 3-11-07 के सम्बन्ध में मेसर्स राज सिंह, कान्ट्रेक्टर, सहारनपुर, रण्डौल के शिकायती-पत्र दिनांक 28-8-07 में उल्लिखित आरोपों (बबैल जल विद्युत गृह के परिचालन एवं अनुरक्षण की निविदा सं0-40/एचजीडी/06-07 में धांधली) की जांच सम्पादित करने हेतु तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर के संयोजकत्व में द्विसदस्यीय समिति गठित की गयी, आख्या प्रतीक्षित है।

9-पत्र संख्या-961/लख0/08, दिनांक 27-11-08

मा0 सांसद जी को पत्र लिखकर कथित घोटालों का साक्ष्य सहित विवरण मांगा गया है।

10-पत्र संख्या-959/लख0/08, दिनांक 26-11-08

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निदेशित किया गया है कि पत्र प्राप्त कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

11-पत्र संख्या-957/लख0/08, दिनांक 24-11-08

तकनीकी विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण निविदा संख्या-40 व 41/इर्जीडी/2007-08 को निरस्त कर नयीं निविदायें आमंत्रित करके बेल्का व बबैल जल विद्युत गृहों के परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य खुली निविदा के आधार पर न्यूनतम निविदादाताओं को दिये गये। श्री अरुण कुमार, मुख्य अभियन्ता पर लगाया गया आक्षेप सही नहीं पाया गया।

12-पत्र संख्या-956/लख0/08, दिनांक 24-11-08

निदेशक मण्डल की 82वीं बैठक में लिये गये निर्णय को गलत बताने का कोई समुचित आधार नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में अरबों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने विषयक प्रमुख सचिव ऊर्जा को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही

24-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 का अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-भा0सं0- 11/छः-मा0-1/08-3(447)/2007, दिनांक 30-4-2008 जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है तथा जिसमें अरबों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र संख्या-भासं0-11/छः-मा0-1/08-3(447)/07, दिनांक 30-4-2008 में दिये गये निर्देशानुसार उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के पत्र संख्या-844/का0एवं प्र0/जविनिलि/08-19(51)/2008, दिनांक 20-12-2008 द्वारा प्रकरण में वस्तुस्थिति से गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1, को अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में स्थानीय निरीक्षण में लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण के उपाय

25-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी मंगरौरा के अन्तर्गत दि0 16 मई, 20 जून, 16 जून, 21 अगस्त, 21 सितम्बर, 20 नवम्बर तथा 30 दिसम्बर, 2007 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में किन-किन ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या प्रकाश में आई है ? क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु 100 के0वी0 से 250 के0वी0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु समयवत आदेश देने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी मंगरौरा के अन्तर्गत ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या, 132 केवी विद्युत उपकेन्द्र पट्टी के फरवरी, 2008 में चालू हो जाने के पश्चात् दूर हो गयी है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

26-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बागपत के विद्युत उपकेन्द्र बिनौली एवं कान्हड़ अतिभारित होने के कारण किसानों को विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

27-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 14-5-08 जो जनपद बागपत के बरनावा में विद्युत उपकेन्द्र बिनौली एवं कान्हड़ अतिभारित होने के कारण किसानों को विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 कान्हड़ उपस्थान की क्षमतावृद्धि 3x5+1x3 से 4x5 एमवीए दिनांक 6-9-08 को की जा चुकी है।

33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बिनौली की क्षमता पूर्व में ही 16 एम0वी0ए0 है। इससे अधिक क्षमता वृद्धि किया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। इस उपकेन्द्र की अतिभारिता समाप्त करने के लिये मवीकलां में 1×5 एम0वी0ए0 एवं रन्छाड़ में 2×3 एम0वी0ए0 के नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण के पश्चात अतिभारित परिवर्तक/उपकेन्द्र का भार स्थानान्तरित करने से अतिभारित विद्युत उपकेन्द्र की अतिभारित समाप्त हो जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त 22 के0वी0 लाइन की अतिभारित समाप्त करने हेतु 22 के0वी0 उपकेन्द्र जोहड़ी को इस लाइन से हटाकर 33 के0वी0 बड़ावत उपकेन्द्र लाइन से जोड़ने हेतु 33 के0वी0 लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की विद्युत आपूर्ति विद्युत उपकेन्द्र गैडबरा से कराये जाने विषयक प्राप्ति पत्र पर कार्यवाही

28-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धनौरा टीकरी जनपद बागपत की विद्युत आपूर्ति विद्युत उपकेन्द्र गैडबरा से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-9-2008 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र गैडबरा अतिभारित है जिसकी क्षमता वृद्धि 2×5 से 1×5+1×10 एम0वी0ए0 किया जाना प्रस्तावित है परन्तु क्षमतावृद्धि के उपरान्त अतिरिक्त भार

जोड़ने पर पुनः अतिभारित होने की सम्भावना रहेगी। वर्तमान में धनौरा गांव की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र निरपुड़ा से होती है क्यों वह अतिभारित नहीं है तथा उक्त गांव को विद्युत आपूर्ति वर्तमान में शैड्यूल के अनुसार सही मिल रही है। अतः तकनीकी दृष्टि से उक्त गांव की विद्युत आपूर्ति गैडबरा उपकेन्द्र से जोड़ना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र के ग्राम-इब्राहीमपुर का खराब विद्युत ट्रान्सफार्मर ठीक कराये जाने की मांग

29-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र के ग्राम-इब्राहीमपुर का विद्युत ट्रान्सफार्मर छः माह से खराब है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम-इब्राहिमपुर का खराब ट्रांसफार्मर दि0 20-01-09 को बदला जा चुका है तथा वर्तमान में सही रूप से कार्य कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील, सफीपुर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत परिषद् के कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा रात्रि निवास करने सम्बन्धी जानकारी

30-श्री सुधीर कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद उन्नाव की तहसील, सफीपुर में अधिशासी अभियन्ता विद्युत परिषद् के कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का रात्रि निवास सफीपुर में होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

तहसील सफीपुर (जनपद-उन्नाव) में तैनात श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा उपखण्ड अधिकारी-द्वितीय सफीपुर उपकेन्द्र की कालोनी में टाइप-11/2 में रात्रि निवास करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम मुख्यालय में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को डी0पी0सी0 की संस्तुति के अनुसार पदोन्नति से भरे जाने सम्बन्धी जानकारी

31-श्री सुधीर कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम मुख्यालय में तृतीय श्रेणी के पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को भरने हेतु कब से और किन कारणों से अभी तक

डी0पी0सी0 नहीं हुई है ? रिक्त पदों को भरने हेतु डी0पी0सी0 कब तक होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

परिवहन निगम मुख्यालय में तृतीय श्रेणी के निजी सचिव, लेखाकार, प्रवर वर्ग लिपिक, उपलेखक-प्रालेखक के पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 23-1-2009 को डी0पी0सी0 हो गई है। डी0पी0सी0 की संस्तुति के अनुसार पदोन्नति के आदेश दिनांक 27-1-2009 को जारी कर दिये गये हैं।

लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को दी गयी सुविधायें

32-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को दी गई सभी सुविधायें बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें उक्त सभी सुविधायें पुनः प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं।

आपातकालीन अवधि मे मीसा/डी0आई0आर0 में जेल में निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों जिन्हें लोकतंत्र रक्षक सेनानी माना जाता है, को सम्मान राशि अनुमन्य कराये जाने हेतु एक नियमावली शासनादेश दिनांक 4-9-2006 के साथ निर्गत की गई थी। उक्त नियमावली दिनांक 01-4-2006 से 31-3-2007 तक के लिये लागू थी।

चिकित्सा विभाग द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। परिवहन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार रिट याचिका संख्या 7241 (एम/बी)2008 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-6-2008 के अनुपालन में परिवहन निगम द्वारा निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा (एक सहचर सहित) अनुमन्य की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त जिले

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त हैं तथा किन-किन कारणों से उन्हें कटौती मुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद में प्रदेश द्वारा निर्धारित घण्टों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा नगर के मोहल्ला बिजलीपुरा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति 8 घण्टे भी नहीं होती है ? क्या सरकार शाहजहांपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद फिरोजाबाद, जनपद हाथरस एवं जनपद एटा के

क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त है। इसके साथ ही प्रदेश मुख्यालय एवं नोयडा क्षेत्र को भी विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। उक्त के अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु, धार्मिक पर्व एवं विशेष आयोजनों पर तथा जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर अन्य जनपदों को भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर पूर्णतः या आंशिक कटौती से मुक्त किया जाता है।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण तथा प्रणाली की सुरक्षा के दृष्टिगत विद्युत कटौती कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है, जिसके कारण जनपद शाहजहांपुर को निर्धारित घण्टों में भी सदैव विद्युत आपूर्ति कराया जाना संभव नहीं हो पाता है।

बिजलीपुरा क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हथारा सब स्टेशन से निर्गत होने वाले 11 केवी अन्टा पोषक द्वारा की जाती है। उक्त पोषक द्वारा माह जून, 2009 में औसत आपूर्ति 13 घण्टे की गयी।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण वर्तमान में संभव नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की भांति उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

34-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की भांति उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/180334/2008, दिनांक 11-5-2008, प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यक संस्थान होने के कारण किसी व्यक्ति को कोई छूट अथवा निःशुल्क यात्रा-सुविधा प्रदान नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति को किराये में छूट अथवा निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है और उस पर आने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति परिवहन निगम को की जाती है तभी यह सुविधा प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराये में छूट प्रदान किये जाने का विषय समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। समाज कल्याण विभाग के स्तर पर विचारोपरान्त प्रश्नगत मांग को स्वीकार किया जाना संभव नहीं पाया गया है। स्थिति से मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को शासन के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2008 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों के गांवों में कम वोल्टेज की समस्या के निराकरण के उपाय

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा के ग्रामों में कम वोल्टेज विद्युत आपूर्ति की समस्या विद्यमान है ? यदि हां, तो क्या इसके निदान हेतु अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

पूर्व में जनपद-प्रतापगढ़ विकास खण्डों आसपुर देवसरा, मंगरौरा एवं पट्टी क्षेत्र में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भुथियामऊ द्वारा प्राप्त होती थी। अधिक दूरी के कारण 11 केवी पोषकों के अन्त में स्थित गांवों में सिंचाई के पीक सीजन में लो वोल्टेज की समस्या आती थी।

पट्टी में नये 132 केवी उपकेन्द्र को माह 2/08 में ऊर्जीकृत कर दिया गया है तथ इस क्षेत्र में सभी उपकेन्द्रों को विद्युत आपूर्ति 132 केवी उपकेन्द्र पट्टी से की जा रही है जिससे वोल्टेज में सुधार आया है।

अतः इस क्षेत्र में अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर लगने वाली बाजारों की तहबाजारी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बने मार्गों पर लगने वाली बाजारों की नीलामी करके ग्रामीण किसानों, व्यापारियों से तहबाजारी की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा भी नीलामी करके ग्रामीणों से तहबाजारी की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा चिन्हित एवं पोषित तहबाजारी स्थलों के भूखण्डों की संख्या, रकबा, उपलब्ध सुविधा एवं स्वामित्व का विवरण क्या है ? क्या सरकार तहबाजारी की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-143, 145 एवं 239 (2) (घ) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार उपविधि बनाकर बाजारों में शुल्क वसूली का प्राविधान है।

जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में बने सार्वजनिक मार्गों की पटरियों का उपभोग करने वाले किसी व्यक्ति से निर्धारित दिवस पर तहबाजारी वसूल की जाती है।

जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा नियंत्रणाधीन कुल चिन्हित/पोषित बाजारों की संख्या 80 है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में है। सार्वजनिक मार्गों पर लगने वाली बाजारों का कोई निश्चित रकबा निर्धारित नहीं है, बल्कि स्थल की उपलब्धता के अनुसार ही लगती है। उन बाजारों की सफाई एवं पेयजल आदि की व्यवस्था उपविधि के अनुसार की जाती है।

जी नहीं।

क्योंकि सार्वजनिक मार्गों/स्थलों/बाजारों की नीलामी पर तहबाजारी कर तहबाजारी वसूल किये जाने से होने वाली आय ही जिला पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है।

जनपद बहराइच से लखनऊ आने वाली परिवहन निगम की बसों से घाघरा घाट पर लिया गया टोल टैक्स की धनराशि

37-श्री प्रदीप माथुर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से लखनऊ आने वाली परिवहन निगम की बसों से प्रत्येक सवारी से संजय सेतु घाघरा घाट की पुलाई (पुल टैक्स) हेतु कितना धन लिया जाता है तथा बस की नियत 65 सीटों के अनुसार कितना रुपया आगणित किया जाता है तथा एक बस का टोल टैक्स कितना दिया जाता है ? शेष बचा धन परिवहन निगम किस मद में व्यय करता है ? वित्तीय वर्ष 2007-08 में ऐसा कितना धन निगम के खाते में डाला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

प्रति यात्री 2.00 रुपया पुल टोल (ब्रिज टैक्स) लिया जाता है।

सीटों के अनुसार आगणन नहीं किया जाता है। एक बस का टोल टैक्स रु0 40 प्रति ट्रिप है। टोल के कुल धनराशि पर प्रति रुपया या उसके किसी भाग पर 5 पैसे प्रति यात्री अतिरिक्त किराया यात्रियों से वसूल किये जाने का प्राविधान है।

धनराशि अवशेष होने की दशा में विविध आय व्यय में आगणित की जाती है।

लखनऊ क्षेत्र द्वारा संचालित बसों के समस्त मार्गों पर पड़ने वाले जिनमें पुलों पर देय टोल टैक्स, हाइवे के लिये टोल टैक्स तथा प्रवेश शुल्क इत्यादि सम्मिलित है, के मद में रु0 24,83,273.00 प्राप्ति हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत बरेली में वाणिज्य कर की धनराशि के गबन की जांच

38-श्री प्रदीप माथुर-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत, बरेली में वर्ष 2000 से 2007 तक की अवधि में वाणिज्य कर की धनराशि के गबन के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज ने जांच की थी जिसमें लगभग एक करोड़ रुपये गबन किये जाने की पुष्टि की गई ? यदि हां, तो जांचोपरान्त गबन दोषियों के विरुद्ध क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। निदेशक, पंचायतीराज लेखा, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा जिला पंचायत बरेली में गबन तथा अन्य गम्भीर अनियमितताओं से अवगत कराते हुये विशेष जांच की आवश्यकता बतायी गयी थी। उक्त वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच हेतु आर्थिक अपराध संगठन (ई0ओ0डब्लू) को निर्देश जारी कर दिये गये है।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 व ज0वि0नि0लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अभियन्ताओं द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार करने विषयक कथित पत्र पर कार्यवाही

39-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 में आमेलित एवं उ0प्र0 ज0वि0नि0लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अपर सचिव, (का0प्र0) मुख्य अभियन्ता (ओ0एण्ड एम0) एवं अधिशासी अभियन्ता (का0प्र0) द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार करने एवं अमर्यादित आचरण करने के विरुद्ध मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 4-2-2009, 13-2-2009 एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-2-2009 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

मा0 सांसद, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के पत्र दिनांक 04-02-2009 व 13-02-2009 एवं मा0 विधायक, श्री अनिल कुमार सिंह यादव के पत्र में संदर्भित कूटरचित अभिलेख तैयार करने तथा संज्ञेय अपराध में दर्ज प्राथमिकी को छिपाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 एवं उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 में तैनात अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में धांधली विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

40-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 एवं उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 में तैनात अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में धांधली विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 19-6-08, 5-7-08 एवं 16-9-2008, जो मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार एवं अध्यक्ष, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0प्र0ज0वि0नि0 लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो

उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसी सम्बन्ध में जनहित याचिका संख्या 536 (एम0बी0) 2009 में पारित आदेश दिनांक 20-1-2009 पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री सुरेश चन्द्र बुनकर की सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत आरक्षित वर्ग में वर्ष 1990 में की गयी थी तथा अधिशासी अभियन्ता के आरक्षित वर्ग के बैकलाग के रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग के अर्ह सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति हेतु तत्कालीन अध्यक्ष उ0प्र0 पा0का0लि0 की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु श्री बुनकर को चयनित किया गया। तदोपरान्त उनके प्रोन्नति आदेश दिनांक 21-12-2000 निर्गत किये गये।

यह याचिका श्री नन्द लाल जायसवाल, महामंत्री (जल विद्युत इकाई) उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ ने दिनांक 23-01-2008 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-72 की विवेचना पूर्ण करने के आदेश दिये जाने हेतु, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में दाखिल की थी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20-01-2009 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देशों के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उ0प्र0 ज0नि0लि0 में अनियमित प्रोन्नति देने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

41-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत श्री क्षेत्रपाल, अनु सचिव, ऊर्जा-2, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या 3362/पी-2-24/2005 सी-क्यू (61)/2004, दिनांक 26-12-2005 जो महाप्रबन्धक (का0प्र0) उ0प्र0ज0वि0नि0 को सम्बोधित है तथा जो अनियमित प्रोन्नति देने आदि विषयक है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

शासन को सूचना उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 से दिनांक 17-07-09 को प्राप्त हुई है जिस पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय

42-श्री प्रदीप माथुर-

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं

तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये कोई कार्ययोजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवती प्रसाद सागर-

जी हां, सरकार द्वारा स्वतः रोजगार की कई योजनायें चलायी जा रही है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्वतः रोजगार की कई योजनायें चलायी जा रही है। इन सभी योजनाओं को रोजगार संकल्प (रोजगार छतरी योजना) के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सवेतन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत द्वारा सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत पोखरे खुदवाने में अनियमितता की जांच की मांग

43-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत-सिद्धार्थनगर द्वारा सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत 20% धनराशि से दिनांक 30-6-07 तक खुदवाये गये पोखरे क्या मानक के अनुरूप हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पोखरे मजदूरों से, न खुदवाकर ट्रैक्टर द्वारा खुदवाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन/जांच टी0ए0सी0 से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा विधान सभा क्षेत्र-नौगढ़ में तालाबों के जीर्णोद्धार के लम्बित कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

44-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा विधान सभा क्षेत्र-नौगढ़ में वित्तीय वर्ष 2006-07 में सम्पूर्ण रोजगार योजनान्तर्गत तालाबों के पुनरुद्धार/जीर्णोद्धार पर दि0 30-11-07 तक कुल 2016400.00 रु0 व्यय करके विभागीय सत्यापन में कार्य संतोषजनक एवं पक्के प्रकृति के कार्य लम्बित दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यों का पुनः सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने एवं लम्बित कार्य को पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा वर्ष 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत पुनरुद्धारित/जीर्णोधारित तालाबों का सत्यापन तत्कालीन अभियन्ता/अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। उक्त योजना समाप्त हो चुकी है, इसलिए पक्के प्रकृति के लम्बित कार्यों को पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा उपकरण वितरण की सूची सम्बन्धी जानकारी

45-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की जिला पंचायत सिद्धार्थनगर द्वारा वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जिन लोगों को रिक्शा, ठेला व अन्य उपकरण वितरित किये गये हैं, उसकी सूची (पता, जाति व वितरण के दिनांक सहित) सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? *

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। सदन के पटल पर 05 प्रतियां रख दी गयी हैं।*

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के स्वामित्व के अन्तर्गत भवन व सड़कों के सम्बन्ध में जानकारी

46-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर की जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के स्वामित्व के अन्तर्गत कहां-कहां भूमि, भवन व कौन-कौन सी सड़कें हैं ? क्या मंत्री जी उक्त स्थाई सम्पत्तियों एवं सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। जिला पंचायत सिद्धार्थनगर के सम्पत्तियों एवं सड़कों की सूचना की 05 प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की मोदी फोन्स लि0 की भूमि को बेचने सम्बन्धी प्रकरण

47-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के पहले शुक्रवार के अता0प्र0 सं0-88 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के मोदीनगर की बन्द मोदी फोन्स लि0 की भूमि को सेवायोजक द्वारा बेचने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त इकाई की कृषि भूमि को सम्बन्धित किसानों को लौटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* छापी नहीं गयी।

श्री बादशाह सिंह-

जनपद गाजियाबाद में मोदीफोन्स लि0 की कोई इकाई स्थापित नहीं है अपितु मोदी फोन लि0 मोदीनगर, गाजियाबाद स्थापित थी। प्रतिष्ठान की समस्त भूमि एवं भवन पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक में बंधक के रूप में रखी गयी थी। उक्त बैंकों द्वारा उक्त सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक रूप से कब्जा ले लिया गया है और उक्त सभी चार्ज्ड सम्पत्तियों को बैंकों द्वारा बेचने का प्रस्ताव किया गया था। परन्तु उनके द्वारा निर्धारित दर पर भूमि का क्रय करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। भूमि एवं भवन को बेचे जाने का प्रकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के अम्बेडकर ग्राम सांडी में विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग 3 नं0 018525 दिनांक 10-8-07, जो बांदा के अम्बेडकर ग्राम साड़ी में विद्युतीकरण कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

अम्बेडकर ग्राम सांडी वर्ष 2003-04 में विद्युतीकरण हेतु चयनित हुआ था। वर्तमान में यह ग्राम विद्युतीकृत है। इस ग्राम में 25 के0वी0 का एक परिवर्तक स्थापित है एवं 5 पंखा/बत्ती के विद्युत संयोजन कार्यरत है। उक्त ग्राम के मजरों के विद्युतीकरण की योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में 41 पट्टों के नवीनीकरण सम्बन्धी श्री लालता प्रसाद निषाद के पत्र पर कार्यवाही

49-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सहित श्री लालता प्रसाद निषाद पुत्र स्व0 कुल्लर प्रसाद निषाद साकिन, बिल्ली मारकण्डी, ओवरा, सोनभद्र का पत्र बिन्दुवार जांच कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को दिनांक 19-9-07 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। प्रश्नकर्ता के पत्र सहित श्री लालता प्रसाद निषाद पुत्र स्व0 फुल्लर प्रसाद निषाद का पत्र प्राप्त हुआ था न कि श्री लालता प्रसाद निषाद का पुत्र स्व0 कुल्लर प्रसाद निषाद का।

प्राप्त पत्र में मुख्य रूप से जनपद सोनभद्र में वर्ष 2001 में स्वीकृत कुल 41 पट्टों के नवीनीकरण का अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि प्रकरण में स्वीकृत खनन पट्टे

उ0 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम-9 (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रावायरस घोषित किये जाने के फलस्वरूप उक्त नियम-9 (क) को नियमावली, 1963 से 26वें संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। अतः पट्टों के नवीकरण का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र पंचायत विजुआ की बैठक में अनुपस्थित बी0डी0सी0 के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

50-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 03-10-08 को क्षेत्र पंचायत बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी में कौन-कौन से जिला स्तरीय अधिकारी बी0डी0सी0 की बैठक में नहीं उपस्थित हुए ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

क्षेत्र पंचायत की बैठक दिनांक 3-10-08 में किसी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भाग नहीं लिया गया।

क्षेत्र पंचायत की बैठक दिनांक 3-10-08 में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने के कारण सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा बैठक में भाग न लेने के कारण संबंधित विभाग के कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके लिये विधायक महोदय की उपस्थिति में सदन के सभी सदस्यों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भविष्य में अधिकारियों द्वारा बैठक में भाग न लेने की दशा में सभी सदस्यों द्वारा बैठक का बहिष्कार कर दिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी, खीरी द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2009 को समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद लखीमपुर को भविष्य में क्षेत्र पंचायतों की सम्पन्न होने वाली बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय न्याय पंचायतों में विद्युत आपूर्ति ठीक करने की मांग

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग शाहगंज, भावलखेड़ा जमुहा के कितने ग्रामों में तार टूटने/ट्रान्सफार्मर खराब होने या अन्य कारणों से विद्युत सप्लाई बाधित है ? क्या यह सही है कि ग्राम टिकरा में कई माह से विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की न्याय पंचायत पैना बुजुर्ग, शाहगंज, भावलखेड़ा जमुही के चार ग्रामों में तार टूटने एवं ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है।

1-ग्राम भावलखेड़ा में 63 के0 वी0 ए0 का परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने के कारण।

2-ग्राम जमुका में 63 के0 वी0 ए0 का परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने के कारण।

3-ग्राम जलालपुर व ग्राम टिकरा की आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुयी विद्युत लाइन के कारण।

जी हां।

ग्राम टिकरी की विद्युत लाइन आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हो गई है।

जी हां।

1-ग्राम भावलखेड़ा में 63 के0वी0ए0 क्षतिग्रस्त परिवर्तक को माह 07/2009 में बदल दिया गया है तथा विद्युत आपूर्ति चालू है।

2-ग्राम जमुका में 63 के0 वी0 ए0 का क्षतिग्रस्त परिवर्तक माह 07/2009 में बदल दिया गया है तथा विद्युत आपूर्ति चालू है।

3-ग्राम जलालपुर व ग्राम टिकरी की आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइन को तत्काल ठीक कराने हेतु उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत घोषित निर्मल गांवों में शौचालय बनवाने सम्बन्धी जानकारी

52-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में कुल कितने निर्मल गांव घोषित किये गये तथा इनका मानक क्या है ? क्या उक्त वर्षों में चयनित निर्मल गांवों के प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 मे 40 तथा वर्ष 2006-07 में 488 कुल 528 निर्मल ग्राम घोषित किये गये थे। निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु मानक/शर्त निम्नवत् है :-

1-ग्राम में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाता हो तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र खुले में शौचमुक्त हो।

2-सभी परिवारों द्वारा शौचालय का प्रयोग किया जा रहा हो।

3-ग्राम पंचायत क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था हो।

4-आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय हो।

5-ग्राम पंचायत में कोई शुष्क शौचालय या सर्विस लैट्रिन, मैला ढोने की प्रथा न हो।

6-ग्राम पंचायत में सामान्य रूप से वातावरण स्वच्छ हो।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनायें

53-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में कुल कितनी परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं ? क्या जिला पंचायत, बांदा द्वारा नियमों के विपरीत टेण्डर/निविदा दी गई है, जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायती-पत्र मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी बांदा को 29-11-07 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जिला पंचायत बांदा की बैठक दिनांक 25-10-07 के प्रस्ताव संख्या-2 के द्वारा वर्ष 2007-08 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 170 परियोजनायें स्वीकृत की गयी।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 29-11-07 में टेण्डर/निविदाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 29-11-07 में मुख्यतः निम्न शिकायतें की गयीं :-

(1) जिला पंचायत बांदा में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक राज्य वित्त आयोग एवं 11वें वित्त आयोग तथा 12वें वित्त आयोग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूची के साथ ही साथ निर्माण स्टीमेट के अनुसार नहीं कराया जा रहा है तथा कई स्थानों का परिवर्तन भी किया गया है।

(2) शहरी क्षेत्र बांदा शहर के जिला पंचायत में राज्य वित्त आयोग की परियोजनाओं की स्वीकृति की गयी है।

(3) 12वें वित्त आयोग में स्वीकृत गडरिया रोड से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग 1.00 कि0मी0 का स्थान परिवर्तन कर बहुन्डरी से कुण्डा डोल सम्पर्क मार्ग में कार्य किया गया है तथा मौरम की जगह ईंट-भट्ठे की राख डाली गयी है।

शिकायती-पत्र दिनांक 29-11-07 में वांछित वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक की सूचना अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बांदा के पत्र दिनांक 13-12-07 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को उपलब्ध करा दी गयी। स्वीकृत कुल 52 परियोजनाओं का कार्य स्वीकृत स्थलों पर निर्धारित प्राक्कलन एवं मानक के अनुसार कराया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा नगरी क्षेत्रों में कार्य कराये जाने की शिकायत निराधार पायी गयी है। 12वें वित्त आयोग में स्वीकृत गड़रिया रोड से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग 1.00 कि0मी0 का स्थान परिवर्तन कर बहुन्डरी से कुण्डा डोल सम्पर्क मार्ग में किया गया है तथा मौरम की जगह ईंट-भटठे की राख डाली गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 12वें वित्त आयोग में स्वीकृत गडरिया रोड से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग का

स्थल परिवर्तन नहीं किया गया है, किन्तु उस मार्ग पर मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जिला पंचायत बांदा द्वारा दिनांक 15-12-07 को जारी किया गया तथा निर्देशित किया गया है कि कार्य मानक के अनुरूप करायें। ठेकेदार द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने के कारण उस कार्य को कोई भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान में उसी ठेकेदार द्वारा अब गुणवत्ता के आधार पर कार्य कराया जा रहा है। चिन्हित शिकायती स्थलों की तकनीकी जांच अवर अभियन्तागण एवं अभियन्ता, जिला पंचायत, बांदा द्वारा करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर शिकायत निराधार पायी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, बांदा द्वारा उक्त शिकायतों को निराधार पाये जाने की स्थिति से शासन को पत्र संख्या-834 दिनांक 30-1-08 द्वारा अवगत कराया गया। शिकायती-पत्र दिनांक 29-11-07 में उल्लिखित जसपुरा गड़रिया रोड से पड़वनिया डेरा सम्पर्क मार्ग का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित परियोजना सिन्धन कला से पन्डावन डेरा तक लेपन कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच

54-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित सिन्धन कला में पन्डवन डेरा तक लेपन लागत रु0 872600.00 तथा सिन्धन कला से पन्डावन डेरा तक लेपन कार्य दूसरा भाग लागत रु0 724400.00 को दो परियोजनाओं का कार्य जिला पंचायत बांदा द्वारा कराया गया है जो पूर्ण दिखाया गया है जबकि आज तक अधूरा कार्य है तथा लेपन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजनाओं में की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

शासनादेश संख्या-922/33-सेल-2004-68/03 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 द्वारा स्वीकृत परियोजना सिंधनकला से पण्डवन डेरा तक 2.00 किमी0 के निर्माण स्वीकृत धनराशि मु0 16.00 लाख रुपये के सापेक्ष किमी0 1 व किमी0 2 में शून्य से सोलिंग स्तर तक का कार्य कराया गया। परियोजना एक ही थी, किन्तु प्राक्कलन खण्ड 1 व 2 में तैयार किया गया तथा कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया गया है।

सोलिंग स्तर तक कराया गया कार्य मानक के अनुसार है। इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों के खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलने का कार्य

55-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007-08 व 2008-09 में कितने राजकीय नलकूपों के खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलने का कार्य किया गया है तथा खराब ट्रान्सफार्मरों में तेल चोरी की कितनी घटनायें प्रकाश में आई हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में वर्ष 2007-08 में 8499 तथा वर्ष 2008-09 में 7538 राजकीय नलकूपों के खराब ट्रांसफार्मर बदले गये हैं।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों के खराब ट्रांसफार्मरों में तेल चोरी की घटनायें वर्ष 2007-08 में 877 तथा वर्ष 2008-09 में 709 हुई हैं।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों के ट्रांसफार्मरों को बदलने की नीति

56-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय नलकूपों के ट्रान्सफार्मरों को बदलने के लिये कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि किसानों को अपने खर्चे पर ट्रान्सफार्मरों को उतरवा कर जिला मुख्यालय स्टोर पर ले जाना व लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी खर्चे पर राजकीय नलकूपों के खराब ट्रान्सफारमरों को बदलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

राजकीय नलकूपों के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदलने हेतु सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त होने पर विभागीय खर्चे पर ट्रान्सफार्मरों को बदल दिया जाता है।

किसानों को राजकीय नलकूपों के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को अपने खर्चे पर न तो लाना पड़ता है और न ही ले जाना पड़ता है। यह कार्य विभागीय खर्चे पर कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर एवं जालौन में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना में ग्रामों का विद्युतीकरण

57-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के हमीरपुर महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, जालौन में अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में अब तक किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? चयनित ग्राम सभाओं के मजरों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा, हमीरपुर महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर एवं जालौन में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से अब तक 432 ग्रामों का विद्युतीकरण/संतृप्तीकरण किया गया है, जिनकी सूची मा0 सदन के पटल पर रख दी गयी है।†

चयनित ग्राम सभाओं के शेष मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण

---

† छापी नहीं गयी।

योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति के उपरान्त शेष मजरों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम रामनगर में हरे व फलदार वृक्षों के काटे जाने की दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही की मांग

58-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या वन, जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जुलाई, 2008 को ग्राम राम नगर धौरहरा, थाना रौनाही जनपद फैजाबाद में हरे व फलदार वृक्षों को काटे जाने के सम्बन्ध में वन संरक्षक-मुबारकगंज बीट, फैजाबाद द्वारा थाना रौनाही में दिनांक 01 अगस्त, 2008 को अपराध संख्या 683/08 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करा ी गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां, वन रक्षक, मुबारकगंज बीट फैजाबाद द्वारा थाना रौनाही में दिनांक 01 अगस्त, 2008 को अपराध संख्या-683/08 पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।

पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में पुलिस द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2008 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहल्ला महराजनगर की मस्जिद के पीछे विद्युत पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति करने की मांग

59-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के नगर लखीमपुर के मोहल्ला महराजनगर की मस्जिद के पीछे दर्जनों विद्युत के कनेक्शन उपभोक्ताओं को बल्लियों के द्वारा केबिल खींच कर दिये जाने के कारण तार जमीन तक लटकते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ले में नियमानुसार विद्युत पोल लगा कर विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

दिनांक 22-01-2009 को लकड़ी के पोलों के स्थान पर विद्युत पोल लगाकर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2008 में छपवायी गयी सूचना डायरी के सम्बन्ध में जानकारी

60-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008 में कितनी सूचना डायरी छपवाई गई हैं ? क्या उनको बाजार में खुलेआम मनमाफिक दरों पर बेचा जा रहा है ? क्या इन सूचना

डायरियों पर खुदरा मूल्य अंकित है ? क्या विभाग के पास इनको बेचने का लेखा जोखा उपलब्ध है ? यदि हां, तो बिक्री से प्राप्त धन को किस मद में जमा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्ष 2008 में 25000 सूचना डायरी छपवाई गयी।

जी नहीं।

जी हां।

जी हां।

बिक्री से प्राप्त रायल्टी रु0 3,93,960/- के रूप में आने वाली धनराशि के बराबर मूल्य की 8000 डायरियां तथा 12000 निदर्शनी विभागीय प्रचार प्रसार हेतु निःशुल्क वितरण के लिये रायल्टी की धनराशि से ही प्रकाशक से खरीद ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा एवं जालौन में राजकीय तथा निजी नलकूपों को विद्युत दोष से मुक्त कर चालू कराये जाने की मांग

61-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा एवं जालौन में वर्ष 2008 से 10 नवम्बर, 2008 तक कुल कितने राजकीय तथा निजी नलकूपों में ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराकर नलकूप चालू करवा दिये गये हैं तथा कितने नलकूपों में ट्रांसफार्मर तथा लाइन मरम्मत का कार्य अभी शेष है ? क्या उक्त सभी नलकूपों को विद्युत दोष से मुक्त कराकर चालू कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट महोबा एवं जालौन में वर्ष 2008 में 10 नवम्बर, 2008 तक 701 राजकीय तथा 879 निजी नलकूपों के ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराकर समस्त नलकूप चालू करा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट एवं जालौन में अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

62-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट एवं जालौन में वर्ष 2008-09 में अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कितने ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा कितने ग्रामों में शेष है ? क्या ग्राम के सभी मजरों में विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा एवं जालौन में वर्ष 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 277 ग्रामों में से 263 आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। शेष 14 ग्राम गैर आबाद ग्राम है। अतः कोई भी आबाद ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है।

वर्तमान में प्रत्येक विद्युतीकृत ग्राम के साथ एक मजरे का विद्युतीकरण किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में शेष सभी मजरों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्तावित मजरों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के मुख्यालय पर जर्जर तार बदलवाकर विद्युत आपूर्ति करने की मांग

63-श्री लालजी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांसी मुख्यालय पर विद्युत के तार बहुत पुराने एवं जर्जर हो गये हैं ? जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? क्या सरकार उक्त जर्जर तारों को बदलवाकर विद्युत आपूर्ति सही ढंग से संचालित कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

बांसी मुख्यालय पर जर्जर तार बदलने की योजना के अन्तर्गत 2 किलोमीटर जर्जर तार बदला जा चुका है। अवशेष 20 किलोमीटर जर्जर तार बदलने की कार्यवाही प्रगति पर है दिसम्बर, 2009 तक कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनपदों से निकलने वाले खनिज, बालू, मिट्टी, गिट्टी से पड़ाव अड्डा के नाम पर शुल्क की मनमानी वसूली

64-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपदों से निकलने वाले खनिज, बालू, मिट्टी, गिट्टी व अन्य से पड़ाव अड्डा के नाम पर जिला परिषदों द्वारा कितना शुल्क देने का प्राविधान है ? क्या जनपद-बांदा में निर्धारित पड़ाव अड्डों के अलावा बेन्दा घाट, भूरागढ़ बदौवा में अवैध रूप से मनमानी धन की उगाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर अवैध वसूली बन्द कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-6888/33-3-2001-22सी(6)/98, दिनांक 28 दिसम्बर, 2001 द्वारा जिला पंचायतों से पड़ाव अड्डा समाप्त कर दिया गया है।

शासकीय गजट 31 जनवरी, 2004 के अनुसार खनिज, तहबाजारी की उपविधि जिला पंचायत बांदा में प्रभावी है, जिसके अनुसार जनपद से निकलने वाली गिट्टी, बालू, मौरंग से भरे ट्रक से मु0 2000 रु0 तथा मेटाडोर/ट्रैक्टर ट्राली से मु0 1000 रु0 तहबाजारी शुल्क निर्धारित है तथा तहबाजारी स्थल बेदाघाट, भूरागढ़, बदौसा में निर्धारित शुल्क की ही वसूली होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा में सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत विकास खण्डवार भौतिक लक्ष्य एवं निर्मित शौचालयों का विवरण

65-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से अब तक ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु ब्लाक वार भौतिक लक्ष्य क्या रखा गया था तथा निर्मित शौचालयों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि पंचायती राज विभाग द्वारा धनराशि न दिये जाने के कारण गत वर्षों से शौचालयों का निर्माण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन उपलब्ध कराकर शौचालयों का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद बांदा में वर्ष 2005-06 से अब तक विकास खण्डवार भौतिक लक्ष्य एवं निर्मित शौचालय का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2005-06 से अब तक लक्ष्य एवं निर्मित शौचालयों का विवरण	
1	2	3	4
1	बड़ोखर खुर्द	8213	8213
2	तिन्दवारी	6600	6600
3	जसपुरा	2011	2011
4	बबेरू	5227	5227
5	कमासिन	2950	2950
6	बिसण्डा	3515	3515
7	महुआ	6304	6304
8	नरैनी	7571	7571
	कुल योग :	42391	42391

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक उपरोक्तानुसार 42391 शौचालयों के निर्माण हेतु रु0 873.22 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, बांदा में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ब्लाकवार विकास कार्यों हेतु दी गयी धनराशि का विवरण

66-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन, बांदा में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2006-07 से अब तक ब्लाक वार कुल कितनी धनराशि सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण, प्रकाश व्यवस्था, नलकूप व हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं अन्य विकास कार्यों हेतु दी गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विभाग द्वारा उक्त कार्यों के भौतिक लक्ष्य के विपरीत धनराशि कम खर्च की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 से अब तक जनपद जालौन एवं बांदा को विकास खण्डवार निम्नवत् विवरण के अनुसार धनराशि सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण प्रकाश व्यवस्था नलकूप व हैण्डपम्प मरम्मत एवं अन्य विकास कार्यों हेतु दी गयी है :-

जनपद-जालौन

क्र0सं0	विकास खण्ड	उपलब्ध करायी गयी धनराशि
1	रामपुरा	32456100.00
2	माधौगढ़	30907414.00
3	कुठौंद	33584110.00
4	जालौन	34023808.00
5	नदी गांव	44255678.00
6	कोंच	34047112.00
7	डकोर	57570522.00
8	महेवा	33974238.00
9	कदौरा	48708140.00
	कुल योग :	349525122.00

जनपद-बांदा

क्र0सं0	विकास खण्ड	उपलब्ध करायी गयी धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3
1	बड़ोखरखुर्द	353.5078
2	तिन्दवारी	322.0162
3	जसपुरा	216.2005
4	बबेरू	363.5619
5	कमासिन	301.8828
6	बिसण्डा	297.3338
7	महुआ	360.3712
8	नरैनी	418.8592
	कुल योग	2838.732

जी नहीं, इन जनपदों में वित्तीय 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से परियोजनाओं का कार्य मानक के अनुसार कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

67-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से अब तक प्राप्त धनराशि से जिला पंचायत बांदा द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया तथा कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्य अधूरा है ? क्या ग्राम वेदा में राम मनोहर सिंह के डेरा से देवी जी के मन्दिर तक 1 कि0मी0 सी0सी0 का कार्य मानक से कम कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी लम्बाई चौड़ाई मोटाई व गुणवत्ता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग से वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 से अब तक प्राप्त धनराशि से 100 परियोजनाओं के सापेक्ष 85 परियोजनाएं पूर्ण 14 परियोजनाएं निरस्त एवं 1 परियोजना स्थलीय विवाद होने के कारण अधूरी है।

ग्राम वेंदा में राम मनोहर सिंह के डेरा से देवी जी के मन्दिर तक 1 कि0मी0 सी0सी0 रोड निर्माण के सापेक्ष 400 मी0 सी0सी0 निर्माण प्रथम भाग का कार्य कराया गया है, जिसकी चौड़ाई 346 मी0 है तथा कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा में कतिपय ब्लाकों के निर्मल ग्रामों में शौचालयों का निर्माण

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

69-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी, बरैनी कमासिन व जसपुरा में वर्ष 2006-07 से अब तक कितने निर्मल ग्रामों का चयन किया गया है एवं कितने शौचालयों का निर्माण पूर्ण व अपूर्ण है ? क्या सरकार अधूरे पड़े शौचालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद बांदा के ब्लाक बड़ोखर खुर्द, तिन्दवारी, बरैनी कमासिन व जसपुरा में 13 निर्मल ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित निर्मल ग्रामों में 4734 शौचालय पूर्ण हैं। कोई शौचालय अपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

70-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में ग्राम गड़रिया, ब्लाक जसपुरा के प्रधान के विरुद्ध ग्राम पंचायत सदस्य शिवदास, जितेन्द्र सिंह सहित आठ सदस्यों ने दिनांक 24-6-08 को जिलाधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा को हलफनामा सहित जांच कराने विषयक पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच सहायक निदेशक, मत्स्य, बांदा से करायी गयी। जांच मे ग्राम प्रधान को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर प्रधान के विरुद्ध उ0 प्र0 पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा-95(1)(छ) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के उपकेन्द्र कान्हड के परिवर्तक बदलने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

71-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर सं0 10184035 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-184035/2008, दिनांक 03-07-08 जो प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा का बरनावा बागपत उपकेन्द्र कान्हड के परिवर्तक बदलने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

33/11 केवी कान्हड उपस्थान की क्षमता वृद्धि 3×5 + 1×3 से 4×5 एमवीए दिनांक 06-09-08 को की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिरसली गांव के खम्भे व तार न लगाये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

72-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-6-08 जो सिरसली गांव में खम्भे व तार न लगाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव में खम्भे व तार लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर द्वारा पुष्पांजलि प्रिन्टर्स, मेरठ के अवशेष देयों का भुगतान करने के निर्देश

73-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 22-6-08 जो उ0प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर द्वारा पुष्पांजलि प्रिन्टर्स, 184 साकेत, मेरठ से वर्ष 1996-97 में कराये गये टैक्सटाइल प्रिन्टिंग का भुगतान के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

जी हां।

प्रश्नगत मामले में शासन के पत्र संख्या-1381/63-व0उ0-2008, दिनांक 21-08-08 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा निगम को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि पुष्पांजलि प्रिन्टर्स, मेरठ के अवशेष देयों का भुगतान अपने विभिन्न विक्री केन्द्रों पर वस्त्रों की विक्रीगत आय से किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के के0 के0 सी0 स्कूल के पास प्राइवेट वाहनों के स्टैण्ड के सम्बन्ध में जानकारी

74-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में के0के0सी0 के पास स्थित दीन दयाल उपाध्याय पार्क पेट्रोल पम्प से सदर व आलमबाग को जाने वाले मार्ग पर प्राइवेट टैक्सी, डग्गामार वाहनों का स्टैण्ड बना दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार को इस डग्गामार स्टैण्ड से प्रतिमाह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ? क्या सरकार इस डग्गामार स्टैण्ड को जनहित में हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कस्बा टीकरी में बस अड्डा से देशपाल के मकान तक के जर्जर विद्युत तार बदले जाने की मांग

75-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13-10-08 जो जनपद बागपत के कस्बा टीकरी में मुख्य बस अड्डे से देशपाल पुत्र श्री अजय सिंह के मकान तक जर्जर विद्युत लाइन के तार बदलने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर विद्युत लाइन को बदला जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत विद्युत जर्जर तारों को बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में आरा मशीनों के लाइसेन्स तथा अवैध आरा मशीनों के संचालन पर रोक सम्बन्धी जानकारी

76-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या वन, जन्तु एवं उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में कितनी विनियर एवं आरा मशीनों को वन विभाग द्वारा संचालित करने हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं ? क्या यह सही है कि कस्बा सण्डीला में बिना लाइसेंस प्राप्त किये अनेक विनियर मशीनें एवं आरा मशीनें चलाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध रूप से संचालित उक्त मशीनों को बन्द कराकर उनको संचालित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

कस्बा सण्डीला, जनपद हरदोई में वन विभाग द्वारा विनियर इकाई हेतु लाईसेंस जारी नहीं किये गये हैं। मात्र 17 आरा मशीनों को कस्बा सण्डीला में स्थापित/संचालित करने हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं।

जी नहीं, कोई अवैध विनियर मशीनें एवं आरा मशीनें नहीं चल रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के तहसील बड़ौत के ग्राम इब्राहिमाबाद गावडी में विद्युतीकरण का कार्य

77-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री का पत्रांक कम्प्यूटर सं0 सी 10184038, पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/ एम-184038/2008, दिनांक 03-07-08 जो प्रमुख

सचिव, सचिव, ऊर्जा को ग्राम इब्राहिमाबाद गावडी ग्राम सभा मु0 कमाला, तहसील बड़ौत, जिला बागपत का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम इब्राहिमाबाद गावड़ी, ग्राम सभा मु0 कमाला, तहसील बड़ौत, जिला बागपत का विद्युतीकरण डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-12-2008 को पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के धनौरा ग्राम की विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

78-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के ग्राम धनौरा को विद्युत आपूर्ति निरपुडा विद्युत उपकेन्द्र से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निरपुडा से धनौरा आपूर्ति करने वाले तार जर्जर होने के कारण आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गैड़बरा विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता को बढ़ाकर धनौरा गांव में आपूर्ति करने के निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

33/11 केवी उपकेन्द्र गैडबरा अतिभारित हैं जिसकी क्षमता वृद्धि 2×5 से 1×5+1×10 एमवीए0 किया जाना प्रस्तावित है परन्तु क्षमता वृद्धि के उपरान्त अतिरिक्त भार जोड़ने पर पुनः अतिभारित होने की सम्भावना रहेगी। वर्तमान में धनौरा गावं की विद्युत आपूर्ति 33/11 केवी उपकेन्द्र निरपुड़ा से होती है क्योंकि वह अतिभारित नहीं है तथा उक्त गांव को विद्युत आपूर्ति वर्तमान में शैड्यूल के अनुसार सही मिल रही है। अतः तकनीकी दृष्टि से उक्त गांव की विद्युत आपूर्ति गैडबरा उपकेन्द्र से जोड़ना उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम धनौरा में ढीले तारों को ठीक करने की मांग

79-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के ग्राम धनौरा में विद्युत आपूर्ति करने वाले तार गांव के मुख्य रास्ते पर काफी नीचे तक लटके रहने के कारण ग्रामवासियों को आने जाने में खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के तारों को ऊंचा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

ग्राम धनौरा (टिकरी) में 2801 मी0 जर्जर तार एवं 07 नग टूटे पोल बदलवा दिये गये हैं एवं ढीले तारों को कसवाकर ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम भडल के प्रधान द्वारा प्राइमरी पाठशाला के किचन शेड का फर्जी निर्माण दिखाकर गबन करने की जांच

80-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-10-08 को जनपद बागपत के ग्राम भडल के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत से प्राइमरी पाठशाला में किचन शेड निर्मित दिखाकर अंकन रु0 34875 का गबन करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच जिला पंचायतराज अधिकारी एवं जिला युवा कल्याण अधिकारी, बागपत से करायी गयी। जांच से ग्राम प्रधान पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के मण्डल चित्रकूट व झांसी में किसानों को निःशुल्क कनेक्शन देने की मांग

81-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के मण्डल चित्रकूट व झांसी में कितने किसानों ने निःशुल्क बोरिंग कराकर निजी नलकूपों में कनेक्शन हेतु 1 जनवरी, 2005 से अब तक प्रार्थना-पत्र दिया है ? क्या सरकार उन्हें सूखे की स्थिति को देखते हुए निःशुल्क कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

बुन्देलखण्ड के मण्डल चित्रकूट व झांसी में जनवरी, 2005 से अब तक 12581 किसानों ने निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है।

वर्तमान में निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद वाराणसी के मल्लाह नौका व मोटर बोट से शुल्क कम करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

82-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन, जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महासचिव मल्लाह समुदाय संघर्ष समिति, वाराणसी द्वारा दिनांक 13-1-08 को मल्लाह नौका व मोटर बोट धारक शर्त संख्या-17 द्वारा पर्यटक शुल्क कम करने एवं वन विभाग द्वारा लाइसेन्स लेने विषयक पंचायत द्वारा सर्वसम्मत

फैसले के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-01-08 प्रमुख सचिव, वन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी हां।

प्रकरण में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-2280/14-4-2008, दिनांक 12-09-2008 के द्वारा काशी वन्य जीव विहार क्षेत्र में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ट्रकों पर ओवर लोडिंग पर रोक के उपाय

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रकों पर ओवर लोडिंग प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी बुन्देलखण्ड तथा सोनभद्र में बालू, मोरंग, गिट्टी ढोने वाले ट्रकों द्वारा ओवर-लोडिंग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ओवरलोडिंग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध के कार्यान्वयन हेतु कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

बुन्देलखण्ड तथा सोनभद्र में बालू मोरंग गिट्टी ढोने वाले ट्रकों द्वारा ओवर लोडिंग के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। बुन्देलखण्ड में वित्तीय वर्ष 2008-09 में 5101 वाहनों का चालान करते हुए प्रशमन शुल्क के रूप में रु0 750.00 लाख की वसूली की गयी एवं 8688 वाहनों को विभिन्न अपराधों में थानों में बन्द किया गया।

जनपद सोनभद्र में वित्तीय वर्ष 2008-09 में ओवर लोडिंग के विरुद्ध 1054 चालान किये गये तथा रु0 138.00 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी और 1408 वाहनों को विभिन्न अपराधों में थानों में बन्द किया गया।

जी हां। मोटर वाहन अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों, खनन विभाग के अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों एवं व्यापारियों को ओवर लोडिंग न करने की सख्त हिदायतें दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अपील प्रकाशित कराई गई है कि ओवर लोडिंग करना अपराध है जिसके लिये दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। बुन्देलखण्ड के प्रवर्तन दलों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-2010 में माह जून, 2009 तक ओवर लोडिंग के विरुद्ध 994 चालान किये गये, 1963 वाहनों को बन्द किया गया तथा कुल रु0 155.00 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-2010 में माह जून, 2009 तक सोनभद्र में ओवर लोडिंग के विरुद्ध कुल 236 चालान किये गये, 331 वाहनें बन्द की गयीं तथा रु0 35.07 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बरनावा के ग्रामों में विद्युत लाइन तारों को बदलवाये जाने की मांग

84-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र बरनावा, जनपद बागपत के ग्राम गैडवरा से ग्राम नमेलागढ़ी तक जाने वाली विद्युत लाइन के तार जर्जर होने के कारण आये दिन टूटते रहते हैं तथा इनके टूटने से 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत लाइन के तार बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां, तार टूटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी।

जी हां।

आगामी तीन माह में तार बदलवाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्रामों के अवैध कनेक्शन धारकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

85-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम भजमर मऊ दयालपुर ब्लाक व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में सरकारी नलकूपों एवं गैर सरकारी नलकूपों पर विद्युत बिल बकाया धारकों के विद्युत कनेक्शन कटने के बावजूद नलकूपों पर रखे ट्रान्सफार्मरों से सीधे कनेक्शन करके अवैध रूप से संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या नलकूप के अवैध कनेक्शन धारकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 हथकरघा निगम कानपुर के पुष्पांजलि प्रिंटर्स मेरठ के बकाये देयों का भुगतान कराये जाने के निर्देश

86-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या हथकरघा वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0 सी0 10184039 सी0एम0/वि0को0/ एम-184039/2008 का पत्र जिसके द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, हथकरघा को पुष्पांजली प्रिन्टर्स मेरठ को उ0प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर से भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश नारायण राय-

जी हां।

प्रश्नगत मामले में शासन के पत्र संख्या-1331/63-व0उ0-2008 दिनांक 21-08-08- के द्वारा प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा निगम को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि पुष्पांजलि प्रिन्टर्स मेरठ के अवशेष देयों का भुगतान अपने विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर वस्त्रों की बिक्रीगत आय से किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ के कैसरबाग डिपो, लखनऊ तक बस के संचालन की मांग

87-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगर पंचायत कुरसठ से कैसरबाग डिपो, लखनऊ तक उ0प्र0 रा0स0परि0 निगम की बस का संचालन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर डिपो द्वारा बस सेवा कब तक संचालित करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बाल मजदूर चिन्हित करने की प्रक्रिया

88-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल मजदूर चिन्हित करने की प्रक्रिया क्या है ? प्रदेश के जनपद-आगरा, फिरोजाबाद, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, भदोही में वर्ष 2007 से 15 जुलाई, 2008 तक कितने बाल मजदूर चिन्हित कर सूचीबद्ध किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बादशाह सिंह-

जी हां। विभिन्न प्रतिष्ठानों, व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित/कार्यरत पाये जाने पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा-17 के अन्तर्गत अधिसूचित निरीक्षक द्वारा बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु निरीक्षण टिप्पणी जारी की जाती है। निरीक्षण टिप्पणी में बाल श्रमिक के नाम, पता, आयु, मजदूरी व कार्य करने की अवधि के विवरण के अतिरिक्त बाल श्रमिक नियोजित करने के फलस्वरूप अधिनियम के हुए उल्लंघन से सम्बन्धित धाराओं का उल्लेख किया जाता है। निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति सम्बन्धित सेवायोजक को भी प्राप्त करायी जाती है।

आलोच्य अवधि में आगरा में 814, फिरोजाबाद में 253, बागपत में 57, मेरठ में 185, मुरादाबाद में 346, लखनऊ में 719, कानपुर में 472 तथा भदोही में 88 अर्थात् कुल 2929 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी विभागों, संस्थाओं/उपक्रमों पर बिजली का बकाया तथा अदायगी कराने की मांग

89-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 नवम्बर, 2008 तक सरकारी विभागों, संस्थाओं/उपक्रमों पर बिजली का कुल कितना धन बकाया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में सर्वाधिक बकाया किस सरकारी विभाग पर है ? क्या सरकार सम्पूर्ण बकाया आदायगी हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक रु0 518.74 करोड़ का विद्युत बकाया है।

दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक सर्वाधिक बकाया रु0 364.34 करोड़ जल संस्थान पर है।

विद्युत देयता का सृजन एवं बकाये की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित कर सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर लिया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के सेन्ट्रल बस स्टेशन झकरकटी में संचालित कैन्टीन व अन्य दुकानों से प्राप्त आय

90- श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल बस स्टेशन झकरकटी परिसर, कानपुर में वित्तीय वर्ष 2005-06 में संचालित कैन्टीन एवं अन्य दुकानों से कुल कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ और वर्तमान वर्ष में अब तक उक्त परिसर में संचालित ए0सी0 फूड प्लाजा एवं अन्य दुकानों से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? क्या वर्तमान समय में उक्त बस स्टेशन पर केवल ए0सी0 फूड प्लाजा का संचालन किये जाने से विभाग को किराये के रूप में मिलने वाली धनराशि में लगभग 9 लाख रुपये वार्षिक राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो इस राजस्व हानि के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

सेन्ट्रल बस स्टेशन झकरकटी कानपुर परिसर में संचालित कैन्टीन एवं अन्य दुकानों से वित्तीय वर्ष 2005-06 से (अप्रैल-मार्च) में कुल धनराशि रु0 15,50,905/-का राजस्व प्राप्त हुआ।

वर्तमान वर्ष 2009-10 में (अप्रैल, 09 से जून, 2009 तक) सेन्ट्रल बस स्टेशन झकरकटी कानपुर परिसर में संचालित ए0सी0 फूड प्लाजा एवं अन्य दुकानों से कुल धनराशि रु0 3,77,855/-का राजस्व प्राप्त हुआ।

जी नहीं। वर्ष 2009-2010 में अप्रैल, 09 से जून, 09 तक 3,77,855/-का राजस्व प्राप्त हो चुका है तथा जुलाई से मार्च, 2010 में रु0 12,11,477/-का राजस्व प्राप्त होना अभी और संभावित है। इस प्रकार वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2009-2010 में रु0 38,427/-राजस्व अधिक प्राप्त होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना

91-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 का पत्र संख्या-1459-सू0प्रा0अ0 (15)/पाकालि/ 09-873 ज0सू0/08, दिनांक 25-3-09 के सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 2-4-2009 जो जन सूचना अधिकारी/सी0एम0डी0यू0पी0पी0 सी0एल0 को सम्बोधित है तथा जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संम्बन्ध में मांगी गई सूचना को उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मा0 सांसद का पत्र दिनांक 02-04-2009 प्राप्त हुआ है, किन्तु उक्त पत्र अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना से सम्बन्धित नहीं है। उक्त पत्र सूचना अधिकार, 2005 के तहत "फ्री आफ कास्ट" सूचना उपलब्ध कराने विषयक है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मा0 सांसद ने अपने पत्र दिनांक 12-12-2008 के माध्यम से पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के फलस्वरूप वर्षवार पावर कारपोरेशन सहित केस्को एवं चारों कम्पनियों में अलग-अलग कितना घाटा हुआ तथा पावर सेक्टर इम्पलाईज फण्ड का कितना-कितना धन सरकार को प्राप्त होने पर वर्षवार अपने उपभोग में ले लिया के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगी गयी थी जो कि उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद बने निगमों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना

92-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद बने निगमों में 1 जनवरी, 2008 से 26-4-2009 के मध्य कितने अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा,

सांसद का पत्र दिनांक 25-3-2009, जो अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0 प्र0 ज0 वि0 नि0 लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत 01-01-2008 से 26-4-2009 के मध्य एक तृतीय श्रेणी कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई।

जी हां।

मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा के प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :-

1-सचिव, ऊर्जा की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

2-माताटीला जल विद्युत गृह की मशीन सं0-1 से सम्बन्धित डी0पी0आर0 प्रकरण की उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की "सतर्कता इकाई" से प्राप्त जांच रिपोर्ट में की गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मूल डी0पी0आर0 गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना-तालबेहट, जनपद-ललितपुर में दर्ज कराई जा चुकी है तथा एक अधिशासी अभियन्ता एवं एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

3-रिहन्द जल विद्युत गृह की मशीन सं0-4 में हुई दुर्घटना से सम्बन्धित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्त जांच रिपोर्ट में की गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही अभी चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजीत सिंह, परिवहन विभाग, मेरठ डिपो की पत्नी को समायोजित करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

93-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री अजीत सिंह, परिवहन विभाग, मेरठ डिपो की पत्नी को समायोजित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/189027/2008, दिनांक 22-9-08, जो प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

माननीया मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 सदस्य के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र दिनांक 22-9-08 के संदर्भ में शासन के अर्द्ध0 पत्रांक-65/30-2-09-4 (29) 08, दिनांक 03 फरवरी, 09 द्वारा मा0 सदस्य को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि शासनादेश संख्या-05वी0आई0पी0/44-2-2003-2/च0स0/88, दिनांक 11-7-03 द्वारा

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रित को सेवायोजन में लिये जाने की सुविधा समाप्त कर दी गयी है। यद्यपि शासन के आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2008 द्वारा चालक/परिचालक के कुछ पदों पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की अनुमति प्रदान की गयी है किन्तु श्रीमती बालेश (स्व0 अजीत सिंह की पत्नी) की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास होने के कारण उन्हें परिचालक के पद पर भी सेवायोजन का अवसर नहीं प्रदान किया जा सकता है।

ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 विवेक कुमार सिंह विधायक का पत्र संख्या-817 एवं 818, दिनांक 15-4-08, जो मुख्य मंत्री उ0 प्र0 सरकार को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

पत्र सं0-817/लख0/2008, दिनांक 15-04-2008 में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है :-

1-उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में वर्ष 01 से 03 के मध्य मूल कार्मिकों की प्रोन्नतियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

2-वर्ष 2007-08 में पानी की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य 1470 मि0यू0 के सापेक्ष 925.62 मि0यू0 विद्युत उत्पादन हो सका। सतर्कता जांच में पिपरी सोनभद्र में विद्युत चोरी कराये जाने सम्बन्धी शिकायत सत्य नहीं पायी गयी।

3-माताटीला जल विद्युत गृह के डी0पी0आर0 प्रकरण की उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सतर्कता इकाई से जांच कराई गई। सतर्कता जांच रिपोर्ट में की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में मूल डी0पी0आर0 गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-तालबेहट, जिला-ललितपुर में दर्ज कराई जा चुकी है और दोषी पाये गये एक अधिशासी अभियन्ता एवं एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रचलित है।

पत्र सं0-818/लख0/2008, दिनांक 15-4-2008 में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है :-

1-दिनांक 25-3-2008 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी के औचक निरीक्षण के समय भोला जल विद्युत परियोजना पर अनुपस्थित पाये गये कार्मिक जांच में खण्डीय कार्यालय में अथवा ड्यूटी स्थल पर उपस्थित पाये गये थे, अतः उन्हें बहाल कर दिया गया।

2-मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा माह सितम्बर, 07 में बेलका व बबैल जल विद्युत परियोजना के निरीक्षण के समय श्री आर0के0 दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु मध्य सत्र एवं अन्य कारणों से श्री दीक्षित का स्थानान्तरण नहीं किया जा सका। श्री दीक्षित दिनांक 31-12-08 को सेवानिवृत्ति हो चुके हैं।

3-श्री अरुण कुमार मुख्य अभियन्ता एवं श्री एस0सी0 बुनकर, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की मात्र शिकायत की है एवं कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। ललितपुर जिला प्रशासन की संस्तुति पर माताटीला जल विद्युत परियोजना से प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित तीनों कार्मिकों को स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उन्होंने सरकारी आवास रिक्त नहीं किये अतः उनसे स्थानीय प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से सरकारी आवास रिक्त कराये थे। उक्त तीनों कार्मिक अपने नव-तैनाती स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त नियमित रूप से अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अरबों रुपये के बिजली घोटाले एवं क्षति का पर्दाफाश करने वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

95-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबों रुपये के बिजली घोटाले एवं क्षति का पर्दाफाश करने वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 जांच कराये जाने विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 4-4-09, 10-4-09, 11-4-09, 13-4-09 एवं 21-4-09 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 एवं सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति किये गये कार्मिक द्वारा सेवानिवृत्त आदेश को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में चुनौती दी गई है एवं प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

मा0 सांसद जी के विभिन्न पत्रों में उल्लिखित कथित घोटालों के सम्बन्ध में उनसे पत्र संख्या-560/का0प्र0/जविनिलि0/09-19 (32)/2007, दिनांक 22-6-2009 द्वारा साक्ष्य सहित विवरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

96-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 12 घण्टे अनवरत विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

97-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में क्या सरकार रात्रि 8 बजे से प्रातः काल 8 बजे तक अनवरत रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की मांग में अत्याधिक वृद्धि एवं उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण अंचलों में प्रतिदिन रात्रि कार्यक्रम में 11 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं दिन कार्यक्रम में 10 बजे से सायं 08 बजे तक साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

विद्युत की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में कमी के कारण प्रश्नगत व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ में जले ट्रान्सफार्मर को बदलने की मांग

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में 31 जुलाई, 2008 तक कितने ट्रान्सफार्मर जले हैं ? क्या सरकार द्वारा इनको बदले जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-प्रतापगढ़ में दिनांक 31 जुलाई, 2008 तक कुल 250 वितरण ट्रांसफार्मर जले थे। उक्त सभी जले हुए ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ढिढुई गांव में लो वोल्टेज की समस्या का निदान करने की मांग

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढिढुयी उपकेन्द्र से सम्बद्ध ढिढुई गांव के लोगों को "लो वोल्टेज" के कारण निजी नलकूप एवं लाईट के लिये परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की उक्त समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ढिढुई उपकेन्द्र से सम्बन्धित ढिढुई ग्राम में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अधिभारित है। इसकी क्षमता वृद्धि करके 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक मार्च, 2009 में लगा दिया गया है। जिससे ग्राम की विद्युत आपूर्ति की समस्या एवं लो वोल्टेज की शिकायत दूर हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम रन्छाड़ मवीकला व कस्बा दोघट में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग

100-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत स्थित ग्राम रन्छाड मवीकला व कस्बा दोघट में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 में कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में बारहवें वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायत में स्वीकृत परियोजनायें

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, व 2008-09 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायत में कुल कितने परियोजनायें स्वीकृत हुई थीं ? क्या यह सत्य है कि उक्त परियोजनाओं का कार्य मानक के विपरीत तथा स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थान पर कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायत प्रतापगढ़ में 06-07, 07-08 व 08-09 में कुल 28 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय विकास खण्डों में गैर व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये जाने की मांग

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा पट्टी मंगरौरा एवं बेलखरनाथ धाम में 3 एच0पी0 गैर व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिये जाने पर उ0 प्र0 राज्य विद्युत निगम द्वारा क्या कोई रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो कृषकों को 3 एच0पी0 विद्युत कनेक्शन स्वीकृत न करने के क्या कारण है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विकास खण्ड आसपुर, देवसरा, मंगरौरा बेलखरनाथ धाम में 3 एच0पी0 गैर वाणिज्यिक संयोजन देने पर रोक हटा ली गयी है एवं तद्नुसार विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश सं0-यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/बी0सी0ए0/2008-2391 दिनांक 14-5-08 के अनुसार संयोजन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में निजी नलकूपों के नये विद्युत संयोजन देने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ? क्या सरकार एक हार्सपावर से लेकर 5 हार्सपावर तक के कनेक्शन देने हेतु स्पष्ट नीति सम्बन्धी आदेश इलाहाबाद मण्डल के सभी जनपदों को निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद प्रतापगढ़ में नये निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन सामान्य योजना एवं जमा योजना के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं।

सामान्य योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा सभी वांछित प्रपत्रों के साथ आवेदन करने तथा भार स्वीकृति के उपरान्त प्राक्कलन के अनुसार धन जमा करके विभाग के साथ अनुबन्ध किया जाता है। उसके बाद जनपद के आवंटित लक्ष्य के अन्तर्गत वरीयता के आधार पर उपभोक्ता को विद्युत संयोजन निर्गत किया जाता है।

जमा योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा पूर्ण धनराशि जमा करने पर ही नलकूपों के विद्युत संयोजन प्रदान किये जाते हैं।

विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश सं0-यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव/बी0सी0ए0/2008-2391, दिनांक 14-5-08 के अनुसार विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र मंगरौरा के ग्राम लाखीपुर में कराये गये विकास कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

104-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र मंगरौरा के ग्राम लाखीपुर में वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार कराये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गई धनराशि की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ग्राम बारी सरिजनपुर से ग्राम-रतनपुर को जोड़ने वाली सड़क की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

105-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर में ग्राम बारी सरिजनपुर से ग्राम-रतनपुर को जोड़ने वाली सड़क नाली एवं तालाब के गाटा संख्या-164 पर बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या इससे प्रभावित किसानों की भूमि अधिग्रहण करके मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर में ग्राम बारी सरिजनपुर से ग्राम रतनपुर को जोड़ने वाली सड़क सम्मिलित गाटा संख्या-164 पर भी बनाई जा रही है।

गाटा संख्या-164 में ग्राम सभा की नवीन परती भूमि पर सड़क बनाई जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सड़क नवीन परती भूमि पर बनाई जा रही है किसी किसान की भूमि पर नहीं बनाई जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी विद्युत उपकेन्द्रों की ओवर हालिंग की मांग

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के सभी विद्युत उपकेन्द्रों के पोषकों के जीर्ण-शीर्ण कन्डक्टर एवं लाइन सामग्री बदलवाकर ओवर हालिंग की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां। 2009-2010 में प्रस्तावित है।

मार्च, 2010 तक सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 20 घण्टे विद्युत सप्लाई की मांग

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में प्रतिदिन 20 घण्टा बिजली देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की मांग में अत्यधिक वृद्धि एवं उपलब्धता में कमी होने के कारण ग्रामीण अंचलों में प्रतिदिन रात्रि कार्यक्रम में 11 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं दिन कार्यक्रम में 10 बजे से सायं 08 बजे तक साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने पर और अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा नरवारी एवं चन्दौका में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

108-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम सभा नरवारी एवं चन्दौका में अभी तक विद्युतीकरण न होने के कारण जनता को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम सभा रोजा (चन्दौका) के राजस्व ग्राम-चौकिया, मूला, रोहित पट्टी एवं रोजा विद्युतीकृत है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में ग्राम सभा नरवारी न होकर ग्राम सभा हरी का पुरा है जिसके राजस्व ग्राम-नरवारी, वनवीरपुर, भैरोपुर, कौशलपट्टी एवं हरी का पुरा विद्युतीकृत हैं।

जहां तक मजरों के विद्युतीकरण का प्रश्न है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर इनके विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मुख्यालय से लखनऊ तक वातानुकूलित बसों के संचालन की मांग

109-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के मुख्यालय से लखनऊ तक जनता की सुविधा के लिए क्या सरकार वातानुकूलित बसों का संचालन प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

यात्री अनुपलब्धता के कारण संचालन उपयुक्त नहीं हैं।

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम गहरा में पीली मिट्टी उठाने के ठेके के सम्बन्ध में जानकारी

110-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम गहरा में पीली मिट्टी उठाने का ठेका उठाया गया है ? यदि हां, तो ठेकेदार कौन है और वर्ष 2008-09 में उक्त पीली बालू के खदान से कितना राजस्व राजकीय कोष में जमा हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि अब यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 को हस्तान्तरित हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में कौन-कौन से भूमि नम्बर पीली बालू खुदान हेतु शेष है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम गहरा में वर्ष 2008-09 में पीली मिट्टी उठाने का कोई ठेका नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के जिला पंचायत कार्यालय में विधि मान्य निविदाओं को निरस्त करने की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

111-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के जिला पंचायत कार्यालय के अध्यक्ष व अधिकारियों द्वारा विधि मान्य निविदाओं को निरस्त करने के विरुद्ध प्रकरण की बिन्दुवार जांच कराने विषयक पत्र दिनांक 8-4-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8-4-08 को शासन के पत्र दिनांक 3-6-08 द्वारा जिलाधिकारी, उन्नाव को भेजा गया। जिलाधिकारी द्वारा पत्र में उल्लिखित निविदा सम्बन्धी शिकायती बिन्दुओं की जांच करायी गयी।

जिला पंचायत उन्नाव द्वारा शासकीय अनुदानों से निर्माण कार्यों हेतु दि0 11-3-08 को निविदायें आमंत्रित की गयी थी। उनमें से जो निविदायें विभागीय दरों पर प्राप्त हुयी थी, उन्हें स्वीकार किया गया। ऐसी निविदायें जो विभागीय दरों से काफी कम दरों पर प्राप्त हुयी थी, उन्हें निरस्त कर दिनांक 27-3-08 को पुनः निविदायें आमंत्रित की गयी। इसमें भी विभागीय दरों पर प्राप्त निविदाओं को स्वीकार किया गया। विभागीय दरों से उच्च दर पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की गयी। निविदा सम्बन्धी प्रक्रिया नियम संगत होने के कारण कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

112-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों का चयन किया गया ? क्या यह भी सही है कि चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य ए0बी0बी0 कम्पनी को दिया गया ? यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा विद्युतीकरण कितने ग्राम, विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित कर विद्युत संचालित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 63 ग्रामों का चयन किया गया था।

जी हां।

मेसर्स ए0बी0बी0 लि0 द्वारा 31 ग्रामों का विद्युतीकरण करके पावर कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर विद्युत संचालित कर दी गई है।

मेसर्स ए0बी0बी0 लि0 द्वारा कार्य छोड़ देने के कारण शेष ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका। अब इन ग्रामों का विद्युतीकरण विभाग द्वारा कराया जाना है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम शिवपुर से मरोई तक अवशेष मार्ग के निर्माण की मांग

113-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर से ग्राम मरोई तक 2 कि0मी0 मार्ग का निर्माण वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ हुआ था, जिसमें 700 मी0 का मार्ग डामरीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो अवशेष मार्ग का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत शिवपुर से ग्राम मरोई तक 1.00 कि0मी0 लेपन कार्य, कार्य योजना वर्ष 2006-07 में स्वीकृत हैं, जिसमें उपलब्ध धनराशि के अनुसार 700 मी0 लेपन कार्य हो चुका है।

राज्य वित्त आयोग अनुदान योजना वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-2010 में अवशेष कार्य जिला पंचायत उन्नाव की कार्य योजना से स्वीकृत नहीं है। अतः कार्य पूर्ण कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के ग्राम सिकन्दरपुर कलां के मैकूदेवी मार्ग पर जर्जर तार व खम्भों की मरम्मत

114-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के अन्तर्गत ब्लाक सिकन्दरपुर कलां के ग्राम सिकन्दरपुर कलां के मैकूदेवी मार्ग से सातन, करोली होते हुए पाही चन्दरपुर तक 11 के0वी0ए0 एच0टी0 विद्युत लाइन द्वारा 25 ग्राम सभाओं व एक

दर्जन अम्बेडकर ग्रामों को विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या यह सही है कि उक्त लाइन के तार व खम्भे जर्जर होने से सदैव विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर खम्भे और तारों को बदलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उक्त ग्रामों में वर्तमान में जर्जर तार एवं खम्भों की मरम्मत कराकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है।

जी हां।

मई-जून,09 में आंधी तूफान आने के कारण टेढ़े/टूटे पोलों को सीधा/बदलवाने एवं टूटे जर्जर तारों को बदलने का कार्य एक माह में पूर्ण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खराब विद्युत ट्रान्सफार्मर को ठीक किये जाने के उपाय

115-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत ट्रान्सफार्मर प्रायः खराब हो जाया करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके समाधान के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

विभाग द्वारा इस दिशा में सतत् उपाय होते रहते हैं वर्तमान में क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ट्रांसफार्मर जल्दी खराब न हो इसलिए समयबद्ध अनुरक्षण किया जाय। इसके अलावा स्टार रेटेड उच्च गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर क्रय किये जा रहे हैं जिससे भविष्य में ट्रांसफार्मर कम खराब हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असेवित ग्रामों की निःशुल्क विद्युतीकरण की व्यवस्था

116-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 में प्रदेश में असेवित ग्रामों की निःशुल्क विद्युतीकरण की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या उसकी रुपरेखा बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है एवं इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, द्वितीय चरण के अन्तर्गत असेवित राजस्व गांव एवं मजरों के विद्युतीकरण की योजना तैयार की जा रही है। भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित ग्रामों एवं मजरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के 33/11 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण

117-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ढखवा विकास खण्ड आसपुर देवसरा, तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में 33 के0वी0ए0 का नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र संचालित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और इससे कौन-कौन से ग्राम जुड़े हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड आसपुर देवसरा तहसील पट्टी में 33/11 के0वी0 का नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र ढकवा दिनांक 01-02-2007 को संचालित कर दिया गया है। इस उपकेन्द्र से कुल 15 ग्राम जुड़े हैं जो निम्नवत् हैं :-

1-ढकवा टाउन,

2-सोनपुरा,

3-देवसरा,

4-नीमा,

5-नगर,

6-छतौना,

7-भैरोगंज,

8-रौजा चन्दौकी,

9-पूरा,

10-इब्राहीमपुर,

11-अतरौरामीरपुर,

12-मंगरौरा,

13-हरिपुरा,

14-रत्तीपुर किलाई,

15-सरायं भिखारी,

16-बनवीरपुर।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु लम्बित आवेदन-पत्र

118-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत दिनांक 31-5-08 तक निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे तथा दिनांक 20 जून, 2008 तक जनपदवार कितने-कितने संयोजन निर्गत किये गये ? सरकार शेष विद्युत कनेक्शन कब तक निर्गत करायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत दिनांक 31-05-08 तक निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु 1423 आवेदन-पत्र लम्बित थे।

दिनांक 20 जून, 2008 तक निर्गत जनपदवार विद्युत संयोजनों का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद	निर्गत किये गये कनेक्शनों की संख्या
बस्ती	24
संतकबीर नगर	06
कुशीनगर	03
इलाहाबाद	77
प्रतापगढ़	24
वाराणसी	100
चन्दौली	05
गाजीपुर	50
जौनपुर	38
मिर्जापुर	57
भदोई (स0र0 नगर)	35
सोनभद्र	83
आजमगढ़	10
मऊ	15
बलिया	44

शेष विद्युत कनेक्शन दिनांक 30-06-09 तक निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद उन्नाव के ग्राम बदरका के श्री इन्द्रमणी मिश्रा के ट्यूबवेल कनेक्शन की स्वीकृति के पश्चात् विद्युत संयोजन की कार्यवाही कराने की मांग

119-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ग्राम बदरका ब्लाक सि0 कलां के निवासी श्री इन्द्र मणी मिश्रा आत्मज श्री सूर्यबली द्वारा अपनी कृषि की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल कनेक्शन की स्वीकृति टी0सी0 नं0 1389 दि0 10-5-95 द्वारा की गई तथा लाभार्थी द्वारा दि0 8-6-95 को पुस्तक संख्या 699646 रसीद सं0 28 के द्वारा रुपये 2731/- जमा कराये गये ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1995 से अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत संयोजन न देने वाले दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा विद्युत संयोजन की कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार अनुबन्ध सम्बन्धी औपचारिकताएं (बी0 एण्ड एल0 फार्म, ट्रेजरी व स्टैम्प) पूर्ण नहीं की गयी है जिसके कारण कनेक्शन देना संभव नहीं हो पाया है।

अनुबन्ध सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त कनेक्शन दे दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया की जांच की मांग

120-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों की निम्न दरों की निविदायें दि0 11-3-08 को निरस्त की गईं और पुनः दि0 27-3-08 को उच्च दरों की निविदायें स्वीकृत की गईं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला पंचायत, उन्नाव में उक्त निविदा प्रक्रिया की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं। जिला पंचायत उन्नाव द्वारा शासकीय अनुदानों से निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 11-3-08 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। उनमें से जो निविदायें विभागीय दरों पर प्राप्त हुयी थीं उन्हें स्वीकार किया गया। ऐसी निविदायें जो विभागीय दरों से काफी कम दरों पर प्राप्त हुयी थीं, उन्हें निरस्त करते हुए दिनांक 27-3-08 को पुनः निविदायें आमंत्रित की गयीं। उनमें से विभागीय दरों पर प्राप्त निविदाओं को स्वीकार किया गया। विभागीय दरों से उच्च दर पर कोई निविदा स्वीकार नही की गयी। निविदा के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, उन्नाव से करायी गयी जिसमें निविदा सम्बन्धी प्रक्रिया नियम संगत पायी गयी। कोई भी विभागीय दर से उच्च दर की निविदा स्वीकृत नहीं की गयी और न ही कोई दोषी पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही

121-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में वर्ष 2007-08 में विधान सभा क्षेत्र हड़हा में ए0बी0बी0 कम्पनी द्वारा कुछ ग्रामों की विद्युत लाइनें खिंचवाई गयी हैं ? क्या उक्त ग्रामों में विद्युत का संचालन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इन मजरों में विद्युत संचालन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में वर्ष 2007-08 में मैसर्स ए0बी0बी0 कम्पनी द्वारा 31 ग्रामों में विद्युत लाइन खिंचवाई गयी थी। उन सभी 31 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करके विद्युत संचालन किया जा चुका है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मजरों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर मजरों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के जिला पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा ब्लाक छपिया के कतिपय ग्रामों में मार्ग का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

122-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-08-08, जो जनपद उन्नाव के जिला पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2007 व 2008 में ब्लाक बिछिया के ग्राम जमुका से ग्राम पथरा मार्ग के निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-8-08 शासन एवं कार्यालय जिला पंचायत, उन्नाव को प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में कैसरबाग से मलिहाबाद तक उप नगरीय बस सेवा में एम0 एस0 टी0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

123-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखनऊ में कैसरबाग से मलिहाबाद तक उप नगरीय बस सेवा चालू की गयी है ? यदि हां, तो कितनी बसें लगाई गई हैं ?

क्या इन बसों पर दैनिक यात्रियों को अर्द्धवार्षिक एम0एस0टी0 की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो एम0एस0टी0 सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जनपद-लखनऊ में कैसरबाग से मलिहाबाद तक उप नगरीय बस सेवा संचालित है।

12 बसें संचालित की जा रही हैं।

दैनिक यात्रियों को अर्द्धवार्षिक एम0एस0टी0 की सुविधा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उद्योग धन्धों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा

124-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उद्योग धन्धों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ? इस नीति के अनुरूप गीडा को जनवरी, 2009 से माहवार अब तक कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्राइमरी उपकेन्द्रों से निकलने वाले स्वतंत्र औद्योगिक पोषकों को अनवरत 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। सेकेण्डरी उपकेन्द्रों से निकलने वाले पोषकों को स्थानीय नगर/क्षेत्र की श्रेणी के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करायी जाती है।

गीडा को जनवरी, 2009 से जून, 2009 तक प्रति माह औसतन निम्नवत् विद्युत आपूर्ति करायी गयी है :--

माह	विद्युत आपूर्ति (घण्टे:मिनट में)
जनवरी, 2009	24:00
फरवरी, 2009	23:42
मार्च, 2009	20:50
अप्रैल, 2009	19:46
मई, 2009	21:40
जून, 2009	22:54

जनपद मैनपुरी के ग्राम टिकसुरी के ब्लाक जागीर के प्रधान द्वारा विकास कार्य हेतु धन का आवंटन

125-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में ग्राम टिकसुरी, ब्लाक जागीर के वर्तमान प्रधान द्वारा वर्ष 2006-07 व नवम्बर, 2008 तक मदवार विकास कार्य हेतु कितना-कितना धन आवंटन किया गया तथा किस-किस मद में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? इसका विवरण क्या है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

प्रश्न में उल्लिखित जनपद मैनपुरी में ग्राम टिकसुरी, ब्लाक जागीर में विगत 2006 से नवम्बर, 2008 तक निम्न मद में आवंटित धनराशि व व्यय विवरण निम्नवत् है :--

योजना/मद का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	योग	व्यय की गयी धनराशि	वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि
नरेगा	01 अप्रैल, 08 से 30 नवम्बर, 08 तक	शून्य	2,50,000.00	2,50,000.00	1,77,000.00	73,000.00
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	2006-07	20,028.00	98,606.00	1,18,634.00	34,298.00	84,336.00
	2007-08	84,336.00	91,251.00	1,75,587.00	1,75,587.00	शून्य
	31 मार्च, 08 के पश्चात् यह योजना समाप्त कर दी गयी					
राज्य वित्त आयोग एवं बारहवां वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि	2006-07	शून्य	87,829.00	87,829.00	59,176.00	28,653.00
	2007-08	28,653.00	1,48,947.00	1,77,600.00	1,40,425.00	37,175.00
	01 अप्रैल, 08 से नवम्बर, 2008 तक	37,175.00	48,110.00	85,285.00	शून्य	85,285.00
स्वच्छता कार्यक्रम	2006-07	शून्य	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
	2007-08	6,000.00	41,500.00	47,500.00	6,000.00	41,500.00
	01 अप्रैल, 08 से नवम्बर, 2008 तक	41,500.00	6,500.00	48,000.00	शून्य	48,000.00

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम शेरपुर चहरपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

126-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम शेरपुर चहरपुर, ब्लाक बेवर में विद्युतीकरण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के कुसमरा व किठाह लिंक रोड पर पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराने की मांग

127-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में कुसमरा व किठाह ब्लाक किशनी लिंक रोड से न0 दिनी ब्लाक किशनी तक वर्तमान में 2 कि0मी0 गिट्टी स्तर तक कार्य पूर्ण है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण पेन्टिंग स्तर तक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद मैनपुरी में कुसमरा व किठाह लिंक रोड नगला दिनी विकास खण्ड किशनी का कार्य नाबार्ड-10 योजना के अन्तर्गत पूर्व में कराया गया हैं यह कार्य 15 कि0मी0 लम्बाई में गिट्टी (सोलिंग स्तर) तक पूर्ण है।

जी हां।

नगला दिनी सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण किये जाने हेतु डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2011-12 (पंचम चरण) के अन्तर्गत 1.50 कि0मी0 लम्बाई हेतु रु0 43.35 लाख प्रस्तावित किया गया है, जिसे वर्ष 2011-2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम लक्ष्मनपुर ब्लाक बेवर में विद्युत उपभोक्ताओं को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत संयोजन के बिल का प्रकरण

128-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम लक्ष्मनपुर, ब्लाक बेवर में वर्ष 2003 से बीरपाल पुत्र मूल चन्द्र, नौरतन पुत्र मिश्रीलाल व राम सनेही पुत्र वीरपाल का बिजली का बिल भेजा जा रहा है, जबकि किसी के यहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर बिजली का बिल माफ करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के ग्राम लक्ष्मनपुर, ब्लाक बेवर में निम्न विद्युत उपभोक्ताओं को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत संयोजन दिनांक 02/1999 को दिये गये थे :--

1-श्री वीरपाल पुत्र मूल चन्द्र क0सं0 1220/200509 माह 12/08 तक बकाया रु0 22903/-

2-श्री नौरतन पुत्र मिश्रीलाल, क0सं0 1220/200508 माह 12/08 तक बकाया रु0 22903/-

3-श्री रामसनेही पुत्र श्री वीरपाल क0सं0 1220/200510 माह 12/08 तक बकाया रु0 22709/-

4-वर्तमान में ग्राम में विद्युत प्रवाह चालू नहीं है। पूर्व में इस ग्राम में लगभग 07-08 वर्ष पहले विद्युत के बिल बकाये पर उक्त उपभोक्ताओं के विद्युत तार तत्कालीन पेट्रोलमैन श्री हवलदार यादव द्वारा उतार ली गयी थी। चूंकि कोई अन्य कनेक्शन इस ग्राम में नहीं थे। इस कारण सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा लाइन नहीं जोड़ी गई।

उक्त उपभोक्ताओं की गलत विद्युत बिल प्राप्त होने की शिकायत पूर्व में विभाग में दर्ज नहीं है। पी0डी0 के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी-द्वितीय द्वारा विद्युत विच्छेदन की तिथि माह 02/2001 भी निर्धारित की जा चुकी है तथा पी0डी0 की राशि रु0 1452/- आयी। शेष धनराशि माफ कर दी गयी है। जो कि निम्न प्रकार से है :--

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम	12/08 तक बकाया	माफ की गयी धनराशि	शेष धनराशि
1	श्री वीरपाल पुत्र मूल चन्द्र	रु0 22903/-	रु0 21541/-	रु0 1452/-
2	श्री नौरतन पुत्र मिश्रीलाल	रु0 22903/-	रु0 21451/-	रु0 1452/-
3	श्री रामसनेही पुत्र वीरपाल	रु0 22709/-	रु0 21257/-	रु0 1452/-

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम टिकसुरी के प्रधान द्वारा गली, खड़न्जा आदि में घटिया सामग्री के उपयोग की जांच

129-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम टिकुसुरी ब्लाक जागीर के वर्तमान प्रधान द्वारा वर्ष 2007 व अक्टूबर, 2008 में नाली, खड़न्जा, आदि में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली खड़न्जों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय समिति से करायी गयी। जांच से कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में ग्रामों का विद्युतीकरण

130-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2008-09 में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है ? क्या सरकार छूटे हुये ग्रामों का भी विद्युतीकरण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2008-09 में घुटारा मासूमपुर मेरा पूर्व छदामी नगला दंडे, नहादिया, पूरनपुर, हुसैनपुर (01968000) नगला बुबिया, हाजीपुर, बरान, छतुरीबरी हुसैनपुर (019487001) आसफपुर, रामनगर हरीनगर मढैया रामपुर सैदपुर नगला जाटवान सकतबेवर नगला मऐया बवली जसवन्तपुर निजामपुर ग्रामों एवं मजरों को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है। इन सभी चयनित ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

जी हां।

छूटे हुए ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर में अवैध लकड़ी कोयला भट्ठियों को बन्द करने की मांग

131-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या वन, जन्तु एवं उद्यान मंत्री को जानकारी है कि जनपद-फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर में वन विभाग के सहयोग से प्रति माह करोड़ों की जंगली लकड़ी कटवाकर लकड़ी कोयला भट्ठी माफियाओं से मिलकर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपदों में चल रही अवैध लकड़ी कोयला भट्ठियों को बन्द करने तथा दोषियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फतेह बहादुर-

जी नहीं, ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के श्री राम वर्मा, मुख्य निबन्धन लिपिक की सेवा मर्जर विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

132-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या संस्थागत वित्त, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-08, जो श्री राम वर्मा, मुख्य निबन्धन लिपिक, ललितपुर के 9

दिनों की सेवा मर्जर विषयक है, प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी")-

जी हां।

श्री वर्मा की 09 दिनों के सेवा व्यवधान को नियमानुसार मर्जित कर दिया है, लेकिन उक्त अवधि का उन्हें वेतन भुगतान न किये जाने के कारण नियमानुसार अर्हकारी सेवा आगणित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

तद्नुसार महानिरीक्षक निबन्धन उ0 प्र0 को शासन के पत्र संख्या-1543/11-5-2008-312(58)/94, दिनांक 09 सितम्बर, 2008 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने एवं पत्र संख्या-333/11-5-2009-312(58)/94, दिनांक 16 जनवरी 2009 द्वारा श्री वर्मा की मूल सेवा पुस्तिका उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

133-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन अर्धनिर्मित अनिर्मित हैं ? क्या सरकार ग्राम पंचायतों की बैठकों एवं अन्य सुविधाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष में शेष ग्राम पंचायतों में भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में आमेलित एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों द्वारा करोड़ों की क्षति पहुंचाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

134-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में आमेलित एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों द्वारा रुपये 29.00 करोड़ की क्षति पहुंचाने विषयक श्री नन्द लाल जायसवाल महामंत्री (ज0सि0ई0) उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 15-4-2009 जो अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 पी0सी0एल0/ उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को श्री नन्दलाल जायसवाल के प्रश्नगत पत्र दिनांक 15-04-09 में उल्लिखित तथ्यों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में खराब ट्रांसफार्मर बदलने की मांग

135-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी न0 दीपा ब्लाक सुल्तानपुर में ट्रांसफार्मर खराब है ? क्या सरकार इसको बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी का नगला दीपा ब्लाक सुल्तानपुर में ट्रांसफार्मर मार्च, 2009 में बदल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्त जिले एवं जनपद मैनपुरी विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

136-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिले विद्युत कटौती से मुक्त हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में निर्धारित घण्टों में विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद-मैनपुरी को विद्युत कटौती से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र को भी विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार्मिक पर्व एवं विशेष आयोजनों पर एवं क्षेत्र पिछड़ेपन के आधार पर अन्य जनपदों को आंशिक रूप से भी समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार विद्युत कटौती से मुक्त किया जाता है।

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत मैनपुरी नगर को प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। जनपद मैनपुरी के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों व तहसील स्तरीय नगरों को प्रतिदिन क्रमशः 14 घण्टे तथा 15 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है परन्तु विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण वर्तमान में मैनपुरी नगर में प्रतिदिन लगभग 15 घण्टे तथा ग्रामीण/तहसील स्तरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 10-11 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराना ही संभव हो पा रहा है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी के कारण विद्युत कटौती से मुक्त कर पाना संभव नहीं है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के गांव व मजरों में विद्युतीकरण की मांग

137-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कितने ग्राम व मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में 14 राजस्व ग्राम एवं 289 मजरे विद्युतीकृत नहीं हैं।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में उक्त राजस्व ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में भोगांव तहसील मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति

138-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में भोगांव तहसील मुख्यालय पर कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश हैं ? क्या निर्धारित अवधि के अनुरूप तहसील मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रदेश में तहसील/ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों में क्रमशः 15/14 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण प्रतिदिन 10-11 घण्टे ही रात्रि व दिन कार्यक्रम के अनुसार अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम छिवकरिया में विद्युतीकरण करने की मांग

139-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम छिवकरिया ब्लाक सुल्तानगंज में विद्युतीकरण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम छिवकरिया, ब्लाक सुल्तानगंज, विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में किया जाना प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धन से सी0 सी0 रोड एवं पुलियों का निर्माण कार्य

140-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा द्वारा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धन से वर्ष 2006-07 में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य न कराये जाने के कारण सी0सी0 रोड पुलिया टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या टूटी सी0सी0 रोड तथा पुलियों की मरम्मत विभाग द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जिला पंचायत बांदा द्वारा राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये प्राप्त धनराशि से 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं, जिनमें 12 परियोजनाएं निरस्त कर दी गयी। शेष 54 परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कराये गये हैं। एक कार्य स्थलीय विवाद के कारण अधूरा है।

सी0 सी0 रोड एवं पुलियों का कार्य मानक के अनुसार कराया गया है। कोई भी सी0सी0 रोड तथा पुलिया क्षतिग्रस्त/टूटी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा व जालौन में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना अन्तर्गत भूमिगत नाली निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

141-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा व जालौन के अन्तर्गत ब्लाक वार वर्ष 2006-07 से अब तक किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत भूमिगत नाली निर्माण हेतु प्रदान की गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानक के अनुसार निर्माण कार्य न होने के कारण कई ग्रामों में नाली खराब हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद बांदा को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 2006-07 में 18.61 लाख व वर्ष 2007-08 में 9.245 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे निम्न ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी है।

1-अरबई (मथनाखेड़ा)	410000.00
2-लुकतरा	570000.00
3-सेमरियाकुशल (बसरेही)	450000.00
4-महोतरा	431000.00
5-नगनेथी	544500.00
6-छिवांब	380000.00

जनपद जालौन में वर्ष 2006-07 में अब तक स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत भूमिगत नाली निर्माण हेतु कुल रु0 6,92,4500.00 की धनराशि 06 विकास खण्डों के 11 ग्राम पंचायतों को आवंटित की गयी है :-

1-धगुवा खुर्द	395000.00
2-सेनई परवई (औरेखी)	281000.00
3-जोल्हूपुर	415000.00
4-इटौरा गुरू	640000.00
5-वारा	671000.00
6-नरी	442215.00
7-सिंगटैली	536670.00
8-विरगुवा (इकहरा)	213615.00
9-अकोड़ी	10,00,000.00
10-राजीपुरा	924000.00
11-राहिया	1466000.00

जनपद बांदा के ग्राम पंचायतों में निर्मित भूमिगत नालियां सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

जनपद जालौन में सभी चयनित ग्राम पंचायतों में भूमिगत नाली का निर्माण मानक के अनुसार कराया गया है। किसी भी ग्राम में नाली खराब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के राज्य वित्त आयोग द्वारा परियोजना हेतु आवंटित धनराशि

142-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में राज्य वित्त आयोग, ग्याहरवां/बारहवां वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2006 से अब तक किन-किन परियोजनाओं को धनराशि प्राप्त हुई है तथा कितनी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है तथा कितनी अधूरी हैं ? क्या सरकार अधूरी परियोजनाओं को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जिला पंचायत बांदा में राज्य वित्त आयोग, ग्यारहवां/बारहवां वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2006 से अब तक कुल 349 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष 293 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। 36 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 18 परियोजनाएं निरस्त की जा चुकी हैं तथा 02 परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

जी हां। अधूरी योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बागपत के ग्राम अंगतपुर में 100 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर के अतिभारित करने की मांग

143-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बागपत को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 974/रालोद/विमदल/वि0स0 दिनांक 16-4-08 को जनपद-बागपत के अंगतपुर ग्राम में तालाब के पास स्थित 100 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर के अतिभारित होने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां

अंगतपुर गांव में तालाब के पास स्थित कथित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक पर कुछ अतिरिक्त संयोजन बढ़ जाने के फलस्वरूप अतिभारित हुए परिवर्तक की क्षमता वृद्धि 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 दिनांक 30-03-09 को कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, फतेहपुर पट्टी की विद्युत रिकवरी स्थगित कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

144-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को भेजे गये प्रश्नकर्ता के पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी-10179291/ पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-179291/2008 जो प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन को दिनांक 22-4-08 को भेजा गया था तथा जिसमें श्री सुरेश चन्द्र निवासी, फतेहपुर पट्टी, जनपद-बागपत की विद्युत रिकवरी स्थगित करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री सुरेश चन्द्र निवासी फतेहपुर पुट्ठी कनेक्शन संख्या-5801/055077 बत्ती पंखा के संयोजन के विरुद्ध माह 10/2008 तक कुल बकाया धनराशि रु0 1160.00 शेष है जिसके विरुद्ध कोई रिकवरी नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है अतः कोई रिकवरी लम्बित नहीं है रिकवरी नोटिस उपभोक्ता के डुप्लीकेट बिल संख्या 5801/37341 के बारे में था जिसे वापस लेकर बिल समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम कन्डेरा के क्षतिग्रस्त विद्युत तार के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

145-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी-10184021 पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम- 184021/2008, दिनांक 3-7-08 जो जनपद बागपत के ग्राम कन्डेरा के क्षतिग्रस्त विद्युत तार आदि के सम्बन्ध में

था, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

कन्डेरा गांव में जर्जर तार बदलने का कार्य दिनांक 23-08-2008 तक पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अधिशासी अभियन्ता (डिजाइन) लखनऊ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक कथित शिकायती-पत्र

146-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में तैनात अधिशासी अभियन्ता (डिजाइन) लखनऊ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 19-7-08 जो मुख्य मंत्री उ0 प्र0 सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0 एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 19-07-2008 द्वारा परियोजनाओं के इंश्योरेंश से सम्बन्धित मांगी गई कुछ सूचनाएं मा0 सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को प्रेषित की जा चुकी हैं एवं शेष सूचनाएं संकलित की जा रही हैं।

मा0 सांसद के प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के परीक्षणोपरान्त जांच का कोई आधार नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम बड़का की विद्युत लाइन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

147-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर सं0-सी-10184020 पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/ एम0/184020/2008, दिनांक 3-7--08 जो जनपद-बापगत के ग्राम बड़का की विद्युत लाइन के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

जनपद बागपत के ग्राम बड़का की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बिजरौल से पोषित है। उपभोक्ता अपने ग्राम की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 बिजरौल से हटाकर 33/11 के00वी0 उपकेन्द्र बड़ौत से जुड़वाना चाहते हैं, परन्तु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बड़ौत वर्तमान में अतिभारित है जिसके कारण ग्राम बड़का की विद्युत आपूर्ति उपकेन्द्र बड़ौत से जोड़ना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

ग्राम बड़का की विद्युत आपूर्ति बड़ौत उपकेन्द्र से जोड़ने के संदर्भ में संज्ञान में लाना है कि बड़ौत टाउन में सभी शहरी पोषक हैं। ग्रामीण पोषक उपलब्ध नहीं हैं, अतः बड़का गांव को बड़ौत से जोड़ना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में राजनैतिक पेंशन प्राप्त शहीदों के आश्रितों का विवरण

148-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में वर्तमान में राजनैतिक पेंशन प्राप्त शहीदों के आश्रितों के नाम व पते क्या हैं ? क्या यह सही है कि शहीद राज कुमार बाघ, ग्राम-सीसोदार, बलिया को सन् 1943 में जिला जेल बलिया में दिन दहाड़े अंग्रेजों ने गोली मार दी थी ? यदि हां, तो क्या अन्य शहीदों की भांति शहीद राज कुमार बाघ के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शहीद राज कुमार बाघ के आश्रितों को भी राजनैतिक पेंशन का लाभ देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया में शहीदों के आश्रितों के रूप मे राजनैतिक पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या 'शून्य' है।

जिला कारागार, बलिया के अभिलेखों से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रकरण "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975" के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है।

जनपद बागपत के ग्राम फतहपुर पुट्टी में दलित बस्ती में ट्रांसफार्मर के अतिभारित होने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

149-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी 10184018, सी0एम0/वि0को0/एम/ 184018/2008, जो जनपद बागपत के ग्राम फतहपुर पुट्टी में दलित बस्ती स्थित 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर के अतिभारित होने के सम्बन्ध में था तथा जो मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को दिनांक 3-7-08 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

दलित बस्ती में स्थित 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर की अतिभारिता समाप्त करने हेतु क्षमता वृद्धि 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 दिनांक 22-07-09 को कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम धनौरा सिल्वर नगर के श्री लाला के मकान के पास स्थित विद्युत परिवर्तक के अतिभारित होने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

150-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या सी-10184019 सी0एम0/वि0को0/ एम-1/184019/2008, जो जनपद बागपत के ग्राम धनौरा सिल्वर नगर के श्री लाला दलित के मकान के पास स्थित विद्युत परिवर्तक के अतिभारित होने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा को दिनांक 03-07-08 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

श्री लाला पुत्र श्री रामचन्द्र दलित के मकान के पास स्थित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक की अतिभारिता दूर करने हेतु एक नग अतिरिक्त 63 केवीए परिवर्तक दिनांक 10-04-09 को लगाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के मुख्य उपनगर छपरौली में प्रतिदिन औसतन विद्युत सप्लाई का विवरण

151-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के मुख्य उप नगर छपरौली में 01-10-07 से 15-9-08 तक प्रतिदिन औसतन कितने घण्टे बिजली दी गई ? क्या यह सही है कि उप नगर छपरौली के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिल शहरी मानकों के आधार पर लिये जा रहे हैं जबकि विद्युत सप्लाई ग्रामीण स्तर की दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थाई रूप से छपरौली कस्बे को डबल ग्रुप/एच0बी0-2 में परिवर्तित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद बागपत के मुख्य उपनगर छपरौली में दिनांक 1-10-07 से 15-09-08 तक प्रतिदिन औसतन 7.06 से 9.05 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी।

उप नगर छपरौली में उपभोक्ताओं से विद्युत बिल विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित लागू दरों के आधार पर लिया जा रहा है।

जी नहीं।

वर्तमान में विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता के दृष्टिगत छपरौली कस्बे की विद्युत आपूर्ति डबल ग्रुप/एच0वी0-2 (जनपद स्तरीय स्तर) में स्थायी रूप से परिवर्तित किया जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। समय-समय पर उपलब्धता के आधार पर व्यवस्था की जाती है।

जनपद बागपत के कतिपय गांवों के विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष ट्रांसफार्मर अतिभारित होने एवं क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग

152-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम लोपन, मलकपुर, फतहपुर, पुट्ठी, धनौरा, सिल्वर नगर, हिल्वाड़ी, लूम्ब, किरदल, जोहड़ी, बरवाला, हेवा बदरखा, सिलाना के आबादी क्षेत्र (टाउन) के ट्रान्सफार्मर्स इन ग्रामों में स्वीकृत विद्युत कनेक्शनों के सापेक्ष अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षमता वृद्धि हेतु ट्रान्सफार्मर्स लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

वर्तमान में जोहडी, बदरखा एवं सिलाना गांव को छोड़कर स्थापित परिवर्तक अतिभारित हैं।

जी हां।

जनपद बागपत के ग्राम लॉयन, मलकपुर, फतेहपुर पुट्ठी, दलित बस्ती, धनौरा सिल्वर नगर, हिल्वाडी, लुम्ब, जौनमाना के ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावृद्धि कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम किरथल एवं पट्टी पुलिया जाट के ट्रांसफार्मर्स की क्षमतावृद्धि दो माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उपकेन्द्र बडावद में अमीरनगर सराय मुख्य मार्ग से गांव फतहपुर पट्टी तक विद्युत लाइन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

153-डा0 अजय तोमर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 461/रालोद/विमदल/वि0स0/08, दिनांक 10-3-08 जो फतहपुर पुट्ठी विद्युत लाइन 33/11 विद्युत उपकेन्द्र बड़ावद से सीधे अमीरनगर सराय मुख्य मार्ग से गांव फतहपुर पुट्ठी तक के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, बागपत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

उक्त कार्य कराने हेतु स्थल का निरीक्षण कराया गया। वर्तमान में लाइन का जुड़वाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम नगला दिलीप में विद्युतीकरण की मांग

154-डा0 आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम न0 दलीप ब्लाक बेवर में क्या सरकार विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

ग्राम नगला दिलीप, विकास खण्ड बेवर, जनपद मैनपुरी का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के उपरान्त उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर चिड़ियाघर/अजायबघर बनाये जाने की मांग

155-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या वन, जन्तु उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में चिड़ियाघर/अजायबघर बनाये जाने के सन्दर्भ में अभी तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ? किन कारणों से इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पाया है ?

श्री स्नेह बहादुर-

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) की स्थापना हेतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु विभागीय प्रतिशपथ-पत्र मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 20-3-2009 को दाखिल कर दिया गया है।

प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित प्राणि-उद्यान के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी।

लखनऊ में कपूरथला चौराहे से विधान सभा मार्ग तक सीधे टैम्पो चलवाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग

156-श्री सुधीर कुमार-

क्या परिहवन मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में कपूरथला चौराहे से विधान सभा मार्ग तक नागरिकों को सीधे टैम्पों की सुविधा न होने के कारण आने जाने में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कपूरथला चौराहे से आई0टी0 चौराहे होते हुए विधान सभा मार्ग तक के लिये टैम्पो चलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

कपूरथला चौराहे से विधान सभा मार्ग तक का कोई टैम्पो-टैक्सी मार्ग निर्धारित नहीं है। कपूरथला से परिवर्तन चौक व परिवर्तन चौक से जनपद (विधायक निवास) के लिए निम्नांकित मार्गों की टैम्पो-टैक्सियों की सेवा है :-

1-अमीनाबाद-आई0टी0आई0 (अलीगंज) वाया स्वास्थ्य भवन-परिवर्तन चौक-आई0टी0 कालेज-रैदास मन्दिर-कपूरथला चौराहा।

2-पराग (एल0डी0ए0)-सदर कैसरबाग-परिवर्तन चौक-आई0टी0-निरालानगर-इंजीनियरिंग कालेज तथा वाया आई0टी0 कपूरथला अलकापुरी होकर भी।

3-चौक-शहीद स्मारक-परिवर्तन चौक-जनपद (विधायक निवास)।

क्रमांक 1 व 2 पर उल्लिखित मार्गों की टैम्पों-टैक्सियों से कपूरथला चौराहा से चलकर परिवर्तन चौक पर आकर चौक-शहीद स्मारक-परिवर्तन चौक-जनपद (विधायक निवास) मार्ग की टैम्पों टैक्सियों से जनपद व विधान सभा आसानी से आया-जाया जा सकता है।

कपूरथला चौराहा व जनपद-विधान सभा काफी व्यस्त मार्ग है जिसकी लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 है। दोनों टरमिनल स्थल काफी भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है। जहां पर टैम्पो/टैक्सियों का पार्किंग स्थल बनाना अथवा जनपद पर टैम्पो/टैक्सियों की संख्या बढ़ाने से ट्रैफिक जाम की समस्यायें आए दिन आयेंगी। वहीं दूसरी ओर उक्त 4 कि0मी0 मार्ग पर सीधी सेवा के लिए टैम्पो-टैक्सियों का संचालन अलाभकारी होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के विद्युत विभाग में मानक के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों के नियुक्ति की कार्यवाही

157-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मैनपुरी में विद्युत विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या क्या मानक से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जनपद मैनपुरी के विद्युत वितरण मण्डल में कर्मचारियों/अधिकारियों की पदधारिता निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0		कर्मचारी	अधिकारी
1	स्वीकृत पद	346	12
2	कार्यरत संख्या	210	07
3	रिक्त पद	136	05

परिचालकीय संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति के स्थान पर विद्युत उपकेन्द्रों/पोषकों के परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव को विद्युत कटौती से मुक्त करने की मांग

158-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में की जा रही विद्युत कटौती से निजात दिलाने हेतु सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

जी हां।

प्रदेश में विद्युत की व्यापक कमी को दूर करने के लिये उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1-नई विद्युत परियोजनाएं लगाना

(अ) उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर निम्नानुसार कार्य किया जा रहा है :-

1-2x250 मेगावाट पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना।

2-2x250 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना।

3-2x250 मेगावाट अनपरा "डी" तापीय विद्युत परियोजना।

(ब) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विद्युत परियोजनाएं प्रस्तावित हैं :-

1-2x500/2x600 मेगावाट ओबरा "सी" विस्तार तापीय विद्युत परियोजना।

2-2x250/1x660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना-फेज (द्वितीय)।

3-1x250 मेगावाट पनकी विस्तार तापीय विद्युत परियोजना।

4-2x660 मेगावाट अनपरा "ई" तापीय विद्युत परियोजना।

(स) इनके अतिरिक्त निम्न विद्युत परियोजनाएं उ0नि0लि0 द्वारा एन0टी0सी0 एवं मेसर्स नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के साथ संयुक्त उपक्रम में प्रस्तावित है :-

1-2x660 मेगावाट मेजा तापीय विद्युत परियोजना (एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में) जिसके लिए संयुक्त उपक्रम कम्पनी की स्थापना की जा चुकी है।

2-2000 मे0वा0 की फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजना मेसर्स नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन के एवं उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में प्रस्तावित है।

(द) निजी क्षेत्र-

1-3x660 मेगावाट प्रयागराज तापीय विद्युत परियोजना, बारा।

2-2x660 मेगावाट संगम तापीय विद्युत परियोजना, करछना।

2-अधिष्ठापित विद्युत गृहों एवं बन्द इकाइयों के जीर्णोद्धार/आर0 एण्ड एम0 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

इन योजनाओं के अन्तर्गत ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह की 50 मे0वा0 की दो इकाइयों का रिफर्विशमेंट कार्य विगत मई, 2009 में पूर्ण किया गया है। ओबरा "ब" ताप विद्युत गृह की 5x200 मेगावाट इकाइयों की रिफर्विशमेंट योजना तथा 3x210 मेगावाट अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह की इकाइयों की आर0 एण्ड एम0 योजना प्रगति पर है।

3-ग्यारहवां एवं बारहवां पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए 25000 मेगावाट का उत्पादन/क्रय प्रस्तावित है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(I) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-1) के आधार पर 5000 मेगावाट विद्युत क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

(II) प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (केस-2) के आधार पर 15000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से निम्नलिखित परियोजनाओं का चिन्हांकन हो चुका है :-

- 4000 मेगावाट ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1320 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना
- 1980 मेगावाट दोपहा तापीय विद्युत परियोजना

शेष 8000 मेगावाट क्षमता के लिए अतिरिक्त परियोजनाओं का चिन्हांकन किया जायेगा।

(III) राज्य सेक्टर में 5000 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें निम्नलिखित दो परियोजनाएं चिन्हित हैं :-

- 2000 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना (नोयडा अथारिटी, ग्रेटर नोयडा अथारिटी, यमुना एक्सप्रेस-वे अथारिटी एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 25-25 प्रतिशत भागीदारी के आधार पर)
- 1320 मेगावाट अनपरा "ई" तापीय विद्युत परियोजना।

शेष 1680 मेगावाट के लिए परियोजनाएं चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत की मांग के सापेक्ष उपर्युक्तानुसार विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होने पर विद्युत कटौती से निजात संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में 440 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर हाउस की स्थापना हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने की मांग

159-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में 440 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर हाउस (टाण्डा एन0टी0पी0सी0) की स्थापना हेतु कृषकों से अर्जित की गई भूमि का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक शासनादेश के अनुसार कितने प्रभावित सदस्यों को नौकरी दी गई ? क्या यह भी सही है कि उक्त थर्मल पावर का पुनः विस्तार करने हेतु किसानों की भूमि अर्जित की जा रही है ? यदि हां, तो ग्राम सलाहपुर रंजऊ व ग्राम हासिमपुर के समस्त विस्थापित होने वाले निवासियों को कहीं बसाया जायेगा और प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

प्रश्नगत योजना हेतु भूमि तत्कालीन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के लिये अधिग्रहीत की गई थी, जिसे बाद में एन0टी0पी0सी0 को हस्तान्तरित कर दिया गया था। अतः प्रतिकर भुगतान की स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप विस्थापित कृषकों में से अर्ह पाये गये 288 कृषकों को सेवायोजित किया जा चुका है।

जी हां।

प्रचलित नियमों के अनुसार पुनर्वासन एवं प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

160 श्री सुन्दर लाल लोधी-

[1ले गुरुवार के अता0प्रश्न सं0-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के परिवहन निगम डिपो के परिचालक स्व0 मो0 फारूख के आश्रित को सेवायोजित किये जाने की मांग

161-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम डिपो, फर्रुखाबाद में कार्यरत परिचालक मो0 फारुख की मृत्यु सेवाकाल के दौरान दिनांक 21-03-08 को हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके पुत्र ने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 25-7-08 को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, फर्रुखाबाद को दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम अचल राजभर-

जी हां।

दिनांक 25-7-2008 को नहीं अपितु स्व0 मो0 फारूख के पुत्र मो0 हनीफ का मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के आशय का पत्र दिनांकित 11-6-2008 क्षेत्रीय प्रबन्धक, इटावा को प्राप्त हुआ जिस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक के पत्र दिनांक 21-7-2008 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 10-1-2009 द्वारा उन्हें (मो0 हनीफ) मेरठ क्षेत्र में परिचालक के

पद पर नियुक्ति दिये जाने का आदेश दिया गया किन्तु मो0 हनीफ द्वारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 संग्राम सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा फाफामऊ इलाहाबाद बाईपास तिराहे पर लगाये जाने की मांग

162-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व विधायक स्व0 संग्राम सिंह, कोडसर, सोरांव, जनपद-इलाहाबाद की प्रतिमा फाफामऊ इलाहाबाद बाईपास तिराहे पर लगाये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिमा कब तक लगवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद की आख्या के अनुसार स्मारक हेतु प्रस्तावित भूमि रेलवे विभाग की सम्पत्ति होने के कारण जिला प्रशासन से अनुमति दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ के नगला रती में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कथित प्रकरण

163-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0आई0डी0सी0 के लिये सरकार द्वारा नगला रती, तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर में किसानों से कितनी एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी ? क्या अधिग्रहण की गई जमीन को उद्योग (औद्योगिक विकास) के लिये आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग के लिये ? यदि नहीं, तो औद्योगिक विकास न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा नगला रती, तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में किसानों की भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्किल रेट तय करने के मानक

164-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्किल रेट तय करने के मानक क्या हैं तथा कितने अंतराल के बाद यह दरें पुनः निर्धारित की जाती है ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"-

उ0 प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली, 1997) के नियम-4 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा भूमि की दरें तय करने के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है :-

1-भूमि का वर्गीकरण।

2-सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता।

3-सड़क, बाजार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री, अस्पताल एवं सरकारी कार्यालयों से सम्बन्धित भूमि की दूरी।

4-सम्बन्धित भूमि की शहरी, अर्द्धशहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में अवस्थित (Location)।

सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में (जहां तक संभव हो माह अगस्त में) दरों का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। परन्तु जिला कलेक्टर स्वयं अथवा लिखित प्रार्थना-पत्र पर इस सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर कि निर्धारित की गयी दरें त्रुटिपूर्ण हैं, उपरोक्त निर्धारित समयावधि के पूर्व भी इसका पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर में उद्योग स्थापित करने पर विचार

165-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सिद्धार्थनगर में कोई उद्योग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में कोई उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रदेव राय यादव-

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 05 वर्षों में 838 लघु उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें 828 लाख का पूंजी निवेश हुआ है।

उपरोक्तानुसार उद्योग स्थापित हैं तथा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उक्त जनपद में भी संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हुए बिना एजेण्डे में नत्थी "ङ" के रूप में "जन-गण-मन" शामिल किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आज की कार्य-सूची के मद संख्या-8 पर जिसमें कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन के सम्मुख रखी जायेंगी। इसमें सिफारिशों की सूचना के लिये नत्थी (ग) इसके दूसरे पृष्ठ पेज नं0-38 पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इसमें कार्यक्रम लिखा गया है 8 व 9 शनिवार, रविवार बैठक नहीं होगी और 10, 11,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

12, 13 बैठक न हो। श्रीमन्, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, कार्य-मंत्रणा समिति के अन्दर जो चर्चा होती है उसकी चर्चा सदन में नहीं की जाती यह परम्परा है और हम उसका उल्लेख यहां करना नहीं चाहते। हम सिर्फ यह उल्लेख करना चाहते हैं कि जितनी सिफारिशें आती हैं कार्य-मंत्रणा समिति की, वह यह आती हैं कि इस दिन यह होगा, इस दिन ऐसा किया जायेगा और न हो क्या उसकी अनुमति सदन से ली जाय। मान्यवर, आपकी कृपा से कार्य-मंत्रणा समिति का सदस्य रहने का सुअवसर मुझे मिला है और आपकी कृपा मुझ पर आज भी है ऐसा कोई प्रस्ताव कार्य-मंत्रणा समिति नहीं करती कि ऐसा हो। दूसरी बात कि अब तक जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें सदन में रखी गयी हैं मैं उन्हीं का उल्लेख करूंगा। उस समिति ने हमेशा जब पहले दिन महामहिम राज्यपाल जी ने इस सत्र का आह्वान किया था और आह्वान पत्र के साथ प्रमुख सचिव महोदय का पत्र जब हमको मिला था तो उस समय से लेकर और अब तक जितने कार्यक्रम मिले हैं उसमें इस सत्र का कार्यक्रम अनन्तिम तौर पर 10, 11, 12, 13 गुरुवार तक शामिल करके प्रकाशित किया गया था। आज तक की कार्य-मंत्रणा में कोई ऐसी सिफारिश आई नहीं इसलिये मान्यवर, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कोई ऐसी परम्परा न डाली जाय जो घातक हो। कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिश है, सदन उसका अनुमोदन करेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह बैठक न हो जैसे प्रस्ताव न कार्य-मंत्रणा समिति ने किये हैं और न मान्यवर, इसके यहां आने की आवश्यकता है। श्रीमन् एक बात और आज इसके नत्थी (ङ) में 'राष्ट्रगान' शामिल कर दिया गया है। यह नहीं भी शामिल होता और अगर प्रस्ताव आता तो 'राष्ट्रगान' हो जाता सदन में, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब तक कार्य-मंत्रणा समिति की ऐसी कोई सिफारिश नहीं हो और उस सिफारिश के बिना 'राष्ट्रगान' शामिल कर दिया जाय तो यह मंशा स्पष्ट है कि कार्य-मंत्रणा बाद में करेगी और छापने वाला काम पहले हो गया यह बड़ा व्यतिक्रम है। इसलिये मान्यवर, मैं इस गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्रीमन्, आपने इस कार्य-मंत्रणा के विषय को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में स्वीकार किया है। मान्यवर, यह विपक्ष आपसे संरक्षण चाहता है। इस सदन की परम्पराओं का पालन करने का कर्तव्य क्या केवल विपक्ष का है। कार्य-मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो यह एक परम्परा है और कार्य-मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आये सदन उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर ले यह एक स्वस्थ संसदीय परम्परा है। लेकिन अगर बहुमत विपक्ष के अधिकारों का हनन करने की नीयत से इस परम्परा का उपयोग करना शुरू कर दे तो क्या हम परम्परा का पालन करें और अपने कत्ल का मुहर स्वीकृति स्वयं दे दें। यह सदन 13 तारीख तक के लिये पहली बार और 4 तारीख को जो एजेन्डा आया था और 4 तारीख की शाम को जब आपने बैठक किया और सुबह जो एजेण्डा आया उसमें भी 13 तारीख तक था। 4 तारीख की शाम को कार्यकारिणी की बैठक करके 7 तारीख को ही सत्र समाप्त हो जाए और 10 विधेयक एक साथ ले लिये जायें, तो मान्यवर, हम 13 तारीख की बात को क्या मानें, उस घोषणा को क्या मानें,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-मंत्रणा समिति के सामने सरकार द्वारा रखे गये प्रस्ताव को क्या मानें ? छल मानें, धोखा मानें या क्या मानें। मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं ताकि परम्पराएं चलें, यह आपका अधिकार भी है और दायित्व भी है और मान्यवर, परम्पराएं तब चलती हैं जब सत्ता दल, बहुमत दल नेकनियति से परम्पराओं के उल्लंघन का अवसर न दे। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज सदन समाप्त हो जाये, इसके लिये सहमत नहीं है लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है, हम परम्पराओं से बंधे हैं, इसलिए हम उसका सम्मान करेंगे। प्रस्ताव आयेगा चूंकि कार्य-मंत्रणा समिति में विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित थे, वे नहीं चाहते थे फिर भी परम्पराओं का आदर करते हुए मौन रहे। मान्यवर, हम यहां पर विरोध दर्ज करा रहे हैं सदन की कार्यवाही को निर्ममता से चलाने के लिए जिसमें सभी मा0 सदस्यों के अपने-अपने क्षेत्रों के विषयों को रखने का अवसर भी छीन लिया जाये, हम इसकी सहमति नहीं देते हैं, हम इसके लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, जब प्रस्ताव लायेंगे तो हम परम्पराओं का निर्वहन करेंगे लेकिन भविष्य में ऐसी परम्पराओं के निर्वहन की गारण्टी हम नहीं देते हैं। मान्यवर, 3 वर्किंग-डे, 3,4 और 7 तारीख में सत्र समाप्त हो जाये, मान्यवर, यह सारे सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में क्या जवाब देंगे। मान्यवर, आज आप जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे जबकि लम्बा-चौड़ा एजेण्डा हमारे सामने है, मान्यवर, इसी को बहुमत की तानाशाही कहा जाता है कि एक तरीके से नियम के अन्तर्गत विपक्ष के बोलने की स्वतंत्रता का हनन करना। मान्यवर, यह हमारी बोलने की स्वतंत्रता का हनन है, हमारे संसदीय अधिकारों का हनन है। इसलिए जो मा0 अम्बिका जी ने कहा है कि बैठक न हो, इसका मतलब है कि सदन अभी निर्णय लेगा और विपक्ष इससे सहमत नहीं है।

मान्यवर, यदि उप चुनाव की बात हो तो आज स्थगित कर दें 19 तारीख को पुनः बुला लीजिये। कम से कम 10 दिन तो सत्र चले जिससे कि विपक्ष अपनी बात तो रख सके। मान्यवर, एक ही दिन में सारे विधेयक ले आये तो आपका भी दायित्व हो जाता है क्योंकि एजेण्डा आप ही लेंगे। मान्यवर, अच्छा होता कि सरकार नीतियों, संसदीय परम्पराओं, विपक्ष के अधिकारों, स्वतंत्रता के अधिकारों का आदर करती लेकिन यह सरकार इनका आदर नहीं कर रही है, यह सरकार सत्र केवल शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये चला रही है। मान्यवर, हम लोगों का संरक्षण करने का अधिकार आपका है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आज शाम से पहले बैठक बुला लें और 18 तारीख के बाद दो-तीन दिन के लिए सदन और बुला लें, यह मेरा आग्रह है अन्यथा इसका हम विरोध करते हैं और भविष्य में हम इस प्रकार की परम्पराओं का पालन नहीं करेंगे यह हमारी घोषणा है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, परम्पराओं की बात मा0 अम्बिका जी ने प्रारम्भ की और मा0 ओम प्रकाश जी ने उसे आगे बढ़ाया, हम इसका हल निकालने के लिए नियमों में आते हैं। संविधान पर आते हैं। मान्यवर, यह नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। यहां जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 बनी है उसका उल्लंघन है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्परायें तो ठीक हैं, वह हम दोनों मिल करके बनायें मगर नियमावली का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नियमावली का उल्लंघन सरकार को तो नहीं करनी चाहिए और अध्यक्ष जी, आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि अगर सरकार नियमावली का उल्लंघन करने लगे तो उस पीठ से नियमों का उल्लंघन न करने का निर्देश दें। मान्यवर, नियमावली का अध्याय-4 और उसके नियम 14 का अवलोकन करने की कृपा करें। उसमें कहा गया है कि 'अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।'

मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि 90 वर्किंग-डे होंगे अर्थात् 90 दिन सदन की बैठकें होंगी। मान्यवर, आय-व्ययक अधिवेशन में जितने कम समय में बजट पास कराया गया वह अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में लिखने लायक है। उस समय कहा गया था कि चुनाव होने वाले हैं और आपकी बात को मान लिया और हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया। उस समय वायदा किया गया था कि बजट पास कर दीजिए उसके बाद हम एक लम्बा सत्र बुला लेंगे। आय-व्ययक अधिवेशन के बाद मानसून सत्र आया है उसमें आप इतना कम समय दे रहे हैं।

नियमावली में यह भी कहा गया है कि यथासंभव दो माह के अंतराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, मैं भी साक्षी हूं और जिस समिति ने यह संशोधन किया है उसका सदस्य रहा हूं। संविधान की अनिवार्यता है कि 5 महीने 29 दिन जैसे ही पूरे होंगे आपको सत्र आहूत करना पड़ेगा और अगर 6 महीने पूरा हो गया और दो सत्रोंके बीच में अंतर रह जायेगा तो वह संविधान की अवहेलना होगी, उल्लंघन होगा। 5 महीने 29 दिन जैसे ही पूरा होगा आपकी मजबूरी है सत्र बुलाना वह आपने बुलाया है, आपकी मजबूरी थी। यह जो यथासंभव दो माह के अंतराल पर यह बाद में जोड़ा गया है, बहुत सी नियमावलियों में यह नहीं छपा है कि 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। इस तरह से वर्ष में 6 बार हो गया, आय-व्ययक सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, इसके अलावा भी 3 सेशन होंगे। पिछले दो-तीन सालों से क्या 10 सालों से देख रहा हूं 3 ही सत्र होते हैं उसके बाद सत्र नहीं होते हैं। पिछले 15 वर्षों से अगर कहेंगे तो बता दूंगा कि कितने-कितने दिन का सत्र हो रहा है। अब तो मुझे कोई मजबूरी नजर नहीं आती, इस समय न चुनाव होने वाले हैं, न ही कोई समस्या है। परम्परा के अनुसार इस पर न तो कभी चर्चा होते सुना न ही चर्चा की। आज चर्चा हो रही है इसलिए मुझे भी चर्चा करने का अवसर मिला है। मान्यवर, अभी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई नहीं है। बैठक 2.30 बजे बुलायी गयी है उस बैठक में तय होगा। परम्पराओं की जो बात मा0 अम्बिका चौधरी जी, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी ने कही उस पर बल देते हुए नियमावली पर आता हूं। अध्यक्ष जी, नियमावली का उल्लंघन होगा और आप खामोशी से बैठे देखते रहेंगे। नियमावली का अनुपालन करना आपकी परम्परा है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप सत्र को स्थगित कर दें। 18 अगस्त को विधान सभा के उप चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे उसके बाद इसे चालू रखिये। उसके बाद आप बुलाइए। दो महीने के अन्तराल में बैठक होगी यह नियमावली में है। इस प्रकार से वर्ष में 6 सत्र होने चाहिए। अगर

6 सत्र न हो तो कम से कम 4-5 सत्र तो हो जाएं। इसी तरह से 90 दिन की सिटिंग न हो सके तो कम से कम 50-60 सिटिंग तो हो जाएं। जितने दिन सत्र चलता है उतने दिन आपस में मौका मिलता है। फिर आप कहेंगे कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग कैसे हो एक ही दिन में बिजली, एक दिन में लोक निर्माण, एक दिन में शिक्षा पर चर्चा हो जाए एक दिन में एक विषय पर तो चर्चा कर सकते हैं अपनी बात कह सकते हैं उसमें जीरो आवर भी आराम से चले। नहीं तो हो क्या रहा है पिछले डेढ़-डेढ़ साल से चर्चा जारी है चर्चा समाप्त नहीं हो पाती है। मैं आपसे नियमावली के संरक्षण की बात कर रहा हूं। कृपया इसे संरक्षण प्रदान करें।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब सारी बात तो आ गयी है।

*श्री कौकब हमीद खां-

यह बात सदन में आने का विषय नहीं थी लेकिन पहली बार इस पर बहस हो रही है। कार्य-मंत्रणा समिति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह की बात होना है यह नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात आती नहीं थी। एक तो गलती है सरकार को यह मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है। दूसरा विषय यह है कि पिछला जो बजट सत्र हुआ था वह 8-10 दिन में खत्म हो गया था वह एक डेढ़ महीने का हुआ करता था तब सारी बातें आ जाया करती थीं। 6 महीने में सत्र बुलाया गया और 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। इस तरह से इस पक्ष के विधायकगण अपनी बातें कैसे रख सकते हैं। मेरी आपसे विनती है कि 19 तारीख के बाद आप दुबारा सत्र बुला लें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी अम्बिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी और कौकब साहब ने जो एक प्रश्न रखा कि जब 13 तारीख तक का कार्यक्रम आया और 4 तारीख की कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं था तो इतनी जल्दी क्या है ? पता नहीं यह सरकार बहस और चर्चाओं से क्यों भागना चाहती है ? जबकि नियमावली में जो अभी प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि 90 दिन बैठकें होनी चाहिए और दो महीने में कम से कम 10 दिन की बैठक होनी चाहिए। बहुत से सदस्यों के मामले हैं चर्चा नहीं हो पा रही है। तीन दिन में कहां तक चर्चा होगी कितनी चर्चा हो सकेगी। विधायकों के बहुत से मामले हैं। रोज बलात्कार भी हो रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग हंस रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग बलात्कार कर रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बहुत सी घटनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

विषय पर आइए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हजारों पुलिस के लोग बलात्कार कर रहे हैं। इसी सदन में मामले उठाये जायेंगे उसी से भागना चाह रहे हैं। इस पर बहस होगी, चर्चा होगी तो तथ्य सामने आयेंगे इसी से बचना चाहते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। प्रदेश में कितनी लूट हो रही है, कैसे खजाने को लूटा जा रहा है यह इसी सत्र में आना है इसी से बचना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सत्र के बारे में बताएं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

13 तारीख तक कम से कम सत्र चलाया जाय। यह पूरे विपक्ष की मांग है और यही हमारी मांग है कि यह सत्र बढ़ाया जाय और चलाया जाय।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अभी एक व्यवस्था नहीं हो पाई, तब तक दूसरी व्यवस्था क्या हो गई ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ बातें अपने समय की कही हैं, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। उनका अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने उन बातों को कहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[×××]

श्री अध्यक्ष-

आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। इसलिये आपकी कोई भी बात नोट नहीं की जाएगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[xxx]

श्री अध्यक्ष-

आपको अनुमति नहीं दी गयी है। बैठिये आप। माननीय मंत्री जी, आप बोलिये। अभी एक व्यवस्था उठी थी, माननीय मंत्री जी उस पर कह रहे थे। तब दूसरी बात आ जायेगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं भी इसी व्यवस्था से सम्बन्धित बात कह रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चौधरी साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति आपकी अध्यक्षता में बैठती है और वो एक निर्णय लेती है और उस निर्णय को विधान सभा में लाया जाता है। मान्यवर, इससे पहले जब कार्य-मंत्रणा समिति बैठी थी तो उसने

नोट :- [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13 अगस्त, 2009 तक का कार्यक्रम अनुमोदित किया था। 4 अगस्त को जब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई तो उसमें जो कार्य अनुमोदित किया उसको सदन में लाया गया। यह पहली बार नहीं है। इस तरह से कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें बार-बार आती हैं और हमेशा आती रही हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है। सदन चलाने से हम भाग नहीं रहे हैं। हम उस तरह के नहीं हैं। अब कुछ नेता हैं, जो बैठक में कुछ बात बोलते हैं और यहां आकर दूसरी बात बोलते हैं। (विपक्ष के माननीय सदस्य कहने लगे कि नाम बताइये-नाम बताइये) अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मान्यवर। स्वयं इस बात का प्रस्ताव रखते हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मान्यवर।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपको नाम बताना पड़ेगा। यह नाम तो बताना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इनको नाम बताना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर तीन पार्टियां हैं। हमारी पार्टी के होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे या कांग्रेस पार्टी के होंगे। तीनों पार्टियों के सदस्यों को इन्होंने संदिग्ध कर दिया। सभी दल इसमें संदिग्ध हो गये। या तो इसे वापस लें या ये स्पष्ट नाम बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

यह तो सभी जानते हैं मान्यवर, जो लोग कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्य हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के खड़े होकर नहीं जानते-नहीं जानते बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये-बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

और मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लाया है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये। गिरि साहब बैठ जाइये। ओम प्रकाश जी बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो मैंने स्वयं देखा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हुकुम सिंह जी कभी ऐसी बात करने वाले नहीं हैं कि जो यहां कुछ बात कहें और वहां कुछ बात कहें। यह स्पष्ट होना चाहिए। यह भाजपा के ऊपर भी आरोप है, सपा के ऊपर भी आरोप है, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप है।

श्री लालजी वर्मा-

अब मान्यवर, ओम प्रकाश जी वरिष्ठ सदस्य होकर बार-बार जिस तरह से टोका-टाकी करते हैं, अब इस तरह का आचरण तो हम नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

टोका-टाकी नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

बार-बार टोका-टाकी। कम से कम मैं बोल रहा हूं, मैं बैठ नहीं रहा हूं। जब मैं नहीं बैठ रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। यह बात उचित नहीं है। आप कुछ बोले, मैंने नहीं बीच में बोला।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, मैं बाद में समय दे देता हूं मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने कोई बात कही तो मैं बीच में कुछ नहीं बोला। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो यह बीच में खड़े हो जा रहे हैं। मान्यवर, इतने वरिष्ठ सदस्यों से हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इस तरह का व्यवहार न करें जैसा मेरा निवेदन है। अब कार्य-मंत्रणा समिति की चर्चा तो मैं यहां रख नहीं सकता हूं और न ही यह परम्परा रही है कार्य-मंत्रणा समिति ने यह प्रस्ताव पास किया और वह प्रस्ताव आपने पहले से बैठक आहूत की थी सभी जो उसके सदस्य हैं उनको आपने सूचना दी थी उस सूचना के आधार पर जिन माननीय सदस्यों ने वहां उपस्थित रहने का काम किया उस स्थिति में क्या चर्चा हुई, कैसे चर्चा हुई, अन्त में पास हुआ और उस पास होने के आधार पर आपने उसे यहां लाने का काम किया है। इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है यह मान्यवर, आपकी अध्यक्षता में स्वयं यह कार्यवाही सम्पन्न हुई है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न या व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य किया जाए। जहां तक सदन चलाने का काम है तो समय-समय पर कुछ परिस्थितियां होती हैं नियमावली में 'यथासम्भव' शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि ऐसा संभव होने पर ऐसा किया जाए और निश्चित रूप से नियमावली का पूरी तरह से पालन किया जाता है लेकिन स्वयं विधान सभा, सदन जो है वह अपने नियमों के लिए स्वयं सर्वोच्च संस्था है और उसमें कभी-कभी नियमों को भी शिथिल करने का प्रस्ताव लाते हैं। उस प्रस्ताव के आधार पर बिना नियमों को शिथिल किये भी सुनते हैं और कभी-कभी नियमों को शिथिल करके भी बहुत सी बातें आप सदन में स्वयं सुनते हैं। इसलिए नियमों को शिथिल करने का भी अधिकार विधान सभा को है। उसी आधार पर यह प्रस्ताव आया है इसमें कोई अनुचित नहीं है और विभिन्न वर्षों का उल्लेख करने का, चूंकि ऐसा प्रश्न उठने की सम्भावना मुझे नहीं थी इसलिये मैंने उसके सम्बन्ध में तो लाने का काम नहीं किया है। लेकिन विभिन्न वर्षों का उदाहरण लें तो ऐसा नहीं है बहुत से समय 'यथासम्भव' के कारण ही ऐसा सम्भव नहीं हुआ है जिसके कारण सदन लम्बे समय तक नहीं चल पाया है आज उसी परिस्थिति में सभी लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए भी, मैं किसी का नाम लेकर मैं इस तरह की बात नहीं लाना चाहता हूं लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है उसमें कहीं से प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

बैठें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, 4 तारीख की जिस बैठक का उल्लेख है। चार तारीख की कार्य-मंत्रणा समिति की उस बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। मैं सिर्फ रिकार्ड के लिए इस बात को कहना चाहता हूं। दूसरी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जो इतने जिम्मेदार हैं कोई आक्षेप लगाने के पहले बहुत गम्भीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके कहे हुए शब्दों के क्या अर्थ होंगे। श्रीमन् अगर आक्षेप लगाये जायेंगे तो आक्षेप का स्पष्टीकरण की स्थिति होनी चाहिए और उस स्थिति में उनको सदन के समक्ष बहुत साफ तौर पर सदन को बताना चाहिए अन्यथा पूरी तौर पर उनको अपना आक्षेप वापस लेना चाहिए। दो में से आप जो आदेश निर्गत करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो बातें कहीं, लेकिन सूचना तो आपने सबको दिया, जब सूचना सबको दी अगर कोई सदस्य नहीं आ रहा है तो वह अपने आप उसका जिम्मेदार हो गया कि मौन सहमति वह मानी जाएगी वह स्वयं उसमें शामिल होकर मौन सहमति देने का काम किया है।

श्री हुकुम सिंह-

हुकुम सिंह जी बैठें अब हो गया।

*श्री हुकुम सिंह-

मेरी मजबूरी है अभी कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर पहली बार ऐसा विषय आया है जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य-मंत्रणा समिति का हवाला देकर एक स्थिति यहां प्रस्तुत करने का प्रयास किया और यह भी आरोप लगाया गया कि वहां कुछ कहते हैं यहां कुछ कहते हैं। अच्छा होता कि इतने अनुभव के बाद में, नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं मान्यवर और दूसरी बात यह है कि मैं अपने साथियों से कुछ विषयों पर असहमत हूं और विषय यह है कि जिन बातों को आप कह रहे हैं तो लोकतांत्रिक परम्पराओं और प्रणाली में विश्वास करने वाली सरकार के बारे में कहना चाहिए था। यहां पर लोकतंत्र बचा कहां है मान्यवर। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है मान्यवर, मैं उसका शीर्ष देना चाहूंगा मान्यवर, आपको टी0 एस0 सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखी है, गर्वमेण्ट नहीं गवर्मिण्ट। लिखा है कि केवल ये संसदीय परम्परा का दिखावा मात्र रह गया है कोई पदधारक चाहे वो मुख्य मंत्री हों या कोई भी हो केवल राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। सदन को विश्वास में लेने में उनको विश्वास नहीं रहा और वही बात उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। डिस्कशन के रूप में आप निश्चित भी कर सकते थे, मेरे लिए उचित नहीं और न मैं इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्परा में विश्वास रखता हूं। मैं काफी लम्बे समय से सदन का सदस्य रहा हूं लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि वहां पर हमने बैठकर एक मत बनाया है। सरकार जारी करना चाहे तो करे। सोचना तो आपको यह चाहिए कि तीन दिन का यह सदन है क्या 17 करोड़ लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर पायेगा, उनकी समस्याओं को समझ पायेगा लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम लोग डिसेंटिव नोट लिखाना शुरू करें तो क्या यह एक स्वस्थ परम्परा होगी। अगर हम लोकतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास करके अपने आप को मौन रखते हैं तो उसका आशय यह नहीं है कि आप हाउस में खड़े होकर उस बात का उल्लेख करें। मान्यवर, वास्तव में आपको संसदीय प्रणाली में विश्वास है, एक सुझाव आया है कि 18 तारीख के बाद पुनः सदन को बुला लीजिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप 18 तारीख के बाद सदन को नहीं बुला सकते। 10 दिन के लिये बैठ लीजिए, विचार कर लीजिए इन बातों पर। पुरानी बातों का उल्लेख करके हम अपनी गलत बातों को सही साबित करने का प्रयास न करें। मान्यवर, हम कोशिश इस बात की करें कि जो वास्तव की दिक्कतें हैं उनको हम दूर करें। मान्यवर, मेरा सुझाव है, हम संसदीय कार्य मंत्री से यह आशा करते हैं आप चुनाव में जाएं खुशी से जाएं, लेकिन चुनाव के बाद 10-15 दिन के लिये सदन को दुबारा बुलाया जाये, ये मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय चौधरी साहब को, नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय ओम प्रकाश जी को, माननीय हुकुम सिंह जी को, माननीय प्रमोद तिवारी जी, कौकब साहब और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, जो भी यहां पर कार्यसूची में कार्य लिये जाते हैं, या सदन में कार्यवाही होना या न होना उसके लिये कार्य-मंत्रणा समिति गठित की गयी है उसमें तय होता है। कुछ माननीय सदस्य समिति के नहीं पहुंच पाते हैं और कुछ लोग पहुंचते हैं मैं निवेदन के साथ चाहूंगा कि जो कार्य-मंत्रणा समिति है, हमारे सम्मानित सदस्यों की जो भावनाएं होती हैं, वह कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक तक ही सीमित रहे, अलग हम उसका उल्लेख न करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी स्वच्छ विचार से खुले दिल से आत्मिक तौर पर उन्होंने कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है और उसका सम्मान है, सभी सदस्यों की बराबर राय होने के बाद ही कार्य-मंत्रणा समिति निर्णय लेती है और आप उसको अनुमोदित करते हैं। सर्वसम्मति से परम्परागत निर्णीत होता है कि अनुमोदन किया जाता है। जहां तक संविधान और नियमावलियों में व्यवस्था है, सदन चलने का समय निर्धारित भी है, बाद में संशोधन हो गया कि 2 माह के बाद भी चले ये परम्पराएं कायम हों। लोकतांत्रिक परम्पराओं के आप, हम और पूरा सदन भी पक्षधर है। कुछ परिस्थितियां सरकार के समक्ष भी हो सकती हैं कि कार्य-मंत्रणा में भी अनुरोध कर लेते हैं या सदन में प्रस्ताव ले आते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी हुआ उसमें न तो किसी को कोई बात कही गयी है, न तो किसी व्यक्ति का नाम है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से भी कहूंगा कि यहां पर किसी के नाम लेने की भी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रेमभाव में उस बात को कहे हैं, कोई आरोप के रूप में नहीं कहा है, इसलिए कार्य-मंत्रणा समिति का आज तक का जो निर्णय लिया गया है, सदन का, उसी

का अनुमोदन कर रहे हैं, और आप सब की भावनाओं के अनुरूप कोशिश भी की जायेगी कि सदन चले और जितना विषय हों आवें। इसके हम पक्षधर हैं। आज जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश है उसमें जो आज तक के लिये अनुमोदन हुआ है उसमें जो सदस्य नहीं आये हैं, मैं उनको नहीं कहता हूं कि वे अनुपस्थित रहे हैं तो उनका मान लिया जाए कि कुछ हो। किसी का नाम भी हम लोग नहीं लेते हैं, प्रेम भाव में संसदीय कार्य मंत्री जी आप लोगों को जो सहयोग दे रहे हैं उससे प्रसन्न, खुश हो करके, प्यार मोहब्बत में हम इस तरह का वातावरण बनाये हैं। इसलिये मैं इस पर गम्भीर हूं, नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा, कार्य-मंत्रणा समिति के आधार पर आज का कार्य निश्चित हुआ है सदन लम्बा चलना चाहिए इससे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का ही लाभ होता है। जितना सदन चलेगा सरकार की भी अच्छी बातें आयेंगी, विपक्ष भी अपनी समस्यायें उठायेगा, हम इसके पक्षधर हैं। अब यह व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया है मैं उसको अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के वर्तमान नियम-59 को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं।

(श्री कैलाश चौरसिया बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री कैलाश चौरसिया-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में लोकार्पण होना था, मार्ग निर्माण कराया, रपटा निर्माण कराया, रातोंरात दूसरे क्षेत्र के विधायक ने लोकार्पण कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

यहां कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ हो तो उसको उठाइये। हम इसको बाद में अलग से सुन लेंगे। एक प्रस्ताव आ रहा है इसको देख लें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के वर्तमान नियम-59 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :--

59-संविधान में जो शब्द "नई सेवा" आया है उसकी कोई अधिकृत (एथारिटेटिव) परिभाषा नहीं है [अनुच्छेद 205(1)(क) देखिये]। तथापि, राज्य लोक लेखा समिति से परामर्श करके एक प्रकार का काम-चलाऊ प्रबन्ध कर लिया गया है जिसके अधीन शब्द "नई सेवा" के अपरिभाषित होने पर भी उसे "नये व्यय" का पर्याय मान लिया गया है। शब्द "नये व्यय" की भी पूर्णरूपेण परिभाषा करना सम्भव नहीं है और वास्तविक व्यवहार में इसके व्यापक अर्थ लगाये जाते हैं जो रूढ़ि सम्मत है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जो व्यय किसी नई योजना पर किसी नई नीति के अपनाने से किसी नई सुविधा की व्यवस्था करने में अथवा किसी वर्तमान सुविधा के प्रकार या प्रसार में बड़ा परिवर्तन करने में होता है उसे सामान्यतया "नया व्यय" माना जायेगा।

कुछ प्रकरणों में उस व्यय वृद्धि को भी "नया व्यय" माना जाता है जो सामान्य विकास (नार्मल ग्रोथ) के कारण या वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण न होकर किसी और कारण से हुई हो या जो किसी वर्तमान योजना अथवा सुविधा के प्रसार या विकास पर की जाय, यदि वह काफी मात्रा में हो।

सामान्य पथ प्रदर्शन के हेतु "नये व्यय" के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-

(1) नई योजनाओं, अधिष्ठानों अथवा उपक्रमों का आरम्भ किया जाना।

स्पष्टीकरण (1) नई योजना के ऐसे मामलों में जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान नया व्यय माना गया हो और उन पर कार्य किया गया हो, तथापि यदि अन्तिम पांच वर्षों के दौरान बजट व्यवस्था न कराई गई हो, "नया व्यय" माना जायेगा।

स्पष्टीकरण (2) जहां किसी वर्तमान सेवा के लिये प्रावधान राजस्व, पूंजी अथवा ऋण सेक्शन के अन्तर्गत कराया गया हो और उसे वर्तमान सेक्शन से किसी अन्य सेक्शन में स्थानान्तरित कर सेवा की प्रकृति में परिवर्तन प्रस्तावित हो, विधान मण्डल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण (3) किसी एक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान सेवा पर व्यय जबकि उसके लिये व्यय के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण उसी सेक्शन के अन्तर्गत भिन्न लेखा शीर्ष के अधीन धनराशि का प्रावधान निहित हो, को बिना विधान मण्डल के पूर्व अनुमोदन अथवा बिना विधान मण्डल को सूचित किये पुनर्विनियोग द्वारा किया जा सकेगा।

(2) छात्रवृत्तियों, छात्र वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों आदि के आच्छादन में वृद्धि और/अथवा दरों में संशोधन, जब अतिरिक्त दायित्व उस योजना हेतु बजट प्रावधान से रुपये 50 लाख अथवा बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो।

(3) नई संस्थाओं को सहायक अनुदान अथवा अनुमोदित मानक्रमों से अधिक सहायता अनुदान देना।

(4) उन ऋणों की माफी या छूट (रेमिशन) जो ऐसी माफियों या छूटों को विनियमित करने वाले वर्तमान नियमों और आदेशों से आच्छादित न हों।

(5) सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्थानीय निकायों, संस्थाओं और निजी संस्थाओं आदि को ऋण अथवा उनमें निवेश सिवाय उस दशा के जिसमें ऐसे ऋण अथवा निवेश वर्तमान नियमों अथवा स्थाई आदेशों से आच्छादित हों।

(6) औजार और संयंत्र (टूल्स एण्ड प्लाण्ट) का क्रय, सिवाय उस दशा के जिसमें लागत किसी स्वीकृत प्रायोजना हेतु व्यवस्थित धनराशि से अथवा यथाविधि गठित अवमूल्यन रक्षित (डेप्रीसिएशन रिजर्व फण्ड) निधि से पूरी की जा रही हो।

(7) उपकरण, वाहन व फर्नीचर का क्रय जहां इन्डिविजुअल आइटम की लागत रुपये एक लाख से अधिक हो।

स्पष्टीकरण–उपकरण, वाहन और फर्नीचर का प्रतिस्थापन "नया व्यय" नहीं माना जायेगा भले ही इण्डिविजुअल आइटम की धनराशि कुछ भी हो।

(8) सरकारी आस्तियों का अन्य संक्रामण/हस्तान्तरण।

स्पष्टीकरण (1) सरकारी आस्तियों के स्थानान्तरण में उनको 36 माह से अधिक के लिये लीज पर दिया जाना सम्मिलित होगा, सिवाय सरकारी कर्मचारियों अथवा अन्यों को वर्तमान नियमों अथवा स्थाई आदेशों के अधीन आवासीय भवनों को लीज पर दिये जाने के मामलों को छोड़कर।

स्पष्टीकरण (2) सरकारी आस्तियों को किसी निजी निकाय अथवा व्यक्ति को रियायती दरों पर लीज पर दिये जाने सम्बन्धी राहत देयों की माफी के बजाय सहायता अनुदान के माध्यम से दी जायेगी।

स्पष्टीकरण (3) सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी/सांविधिक निकाय/समिति को सरकारी आस्तियों के अन्य-संक्रामण सम्बन्धी मामलों की रिपोर्ट अनुपूरक मांगों की अगली किश्त के साथ विधान मण्डल को दी जायेगी।

(9) पूर्व से विद्यमान योजना, अधिष्ठान अथवा उपक्रम का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, आधुनिकीकरण अथवा विस्तार जहां इसकी लागत रुपये 25.00 लाख आवर्तक अथवा रुपये एक करोड़ अनावर्तक से अधिक हो।

स्पष्टीकरण (1) जहां अतिरिक्त आवर्तक व्यय रुपये 1.00 करोड़ अथवा अनावर्तक व्यय रुपये 3.00 करोड़ से अधिक न हो वहां अनुदान में यदि बचतें हैं तो उन्हें पुनर्विनियोग द्वारा संक्रामित करके व्यय किया जा सकेगा, लेकिन यदि अतिरिक्त आवर्तक व्यय रुपये 25.00 लाख से अधिक है अथवा अनावर्तक व्यय रुपये 1.00 करोड़ से अधिक है तो यह विधान मण्डल को सूचित किये जाने के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण (2) कार्य में सामान्य वृद्धि जिसमें नीति का परिवर्तन अथवा नई योजनाओं की स्वीकृति निहित न हो, के लिये अतिरिक्त स्टाफ का सेवायोजन अथवा सेवा की व्यवस्था नये व्यय की मद नहीं मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण (3) गृह विभाग द्वारा अनुमोदित मांग के विरुद्ध शस्त्र एवं गोला बारूद (आर्म्स एण्ड ऐम्युनिशन) के क्रय पर व्यय जहां व्यय बजट प्राविधान के अन्दर हो, को व्यय की नई मद नहीं माना जायेगा। इण्डिविजुअल आइटम का मूल्य कुछ भी हो।

(10) किसी समिति/आयोग का गठन यदि अन्तर्निहित व्यय रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष आवर्तक अथवा रुपये 20 लाख अनावर्तक से अधिक हो सिवाय उस दशा में जिसमें समिति/आयोग सरकार की किसी संविधि (स्टैट्यूट) के अधीन गठित हो।

(11) ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन, जो किसी प्रायोजना अथवा योजना में प्रावधानित न हों तथा जहां व्यय रुपये 10 लाख प्रति वर्ष आवर्तक अथवा रुपये 20 लाख अनावर्तक से अधिक होने का अनुमान हो।

(12) गुप्त सेवा व्यय हेतु कोई नया प्राधिकार अथवा विद्यमान प्राधिकार की राशि में वृद्धि अथवा प्रकृति में परिवर्तन।

(13) किसी विवेकाधीन अनुदान हेतु नया प्राधिकार अथवा विवेकाधीन अनुदान की राशि में वृद्धि।

(14) ऐसी योजनाओं जिनके लिये केन्द्र सरकार, स्वायत्तशासी निकायों आदि से सहायता प्राप्त होती हो, अथवा प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित व्ययों को नया व्यय नहीं माना जायेगा यदि व्यय को बचतों से वहन कर लिया जाय, तथापि आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों के माध्यम से ऐसे मामलों को विशिष्ट रूप से विधान मण्डल के संज्ञान में लाया जायेगा।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो प्रस्ताव आया है इसकी शैली, इसकी भाषा, इसका प्रभाव तीनों को समझने के लिये कुछ समय चाहिए सबको। मान्यवर, यह नीतिगत और संवैधानिक मामला है। संविधान में एक प्रक्रिया है कि अगर आपने ज्यादा खर्च कर भी लिया है जो मद हमने पास की थी यहां से बजट के माध्यम से, अगर उससे एक्सीड हो गया है तो उसके नियमितिकरण की प्रक्रिया निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रक्रिया निर्धारित है। वह प्रकरण ऑडिटर जनरल के माध्यम से आता है और पी0ए0सी0 में पैरा बनता है। पी0ए0सी0 उस पर अपनी रिपोर्ट देती है उसके बाद सदन के माध्यम से उसका सरलीकरण हो जायेगा या समायोजन हो जायेगा। तो मान्यवर, संविधान में जो प्रक्रिया निर्धारित है उस प्रक्रिया के ऊपर भी आप एक प्रस्ताव ले आयेंगे और उसके माध्यम से नई मद और पुरानी मद को परिभाषित करेंगे। मान्यवर, इस प्रस्ताव को अभी तक हम लोग पढ़ भी नहीं पाये हैं जब आपने पढ़ना शुरू किया तो हम तो समझ ही नहीं पाये कि कौन सा प्रस्ताव ला रहे हैं ? मान्यवर, जब आप अपना प्रस्ताव कन्कल्युड करने जा रहे थे तभी इसकी प्रतियां हम लोगों में वितरित की गयीं। यह जो सरकार प्रस्ताव पास कराने जा रही है इसके बाद तो पी0ए0सी0 कमेटी की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी, अनुदानों की मांगों के नियमितीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। बजट प्रक्रिया ही समाप्त हो जायेगी तो फिर विधान मण्डल का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। फिर बजट मांगों पर जो हां और ना कहा जाता है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तक आप सब कुछ शक्ति बल के आधार पर पास कराते आये हैं लेकिन उसका एक सिस्टम है विधान सभा में। अब आप इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं मदों को अलग-अलग परिभाषित करके। मेरा आग्रह है कि इस प्रस्ताव पर मतदान अभी न कराया जाये, अन्य समय पर इसे पुनः लेकर आयें, हमें इसे समझने का मौका दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 205 में इसकी बाबत प्राविधान है। आर्टिकल 205 के अन्तर्गत ही इसको ले जाने का कदाचित् आपका प्रयास रहा होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के इस प्रस्ताव के विरोध मे मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। आवश्यकता इस बात की है कि सदन कोई कृत्य जल्दबाजी में ऐसा न कर दे जो असंवैधानिक हो और हम सब उसमें उपहास का पात्र बन जायें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक सभा में भी चर्चा होती है कि संख्या बल में यह बड़ी विधान सभा है और बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस विधान सभा में इतने ऊंचे मापदण्ड स्थापित किये हैं विधायी कार्यों के सम्बन्ध में कि उसकी देखादेखी अन्य विधान सभायें भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जहां संविधान में एक व्यवस्था है, हमारे यहां की नियमावली में अध्याय 15 मे वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी हुई है। वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया इस अध्याय के नियम 183 से लेकर 196 तक में दी हुई है। यह विषय प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान से कवर नहीं हो रहा है। मैंने सभी नियमों को देखा है पूरा चेप्टर देखा है और अनुच्छेद 205 में जो इसका उल्लेख है उसमें यह कवर नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार ही बजट मैनुअल बनाती है उसको अधिकार है और उसको उसमें संशोधन का भी अधिकार है। इसके लिये नियमों में परिवर्तन के लिये इसे सदन में लाये जाने की कोई बाध्यता भी नहीं है सरकार के सम्मुख। मान्यवर, एक सामान्य सिद्धान्त है कि जो नियम बनाता है उसे उसमें संशोधन का भी अधिकार होता है। बजट मैनुअल बनाने का काम उत्तर प्रदेश विधान सभा का नहीं है। यह काम शासन का है। शासन के प्रत्येक विभाग अपने-अपने मैनुअल बनाते हैं और उसके आधार पर विभिन्न नियमावलियां प्रख्यापित की जाती हैं। मान्यवर, इसे सदन में इस तरह से ले आकर के केवल औपचारिकता पूरी करने से गम्भीर अनियमिततायें हो सकती हैं। एक तो नियमावली में संविधान में इस प्राविधान की आवश्यकता नहीं है, आप गम्भीरता से इसका परीक्षण कर लें। जैसा कि हुकुम सिंह जी ने अभी कहा है कि इसे अभी जल्दबाजी में पारित किया जाना उचित नहीं होगा। इसके किये जाने की आवश्यकता ही है तो इस पर समुचित तरीके से विचार कर लीजिए और उसका प्राविधान आप बता दें हम लोग भी उस पर विचार कर लेंगे और फिर इस पर समुचित चर्चा करके इसको स्वीकार करने पर विचार कर लेंगे। मान्यवर, इस प्रकरण को विधान सभा की पी0ए0सी0 कमेटी के सम्मुख भी लाया गया था, उस पर बैठकें भी हुई, पी0ए0सी0 का इससे कोई मतलब नहीं है। महालेखाकार वहां पर आये थे उन्होंने अपनी राय दी।

मान्यवर, इसमें सबकी विधिक राय यह है कि सरकार इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन उसमें सदन में रखकर पता नहीं किस बात को इसमें शामिल किये जाने की बात है। हम यह बात समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इसको सदन में लाये जाने का औचित्य नहीं है और अगर लाना हो तो इसमें समुचित समय दे दीजिए ताकि हम इस पर प्राविधानों के अन्तर्गत, नियमों और संविधान के अन्तर्गत अपनी राय इस सदन के समक्ष रख सकें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, पहले हमारा जो बजट मैनुअल बना है। वह 1962 या 1965 में बना है। मान्यवर, जब 1961-62 में बजट मैनुअल बना था तो उस समय पूरे प्रदेश का बजट 241.58 करोड़ था। आज हमारे बजट का आकार बढ़ा है और उस बजट के आकार के बढ़ने के कारण और उस समय बजट मैनुअल में इस 59 का प्रवेश हुआ था, लोक लेखा समिति के परामर्श से बजट मैनुअल में उसको लिखा गया है। लोक लेखा समिति के परमर्श से यह संशोधन किया गया है और उसी के सापेक्ष चूंकि हमारा बजट का आकार बना है। हम एक ही विभाग में अलग-अलग इसे विभागीय बजट स्वीकृत करते है या किसी कार्यालय के खर्च का बजट स्वीकृत करते हैं। आज के युग में अगर कम्प्यूटर भी लेना है तो वह 10 हजार से ऊपर का हो जाता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केवल आंशिक संशोधन उसी में है। इस दृष्टि से जो बजट मैनुअल है, जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 205(1)(क) के द्वारा। तो मान्यवर, किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय को चालू या वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गयी है। इसमें परिभाषित है। तो इसलिए यह संशोधन मंत्रि-परिषद् से स्वीकृति के बाद यहां लाया गया है। माननीय चौधरी साहब ने कहा कि माननीय ए0जी0 साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत के संविधान के प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार बजट मैनुअल में संशोधन करने में सक्षम है। यह उन्होंने दिया, मैं इस अनुरोध के साथ चौदहवीं लोक सभा की लोक लेखा समिति वर्ष 2005-06 की 23वां रिपोर्ट जिसमें इस प्रकार के विषय पर निर्णय लिये गये थे, की एक प्रति संलग्न करके भेज रहा हूं। तो मान्यवर, लोक सभा में लोक लेखा समिति के संज्ञान में लाकर वहां यह संशोधन किया गया था। इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। पहले जो व्यवस्था थी और वर्तमान में जो व्यवस्था है इसमें संशोधन किया गया है। मैं समझता हूं कि इसका कदापि कोई माननीय सदस्य विरोध नहीं करेंगे। इससे असहमत नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अनुमति देकर पास कराने की कृपा करें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो बातें जानना चाहता हूं। एक यह कि इसकी तात्कालिकता क्या है और इसकी आज ही अनिवार्यता क्यों है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव लाये है। मान्यवर, प्रस्ताव बड़ा हो या छोटा हो, यह औचित्यपूर्ण नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा। अगर पुराने प्राविधान के हिसाब से किसी चीज पर 10 हजार रुपये खर्च होता है तो आज 2 लाख रुपये उस पर खर्च होते हैं। इसलिए मान्यवर, जो प्रस्ताव लाये हैं हम इसके विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। माननीय नेता सदन, सदन में बैठी हैं उनकी उपस्थिति में एक असंवैधानिक और ऐसा प्रस्ताव आप पारित कर दीजिए जो कानून सम्मत नहीं हो, तो गलती है। इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप विभागीय बैठक करके शासन स्तर पर बजट मैनुअल संशोधित कर लीजिए। कोई इल्लीगलिटी नहीं है। लेकिन जबरदस्ती लाकर सदन में

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्तुत किये जाने का औचित्य नहीं है। इस बजट मैनुअल में संशोधन के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। प्रधान महालेखाकार की भी रिपोर्ट है और कानून भी यही अनुमति देता है, आप शासन में बैठ कर इसको संशोधित कर लीजिए लेकिन जिस तरह से आप यह प्रस्ताव सदन में लेकर आये हैं, संविधान और नियमावली में इसका कोई प्राविधान नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों मान्यवर, गवर्नमेण्ट अपनी बर्किंग में यह बात लेकर आना चाहती है बजट मैनुअल के एक प्राविधान को संशोधन के लिए और दूसरी बात श्रीमन् वह एक बात विस्तार से हो चुकी है लोक लेखा समिति की कार्यवाही में, उसका उल्लेख नहीं करूंगा, आपने उल्लेख कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वहां यह बात यह हो गई है अच्छी तरह से, भलीभांति तय हो गई, सबकी सहमति से तय हो गई कि लोक लेखा समिति के सामने इसको ले आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह प्रॉपर फोरम नहीं था, आप यहां लेकर के आये लेकिन श्रीमन् नियमों का उल्लंघन होगा, संविधान के प्राविधानों के विपरीत होगा और वित्तीय विषयों के सम्बन्ध में जो संविधान और नियमावली कहती है, उसके विपरीत जाने की आवश्यकता नहीं है मैं यह बात कह रहा हूं, इसके बारे में संसदीय कार्य-मंत्री जी कुछ नहीं कहते और संशोधन की आवश्यकता है आप कीजिए हम सहमत है कि आप इस चीज को कीजिए लेकिन, जो उचित है, जहां होना चाहिए वहां कीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, न्याय विभाग ने भी इस पर अपना मत दिया है, नई सेवा संविधान के अनुच्छेद 205(1) से अच्छादित होने के कारण माननीय सदन के क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आती है, यह न्याय विभाग का मत है और उसके कारण लाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं बैठ जाइये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मा0 खन्ना साहब मा0 मंत्री जी ने अभी कहा है कि एक लम्बे समय से 62 की बनी हुई व्यवस्था थी यह अब धीरे-धीरे हमारे एक्सपेण्डीचर बढ़ गए, नेचर बढ़ गये, इसलिए पी0ए0सी0 के सामने भी बात गई, संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है, पी0ए0सी0 ने भी कह दिया, महालेखापरीक्षक की भी रिपोर्ट आ गई कि बना लीजिए, लीगल राय आ गई, उस पर गवर्नमेण्ट प्रस्ताव ला रही है बजट इनके बनेंगें जो, अब थोड़ा फिल्टर करने का प्रयास किया जा रहा है। मा0 मंत्री जी, खन्ना साहब को आप तात्कालिकता बता दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रत्येक दिन जो वित्तीय स्वीकृतियां होती है, बजट मैनुअल के अनुसार होती हैं, इसलिए मान्यवर हर विभाग की जरूरत पड़ती है और उसमें वह परिभाषित नहीं होने के कारण

कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग दो सेक्शन हैं, अलग-अलग राय दे देते हैं, इसलिए उसको व्यवस्थित करके जिससे कोई अलग-अलग ढंग से वित्तीय स्वीकृति जारी होकर कोई ऐसी अनियमितता न हो जाय इस दृष्टि से इसकी तात्कालिकता है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, इसकी तात्कालिकता भी बता दी गई, जरूरत भी बता दी गई, आपको भी मदद करनी चाहिए, लम्बी व्यवस्था रही है बजट मैनुअल में अगर थोड़ा सा संशोधन आज डिफाईन कर रहे हैं, नई सेवाओं का तो कौन फर्क पड़ा जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बहुमत है, पास तो हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

बहुमत का सवाल नहीं है। सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के वर्तमान नियम-59 को संशोधित करते हुये निम्नलिखित रूप से रख दिया जाय :--

59-संविधान में जो शब्द "नई सेवा" आया है उसकी कोई अधिकृत (एथारिटेटिव) परिभाषा नहीं है [अनुच्छेद 205(1)(क) देखिये]।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मुझे तो इसके पीछे मन्शा खराब दिख रही है। इतनी जल्दी में कोई चीज लायी जाय, इतने दिन से सत्र चल रहा है, पहले लाते, हमें समय देते हम डिस्कस कर लेते, इसमें हमें सरकार की मंशा खराब दिख रही है। क्योंकि हम स्पष्ट नहीं हैं, न ही संतुष्ट हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका बहिष्कार करती है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विरोध स्वरूप अपने दल सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

तथापि, राज्य लोक लेखा समिति से परामर्श करके एक प्रकार का काम-चलाऊ प्रबन्ध कर लिया गया है जिसके अधीन शब्द "नई सेवा" के अपरिभाषित होने पर भी उसे "नए व्यय" का पर्याय मान लिया गया है। शब्द "नये व्यय" की भी पूर्णरूपेण परिभाषा करना सम्भव नहीं है और वास्तविक व्यवहार में इसके व्यापक अर्थ लगाये जाते हैं जो रूढ़ि सम्मत है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव बहुत जल्दी में लाया गया है, यह असंवैधानिक है, पूर्ण बहुत के जोर से इसको पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष को इस सदन से हटा कर के यह असंवैधानिक प्रस्ताव पास कराया जा रहा है।

(विरोध स्वरूप नेता विरोधी दल ने भी अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

(लोक दल एवं कांग्रेस के सदस्यों ने भी विरोध स्वरूप सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जो व्यय किसी नई योजना पर किसी नई नीति के अपनाने से किसी नई सुविधा की व्यवस्था करने में अथवा किसी वर्तमान सुविधा के प्रकार या प्रसार में बड़ा परिवर्तन करने में होता है उसे सामान्यतया "नया व्यय" माना जायेगा। कुछ प्रकरणों में उस व्यय वृद्धि को भी "नया व्यय" माना जाता है जो सामान्य विकास (नार्मल ग्रोथ) के कारण या वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण न होकर किसी और कारण से हुई हो या जो किसी वर्तमान योजना अथवा सुविधा के प्रसार या विकास पर की जाय, यदि वह काफी मात्रा में हो।

सामान्य पथ प्रदर्शन के हेतु "नये व्यय" के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है :--

(1) नई योजनाओं, अधिष्ठानों अथवा उपक्रमों का आरम्भ किया जाना।

स्पष्टीकरण-(1) नई योजना के ऐसे मामलों में जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान नया व्यय माना गया हो और उन पर कार्य किया गया हो, तथापि यदि अन्तिम पांच वर्षों के दौरान बजट व्यवस्था न कराई गई हो, "नया व्यय" माना जायेगा।

स्पष्टीकरण-(2) जहां किसी वर्तमान सेवा के लिए प्रावधान राजस्व, पूंजी अथवा ऋण सेक्शन के अन्तर्गत कराया गया हो और उसे वर्तमान सेक्शन से किसी अन्य सेक्शन में स्थानान्तरित कर सेवा की प्रकृति में परिवर्तन प्रस्तावित हो, विधान मण्डल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण (3) किसी एक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्तमान सेवा पर व्यय जबकि उसके लिये व्यय के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण उसी सेक्शन के अन्तर्गत भिन्न लेखा शीर्ष के अधीन धनराशि का प्रावधान निहित हो, को बिना विधान मण्डल के पूर्व अनुमोदन अथवा बिना विधान मण्डल को सूचित किये पुनर्विनियोग द्वारा किया जा सकेगा।

(2) छात्रवृत्तियों, छात्र वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों आदि के आच्छादन में वृद्धि और/अथवा दरों में संशोधन, जब अतिरिक्त दायित्व उस योजना हेतु बजट प्रावधान से रुपये 50 लाख अथवा बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो।

(3) नई संस्थाओं को सहायक अनुदान अथवा अनुमोदित मानक्रमों से अधिक सहायता अनुदान देना।

(4) उन ऋणों की माफी या छूट (रेमिशन) जो ऐसी माफियों या छूटों को विनियमित करने वाले वर्तमान नियमों और आदेशों से आच्छादित न हों।

(5) सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्थानीय निकायों, संस्थाओं और निजी संस्थाओं आदि को ऋण अथवा उनमें निवेश सिवाय उस दशा के जिसमें ऐसे ऋण अथवा निवेश वर्तमान नियमों अथवा स्थाई आदेशों से आच्छादित हों।

(6) औजार और संयंत्र (टूल्स एण्ड प्लाण्ट) का क्रय, सिवाय उस दशा के जिसमें लागत किसी स्वीकृत प्रायोजना हेतु व्यवस्थित धनराशि से अथवा यथाविधि गठित अवमूल्यन रक्षित (डेप्रीसिएशन रिजर्व फण्ड) निधि से पूरी की जा रही हो।

(7) उपकरण, वाहन व फर्नीचर का क्रय जहां इन्डिविजुअल आइटम की लागत रुपये एक लाख से अधिक हो।

स्पष्टीकरण-उपकरण, वाहन और फर्नीचर का प्रतिस्थापन "नया व्यय" नहीं माना जायेगा भले ही इण्डिविजुअल आइटम की धनराशि कुछ भी हो।

(8) सरकारी आस्तियों का अन्य संक्रामण/हस्तान्तरण।

स्पष्टीकरण (1) सरकारी आस्तियों के स्थानान्तरण में उनको 36 माह से अधिक के लिये लीज पर दिया जाना सम्मिलित होगा, सिवाय सरकारी कर्मचारियों अथवा अन्यों को वर्तमान नियमों अथवा स्थाई आदेशों के अधीन आवासीय भवनों को लीज पर दिये जाने के मामलों को छोड़कर।

स्पष्टीकरण (2) सरकारी आस्तियों को किसी निजी निकाय अथवा व्यक्ति को रियायती दरों पर लीज पर दिये जाने सम्बन्धी राहत देयों की माफी के बजाय सहायता अनुदान के माध्यम से दी जायेगी।

स्पष्टीकरण (3) सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी/सांविधिक निकाय/समिति को सरकारी आस्तियों के अन्य-संक्रामण सम्बन्धी मामलों की रिपोर्ट अनुपूरक मांगों की अगली किश्त के साथ विधान मण्डल को दी जायेगी।

(9) पूर्व से विद्यमान योजना, अधिष्ठान अथवा उपक्रम का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन, आधुनिकीकरण अथवा विस्तार जहां इसकी लागत रुपये 25.00 लाख आवर्तक अथवा रुपये एक करोड़ अनावर्तक से अधिक हो।

स्पष्टीकरण (1) जहां अतिरिक्त आवर्तक व्यय रुपये 1.00 करोड़ अथवा अनावर्तक व्यय रुपये 3.00 करोड़ से अधिक न हो वहां अनुदान में यदि बचतें हैं तो उन्हें पुनर्विनियोग द्वारा संक्रामित करके व्यय किया जा सकेगा, लेकिन यदि अतिरिक्त आवर्तक व्यय रुपये 25.00 लाख से अधिक है अथवा अनावर्तक व्यय रुपये 1.00 करोड़ से अधिक है तो यह विधान मण्डल को सूचित किये जाने के अधीन होगा।

स्पष्टीकरण (2) कार्य में सामान्य वृद्धि जिसमें नीति का परिवर्तन अथवा नई योजनाओं की स्वीकृति निहित न हो, के लिये अतिरिक्त स्टाफ का सेवायोजन अथवा सेवा की व्यवस्था नये व्यय की मद नहीं मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण (3) गृह विभाग द्वारा अनुमोदित मांग के विरुद्ध शस्त्र एवं गोला बारूद (आर्म्स एण्ड ऐम्युनिशन) के क्रय पर व्यय जहां व्यय बजट प्राविधान के अन्दर हो, को व्यय की नई मद नहीं माना जायेगा। इण्डिविजुअल आइटम का मूल्य कुछ भी हो।

(10) किसी समिति/आयोग का गठन यदि अन्तर्निहित व्यय रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष आवर्तक अथवा रुपये 20 लाख अनावर्तक से अधिक हो सिवाय उस दशा में जिसमें समिति/आयोग सरकार की किसी संविधि (स्टैट्यूट) के अधीन गठित हो।

(11) ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन, जो किसी प्रायोजना अथवा योजना में प्रावधानित न हों तथा जहां व्यय रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष आवर्तक अथवा रुपये 20 लाख अनावर्तक से अधिक होने का अनुमान हो।

(12) गुप्त सेवा व्यय हेतु कोई नया प्राधिकार अथवा विद्यमान प्राधिकार की राशि में वृद्धि अथवा प्रकृति में परिवर्तन।

(13) किसी विवेकाधीन अनुदान हेतु नया प्राधिकार अथवा विवेकाधीन अनुदान की राशि में वृद्धि।

(14) ऐसी योजनाओं जिनके लिये केन्द्र सरकार, स्वायत्तशासी निकायों आदि से सहायता प्राप्त होती हो, अथवा प्राकृतिक आपदाओं से सम्बन्धित व्ययों को नया व्यय नहीं माना जायेगा यदि व्यय को बचतों से वहन कर लिया जाय, तथापि आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों के माध्यम से ऐसे मामलों को विशिष्ट रूप से विधान मण्डल के संज्ञान में लाया जायेगा।

(सम्पूर्ण विपक्ष की अनुपस्थिति में प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 अगस्त, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 61 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :--

1. श्रीमती विद्या चौधरी,
2. श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
3. डा0 राजेन्द्र सिंह,
4. श्री सुखलाल,
5. श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह,
6. श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह,
7. श्री जगदीश सोनकर
8. श्री सतीश महाना,
9. श्री कैलाश चौरसिया,
10. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
11. श्री राधेश्याम गुप्ता,
12. श्री सलिल विश्नोई,
13. श्री यशपाल सिंह चौहान,
14. श्री कृष्ण गोपाल पटेल,
15. श्री सुरेश्वर सिंह,
16. श्री विजय बहादुर यादव,

17. डा0 कौशल किशोर,
18. श्री दीप नारायण सिंह,
19. श्री अशोक कंसल,
20. श्री संजीव दरियाबादी,
21. श्री बैजनाथ दुबे,
22. श्री लल्लू सिह,
23. श्री यशपाल सिंह चौहान,
24. श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
25. श्री अम्बिका चौधरी,
26. श्री सनातन पाण्डेय,
27. श्री जावेद अंसारी,
28. श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
29. श्री अरविन्द सिंह यादव,
30. श्री अरविन्द गिरि,
31. श्री दीनानाथ कुशवाहा,
32. श्री अमरमणि त्रिपाठी,
33. श्री विश्वनाथ,
34. श्री मदन चौहान,
35. डा0 अनिल चौधरी,
36. चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
37. श्री पूरन प्रकाश,
38. श्री सुल्तान बेग,
39. डा0 अजय तोमर,
40. श्री इरफान सोलंकी,
41. श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
42. श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू,
43. श्री प्रदीप माथुर,
44. श्री अब्दुल वारिस खां,
45. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
46. श्री लालजी यादव,
47. श्री महेश चन्द्र गुप्ता,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

48. श्री उदय राज यादव,

49. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा

50. श्री अनूप कुमार सण्डा।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत गढ़ीपुर मगई नदी पर पैदल पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, आप को अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम गढ़ीपुर मगई नदी पर पैदल पुल न होने के कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे जनता काफी आक्रोश में है पुल का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

अतः आप उक्त पुल ग्राम गढ़ीपुर मगई नदी पर निर्माण हेतु धन सहित स्वीकृत करने की कृपा करें।]

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने एवं कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (जो कि पी0जी0आई0/एम्स के समकक्ष) है जिस कारण यहां कार्यरत डाक्टरों का वेतन भी उसी अनुरूप है जिसमें यह नियम है कि यहां कार्यरत डाक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जिसका हलफनामा मा0 उच्च न्यायालय में सभी ने दिया हैं बावजूद इसके यहां कुछ डाक्टर निजी प्रैक्टिस में लिप्त हैं जिसकी विभागीय/एल0 आई0यू0 रिपोर्ट में दोषी पाये गये हैं।

जानकारी प्राप्त हुई है कि आगामी 10 अगस्त को कार्य परिषद् की बैठक में दोषी पाये गये डाक्टरों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी/पदोन्नति दिया जा रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि दोषी डाक्टरों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों/पदोन्नति नहीं दिया जाये एवं उपरोक्त डाक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद नगर में पुरानी तहसील में पालिटेक्निक कालेज खोले जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

[महोदय, आगरा जनपद का विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व्यवसायिक शिक्षा के हिसाब से बेहद पिछड़ा है फतेहाबाद नगर में पुरानी तहसील परिसर खाली पड़ा है जिसका रकबा 2 एकड़ के करीब है यहां एक पालीटेक्निक कालेज की बड़ी आवश्यकता है।

कृपया संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किश।

जनपद गोण्डा में समूह 'ग' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखलाल-

[माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में विज्ञापन सं0-1095/सात-6/विज्ञप्ति/बैकलॉग/2007-08 दिनांक 19-08-2007 समूह 'ग' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी (वेतनमान 3050-4590) पद हेतु आवेदन मांगा गया था और इस पद हेतु परीक्षा भी दिनांक 23-08-2007 को सम्पन्न हो चुकी है। परन्तु दो वर्ष समाप्त होने के बाद भी अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिससे सभी अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उक्त परीक्षा का रिजल्ट अतिशीघ्र घोषित किये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में कम्पाउण्डरों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं स्टाफ मैनों के खाली पदों को तत्काल भरने तथा जनपद फतेहपुर के खागा एवं बिन्दकी पशु चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत फण्ड को रिलीज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश की ज्वलन्त एवं लोकमहत्व की सूचना देते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में कम्पाउण्डर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं स्टाफ मैनों की कमी होने के कारण सरकारी कार्यों के सम्पादन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों को पशुओं के चिकित्सा कराने हेतु अत्यधिक समय बर्बाद करना पड़ता है। समय से पशुओं का उपचार न होने के कारण पशुओं की अकाल मृत्यु हो जाती हैं नवीन पशु चिकित्सालय खोलते समय भी स्टाफ बढ़ाने की स्वीकृत नहीं दी गयी है। पशु चिकित्सालयों का संचालन पूर्ण रूप से रुक गया है।

साथ ही साथ अवगत कराना है कि खागा तथा बिन्दकी जनपद फतेहपुर पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि जिला योजना से स्वीकृत कर दी गयी है परन्तु फण्ड रिलीज नहीं हो रहा है। खागा एवं बिन्दकी पशु चिकित्सालयों की बिल्डिंग लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी एवं जर्जर हालत में है। किसी भी समय यह इमारत ढह सकती है जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से पशु चिकित्सालयों में कम्पाउण्डरों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं स्टाक मैनों के खाली पदों को तत्काल प्रभाव से भरे जाने तथा खागा एवं बिन्दकी पशु चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत फण्ड को रिलीज कराने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर में रामकोला अन्तर्गत नहरों का पानी टेल से हेड तक पहुंचाये जाने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से रामकोला जनपद कुशीनगर अन्तर्गत नहरों का पानी टेल तक न पहुंचाने के कारण उत्पन्न सिंचाई की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामकोला अन्तर्गत नहरों का पानी टेल से हेड तक नहीं पहुंच रहा है एवं तमाम नहरों में विगत कई माह से पानी आता ही नहीं है। इस समय सूखे के कारण चारों तरफ तबाही मची हुई, फसलें सूख रही हैं। ऐसी हालत में नहरों में पानी न होने से जो थोड़ी बहुत धान दिखाई दे रहे हैं वह भी बर्बादी के कगार पर हैं। पानी न पहुंचने से किसान आन्दोलित एवं आक्रोशित हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नहरों का पानी टेल से हेड तक पहुंचाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के ग्राम सारा जहांगीर में दिनांक 26-4-2009 को छेड़-छाड़ की घटना में मुल्जिमों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश सोनकर--

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 26-4-2009 को सुषमा, ग्राम सारा जहांगीर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर के साथ गांव के लोगों हरिओम तिवारी, दुर्गेश, पप्पू, रिन्कू, पिन्कू, पुत्रगण गौरीशंकर तिवारी द्वारा इनके पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ किया गया जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गयी जिसका एफ0आई0आर0 3-5-09 को 4 बजे सांय थाना सरपताह में किया गया। मुल्जिमानों द्वारा सुषमा को मारकर पैर तोड़ दिया गया सुषमा अनुसूचित जाति की है उसे बार-बार धमकाया भी जा रहा है। इनके साथ कोई भी घटना घटित भी हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल मुल्जिमानों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही किये जाने की कृपा करें जिससे पीड़ित सुषमा के परिवार को न्याय मिल सके।]

जनपद कानपुर नगर में गम्भीर पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए शिवपार्क ओमपुरवा एवं सूतरखाना स्थित ट्यूबवेल को पूरी क्षमता से काम न करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना-

[महोदय, वर्तमान में कानपुर महानगर में शिवपार्क ओम पुरवा एवं सूतरखाना स्थित ट्यूबवेल के पूरी क्षमता से काम न करने के कारण लगभग 40 हजार की आबादी को गम्भीर पेयजल संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस हेतु कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से शिकायत

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किश।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की गयी परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ। बड़ी संख्या में हैण्डपम्प भी खराब है एवं नये हैण्डपम्प भी नहीं लगे। लोग पीने का पानी न मिलने के कारण क्षेत्र को छोड़ने को मजबूर हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कानपुर महानगर की पेयजल समस्या का निदान करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मिर्जापुर के कतिपय विकास खण्डों में दूसरे क्षेत्र के विधायक के लोकार्पण पत्थर हटवाकर क्षेत्रीय विधायक के नाम से बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कैलाश चौरसिया--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र मीरजापुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड सिटी ग्राम-करनपुर, लोहंदी एवं लखमापुर इटवा, अहमलपुर, शोभोपुर एवं चितामनपुर में लोक निर्माण विभाग की मेरे द्वारा सड़कें एवं रपटा का निर्माण कराया गया था। मैंने कई बार पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों के लोकार्पण कराने हेतु लिखित तथा मौखिक कहा लेकिन ध्यान नहीं दिया गया पिछले एक सप्ताह के अन्दर मझवां क्षेत्र के विधायक द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक लोकार्पण के पत्थर लगा दिये गये हैं जिसके कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा जनता आन्दोलित है। किसी भी विधान सभा सदस्य को दूसरे विधान सभा क्षेत्र में लोकार्पण करने का अधिकार नहीं है जिसके लिये पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों से लोकार्पण पत्थर हटवाकर मेरे नाम लोकार्पण बोर्ड लगवाया जाय तथा दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का आदेश प्रदान करे।]

चौदहवीं विधान सभा की तरह 250 हैण्डपम्प नगरीय विधान सभाओं में भी जल निगम द्वारा लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

[मानयवर, 15वीं विधान सभा के गठन से आज तक नगरीय विधान सभाओं में जल निगम द्वारा हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं जिसके कारण आम जनता पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रही है। विधान सभा में पहला मौका है कि विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। बरसात न होने से पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। बरसात न होना साथ में प्रदेश में बिजली न होने के कारण आमजन पानी जैसी वस्तुओं के लिये तरस रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत चौदहवीं विधान सभा का अनुभव है कि सभी विधान मण्डल दल के सदस्यों को प्रत्येक बजट में 200-250 हैण्डपम्प उनकी संस्तुति पर लगाने हेतु दिये जाते रहे हैं। लेकिन इस बार 2.5 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने पर भी हैण्डपम्प नहीं लगा है। विधायकों का अधिकार छीनकर जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। जिसके कारण हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु जिलाधिकारी एवं जल निगम के अधिकारियों के बार-बार चक्कर लगाने पर भी हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे विधायिका की गरिमा का भी अपमान हो रहा है। तत्काल चौदहवीं विधान सभा की तरह 250 हैण्डपम्प विधान मण्डल सदस्यों की संस्तुति पर लगाये जाने चाहिए।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के कतिपय गांव में सिंचाई हेतु नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधेश्याम गुप्ता-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर में वैसे भी सिंचाई की समस्या थी परन्तु वर्तमान वर्ष में सूखे की स्थिति होने के कारण भयंकर सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूप बहुत कम हैं जिसके कारण सिंचाई की समस्या है। किसानों की सिंचाई की समस्या के समाधान के लिये मेरे क्षेत्र में ग्राम रंमवा, कैडेपुर, मलाका, ढकौली, मण्डा सराय, लतीफपुर एवं सोनही आदि ग्रामों में प्रमुख रूप से सिंचाई हेतु कोई साधन नहीं है इसलिये किसानों को सिंचाई के लिये उक्त सभी ग्रामों में नलकूप लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में कम्बल, लोई, शाल पर वाणिज्य कर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ववत 4 प्रतिशत कर देयता का शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सलिल विश्नोई-

[महोदय, जनता एवं व्यापारियों के विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष वैट लागू कर दिया गया था। उस समय प्रदेश सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि वैट लागू करने का उद्देश्य टैक्स की दरों को कम करके जनता को कम मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराना है। वैट अधिनियम के अन्तर्गत टैक्सटाइल्स कर मुक्त है तथा टैक्सटाइल्स मेडअप्स पर 4 प्रतिशत की दर से कर देय है। मिल मेड कम्बल, लोई एवं शाल टैक्सटाइल्स मेडअप्स की श्रेणी में आते हैं। अतः कम्बल, लोई, शाल पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है लेकिन शासन की मंशा के विपरीत कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 के 10 फरवरी, 2009 के एक निर्णय के द्वारा कम्बल, लोई व शाल पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित कर दिया गया जिसके कारण प्रदेश के कम्बल, लोई, शाल व्यवसाय व व्यापारी संकट में आ गये हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कम्बल, लोई, शाल पर वाणिज्य कर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ववत 4 प्रतिशत करदेयता का शासनादेश जारी करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसान मित्रों (ग्राम पंचायतों में कार्यरत) का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[महोदय, आपसे अनुरोध है कि सम्पूर्ण उ0प्र0 में किसान मित्र ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। उ0प्र0 सरकार की तरफ से उन्हें 33 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से 1000/- मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी से एक तिहाई है जिससे किसान मित्रों तथा उनके परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा और जिससे जनता में भारी आक्रोश और जनाक्रोश व्याप्त है। किसान मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की मांगों व समस्याओं पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0प्र0 के नेतृत्व में दिनांक 27 फरवरी, 2009 को श्री शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 के स्तर पर आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ने संवीक्षा/निर्देश दिये, उनका पालन कराना चाहिए।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

महसी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल नानपारा, बहराइच का निजीकरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश्वर सिंह-

[महोदय, महसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली श्रावस्ती किसान सहकारी चीनी मिल के नानपारा, बहराइच का सरकार द्वारा निजीकरण करने का प्रयास चल रहा है।

पूर्व निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान एवं श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक को न देने के कारण सहकारी क्षेत्र में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी चीनी मिलों की स्थापना की गई है। किन्तु निजीकरण, हेतु नियमों में बार-बार शिथिलता बरतने के कारण सरकार सन्देह के घेरे में है। मात्र उत्तर प्रदेश में ही चीनी मिलों के निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

श्रमिको के हितों के संरक्षण हेतु टेण्डर नियम एवं शर्त में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि उनका बी0 आर0 एस0 व ग्रेच्यूटी के पैसे की देनदारी की जिम्मेदारी किस पर होगी, जो कि श्रमिकों के हित के विपरीत है।

अतः निजीकरण प्रक्रिया के पूर्व, कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं रोजगार गारन्टी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय। जिससे श्रमिकों का हित सुरक्षित रहे।

अतः किसान हित, श्रमिक हित में यह आवश्यक हो गया कि विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत नियम-301 के तहत सरकार को सदन में जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा गाहासाड़-कोलिया बन्धों की निविदा एवं रेगुलेटरों के निर्माण की टी0ए0सी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा गाहासाड़-कोलिया बन्धों पर निविदा सूचना संख्या 6/08-09 जिसमें ठेकेदारों द्वारा कम्पीटीशन के रेट डाला गया था। उसको निरस्त कर पुनः निविदा सूचना संख्या 7/08-09 निविदा कराई गई। अधिकारियों एवं ठेकेदारों के मिली भगत से निविदा सूचना संख्या 7/08-09 क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 निविदा के रेट बराबर-बराबर पड़े। जो सरकारी राजस्व की हानि है। कार्य भी मानक के अनुसार नहीं है। रेगुलेटरों का जो भी निर्माण हुआ है वह सही स्थान एवं मानक को पूरा नहीं कर रहे है। मैं यह मांग करता हूं इसकी टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखीमपुर के ग्राम पंचायत कीरतपुर में तुरन्तानाथ मन्दिर/आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर की ग्राम पंचायत कीरतपुर वि0 क्षे0 नकहा में तुरन्तानाथ के नाम से एक मंदिर व आश्रम उल्ल नदी के किनारे बना हुआ है। यह स्थल धार्मिक सदभाव का प्रतीक है इस स्थल पर पर्यटन के दृष्टिकोण से आम जनता श्रद्धालुओं की संख्या में रोज आती है। इस स्थल पर आने-जाने के लिए पहुंच मार्ग कच्चा है। इस स्थल पर यात्रियों के रहने ठहरने के लिए कोई विश्राम गृह नहीं है शुद्ध पेयजल का भी आभाव है तथा सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है।

यह लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या है इसका निराकरण तुरन्त किया जाय।]

जनपद झांसी में सूखे के कारण विगत तीन वर्षों का लगान माफ करने एवं भविष्य में खाद, बीज मुफ्त दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद झांसी में सूखे के कारण किसानों की हालत भुखमरी और कंगाली के हालत से गुजर रहे हैं। इस वर्ष बरसात न होने के कारण खरीफ की फसल लगभग सूख गयी है। जिन किसानों के फसल भी बोये भी है उनके फसल बुरी तरह से नष्ट हो गयी है जिससे किसान की हालत बेहद गम्भीर हो गयी है। किसानों की खरीफ की फसल का सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाय एवं उनका विगत तीन वर्षों का लगान, क्रेडिट कार्ड पर लिया गया पैसा एवं भविष्य में खाद,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बीज मुफ्त दिये जाने की मांग करता हूं। यह जनहित का मामला है क्षेत्रीय जनता से जुड़ा हुआ प्रकरण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय है। सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में सरकुलर रोड से रेशुविहार, परिक्रमा मार्ग अलमासपुर नवीन मण्डी स्थल एवं गांधीनगर के जर्जर मार्ग के निर्माण एवं उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कंसल-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर में सरकुलर रोड से रेशुविहार, परिक्रमा मार्ग, अलमासपुर, नवीन मंडी स्थल एवं गांधी नगर मार्ग बहुत ही खराब हालत में है। जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग के अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मार्ग निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में पम्पसेट पर वैट की दरें 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजीव दरियाबादी-

[उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2008 से पम्पसेट पर वैट की दरें 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दी हैं, इसको कम करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री, संस्थागत वित्त मंत्री तथा प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं आयुक्त वाणिज्यकर को आवेदन-पत्र दिये गये तथा मौखिक रूप से वार्ता की गयी, मगर केवल आश्वासन के आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आपको ज्ञात होगा कि बड़े किसानों के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर कम्पाइन समरसेबिल पम्प सेट आदि पर वैट की दर 4 प्रतिशत है, जबकि छोटे किसानों के उपयोग में आने वाले पम्प सेट पर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वाणिज्यकर आयुक्त ने 18-12-2008 को पम्प सेट को अवर्गीकृत मानकर वैट की दर 12.5 प्रतिशत करके विवाद खड़ा कर दिया है। समाचार पत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 09-02-2009 को स्प्रींकलर सेट पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी है, लेकिन स्प्रींकलर सेट वगैर पम्प सेट (डीजल, केरोसिन, गैस) के तो काम ही नहीं कर सकता है। देश में सभी प्रदेशों में वैट की दरें 4 प्रतिशत से अधिक नहीं है जबकि उ0प्र0 में छोटे किसानों पर 12.5 प्रतिशत कर दी गयी है। प्रदेश सरकार किसानों को सभी सुविधायें प्रदान करने के घोषणा करती है वहीं वैट की दरों में वृद्धि करके किसानों का शोषण करती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आप अवगत होंगे कि केन्द्रीय वैट समिति ने देश भर में पम्प सेटों तथा उनके पुर्जों पर 4 प्रतिशत वैट को ही अनुमोदित किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने 01-01-2008 से जब वैट लागू किया था उस समय वैट की दरें पम्प सेटों व उसके कल पुर्जों पर 4 प्रतिशत निर्धारित की थी परन्तु 09-09-2008 से इसको बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने तथा उन समस्याओं का, जिनका वर्णन हुआ है, सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में बन्द पड़े सरकारी नलकूपों को चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बैजनाथ दुबे-

[महोदय, माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कटरा बाजार, हलधरमऊ, रूपईडीह में लगे सरकारी नलकूप बन्द पड़े हैं। वर्तमान में सूखे की स्थिति है, जिन लोगों ने धान की रोपाई की है, उनका धान सूख रहा है। कई बार व्यक्तिगत व लिखित शिकायत आयुक्त देवीपाटन मण्डल, जिलाधिकारी, गोण्डा, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता विद्युत से कर चुका हूं। कई नलकूप के तार कटे हुए हैं कई नलकूपों के ट्रांसफार्मर जले हुए है तथा कई नलकूपों के लगे खम्भे एक वर्ष पूर्व आये चक्रवात से गिर गये है। नलकूप निर्माण खण्ड-गोण्डा ने भी जिलाधिकारी को कई बार रिपोर्ट भेजी परन्तु अब तक नलकूप ठीक नहीं कराये गये है। इसके अतिरिक्त कई गांवों में एक वर्ष से ट्रांसफार्मर जले है, उन्हें बदला नहीं गया है। इस वर्ष जिले में दो बार चक्रवात आ चुका है। कई गांवों के खम्भे टूट गये है। विद्युत आपूर्ति बाधित है टूटे खम्भे पड़े रहने के कारण विभागीय उदासीनता से तार चोर काट ले गये हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए चर्चा कराये जाने का कष्ट करें।]

जनपद फैजाबाद के ब्लाक रूदौली अन्तर्गत कैथी में घाघरा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद फैजाबाद के ब्लाक रूदौली अन्तर्गत कैथी में घाघरा नदी पर पुल न होने से आवागमन में हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक रूदौली अन्तर्गत कैथी के पास घाघरा नदी पर आवागमन में हो रही परेशानियों के कारण काफी समय से पुल का निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है। यहां पर पुल बन जाने से इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जगदीशपुर, शुकुल बाजार, रूदौली, भेलसर, सुजागंज, गोण्डा आने-जाने में काफी सुविधा हो जायेगी। जनहित में यहां पर पुल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यहां पुल का निर्माण न होने के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों के कारण जनमानस में शासन के प्रति निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कैथी-ब्लाक रूदौली, जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद महामायानगर (हाथरस) के ब्लाक हाथरस के अन्तर्गत खारे पानी से प्रभावित कतिपय क्षेत्रों में पानी की टंकी द्वारा जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री यशपाल सिंह चौहान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद महामायानगर के प्रमुख क्षेत्रों में खारे पानी से उत्पन्न समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनपद महामायानगर (हाथरस) के ब्लाक हाथरस अन्तर्गत मुहब्बतपुरा, केसोपुर, वैनई, चन्दीला, ग्वारऊ, सेखूपुर मदन, गढ़ी सिंघा, बरामई एवं राजनगर ब्लाक हंसायन में बहुत खारा पानी होने के कारण यहा के निवासियों के पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। यहां के निवासियों को पीने के लिए एवं भोजन आदि की व्यवस्था के लिए एक-एक कि0मी0 दूर से पानी लेने जाना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों का पानी मनुष्य तो दूर यदि चिड़िया भी पी लेती है तो मर जाती है। यह क्षेत्र गरीबों एवं अनुसूचित जातियों का क्षेत्र है। कई बार यहां के क्षेत्रवासियों ने इस समस्या की ओर जिला स्तर के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे जनमानस में गम्भीर जीवन संकट बना हुआ है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खारे पानी से प्रभावित उपरोक्त क्षेत्रों में पानी की टंकी द्वारा जलापूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में हो रही भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर मे भारी अनियमितता हो रही है अभी तक तमाम कालेजों का रिजल्ट रूका हुआ है तथा अधूरा भी है। कुछ कालेजों का बी0ए0, बी0एस0सी0 (अंतिम वर्ष) का परीक्षाफल रूका होने के कारण विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए नाको चने चबाना पड़ रहा है। अधूरा परीक्षाफल हेतु विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रांक-पी0-6, पी-7 की आवश्यकता है जो परीक्षा केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा भेजा जाता है परन्तु कृष्णा महाविद्यालय बागेश्वर नगर रोडवेज आजमगढ़ की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परीक्षा 2009 की विद्यार्थियों का उपस्थिति पत्रक परीक्षा केन्द्र आर0बी0एस0 महाविद्यालय शहीद द्वारा, आजमगढ़ द्वारा न तो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया न तो कृष्णा महाविद्यालय को सौंपा जा रहा है। आर0बी0एस0 महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग-अलग धन मांग कर उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। जिस कारण कृष्णा महाविद्यालय का बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का रिजल्ट अपूर्ण व रूका हुआ है। यह समस्त प्रकरण जनहित एवं विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े हुए विषय की तरफ शीर्घ प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला पंचायत, आगरा में सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव पर जिलाधिकारी आगरा द्वारा संविधान के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अम्बिका चौधरी-

[महोदय, आपका ध्यान अति अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिला पंचायत आगरा में सदस्यों की कुल संख्या-42 है और नियमानुसार अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के लिये कम से कम 22 सदस्यों की आवश्यकता है। दिनांक 31 जुलाई, 2009 कथित तौर पर 23 सदस्यों के हस्ताक्षर से अविश्वास का प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष, आगरा के विरुद्ध जिलाधिकारी, आगरा को दिया गया। अगले दिन इस सूची के तीन सदस्यों ने व्यक्तिगत तौर पर जिलाधिकारी के सामने उपस्थित होकर हलफनामा दिया और न उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं और न इसके पक्ष में है। जिलाधिकारी, आगरा ने इसके ऊपर विधिक राय जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल से ली जिन्होंने अपनी विधिक राय में कहा है कि उपरोक्त परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिया जाना चाहिए किन्तु अनुचित राजनैतिक दबाव के कारण जिलाधिकारी आगरा विधि विरुद्ध और संविधान विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय किया है जो पुवावत राज व्यवस्था पर गम्भीर आघात है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

गाजीपुर के क्षेत्रीय यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, घूसखोरी, फर्जी एल0 पी0 सी0 एवं अन्य मामलो में दोषी पाये जाने के बाद भी शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सनातन पाण्डेय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, क्षेत्रीय यूनानी आयुर्वेदिक अधिकारी, गाजीपुर के विरुद्ध घूसखोरी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भ्रष्टाचार, फर्जी एल0पी0सी0 प्रकरण एवं अनुसूचित कर्मी का उत्पीड़न के विरुद्ध जिला अधिकारी, गाजीपुर, आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा जांच की गयी। जिला अधिकारी, गाजीपुर के पत्र-7067/अ0लि0-2008, दिनांक 26-12-2008 एवं 7068/आ0लि0-1/2008 दिनांक 26-12-2008 तथा पत्रांक 149/ओ0गा0/दिनांक 28-5-08 के साथ आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी की जांच रिपोर्ट पत्रांक 1673/17-36(0609) दिनांक 7 फरवरी, 2009 में उपरोक्त आयुर्वेदिक अधिकारी के ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है। परन्तु शासन में पहुंच के कारण कोई भी कार्यवाही इनके विरुद्ध नहीं हो रही है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है जांच रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि कार्यवाही करने में जानबूझ कर शासन बिलम्ब कर रहा हैं और बचाने का कार्य कर रहा है।

अतः इस पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जौनपुर शहर के सुतहटी बाजार स्थित पुराने कुएं की सफाई करते समय जहरीली गैस से मरे पिता एवं पुत्र के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जावेद अंसारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अतिलोक महत्व के विषय की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 20 जुलाई, 2009 को जनपद जौनपुर की सदर तहसील के नदियापार गांव के पिता-पुत्र, जौनपुर शहर के सुतहटी बाजार स्थित एक पुराने कुएं की सफाई करने के लिए बुलाये गये थे। गरीबी की मार झेल रहे परिवार के श्रीनाथ निषाद उम्र 55 वर्ष पुत्र कुमार निषाद तथा पुत्र राजेश उम्र 24 वर्ष पुत्र श्रीनाथ मजदूरी की लालच में वहां गये। सारी सावधानी के बाद पुत्र पहले कुएं में उतरा और चीखने-चिल्लाने लगा। अनहोनी की घटना की आशंका पर पिता उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गया। उतरते ही वह चीखते हुए बचाने की गुहार करने लगा थोड़ी देर बाद दोनों की चीख-पुकार बन्द हो गई। तो कुएं पर मौजूद अन्य लोग चिल्लाने लगे। दोनों पिता पुत्र की कुएं में जहरीली गैस से दर्दनाक मौत हो गयी। मृतकों के शव निकाले गये और पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई। मगर कोई सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी। मृतक श्रीनाथ की 50 वर्षीय विधवा तथा 18 वर्ष का अविवाहित पुत्र है जबकि मृतक राजेश की विधवा पत्नी के पेट में एक बच्चा तथा तीन छोटी बेटियां हैं इनके पास कोई खेती-बारी नहीं है जिससे कि यह अपना जीविकोपार्जन चला सके। यह प्रकरण जनहित का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिये जाने के लिए सरकार से मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद जौनपुर ऐतिहासिक महत्व का है जहां विश्वविद्यालय, कताई मिल समेत उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान भी हैं, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती है। 22 अगस्त, 09 से पवित्र रमजान का महीना प्रारम्भ हो रहा है। जिले में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहुत की जर्जर हो चुकी है, रमजान में प्रातः 3.00 बजे से 6.00 बजे तक सहरी के समय व सायं 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रोजा इफ़्तार व विशेष तरावीह की नमाज का समय होता है। इन समयों में कम से कम जिले के शहरी क्षेत्र, नगर तथा कस्बों में हर हाल में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना अति आवश्यक है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला कारागार फतेहगढ़, जनपद फर्रूखाबाद में बन्दियों को घटिया खाना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरविन्द सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जिला कारागार फतेहगढ़ में बन्द कैदियों को घटिया खाना दिये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। यही नहीं बन्दियों के मुलाकातियों से जेल अधीक्षक व जेलर द्वारा जबरन वसूली की जा रही है, बन्दियों को घटिया खाना दिया जाता है, कोई शिकायत करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जेल के अन्दर बंदियों को दवायें व आदि सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होती है। यह एक बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्री उत्तम कुमार शुक्ला, ग्राम-कुसमौरी, थाना गोला, जनपद खीरी की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरविन्द गिरि-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री उत्तम कुमार शुक्ला पुत्र श्री प्यारे लाल शुक्ला, ग्राम कुसमौरी थाना गोला, जनपद खीरी की हत्या दिनांक 25-5-09 को कर दी गयी। यह हत्या रात्रि लगभग 10.45 बजे अलीगंज लखीमपुर रोड पर फूटाकुआं गांव व दलेल चौराहे के मध्य में हुई। घटना के समय उनकी दुकान पर काम करने वाला उनका साथी रिन्कू सक्सेना उर्फ जय प्रकाश जो उन्हीं के साथ था और वह सुरक्षित है। जब श्री शुक्ला को गोली मारी गयी उस समय रिन्कू साथ में थे और इनके शरीर पर कोई

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खरोंच का निशान नहीं आया इसलिये श्री शुक्ला के परिवार के सदस्यों को सन्देह हो रहा है कि कहीं रिन्कू सक्सेना की मिलीभगत तो नहीं है। स्थानीय पुलिस प्रशासन दबाव बनाकर के श्री सक्सेना से पूछताछ भी नहीं कर रहा है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

अतः इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इस हत्या काण्ड का पर्दाफाश कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में देवरिया-कसया मार्ग पर रेल लाइन के ऊपर उपरिगामी सेतु के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीनानाथ कुशवाहा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर जनपद देवरिया में देवरिया-कसया मार्ग पर रेल लाइन के ऊपर उपरिगामी सेतु वर्ष 2004-05 में बनना शुरू हुआ, उपरिगामी सेतु का काम विगत दो वर्षों से बन्द हैं उक्त पुल पर 53 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है, इस पुल के बन जाने से वाराणसी से कुशीनगर सीधे जुड़ जायेगा। उक्त पुल पर अधिक आवागमन होता है। पुल न बनने से स्थानीय लोगों को भी काफी असुविधा होती है जिससे इन लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बालू, गिट्टी, मौरंग और पत्थर की निकासी के बाद हो रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर, जनपद-महराजगंज के अन्तर्गत बालू, गिट्टी, मोरंग और पत्थर की निकासी की जाती हैं उन व्यापारियों के पास खनिज लाइसेंस न होने के कारण अवैध बालू मोरंग, पत्थर की निकासी करते हैं। जोकि नियमानुसार गलत है। अगर किसी व्यापारी को लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत किया गया है तो खनन के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। इससे वहां व्यक्तियों की क्षति होती है और खनिज विभाग द्वारा गिट्टी मण्डी में केवल एक व्यक्ति श्री मनोज सिंह ग्राम पहुनी थाना सोनौली को ही फार्म सी0 उपलब्ध करा देता है और किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिससे वह मनमाने ढंग से वसूली करते रहते हैं। उक्त फार्म ट्राली वालों से 150 रुपया प्रति ट्राली और ड्रम वालों से 500 रुपया प्रति ट्राली की अवैध वसूली मनोज सिंह द्वारा की जा रही है। इस अवैध वसूली से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसकी जांच कराकर कार्यवाही कराना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अवैध वसूली को रोके जाने के लिये सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण का उल्लंघन एवं धांधली किये जाने की उच्चस्तरीय जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्वनाथ-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण का उल्लंघन किया जा रहा है प्रवेश हेतु जो चयन सूची बनायी गयी है जिसमें अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति , पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में दर्शीत किया गया है तथा आरक्षित श्रेणी में ही प्रवेश दिया गया है जो सामान्य सूची में स्थान पाये हैं उनका चयन आरक्षण कोटे से बाहर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जीव रसायन विज्ञान की मेरिट सूची में निधि यादव एवं ज्योति जायसवाल ने सामान्य सूची में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है परन्तु इनको पिछड़े वर्ग की सूची प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से अनु0 जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल इस बड़े पैमाने पर की जा रही धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल में फैल रही बीमारी से सैकड़ों करोड़ों की हो रही हानि को तत्काल रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरठ मण्डल में गन्ना किसानों की गन्ने की फसल नगदी फसल कहलाती है। आज मूल्य उचित न मिलना, भुगतान समय पर न होना आदि से तंग आकर 20 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन कम हो चुका हैं दूसरी ओर सूखे की मार व गन्ने की फसल में भयंकर बीमारी व्हाइट क्रब व मिल बेग नामक कीड़ों से सैकड़ों करोड़ों की फसल नष्ट हो चुकी है। जनपद गाजियाबाद, गढ़मुक्तेश्वर में भी विशेष तौर से फसल उपरोक्त बीमारी से नष्ट हो रही हैं सरकार व गन्ना विभाग उचित दवाई देने व रोकथाम करने में असमर्थ/असहाय हैं फोरेट नामक दवाई विभाग में उपलब्ध नहीं है। गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर जा रहा है। अतः यह सूचना लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि त्वरित कार्यवाही हो सके।]

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम सुसाइन, करसौरा धनौटी, सरायदाऊद एवं रदोई के क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 अनिल चौधरी-

[जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम सुसाइन से ग्राम बिसावर को जाने वाला ओ0डी0आर0 श्रेणी के मथुरा सादाबाद मार्ग को ओ0डी0आर0 श्रेणी के सादाबाद राया मार्ग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से जोड़ने वाला जनपद के दूरस्थ क्षेत्र के लगभग 50 गांवों को जोड़ने वाला मुख्य एवं बहुउपयोगी मार्ग है।

उपरोक्त मार्ग के आबादी भाग ग्राम सुसाइन, करसौरा धनौटी सरायदाऊद एवं रदोई में पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त है।

इस लगभग 10 कि0मी0 लम्बे बहुउपयोगी मार्ग का चौड़ीकरण कर आबादी भाग में विशेष मरम्मत करने से 50 ग्राम एवं दो जनपदों की आबादी लाभान्वित होगी। उक्त बहुउपयोगी मार्ग के चौड़ीकरण एवं आबादी भाग की विशेष मरम्मत की मांग करता हूं।]

प्रदेश के 100 प्राविधिक इण्टर कालेजों में ट्रेड उपकरण क्रय किये जाने हेतु धन अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की केन्द्र पूरोधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत 04 करोड़ की धनराशि उ0 प्र0 सरकार को दी गई थी। जिसमें 02 करोड़ रुपया भवन निर्माण हेतु एवं 02 करोड़ रुपया ट्रेड उपकरण क्रय हेतु था। जिसमें प्रदेश के 100 इण्टर कालेजों का चयन करके उक्त योजना का संचालन करना था। जिसमें सरकार ने 100 कालेजों का चयन करके भवन निर्माण के लिये 02 करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया गया। उक्त कालेजों में भवन निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है लेकिन ट्रेड उपकरण क्रय हेतु प्रदेश सरकार ने धन अवमुक्त नहीं किया और बल्कि शेष धनराशि 02 करोड़ रुपयों को, जो ट्रेड उपकरण क्रय हेतु हैं, को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पी0एल0ए0 खाते में वर्ष 2002 से रखा हुआ है। उक्त धन की कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा जिन विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है उन्हें यह धनराशि ट्रेड उपकरण क्रय हेतु देनी चाहिए। जिससे विद्यालयों में उसका उपयोग किया जा सके, अन्यथा सरकार को इस धनराशि को भारत सरकार को वापस करना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के प्रश्न पर सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ब्लाकों के ग्रामीण अंचल के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आंकलन के बावजूद विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र के फरह ब्लाक, गोवर्धन ब्लाक एवं मथुरा ब्लाक के ग्रामीण अंचल के 10-10 ग्रामों में विद्युतीकरण के आदेश मा0 मुख्य मंत्री के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं सचिव, ऊर्जा को पिछले वर्ष दिये गये थे जिसकी सूची भी डी0जी0एम0 ग्रामीण विद्युत मथुरा द्वारा एम0डी0 विद्युत आगरा को आंकलन सहित भेजी जा चुकी है। परन्तु आज तक ग्रामीण अंचल के ग्राम अंधेरे में पड़े हुए हैं। जिसके कारण इन ग्रामीण अंचल का एरिया पिछड़ता ही जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के ग्राम सेखवापुर के श्री सुन्दर लाल की नाबालिक पुत्री के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुल्तान बेग-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि श्री सुन्दर लाल पुत्र बंसी रावत निवासी ग्राम सेखवापुर, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी की नाबालिग पुत्र कु0 बेदवती आयु लगभग 13 वर्ष को दिनांक 26-5-2009 को समय करीब 3.30 व 4 बजे शाम को रामू पुत्र श्री महादेव रावत निवासी ग्राम सेखवापुर, थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी बहला-फुसलाकर दवा लेने के बहाने कहीं अपने साथ भगा ले गया है। लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी न तो नाबालिग लड़की और न ही नामजद आरोपी बरामद/गिरफ्तार किये जा सके हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के घर के दबंग लोग जगह-जगह रास्ते में रोककर श्री सुन्दर लाल एवं उनके परिवार के लोगों को जान माल की धमकी दे रहे हैं। जिससे उनका पूरा परिवार भयग्रस्त है और मानसिक तनाव की स्थिति में रह रहे हैं। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। आरोपितों की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं गयी है और न ही कोई कार्यवाही ही की गयी है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जीवन-रेखा पूर्वी यमुना नहर को एक हजार क्यूसिक अतिरिक्त पानी देने तथा उसके रजबहों की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत व गाजियावाद के किसानों की जीवन रेखा पूर्वी यमुना नहर में पिछले 10 से 15 वर्षों से पानी न आने के कारण सिंचाई विभाग उ0 प्र0 ने गंगा का पानी लाने के लिये समानान्तरण देवबन्द चैनल का निर्माण कराया गया है इस समानान्तरण देवबन्द चैनल के द्वारा पूर्वी यमुना नहर को एक हजार 1000 क्यूसेक पानी अतिरिक्त मिलना है, परन्तु समानान्तरण देवबन्द के चैनल के निर्माण के उपरान्त भी इन चारों जनपदों के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है एक तरफ सूखे की स्थिति बनी हुई है दूसरी तरफ बिजली की कमी पूरे प्रदेश में बनी हुई है जनपद बागपत व मुजफ्फरनगर के पूर्वी यमुना नहर के राजवाहों व अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी नहीं हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत व गाजियाबाद के किसानों की फसले सूखे के कारण बर्बाद हो रही हैं किसान फसलें बचाने के लिये पम्पिंग सेट, जेनरेटर आदि से फसलें बचाने को पानी का साधन कर रही है फसलों की लागत मूल्य बढ़ रहा है तथा उत्पादन घटने से किसान भुखमरी के कगार पर हैं किसान धरने प्रदर्शन पर उतारू हैं, लेकिन किसानों को पूर्वी यमुना नहर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के नगर पालिका कटरा बाजार निवासी श्री गुलाम रसूल की पुत्री कु0 सुरैया बानो के लापता होने की नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इरफान सोलंकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश की ज्वलन्त एवं लोकमहत्व की सूचना देते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं-

जनपद गोण्डा के नगर पालिका कटरा बाजार निवासी श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक की पुत्री कु0 सुरैया बानो,मदरसा, कासमिया मेमोरियल स्कूल की छात्रा दिनांक 10-06-2009 से लापता है। इस सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार, जिला गोण्डा में नामजद मुकदमा भी दर्ज है, किन्तु अभी तक न अभियुक्त पकड़े गये और न ही लड़की का कुछ पता चला है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाबालिक लड़की कु0 सुरैया बानो की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं।]

सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के उतरौला घाट पर सिद्धार्थनगर की तरफ मिट्टी का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[महोदय उक्त घाट पर विगत कई वर्ष हुए पुल बनकर तैयार हो गया और उतरौला के तरफ से वहां तक सड़क बनाकर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराई गई परन्तु सिद्धार्थनगर अभी तक किसी प्रकार भी मिट्टी काम नहीं हुआ जिससे आ जा सके उल्लेखनीय है कि उतरौला एक व्यावसायिक केन्द्र है और बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से उतरौला व्यापारिक कार्य से आते जाते हैं इसके न बनने से लोगों में काफी असन्तोष है उल्लेखनीय है कि इसके पहले ही बजट आवंटित कर दिया गया है चूंकि लो0 नि0 वि0 इसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है इसलिये बड़े लागत से बने पुल पर जो टोल टैक्स मिलता जिससे राजस्व में वृद्धि होता वह भी स्थगित है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को तत्काल बनाने को लो0 नि0 वि0 को निर्देश देने का कष्ट करें।]

आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में वर्ष 2008-2009 में बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को फर्जी चेक देने की जांच कराने तथा चेकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सर्वेश कुमार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सगड़ी जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2008-09 में छोटी सरजू व घाघरा नदी में बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बाढ़ राहत का चेक काट कर एस0डी0एम0 सगड़ी द्वारा दिया गया जिसमें ज्यादातर किसान बैंक जब धन लेने गये तो उसको वापस कर दिया गया। इस तरह के किसानों का शोषण किया गया। एस0डी0एम0 द्वारा जानबूझ कर फर्जी चेक काट कर दिये गये जिससे आज तक भुगतान उनका नहीं हुआ है जिससे किसानों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। तत्काल चेकों का भुगतान किया जाना आवश्यक है और इसमें लिप्त अधिकारियों को दण्डित किया जाना भी जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मथुरा की निम्नांकित सड़कें पी0एफ0ए0डी0 स्तर तक पूर्ण हो चुकी हैं किन्तु कई बार लिखने के बाद भी लोक निर्माण विभाग इन पर धन अवमुक्त नहीं कर रहा है जिससे इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। मथुरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल है जहां देश विदेश से लोग आते हैं। यह सड़के ऐसी हैं जिन पर पर्यटक लोग गुजरते हैं। सड़कें न बनी होने से सरकार की आलोचना होती है।

1-बी0एस0ए0 इंजीनियरिंग कालेज से हाईवे तक।

2-नेशनल हाईवे से नगला चन्द्रभान व शिवजी होते हुए औद्योगिक क्षेत्र तक।

3-होटल ब्यूक पैलेस से राधेश्याम कालोनी से रेलवे फाटक तक।

उपरोक्त तीनों ही मार्ग मथुरा शहर के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके अभाव में जनता को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। शासन उत्तर प्रदेश में सड़कों पर काफी धन दे रहा है परन्तु अज्ञात कारणों से मथुरा की इन सड़कों पर जिनके निर्माण की परम आवश्यकता है धन आवंटित नहीं कर रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि शासन को उपरोक्त मार्गों पर तत्काल धन आवंटन के लिये कार्यवाही निवेदित है।]

मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना, परगना व तहसील शामली में चल रही चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण कराने एवं मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुड़ाना परगना व तहसील शामली में विगत 30 वर्षों से चल रही चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। धारा-4(2) का प्रकाशन दिनांक 19-07-79 को हुआ था।

इसके उपरान्त कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 13-10-1993 को हुई जिसके विरुद्ध जिला किसान सभा मुजफ्फरनगर द्वारा वर्ष 1993 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक वाद दायर किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 22-07-1992 को निर्गत चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ के आदेशानुसार की जाये, परन्तु माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

इसके उपरान्त वर्ष 1994 में ग्राम के चकबन्दी अभिलेख चोरी हो गये। जिस कारण महत्वपूर्ण अभिलेख जोत चकबन्दी आकार पत्र-2 क0 11, 23 (1) पुनः निर्मित किये गये, किन्तु पुनः निर्मित अभिलेखों की प्रविष्टियां प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं हुई क्योंकि अभिलेखों पर सक्षम अधिकारियों, कर्मचारियों के सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर का अभाव था। तत्क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आये थे कि ग्राम के भौतिक अभिलेखों एवं स्थल की स्थिति में एकरूपता नहीं थी।

उपरोक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन व अभिलेखों की शुद्धिकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर शासन से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

शाहजहांपुर जिला योजना समिति द्वारा संस्तुत विरासत घाट पर सीढ़ियों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनपद शाहजहांपुर जिला योजना समिति की बैठक मा0 प्रभारी मंत्री श्री अकबर हुसैन की अध्यक्षता में 2008 में सम्पन्न हुई थी जिसमें 2008-09 के जिले के प्रस्ताव संस्तुत होकर शासन में आये। जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों व जिला योजना समिति के सदस्यों की मौजूदगी में जो प्रस्ताव संस्तुत होकर आये हैं उन पर धन अवमुक्त किया जाना चाहिए था परन्तु जिले की सबसे बड़ी बाडी द्वारा संस्तुत होने के बाद भी उसमें धन आवंटित ना किया जाना कहां का न्याय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विसरात घाट पर पुल बना, पर्यटन विभाग से विसरात घाट के टापू पर सीढ़ियों के निर्माण के लिये 38.70 लाख रुपया संस्तुत होकर आया परन्तु आज तक धन नहीं दिया गया। जबकि सीढ़ियां बनना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। बिना सीढ़ियों के अब तक का सब कार्य अधूरा है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिला योजना समिति शाहजहांपुर द्वारा संस्तुत विरासत घाट पर सीढ़ियों के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग धन अवमुक्त करे।]

सिद्धार्थनगर के नगर पालिका बांसी में कामर्शियल एच0बी0-2 द्वारा बिजली का बिल लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी यादव-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पालिका बांसी में (कामर्शियल) एच0बी0-2 बिजली का बिल उपभोक्ताओं से ली जाती है जबकि एच0बी0-1 की सप्लाई नगर पालिका बांसी द्वारा की जाती है। जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। यह प्रकरण जनहित का मामला है और पूरे क्षेत्र एवं शहरी व्यापक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए बिजली की सप्लाई दिये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में 58 जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो गये हैं। जनपद बदायूं प्रशासनिक लापरवाही के कारण अभी तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ है। जबकि विधायक के कोटे इण्डिया मार्का हैण्ड पाइप नहीं दिया गया है। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेती में काफी दिक्कत आ रही है जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के नियम 301 के अन्तर्गत निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ग्वारी रेलवे क्रासिंग के बाद बने गायत्री शक्ति पीठ पुरम् में निर्मित मकानों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयराज यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से प्रदेश की ज्वलन्त एवं लोकमहत्व की सूचना देते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं :-

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर स्थित ग्वारी रेलवे क्रासिंग पर गायत्री शक्तिपीठ पुरम् में निर्मित सैकड़ों मकानों एंव बाउण्डरी युक्त प्लाटों को गोमतीनगर विस्तार योजना से अलग करते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए एवं विकास शुल्क लेकर नियमित किये जाने की कार्यवाही की मांग वहां के अध्यासियों द्वारा विगत 10 वर्षों से की जा रही है किन्तु अभी तक विकास प्राधिकरण द्वारा कोई समुचित उत्तर अध्यासियों को नहीं मिल रहा है। जिसके कारण अध्यासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोमती नगर स्थित ग्वारी रेलवे क्रासिंग के बाद बने गायत्री शक्तिपीठपुरम् में निर्मित मकानों को नियमित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के ग्राम मटौन्ध, दूरेड़ी, पिपरी में चकबन्दी एवं धारा-52 का प्रकाशन कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा में गत कई वर्षो से कई गांव में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। कार्य धीमा होने की वजह से कई गांव का कब्जा परिवर्तन एवं धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जनपद के हजारों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनपद बांदा की तहसील बांदा में ग्राम मटौन्ध, दुरेड़ी, पिपरी आदि गांव की चकबन्दी कई वर्षों से चल रही है ग्राम मटौन्ध एवं दुरेड़ी के आकार पत्र 41 व 45 तैयार करने में देरी की जा रही है। जिससे हजारों किसान परेशान है। इसलिये उक्त गांव का धारा 52 का प्रकाशन कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के विषय पर जनपद बांदा के ग्राम मटौन्ध, दुरेड़ी का धारा 52 का प्रकाशन कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

सुल्तानपुर में विद्युत आपूर्ति में निर्धारित रोस्टर के अतिरिक्त विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप सण्डा-

[मान्यवर, सुल्तानपुर जनपद एवं नगर में विद्युत आपूर्ति की दशा बदहाल है। तमाम जनआन्दोलनों के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। निर्धारित रोस्टर के अतिरिक्त भी मनमानी विद्युत कटौती की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों को मात्र 4 घण्टों की विद्युत आपूर्ति हो रही है। सुल्तानपुर नगर में निर्धारित रोस्टर के अतिरिक्त भी तीन से चार घण्टे बिजली काटी जाती है। विद्युत तारों की हालत जर-जर है, जिसकी वजह से प्रतिदिन तार टूटते हैं और आपूर्ति बाधित होती है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाये ट्रान्सफारमरों पर उनकी क्षमता से ज्यादा भार है। यह आवश्यक है कि नगर क्षेत्र में लगे हुए ट्रांसफारमरों की क्षमता बढ़ाई जाय जिससे विद्युत आपूर्ति सूचारू रूप से हो सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछले पांच वर्षों में जो धनराशि विद्युत तारों के बदलने व ट्रान्सफारमों के अनुरक्षण के नाम पर उपयोग किया गया है। उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। इस भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही आवश्यक है।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें रिपीट होने के कारण अस्वीकार की गयी। उनके नाम हैं:-- श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री उदयभान करवरिया, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री संजय कपूर, श्री भोला पासवान तथा श्री यशपाल सिंह चौहान।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष-

अगर रिपीट नहीं थी तो वह सब स्वीकार कर ली गयी।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी सूचना लिये जाने का अनुरोध करने पर)

अगर रिपीट नहीं होगी तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि उन्हें ले लिया जायेगा। एक सप्ताह के अन्दर फिर यदि वहीं सूचना आई तो वह रिपीट मानी जायेगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07 अगस्त, 2009 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 17 सूचनायें प्राप्त हुईं।

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-91 वि0नि0/38-3-2002-500 (1)/98 (टी0सी0), दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के प्राविधान 3.2 के अनुसार मा0 विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर ही धनराशि स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 2-श्री मदन चौहान की मा0 विधायकों हेतु रेल में यात्रा करने के लिए रेल कूपन सुविधा को तत्काल आरक्षण में भी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ स्थित काशीराम स्मारक स्थल को सौन्दर्यीकरण करने हेतु खोदकर उस पर बने हुए नाले को शिफ्ट करके क्षेत्र के मोहल्लावासियों के मुख्य द्वारों के सामने 11 फीट ऊंची कंकरीट की दीवाल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत प्रश्नों और उन्हें उत्तर हेतु निर्धारित न हो पाने तथा अवकाश के दिनों में निर्धारित प्रश्न, जिनके उत्तर नहीं आ पाते, के लिखित उत्तर मा0 विधायकों को भेजे जाने के सम्बन्ध में, 5-श्री सतीश महाना की मा0 विधायकों की संस्तुति पर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था को वर्तमान में जिला अधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-डा0 राजेन्द्र सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में पेयजल की समस्या के निवारण के सम्बन्ध में, 7-श्री रफी अहमद उस्मानी की सम्पूर्ण प्रदेश सूखा की चपेट में होने से जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड लखीमपुर के ग्राम फतेहपुर सेंधरी में पेयजल इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प 100 मीटर की दूरी पर न लगाकर 20-20 मीटर की दूरी पर लगाये जाने के सम्बन्ध में, 8-श्री कुबेर सिंह की विधान सभा क्षेत्र जलेसर, जनपद एटा में फिरोजाबाद-जलेसर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नंगला सुखदेव सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 9-श्री जावेद अंसारी तथा श्री आरिफ अनवर हाशमी की संविधान के अनुच्छेद 168 तथा उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-9 के अन्तर्गत विधान सभा में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में इन सभी सूचनाओं को सुना जायेगा। 10-श्री उदयभान करवरिया की शिक्षा के गुणवत्ता तथा मानक का पालन न होने के सम्बन्ध में, 11-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की विद्युतीकरण, तार बदलने, खम्भे लगाने, ट्रांसफार्मर बदलने के सम्बन्ध में, 12-श्री सुन्दर लाल लोधी की विधायकों का वेतन एक रुपये किये जाने या बढ़ाने के सम्बन्ध में, 13-श्री प्रमोद तिवारी की मंत्रियों को स्थानान्तरण का अधिकार न होने के सम्बन्ध में, 14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में, 15-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 16-श्री शम्भू चौधरी की ग्राम सभा सोहराना जनपद कुशीनगर में पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 17-श्री अब्दुल वारिस खां की शान्तिपूर्ण ढंग से प्रर्दशन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में इन सभी सूचनाओं को नहीं सुना जायेगा।

फैजाबाद में सपा के कोषाध्यक्ष श्री सियाराम पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। इस आदरणीय सदन में मैंने अफसोस के साथ सूचित किया था कि मेरे जनपद फैजाबाद में मेरी समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष, श्री सियाराम सर्राफ, निवासी हैदरगंज, बीकापुर जब रात साढ़े 8 बजे अपने घर पर बैठे थे तो उन पर प्राणघातक हमला हुआ था। उन पर इतना जबरदस्त हमला हुआ था कि फैजाबाद जिला अस्पताल पहुंचते-पहुंचते डाक्टरों ने तुरन्त यह राय दिया कि इनको लखनऊ भेजा जाय। वह लखनऊ लाये गये और लखनऊ में उनका परीक्षण भी हुआ, वह मेयो हॉस्पिटल में है। मान्यवर, सरकार की ओर से बयान आया था कि सरकार उनका निःशुल्क इलाज करायेगी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं और जनपद फैजाबाद के हैं, उन्होंने मुझे फोन से भी बताया था। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके बावजूद मान्यवर आज तक कोई सहायता नहीं दी गयी है और यही नहीं मान्यवर, आज तक हमलावर पकड़े नहीं गये हैं और यहां अस्पताल में भी उन पर खतरा है, उनके घरवालों को भी खतरा है। मान्यवर, इससे पहले उनका बेटा 24 वर्ष का था उसने टॉप किया था और एम0बी0बी0एस0 में सेलेक्ट हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, इनकी सास की हत्या हुई थी। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है, पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है। हमलावर पेट में गोली मारे हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पूरा बाजार बन्द है, कुछ भी घटना हो सकती थी लेकिन पार्टी के जिलाध्यक्ष पाण्डेय जी और तमाम लोग गये, समझाये-बुझाये, इसलिए स्थिति विस्फोटक नहीं हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था का इन्तजाम किया जाय क्योंकि अभी भी वह खतरे से बाहर नहीं हैं और दूसरी चीज जो सरकार की ओर से घोषणा की गयी थी उनके इलाज के सम्बन्ध में उसे पूरा किया जाय और हमलावरों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाये क्योंकि कोई भी हमलावर गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, एक हमलावर ने अपने को हाजिर कर दिया है। मान्यवर, अभी रूदौली क्षेत्र में अनुसूचित जनजति के एक व्यक्ति की हत्या हुई। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में जंगल राज चल रहा है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जब मा0 सदस्य ने बताया था कि उन्हें मेडिकल कालेज लाया जा रहा है। मैंने मेडिकल कालेज में निर्देशित किया था जब शाम तक उन्हें वहां नहीं ले जाया गया तो मैंने स्वयं टेलीफोन करके जानकारी ली। अब उन्होंने जानकारी दी है, हम आपके साथ बैठ करके इसका निराकरण कर लेंगे, इसको सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कैलाश चौरसिया के निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्माण स्थल पर दूसरे क्षेत्र के सदस्य का लोकार्पण बोर्ड पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा लगा दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री कैलाश चौरसिया-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर में मेरे प्रयासों से रपटा मार्गों का निर्माण कराया गया था जो लगभग पूर्ण हो चला था। मान्यवर, लोकार्पण की कार्यवाही के लिए मैंने सम्बन्धित पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारियों से कहा कि समय का निर्धारण करके लोकार्पण की कार्यवाही करवा दें। मान्यवर, ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन दो-तीन दिन के अन्दर रातोरात बगल क्षेत्र के मा0 सदस्य का बोर्ड लगा दिया गया। मान्यवर, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। मान्यवर, मैं चौरसिया समाज से पहली बार चुन करके आया हूं। इसलिए मुझ पर विशेष कृपा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह मार्ग विधायक निधि से बना था ?

श्री कैलाश चौरसिया-

मान्यवर, नहीं, स्टेट सेक्टर से बनी थी। हमारे प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री जी के निर्देश पर यह कार्य हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, अगर किसी विधायक के क्षेत्र में ऐसे कार्य होते हैं तो लोकार्पण निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विधायक से ही करायें। दूसरे क्षेत्र के विधायक हैं या उस क्षेत्र के सम्मानित विधायक को जरूर ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मंत्री जी, उद्घाटन करें तो बात समझ में आती है, एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में उद्घाटन करे यह ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

क्या यह विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से बनाया गया है ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, विधायक जी के प्रस्ताव पर बना है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो राजकीय योजनायें या पी0डब्ल्यू0डी0 की योजना है या जिला पंचायत की सड़के हैं उसके लिए अलग-अलग नियमावली है उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मैं नहीं जानता की संसदीय कार्य मंत्री जी किस नियमावली का जिक्र कर रहे हैं। नियमावली अगर वही है जो समय-समय पर यहां से शासनादेश जारी होते रहे हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई निर्माण हुआ है उस क्षेत्र के विधायक को आकर उसको कहने का अधिकार है, जिस संसद सदस्य के क्षेत्र के अन्तर्गत है, उसे है। अगर मा0 मंत्री करना चाहें तो माननीय विधायक जी को जरूर आमंत्रित करना चाहिए। एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में जा करके अगर लोकार्पण का काम करेंगे तो असहज स्थिति हो जायेगी। इसलिए कृपापूर्वक इसकी गम्भीरता को समझने का प्रयास करें और अध्यक्ष जी इसमें आप निर्देश दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या किसी नियमावली में ऐसा प्राविधान है कि एक क्षेत्र का विधायक दूसरे क्षेत्र के विधायक के क्षेत्र में जाकर लोकार्पण करेगा चाहे वह किसी भी निधि का हो, कोई नियमावली नहीं है। मेरा यह कहना है कि मा0 मंत्री जी जायं, जिला पंचायत अध्यक्ष जायं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मा0 विधायक दूसरे मा0 विधायक के क्षेत्र में जाए, चाहे उनकी विधायक निधि या किसी निधि से हो यह उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी को कहां से यह रोग लग गया कि अगर आप चाहें तो उसको जरूर काटा जाए, आपका संरक्षण मिल जाए उसे जरूर काटा जाए। यह बीमारी कहां से मिल गयी, मान्यवर, इसका पता लगायें, हम इसकी तह तक जाना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग भी सदस्य रहे हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं या पी0डब्ल्यू0डी0 से हमारा प्रस्ताव जाता था, कहीं भी हम लोगों के नाम का वहां पर पत्थर नहीं लगा करता था। यह शासन स्तर का निर्णय है। शासन जिस आधार पर निर्धारित करता है उसी आधार पर उसका अनावरण होता है। इस मामले का जहां तक सवाल है मेरे संज्ञान में नहीं हैं, मैंने इसे दिखवाने का काम नहीं किया है। मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर देख लूंगा कि क्या स्थिति है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सदन की मंशा सौहार्द की है। चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी हो, इधर के लोग हों, चाहें आप हों, सबकी मंशा है कि आपस में सौहार्द रहे। अच्छा तो रहेगा कि वर्तमान में शासन की क्या नीति है इस पर एक सकुर्लर जो अप-टू-डेट हो उस मा0 सदस्यों को सर्कुलेट करा दें। किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसके क्षेत्र में कोई दूसरा लोकार्पण/अनावरण करने जाए यह बरदाश्त नहीं होगा, इसके लिए शासन की तरफ से मंत्री ही अधिकृत है। विधायक समान है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो। कोई मंत्री जाता है तो उसमें पार्टी का कोई बन्धन नहीं है। शासन की तरफ से बना है, मंत्री नहीं जाता है तो विधायक को ही अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है और सदस्य ने अपनी निधि से बनवाया है तो ही उसका उद्घाटन करे। इसके लिए कोई न कोई गाइड लाइन भिजवा दें।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-91-वि0 ग्रा0-38-3-2002-500 (1)/98 (टी0सी0) दिनांक 10 अप्रैल, 2002 के प्राविधान 3.2 के अनुसार मा0 विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर धनराशि की स्वीकृति प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाचित होने के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद-188 के अनुसार अनुसूची-3 के अनुसार हम लोग शपथ लेते हैं।

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा बार-बार अपने आसन पर खड़े होकर हाथ उठाकर अपनी बात रखने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जाएं। इस तरह से हाथ फैलाने वाला आचरण ठीक नहीं है। यह आप गलत तरीका अपना रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मुझे अनुमति है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने चार बार आपको अनुमति दी लेकिन आप सबकी अनुमति लेना चाहते हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने के लिए भारतीय सम्प्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के साथ-साथ जिस पद को हम लोग ग्रहण करने वाले हैं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे यह शपथ लेते हैं। 19 जून, 1998 को इसी विधान सभा में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि की घोषणा की थी। जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए संतुलित विकास को देखते हुए और किसी कार्य की तात्कालिकता को देखते हुए यह निर्णय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना पड़ता है कि हम लोगों को कुछ निधि मिले। इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त भी बने। मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 3-2 में यह कहा गया है कि माननीय सदस्य जो भी प्रस्ताव देंगे उसकी 45 दिन के अन्दर स्वीकृति देनी चाहिए और इसी के साथ-साथ पैरा 4 में यह कहा गया है कि किसी एक कार्य की धनराशि तीव्रता के साथ अवमुक्त की जानी चाहिए। मुझे दुख है हम लोग पहले भी विधायक थे जब विधायक निधि नहीं हुआ करती थी। वर्तमान में हमारे प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पा रही है। जैसे 22 जनवरी, 2008 को रसूलाबाद में एक पक्का प्लेटफार्म बनाना था उसके लिए प्रस्ताव किया लेकिन उसकी आज तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई उस काम को निरस्त कराना पड़ेगा क्योंकि उस काम को बाद में रोटरी क्लब वालों ने करा दिया। इसी तरह से 22 जनवरी, 2008 को महर्षि बालिका विद्यालय जिसमें हरिजनों के गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था है उसकी कक्षाओं के निर्माण के लिए 2 लाख रुपये दिये थे। लेकिन उसकी आज तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। डेढ़ वर्ष पूर्व 12 जनवरी को...

श्री अध्यक्ष-

हर प्रस्ताव को बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

न्यूज रीडर्स के विस्तार के लिए प्रस्ताव दिया था लेकिन डेढ़ वर्ष हो गये हैं अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों को लैपटाप दिया गया था और एक निर्देश हुआ था कि एक सप्ताह में लैपटाप की एसेस्सरी उपलब्ध करा दी जायेगी। 22 हजार की एसेस्सरीज है वह आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम लोगों से प्रस्ताव ले लिये जाते हैं लेकिन समीक्षा करने का अधिकार नहीं है न ही उसके बारे में जानकारी करने का अधिकार है। अगर स्वीकृति नहीं मिल रही है तो यह नहीं बताया जाता है कि क्यों नहीं किया जा रहा है इससे मैं बहुत दुखी हूं। अध्यक्ष जी, मैं अपनी सारी विधायक निधि वर्ष 2008-09 की आपको समर्पित करता हूं। मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्ताव आपके पास भिजवा दूंगा। आप उसे अपने यहां से करा दीजिए एक तो वैसे ही विधायक निधि विवादास्पद हो गयी है अगर कोई सम्मान से काम करना भी चाहे तो बहुत से लोग उसके प्रति असम्मान का भाव रखते हैं। इसके बाद विभागों से अवांछित मांग रहती है उन सबकी पूर्ति न होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष अपनी सारी निधि समर्पित करता हूं। मैं चाहूंगा कि इसे विधान सभा सचिवालय से किया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के बारे में माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने जो बात उठाई है मान्यवर, नियमों के अनुसार उसके जो मार्गदर्शी सिद्धान्त है उसमें स्पष्ट परिभाषित है कि किन-किन कार्यों के लिये दे सकते हैं किन-किन के लिये नहीं दे सकते हैं। मैं इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि जो नियम है कि 45 दिन के अन्दर स्वीकृत होने का हम इसको दिखवायेंगे और जो कोई भी अगर प्रस्ताव नियमों के अनुसार स्वीकृत होने लायक हैं और नहीं हुए हैं निश्चित रूप से उसके लिये जो भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

जिनकी सूचना है, उन्हीं को सुना जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक मिनट। इनकी भावना समझें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

भावना समझी हैं, वे दुखी हैं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय विधान सभा सदस्य ने अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से कह दीं कि यह अपनी विधायक निधि आपको समर्पित कर रहे हैं कहीं न कहीं दुख होगा। मेरा यह कहना है कि इन्हीं के क्षेत्र को आप एक पैमाना मान लें। बात तो सुन लें। इलाहाबाद उत्तरी क्षेत्र जो इनका है, इसको पैमाना मान लें और अगले 15 दिनों के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय को बता दें कि इनके प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार हुए। यह सामान्य शिकायत है कि विधायकगण जो देते हैं उसमें कोई न कोई में एक कमीशनखोरी का इतना चक्कर हो गया है मान्यवर कि काम नहीं हो रहा है तो कम से कम मान्यवर, विधायकों की गरिमा की रक्षा आप करें। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं। हम सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि इसकी कोई स्पष्ट गाइड लाइन दें कि जो वो प्रस्ताव दें कृपया उसको करें। अनुग्रह नारायण सिंह वरिष्ठ सदस्य हैं, तीसरी बार आये हैं, अगर वो इतने ज्यादा दुःखी हैं तो फिर हम कह नहीं सकते हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि मैं इसको 15 दिन में दिखवा लूंगा और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह कह दीजिये कि तब तक यह विधायक निधि अपने पास रखें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैंने आपको समर्पित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, रखें। अनुग्रह नारायण सिंह जी हमारा भी अनुरोध सुन लें। दुःखी होकर ऐसा न करें। यह जनहित में दिया गया है। इसका प्रस्ताव बनाकर दें। अभी माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तिवारी जी मेरे ऊपर विश्वास तो करते हैं बाहर लेकिन यहां आकर नहीं करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहर तो इन पर मैं क्या इनके परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते। कोई विश्वास नहीं करते। अब सदन के अन्दर चूंकि यह संविधान की सौगन्ध लेकर आते हैं इसलिये थोड़ा बहुत विश्वास मुझे करना पड़ता है। बाहर मैं आपत्ति नहीं कर सकता मान्यवर, यहां आपत्ति करनी पड़ती है, बस फर्क इतना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह जी, इसको दिखवा लिया जायेगा। उसका प्रयोग करें, जनता के हित में क्षेत्र में। मैंने माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूं।

मा0 विधायकों हेतु रेल कूपन सुविधा को तत्काल आरक्षण एवं इण्टरनेट द्वारा आरक्षण में भी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, आप दो मिनट में कह लें। एक भावना थी मैं सुन लेता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी विधायकों को एक सुविधा प्राप्त है जो रेल से हम लोग यात्रा करते हैं उसमें कूपन की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जो आम नागरिक को रेलवे विभाग की तरफ से तत्काल रिजर्वेशन की सुविधा है वह हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। उन काउन्टरों पर इसकी स्वीकृति वो नहीं देते और कूपन नहीं लेते जबकि यह सुविधा उसी प्रकार है बिल्कुल। वह सुविधा हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। यह विधान सभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी जितने काउन्टर हैं। क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आते हैं तो वहां पर यह सुविधा न होने से क्योंकि प्राथमिकता हम लोगों को मिलती है और जगह और इसमें कूपन पर प्राथमिकता से तत्काल अगर रिजर्वेशन न हो तो यह कष्ट का विषय है तो मैं चाहूंगा कि आपकी पीठ से निर्देश जाय और सरकार यह निर्देश करे और इंटरनेट पर भी चूंकि आम नागरिक इंटरनेट पर अपना आरक्षण करा लेता है लेकिन हम लोगों को वह सुविधा प्राप्त नहीं है। जब राज्य सरकार इसका पैसा रेलवे विभाग को देती है तो वह सब सुविधाएं जो आम नागरिक को मिलती हैं, हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आरक्षण सुविधा लाभ दिलाये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। हम लिखा पढ़ी शीघ्र करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि यह सुविधा मिले।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने माननीय सदस्य मदन चौहान जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत प्रश्नों, जिनके उत्तर सत्र समाप्ति के बाद नहीं आ पाते हैं, के लिखित उत्तर मा0 विधायकों को भेजे जाने में पक्षपात किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, दो मिनट में अपनी बात कहें।

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, दो मिनट में। विधान सभा का यह सत्र काफी अंतराल के बाद बुलाया गया। पिछला जो सत्र था, उसमें कार्य दिवस बहुत कम थे। इस सत्र में भी कार्य दिवस केवल तीन दिन का मिला। इस सदन के बैठे हुए विधायक बहुत से प्रश्न लगाते हैं और इस अपेक्षा से लगाते हैं कि समस्याओं का निराकरण होगा। सरकार उत्तर देगी तो उससे समाधान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न जानबूझकर सरकार के इशारे पर ऐसे दिनों में लगाये जाते हैं ताकि सरकार उत्तर न दे या उत्तर देने से बचे। मेरे तमाम प्रश्न ऐसे लगे हैं। आज के दिन ही मेरे कम से कम 15 प्रश्न लगे हैं यह प्रश्न अगर प्रथम सोमवार को लगे होते तो शायद इनका उत्तर मिल जाता और समस्या का निराकरण हो जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सचिवालय के लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि सत्र आहूत किया गया है और इसमें कितने कार्य दिवस होंगे कितनी छुट्टियां होंगी। छुट्टियों के दिन प्रश्न लगाने का क्या औचित्य है ? ऐसे बहुत से प्रश्न लगाये गये हैं जब विधान सभा का सत्र चलेगा ही नहीं। 13 तारीख के बाद प्रश्न लगाये गये हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी पीठ से यह निर्देश करें कि जो प्रश्न छुट्टियों में लग गए हैं या जिन प्रश्नों का उत्तर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने से नहीं आ पाया है या ऐसे प्रश्न जो 13 तारीख के बाद लगे हुए हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में सम्बन्धित विधायकों को दिलाने की कृपा करें और अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर सरकार नहीं देना चाहती है तो सदन में आने का प्रश्न लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यह जानबूझकर किया जा रहा है इस सम्बन्ध में आपके निर्देश की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, तारांकित प्रश्नों का उत्तर तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्ध में तथा स्वीकृत प्रश्नों को निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में दिये गये नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही चलती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीवास्तव जी प्रश्नों का जो वार नियत होता है, अल्पसूचित प्रश्नों को छोड़ करके, मेरे विधान सभा सचिवालय से प्रश्न निर्धारित होते हैं। विभागवार उनका निर्णय होता है, किस वार को किस विभाग को लिया जाएगा। छुट्टी के दिन अगर प्रश्न लगे हैं तो इसको दिखवा लेते हैं। छुट्टी के दिन अगर रविवार को प्रश्न लगा है तो दिखवा लेते हैं। विभागवार तय होता है वार हम तय करते हैं अब इसमें क्या जानबूझकर है ? हमारे विभाग से प्रस्ताव आता है, अल्पसूचित प्रश्नों को छोड़कर इसमें क्या आपत्ति है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आज शुक्रवार है द्वितीय सत्र, 2009 के दूसरे सोमवार के लिए प्रश्न लगाए गये और इसमें कम से कम 15 प्रश्न हैं जबकि यह पहले से मालूम है कि द्वितीय सत्र का दूसरा सोमवार नहीं आएगा। यह प्रश्न अगर पहले सोमवार को लग जाते तो उत्तर आ जाता।

श्री अध्यक्ष-

वार पहले ही तय हो जाता है, सदन मान लीजिए अगर पहले ही स्थगित हो जाता तब क्या करते ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

यह जानबूझकर हो रहा है चार तारीख को मैंने पूछा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक ही ...

श्री लालजी वर्मा-

यह आक्षेप लगा रहे हैं। आपकी व्यवस्था पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। यहां सारी बातों पर आक्षेप आपके ऊपर आक्षेप, आपकी विधान सभा पर आक्षेप लगा रहे हैं और सारी बातें सदन में लाना चाहते हैं यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वार तय हो जाता है। इसमें पक्षपात की बात नहीं होती है। मैंने श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

मा0 विधायकों की संस्तुति पर क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने की व्यवस्था को वर्तमान में जिलाधिकारी को दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, हम सब इस सदन के सम्मानित सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जनता की समस्या को सुनते हैं और अधिकांशतः जनता की समस्या को सुनकर यहां आते हैं। मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्यों को पता होगा कि कहां पर किस बात की आवश्यकता है और कहां पर किस बात की चाहे सड़क निर्माण से सम्बन्धित हो, चाहे पानी की समस्या हो या अन्य किसी भी समस्या से सम्बन्धित हो मान्यवर, इधर कुछ विगत वर्षों से यह व्यवस्था थी कि माननीय सदस्यों द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही हैण्डपम्प लगवाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया जाता था। पहले यह सीमा 25 थी, 30 हुयी, 100 हुयी और 200 हुयी, कुछ सदस्यों का छोड़कर उन्हें चिन्हित कर लिया जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जिनमें लाभ है। शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि विधायक से पूछकर कोई काम नहीं होगा। जो जनता से जुड़ा होता है, जनता के सुखदुख से जुड़ा होता है उससे नहीं पूछेंगे लेकिन जिलाधिकारी जो कुछ समय पहले ही आया है उससे आप पूछेंगे कि कहां पर समस्या है। वह जहां कहेगा वहां पर हैण्डपम्प लगेगा। लेकिन उस क्षेत्र के विधायक के कहने पर पम्प नहीं लगेगा। मान्यवर, यह मामला केवल इधर या उधर के विधायकों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का नहीं है पूरे 403 सम्मानित सदस्यों से जुड़ा हुआ सवाल है जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं और जो विधान परिषद् के माननीय सदस्य हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। आपने निर्देश जारी कर दिया कि जो जिलाधिकारी चिन्हित स्थान देंगे वहां पर हैण्डपम्प लगेगा। विधायक द्वारा चिन्हित स्थान पर हैण्डपम्प नहीं लगेगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा और इस सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा बनी रहे अगर हमारी इतनी भी गरिमा नहीं है कि हम एक हैण्डपम्प भी नहीं लगवा सकते हैं। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है केवल मेरा ही नहीं आप हाथ उठवा लें, पूरा सदन इस बात का पक्षधर है कि जो बात मैंने कही है वह सही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यहां से निर्देश दिया जाए कि जो माननीय सदस्यों को 200 या 225 हैण्डपम्प दिये जाने हैं वह माननीय सदस्यों द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही लगाये जाएं। किसी अधिकारी द्वारा चिन्हित जगह पर नहीं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ये औचित्य का प्रश्न है यदि इसका कोई औचित्य नहीं है तो हमारा यहां बैठने का भी औचित्य नहीं है। आप कह देंगे कि यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता। मान्यवर, आप देखिए, हमारे सभी मा0 सदस्य मुस्करा रहे हैं। मा0 मंत्री जी भी मुस्करा रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस स्थान के लिए मा0 सदस्यगण चिन्हित करें, वहीं पर हैण्डपम्प लगाया जाए। इसका औचित्य भी है, इस सदन की गरिमा भी है, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इच्छा भी है और आप इस पर निर्देश दे दें, मेरा जवाब न पूछें।

*ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के तहत हैण्डपम्प लगाने की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था है मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य इसको नियम-300 में लाए हैं माननीय अध्यक्ष जी भारत सरकार की इसमें आपत्ति है और राज्य सरकार से एक प्रमाण-पत्र भारत सरकार प्रतिवर्ष लेती है कि एम0एल0ए0 कोटा हम तय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, आवश्यकता मांग के आधार पर असेवित बस्तियों में हैण्डपम्प लगाने की व्यवस्था की गयी है और उसके तहत जहां-जहां से मांग आती है उसका परीक्षण करा करके ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं और यह व्यवस्था भी इस बार की गयी है कि 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को पाइप परियोजना के द्वारा उनको सैचुरेट करने की एक नीति तय की जा रही है। मान्यवर, ये सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है और औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तो इसमें मेरा निवेदन है कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(शोर)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो भारत सरकार की गाइड लाइन है जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर बताया। बड़े विद्वान सदस्य हैं और पुराने साथी हैं। इन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन है लेकिन हमारे माननीय सदस्यों को नहीं पता है कि क्या भारत सरकार की गाइड लाइन है ? गाइड लाइन की जानकारी, यदि माननीय सदस्य को हो तो उसके अनुसार ही अपना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्ताव वह देने का काम करेगा। लेकिन यह तो जिलाधिकारी को पूरी तरह से सौंप दिया गया है कि वह स्थान चिन्हित करें।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह सूचीबद्ध हो चुकी है, निर्देश हो रहा है आपकी बात सुन ली गयी है। यह सूचना नियम-300 के अधीन नहीं आती है अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अब आरिफ अनवर हाशमी साहब।

* श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित कराइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब मंत्री जी इधर बैठते थे तब यह औचित्य का प्रश्न था लेकिन जब उधर बैठे हैं तो यह औचित्य का प्रश्न नहीं मानते हैं। अध्यक्ष जी, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इसमें गरीबों के हित की बात है, माननीय जनप्रतिनिधि ज्यादा अच्छा चिन्हित करेंगे या अधिकारी ज्यादा चिन्हित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि जो अन्सैचुरेटेड एरिया है, उसका सर्वे हो गया है, भारत सरकार के निर्देश के बारे में बता दिया है।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह भारत सरकार का निर्देश जिलाधिकारी को है तो जिलाधिकारी को निर्देश होना चाहिए कि सभी विधायक जो भी सूची देते हैं, जहां पर हैण्डपम्प की जरूरत है लेकिन हो क्या रहा है, अगर सत्ता पक्ष के विधायक सूची दे देंगे तो वहां पर तो हैण्डपम्प लग जाता है। अभी एक माननीय विधायक जब इधर थे तो एक भी हैण्डपम्प नहीं मिला था लेकिन जब उधर पहुंच गये, अभी पहुंचे नहीं हैं तो उनको 225 हैण्डपम्प मिल गये और स्व0 गौरी शंकर जी जो वहां पर लोक सभा के उम्मीदवार थे उनको 400 हैण्डपम्प मिल गये और यहीं तक नहीं इटावा जनपद में सांसद और विधायक निधि से इतना घपला हो गया है, डबलिंग हो गयी है, विधायक निधि से भी हैण्ड पम्प दिये और सांसद निधि से भी दिये। वहां पर जल निगम का कोई अधिशासी अभियन्ता है करीब 462 हैण्डपम्प का सांसद निधि और विधायक निधि का पैसा निकाल लिया है। माननीय मंत्री जी यह देख लीजिये पूरे प्रदेश में कितना बड़ा गबन हो रहा होगा ? इसलिए आप इसे गम्भीरता से लें चाहे कोई सदस्य सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी के साथ मतभेद न हो और सभी को हैण्डपम्प दिया जाए।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अब तो इटावा से बाहर निकलें। जब तक सरकार थी तब तक इटावा से बाहर नहीं निकल पाते थे अब तो निकल लें मान्यवर।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। आप लोग तो केवल लखनऊ में पत्थरबाजी और भ्रष्टाचार, इसके अलावा आगे नहीं निकल रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आप स्वयं इस बात से अवगत है कि असंतृप्त बस्तियों की सूची तैयार की गई है और इस सूची के आधार पर अगर माननीय जन प्रतिनिधि भी कोई सूचना देते हैं तो जिलाधिकारी उसे नोटिस में लेते हैं। लेकिन उन असंतृप्त बस्तियों के आधार पर कार्यवाही की जाती है जो मंशा है कि वह यह है कि इन असंतृप्त बस्तियों के आधार पर कार्यवाही की जाए। मान्यवर, उसमें किसी का कोई कोटा नहीं है। मान्यवर, हम आप जनप्रतिनिधि हैं और जन प्रतिनिधि की हैसियत से बहुत सी बातें शासन के संज्ञान में लाते हैं और उसके आधार पर जो असंतृप्त बस्तियां हैं जो मानक है उसके अनुसार स्वतः भी अपने स्तर से भी जानकारी करके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दिये जाने के आधार पर और विभिन्न स्तरों से जानकारी प्राप्त करके जो असंतृप्त बस्तियां हैं उनमें लगाने का निश्चय किया गया है। मान्यवर, कोई भी कोटा नहीं रखा गया है और कोटा न हो, जैसा कहा गया कि भारत सरकार से यह निर्देश बार-बार आता रहा और सर्टिफिकेट मांगते थे कि हम किसी कोटा के तहत इसको नहीं लगवा रहे और इस सर्टिफिकेट के आधार पर लगता था। मान्यवर, इसका स्वागत करना चाहिये कि जो 10 प्रतिशत लाभार्थी से अंशदान इसमें लिया जाता था हमने उसको समाप्त किया ओर प्रदेश की सरकार के खजाने से देकर उसको पूरा करने का काम किया। मान्यवर, उसका स्वागत होना चाहिए।

(व्यवधान)

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, आप पूरे प्रदेश में नल लगाने की सूची मंगवा लें और उसे देख लें। ऐसे निर्देश हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रस्ताव पर नल न लगाये जाएं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, हमने प्रस्ताव दिया था तो यह बताया गया कि आपके प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे। मैंने जनता से लेकर प्रस्ताव दिये, लेकिन उसके बावजूद एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा एक निर्देश आया है कि असंतृप्त एरिया में ही हैण्ड पम्प लगाये जाएं। नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि उसकी सूचना अभी सम्मानित सदस्यों को यदि आपके पास निर्देश हों, भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है कि इस आधार पर जिलाधिकारी असंतृप्त एरिया में जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करके हैण्ड पम्प लगवायें तो ऐसे जी0ओ0 की प्रति को माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध करा दें।

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्रीगण को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

विधान सभा में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-168 और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाना है। मान्यवर, 15वीं विधान सभा में उस कार्य को आप ही सम्पादित करेंगे। इस पर इस सदन में कई बार चर्चायें आयी हैं। मान्यवर, आपकी परेशानियों को देखते हुए हम यह प्रस्ताव लाये हैं। मान्यवर, 11 बजे सदन बैठता है और आपकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, आप उठ नहीं पाते हैं। यदि उपाध्यक्ष जी का चुनाव करा दिया गया होता तो मान्यवर, इस चर्चा के लिये आपको भी आराम मिलता। इसलिए मांग करता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 15वीं विधान सभा का कार्यकाल जो चल रहा है उसमें सवा दो साल हो चुके हैं। मान्यवर, आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नेता विरोधी दल जी के दांयी तरफ जो आसन खाली पड़ा हुआ है उसमें किसी सम्मानित सदस्य को बैठने का अवसर दें उससे आपको भी राहत मिलेगी। मैं मांग करता हूं कि उपाध्यक्ष, विधान सभा का चुनाव शीघ्र कराया जाये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक आपके सहयोग की बात है, आपके द्वारा एक अधिष्ठाता मण्डल नामित है, जो समय-समय पर आपका सहयोग करता है। बाकी उपाध्यक्ष का चुनाव आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके अनुसार आप ही को निर्णय लेना है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, कोई तिथि निर्धारित कर लें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, बात की जायेगी।

मैंने इस सूचना पर श्री हाशमी जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए अग्राह्य करता हूं। शेष सूचनायें भी अग्राह्य कर दी गयी हैं।

लखनऊ में काशीराम स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु उस पर बने हुए नाले को शिफ्ट करके क्षेत्र के मोहल्लावासियों के मुख्य द्वारों के सामने 11 फिट ऊंची कंकरीट की दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है। मान्यवर, मैने तीसरे सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत एक प्रश्न लगाया था। मान्यवर, जिला जेल के पीछे जिस स्थान पर मान्यवर, कांशीराम स्थल का निर्माण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रहा है, उसकी बावत सदन को बताना चाहता हूं कि लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मनमोहक स्थल की चर्चा हो रही है। मान्यवर, एक तरफ सरकार द्वारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा लगाया जाता है। दूसरी तरफ इतने भव्य तरीके से उस स्थल पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मान्यवर, मेरा कहना है कि उस भव्य स्मारक के निर्माण में जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। मान्यवर, पहले इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा हरियाली भरा जंगल खड़ा था। मान्यवर, पिछली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त सरकार थी उस समय बहन मायावती जी ने उस स्थान पर भव्य अम्बेडकर स्थल का निर्माण कराया था ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सूचना नियम-300 में कहां आती है।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले ही इसे अग्राह्य कर चुका हूं। चूंकि विधायक जी का मामला था, उनको मौका दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम-300 के लिए नियमावली देख लें। अब अगर इस तरह से शब्द और बातें नियम-300 में उठाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूं। यह सूचना अग्राह्य हो चुकी है। दो माननीय विधायकों से [illegible] था इसलिए मैंने सुना।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1462/छः-पु-2-08-700 (131)-07, दिनांक 31 जुलाई, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गृह (पुलिस) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1462/छः-पु-2-08-700 (131)-07, दिनांक 31 जुलाई, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश को विशेष प्रतिवेदन संख्या-5/2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश को विशेष प्रतिवेदन संख्या-5/2008 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

दिनांक 19-12-1999 को जनपद गाजीपुर में हुई आगजनी एवं फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं संकल्प

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 19-12-1999 को जनपद गाजीपुर में हुई आगजनी एवं फायरिंग की घटना के सम्बन्ध में एक सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं संकल्प को जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 व 7 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 अगस्त, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 अगस्त, 2009 से 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यकाल निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 10, 11, 12 तथा 13 अगस्त, 2009 को सदन की बैठकें न हों।

2-दिनांक 05 अगस्त, 2009 से दिनांक 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2009</u>

5 बुधवार बैठक नहीं होगी। (रक्षाबन्धन का अवकाश)

6 गुरुवार बैठक नहीं होगी।

7 शुक्रवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

(2) उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009

(3) उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(4) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

(5) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

(6) उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009

(7) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009

(8) उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009

(9) उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009

(10) उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

2-असरकारी कार्य।

8 शनिवार
9 रविवार } बैठक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10 सोमवार
11 मंगलवार
12 बुधवार
13 गुरुवार
} बैठक न हो।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड-पीठ में योजित याचिका संख्या-5563(एमबी) सन् 2009 नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के जांच सम्बन्धी समिति" की संस्तुति एवं अपेक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद् मथुरा के कतिपय वर्षों का स्पेशल आडिट किये जाने के निर्गत आदेशों पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगनादेश पारित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में नियुक्त शासन के मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 जून, 2009 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में योजित याचिका संख्या-5563(एमबी) सन् 2009 नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदनों के जांच सम्बन्धी समिति" की संस्तुति एवं अपेक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद् मथुरा, के वर्ष 2005-2006, 2006-2007 एवं 2007-2008 के स्पेशल आडिट किये जाने का जो आदेश निर्गत किया गया था उसके विषय में दिनांक 16 जून, 2009 को मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगनादेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में इस आशय की अभियुक्ति भी की गई है कि यदि सदन की समिति की संस्तुति उसके अधिकार क्षेत्र से परे है तो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उसके विषय में हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि "भारत का संविधान" के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली" के नियम-269-ज के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि यदि सदन की किसी समिति के क्षेत्राधिकार के विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होता

है तो मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा। इसके अतिरिक्त "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-212 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि राज्य के विधान मण्डलों की कार्यवाहियां या विधान मण्डल के किसी अधिकारी या सदस्य जिसमें संविधान के अधीन विधान मण्डल की प्रक्रिया या कार्य-संचालन विनियमन रखने की शक्तियां निहित हैं तो उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में जांच करने की अधिकारिता न्यायालय की नहीं होगी।

भारत का संविधान के अनुच्छेद-212 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-269-ज के समेकित परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया प्रश्नगत प्रकरण में हस्तक्षेप करने की मा0 उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। उल्लेखनीय है कि सदन की समितियों का गठन सदन के सहयोग के लिए किया जाता है तथा समिति की कार्यवाहियों को सदन की कार्यवाहियों से पृथक नहीं माना जा सकता। वर्णित स्थिति में जो संवैधानिक संरक्षण सदन की कार्यवाहियों को प्राप्त है वहीं संरक्षण सदन की समितियों के संदर्भ में भी माना जायेगा।

प्रकरण में वर्णित उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक प्राविधानों के विश्लेषण के आलोक में मेरा यह सुविचारित मत है कि "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षण प्रतिवेदनों के जांच सम्बन्धी समिति" की प्रश्नगत संस्तुति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निर्गत किये गये आदेश की वैधानिकता अथवा उसके विषय में क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अध्यक्ष के स्तर से ही परीक्षण अथवा विनिश्चय किया जा सकता है। संविधान के अन्तर्गत यह बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परिधि में नहीं आता है।

मा0 न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः यह आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-269-ज के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के रूप में मेरे स्तर से इस बिन्दु पर विनिश्चय किया जाय। नगरपालिका परिषद्, मथुरा के स्पेशल आडिट किये जाने के प्रश्न के विवाद के संदर्भ में अभी तक अध्यक्ष के रूप में मेरे स्तर से कोई विनिश्चय, परीक्षण अथवा निर्णय नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 16 जून, 2009 में यह अंकित किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-269-ज के अन्तर्गत चेयरमैन, विधान सभा के समक्ष उपर्युक्त प्रश्न को याची श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय द्वारा उठाया गया था, परन्तु उसके विरुद्ध अवमानना नोटिस निर्गत कर दी गई थी। कदाचित् मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में उल्लिखित यह तथ्य अभिलेखों के अनुरूप नहीं है। उक्त समिति द्वारा नगरपालिका परिषद्, मथुरा के स्पेशल आडिट कराये जाने की संस्तुति के क्षेत्राधिकार के विषय में मेरे समक्ष अध्यक्ष के रूप में कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया है और न ही इस विषय में मेरे स्तर से अभी तक कोई परीक्षण अथवा विनिश्चय किया गया है। वर्णित स्थिति में उक्त समिति की प्रश्नगत संस्तुति के विषय में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-269-ज के अन्तर्गत अध्यक्ष, विधान सभा के रूप में मेरे द्वारा पृथक रूप से गुणावगुण के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त विनिश्चय किया जायेगा एवं तद्नुसार मेरे स्तर से किये गये

विनिश्चिय के क्रम में तथा उसके अनुसार ही शासन स्तर पर अथवा अन्यथा इस सम्बन्ध में अग्रत्तर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

विद्वान महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से यह अनुरोध किया जायेगा कि वह उपयुक्त सम्पूर्ण स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत करा दें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन की गरिमा को बनाये रखने और इसको ऊंचा उठाने के लिये आज आपने जो निर्णय लिया है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी मद संख्या-9 रह गई है।

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय ले लिया है और उनमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न पाये जाने के कारण समस्त सूचनायें अग्राह्य कर दी है :-

1-माननीय श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 14 फरवरी, 2008,

2-माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी, परियोजना निदेशक, महामाया नगर (हाथरस) के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 14 एवं 16 अक्टूबर, 2008,

सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन के प्रश्नों की उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा लिये गये निर्णय सदन के दिनांक 07 अगस्त, 2009 के उपवेशन के अंग माने जायेंगे।

श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध दिनांक 14 फरवरी, 2008, को दी गई विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-53/64 के अन्तर्गत श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 14 फरवरी, 2008 को अभिसूचित की गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपनी सूचना में अवगत कराया गया है कि उन्होंने शुक्रवार दिनांक 25 जनवरी, 2008 को लगभग 3.30 बजे अपराह्न जब क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर से फोन पर समय मांगा तो श्री तिवारी ने कहा कि वह फील्ड में है। माननीय सदस्य ने जब उनसे सायंकाल तक मुख्यालय पर मिलने के लिए कहा तो श्री तिवारी ने तल्ख शब्दों में कहा कि ***"मंगलवार को मिलना हो तो मिल लेना"।*** इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में आगे कहा है कि मुख्य विकास अधिकारी का उक्त आचरण व व्यवहार सामंती-सामाजिक व्यवस्था के साथ-साथ ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासनिक अधिकारियों जैसी कार्यशैली है जो विशेषाधिकार-हनन की श्रेणी में आता है। इसी के साथ माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में मुख्य विकास अधिकारी, श्री हृदय शंकर तिवारी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में श्री हृदय शंकर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर से उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री तिवारी ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 16 मार्च, 2009 में उल्लेख किया कि चूंकि वित्तीय वर्ष (2007-2008) समाप्ति पर था अतः शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति, गुणवत्ता आदि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने का कार्य जनपद में मुख्य विकास अधिकारी का होता है तथा कार्यों का पर्यवेक्षण जिलाधिकारी/आयुक्त तथा शासन स्तर के उच्चाधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर किया जाता रहा है, इसलिए उनके द्वारा भी कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण प्रायः किया जाता रहा है। माननीय श्री बिरजू राम, सदस्य, विधान सभा द्वारा आरोपित तिथि को भी वह अपने कार्यालयी कार्यों के निस्तारण के उपरान्त सरकारी कार्य से क्षेत्र के भ्रमण पर थे तथा अपराह्न 3.30 बजे जब उक्त माननीय सदस्य से उनकी दूरभाष पर वार्ता हुई तो उनके (श्री तिवारी) द्वारा यह कहा गया कि भ्रमण से वापस आने पर मुलाकात कर लेंवें। श्री तिवारी ने अपने स्पष्टीकरण में आगे यह उल्लेख किया है कि भ्रमण कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण वह मुख्यालय पर देर रात पहुंचे एवं कार्यालय न जाकर सीधे अपने आवास पर चले गये। अगले दिन शनिवार दिनांक 26 जनवरी, 2008 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके द्वारा झण्डारोहण किया गया और इसके पश्चात् वह (श्री तिवारी) कार्यालय में बैठे थे। माननीय विधायक जी की अनुपलब्धता के कारण उनसे दिनांक 26 जनवरी, 2008 को भी मुलाकात नहीं हो सकी।

श्री तिवारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि माननीय विधायक जी का यह कथन कि उनके (श्री तिवारी) द्वारा तल्ख शब्दों में कहा गया कि "मंगलवार को मिलना हो तो मिल लेना।" उन्हें स्वीकार्य नहीं है। स्पष्टीकरण में उन्होंने (श्री तिवारी) यह उल्लेख भी किया है कि उन्होंने माननीय विधायक जी से ससम्मान कहा कि वह (श्री तिवारी) विकास कार्यों की समीक्षा/निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय भ्रमण पर हैं और वापस आने पर मिलेंगे। कदाचित देर हो जाने के कारण विधायक जी स्वयं चले गये। इसके बावजूद भी यदि माननीय विधायक जी को किसी प्रकार की असुविधा हुई तो इसके लिए उन्हें खेद है। साथ ही श्री तिवारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रकरण को निक्षेपित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह प्रकरण विशेषाधिकार-हनन की परिधि में नहीं आता है किन्तु श्री हृदय शंकर तिवारी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर से यह अपेक्षित था कि वह माननीय सदस्य, विधान सभा से

सम्पर्क कर उनकी क्षेत्रीय समस्याओं के विषय में उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी के साथ मैं प्रश्नगत प्रकरण को निस्तारित करता हूं।

श्री यशपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी, परियोजना निदेशक, महामायानगर (हाथरस) के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की समविषयक सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 एवं दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी, परियोजना निदेशक, महामाया नगर (हाथरस) के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की समविषयक सूचनायें अभिसूचित की गयी थीं।

माननीय श्री यशपाल सिंह चौहान, सदस्य ने विधान सभा द्वारा अपनी प्रथम सूचना में अवगत कराया गया था कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी हेतु परियोजना निदेशक, महामाया नगर (हाथरस) के कार्यालय में दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को पूर्वाह्न 11.30 बजे अपने सहायकों के साथ गये और अपना परिचय भी उन्हें दिया लेकिन परियोजना निदेशक श्री सिद्दीकी द्वारा माननीय सदस्य के प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नहीं किया गया, उनसे बैठने के लिए भी नहीं कहा गया और बात करने से भी साफ मना कर दिया गया। इस प्रकार माननीय सदस्य को अपमानित होकर परियोजना निदेशक के कार्यालय से वापस लौटना पड़ा। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में कहा है कि परियोजना निदेशक श्री सिद्दीकी द्वारा किया गया दुर्व्यवहारपूर्ण कृत्य विशेषाधिकार-हनन की श्रेणी में आता है। माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना पर विशेषाधिकार-हनन की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

अपनी दूसरी सूचना में माननीय सदस्य ने यह अवगत कराया है कि उन्हें जानकारी मिली कि दिनांक 16 अक्टूबर, 2008 की विधान सभा सचिवालय की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठक की सूचना मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में फैक्स द्वारा दी गयी है। दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को मुख्य विकास अधिकारी का कार्यभार भी उक्त श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी ही देख रहे थे। अतः बैठक की सूचना लेने जब वह परियोजना निदेशक, महामाया नगर (हाथरस), श्री मो0 गुलाम कादिर सिद्दीकी के पास गये तो उन्होंने अमर्यादित एवं अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए विधायिका, विधायक एवं पूरे सदन के प्रति अपमानजनक बातें कहीं जिनका उल्लेख अपनी मूल (प्रथम सूचना) में उन्होंने करना उचित नहीं समझा। इसकी सूचना उन्होंने मौखिक रूप से जिलाधिकारी, महामायानगर को दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को दे दी थी। माननीय सदस्य द्वारा अपनी दूसरी सूचना में वर्णित उक्त तथ्यों को अपनी प्रथम सूचना में जोड़ने का अनुरोध भी किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त परियोजना निदेशक श्री मो0 गुलाम सिद्दीकी का स्पष्टीकरण मांगा गया तदुपरान्त प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को सम्बन्धित परियोजना निदेशक को उनके स्पष्टीकरण सहित वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक 16 सितम्बर, 2008

को बुलाया गया। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, श्री मो0 गुलाम सिद्दीकी के साथ मेरे कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुए थे। श्री सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट की गई तथा यह कहा गया कि माननीय विधायक अथवा विधायिका की अवमानना किये जाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, फिर भी यदि माननीय विधायक को ऐसा आभास हुआ हो तो इस हेतु वे क्षमा प्रार्थी हैं। श्री सिद्दीकी को उक्त मामले में यह चेतावनी दे दी गई है कि वे भविष्य में माननीय विधायकों की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करेंगे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे माननीय विधायकगण के विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न उठे। इसी के साथ मैं इस मामले को निस्तारित करता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार दिनांक 21 अगस्त, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या-138 के उत्तर के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त, 2008 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण)" के निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह" द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक शून्य के सन्दर्भ में उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 138 का संशोधित उत्तर एवं प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना सदन को मैं देता हूं जो निम्नवत् है :-

[श्री सुधीर कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण)" के निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ 'मोती सिंह' द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक शून्य के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं "संशोधित उत्तर"।

प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1-क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-1900/एक-1/2003-12 (26)/2003-104-	जी हां।	जी हां।	राजस्व अनुभाग-3 के आदेश संख्या-492/1-3-2009-रा-3, दिनांक 20-2-2009 द्वारा प्रकरण में सम्बन्धित टंकक,

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व-1, दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विश्वकर्मा समाज (बढ़ई एवं लोहार) के लोगों को जीविकोपार्जन हेतु कार्यशाला (वर्कशाप) स्थापित करने के लिए ग्राम सभा में स्थित ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर आवंटित की जाती है ?			समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी को चेतावनी देते हुए भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए सचेत भी कर दिया गया है।
2-यदि हां, तो क्या उक्त वर्कशाप के आवंटन हेतु गजेन्द्र शर्मा, जितेन्द्र कुमार शर्मा एवं धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल ग्राम घुसवल कलां, परगना बिजनौर, जनपद- लखनऊ द्वारा तहसील दिवस दिनांक 06 मई, 2008 को तहसील दिवस प्रभारी, सदर तहसील लखनऊ को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ?	जी हां।	जी हां।	
3-यदि हां, तो उक्त शासनादेश की अपेक्षानुसार क्या आवेदनकर्ताओं को वर्कशाप हेतु भूमि आवंटित कर दी गयी है ?	जी हां।	जी नहीं।	
4-यदि नहीं, तो क्या सरकार शासनादेश का अनुपालन न करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भूमि का आवंटन आवेदनकर्ताओं को करेगी ?	पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पात्रता क्षेत्र में आने	पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। पात्रता क्षेत्र में आने	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	पर आवेदनकर्ताओं को भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	पर आवेदनकर्ताओं को भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	
5-यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।]	

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 †

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 ††

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 20-8-2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 20-8-2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक,2009 †

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

(मद संख्या-10 पुकारे जाने पर)

कानपुर महानगर में गृहकर की वृद्धि का प्रकरण उठाने का प्रयास

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, एक मिनट मेरी बात सुन ले। नगर निगम के महापौर और सारे के सारे सभासद आज सबेरे से यहां धरने पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, एक पूरा सदन एक संवैधानिक सदन जिस प्रकार से हमारे को अधिकार प्राप्त है लोकतंत्र के अन्तर्गत त्रिस्तर व्यवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सारी की सारी समस्याओं का निराकरण उससे होता है। पूरे का पूरा नगर निगम एक निर्णय कर लेगा और उस निर्णय को एक अधिकारी कह देगा कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे कानपुर महानगर में एक भयका वातावरण व्याप्त है। आम आदमी परेशान है जिसका 200 रुपया टैक्स आता था हाउस टैक्स उसको 20 हजार रुपया आने वाला है।

श्री अध्यक्ष-

किस नियम में इसे लाये हैं क्या व्यवस्था है आपकी ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं नियम-56 के अन्तर्गत लाया हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

---

† दिनांक 20-8-2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री सतीश महाना, श्री सलिल विश्नोई, श्री संजीव दरियाबादी एवं श्रीमती प्रेमलता कटियार सदन की वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आदरणीया कटियार जी, आपकी बात हम सुन लेंगे। आप लोग अपने स्थान पर जाइये।

(वेल में आये सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 7-8-2009 को नियम-311 की 11 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 की कुल 54 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

1-(1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह तथा श्रीमती अमीता सिंह की। (2) श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह, श्री बैजनाथ दूबे तथा श्री सर्वेश सिंह की। (3) श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा (4) चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-(1) श्री अम्बिका चौधरी, श्री जावेद अंसारी, डा0 कौशल किशोर तथा डा0 वकार अहमद शाह की। (2) श्री उदयराज यादव तथा श्री कुलदीप सिंह सेंगर की। (3) श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर तथा श्रीमती अमीता सिंह की। (4) श्री जगन प्रसाद गर्ग की। (5) श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, (6) श्री अशोक सिंह चन्देल, (7) श्रीमती शादाब फातिमा, (8) श्री अशोक सिंह चन्देल, (9) श्री आरिफ अनवर हाशमी, (10) श्री सनातन पाण्डेय, (11) श्री विनोद सरोज तथा (12) डा0 राजेन्द्र सिंह की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3-(1) श्री दीप नारायण सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अशोक सिंह चन्देल, तथा श्री विशम्भर सिंह यादव की (2) श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा दीप नारायण सिंह की प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बढ़ती मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5-श्री सुल्तान बेग की जनपद बरेली के ग्राम जाफरपुर में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

6-श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में शस्त्र सीमा बल के उपयोग हेतु 200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7-डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत के गन्ना किसानों का गन्ना क्षेत्र घटाकर दूसरे गन्ना मिल को देने के सम्बन्ध में।

8-डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर तथा श्री कृष्ण गोपाल पटेल की जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिल को सरकार द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9-श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद बलरामपुर के ग्राम शाहदुल्ला नगर में आबादी की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10-श्री अनूप सण्डा की प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11-श्री सोबरन सिंह यादव की अधिशासी अभियन्ता अष्टम् खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम इटावा द्वारा इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

12-श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा लोवर आगरा कैनाल परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में।

13-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज, तहबरपुर, मोहम्मदपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

14-श्री प्रदीप माथुर की नेशनल रोजगार गारण्टी अधिनियम (नरेगा) के अन्तर्गत प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

15-श्री सतीश महाना तथा श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में जी0आई0एस0 सर्वे के द्वारा गृहकर की वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16-श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कब्रिस्तान पर बुल्डोजर चलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

17-श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के ग्राम पन्थर पर कानपुर की लेदर फैक्ट्रियों द्वारा जमीन अधिग्रहीत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

18-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम में एक विशेष ठेकेदार को सफाई का ठेका दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत श्री श्यामदेव राय चौधरी की उ0 प्र0 टेक्नीकल यूनीवर्सिटी से सम्बद्ध निजी इंजीनियरिंग कालेजों के अनुत्तीर्ण छात्रों को विशेष परीक्षा से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा श्री अरविन्द गिरि की जनपद खीरी अन्तर्गत थाना हैदराबाद में ही पूर्व चयनित स्थान पर थाना भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं :-

डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री कौकब हमीद तथा डा0 अनिल चौधरी, श्री कुबेर सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री सुरेश्वर सिंह, श्री अरविन्द सिंह, श्री इमरान मसूद, श्री शम्भू चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री शिवगणेश लोधी, श्री शिवबालक पासी, श्री अशोक सिंह, श्री राजाराम त्यागी तथा डा0 अजय पाल सिंह।

केन्द्रांश का पैसा राज्य सरकार द्वारा अभी तक खर्च न करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दिये जाने सम्बन्धी नियम-56 की सूचना पर ध्यानाकर्षण

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्रीमन्, हमने भी कार्य-स्थगन की एक सूचना दी है। वह आपकी सूची में पढ़ी नहीं गयी। 4,500 करोड़ रुपया केन्द्रांश का अभी तक सरकार ने खर्च नहीं किया और अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र न भेजे जाने के कारण 15 हजार करोड़ रुपया जो मई-जून तक मिल जाना चाहिये था, वह अभी तक सरकार को नहीं मिला, जिसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध है। इसी विषय पर हमने आपको सूचना दी थी। उच्चाधिकारी प्रदेश के विकास में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं और वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह है। 15 हजार करोड़ रुपया जो मिल जाना चाहिये था वह अभी तक नहीं मिला है। जिसकी वजह से पूरा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। यह पैसा केवल इसलिये नहीं मिला क्योंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। इस विषय पर मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे हम अभी देखते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी आपने कहा था कि सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सुन लेंगे। पहले आप बैठ जायें और मा0 ओम प्रकाश जी की सूचना को भी हम दिखवा लेते हैं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की ग्राह्यता पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज अभी एक सवाल के जवाब में मा0 मंत्री जी द्वारा बताया जा रहा था कि लगभग 10 हजार मेगावाट विद्युत की प्रदेश को आवश्यकता है और मात्र 2800 मेगावाट उत्तर प्रदेश बिजली बना रहा है। मान्यवर, इस तरह से 7,200 मेगावाट का अन्तर मांग और आपूर्ति में है। अगर इसे मिलियन में तब्दील करें तो भी मान्यवर स्थिति लगभग यही बनकर आयेगी। मान्यवर, कुछ स्थिति इस प्रकार की है कि जितनी आपके पास बिजली है उससे चार गुना ज्यादा की जरूरत आपको है। यह 7,200 मेगावाट की कमी, मांग और आपूर्ति में जो अन्तर है, इसका कहर उत्तर प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। भीषण सूखा पड़ा हुआ है, औसत से कम वर्षा हुई है। फसलों को बचाने के लिए एक मात्र रास्ता अगर कोई है तो वह है बिजली और नहरें। मान्यवर, बिजली की यह क्षमता जहां हम 7,200 मेगावाट के बारे में बात करें तो प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। मान्यवर, यह संकट एक दिन में नहीं आता है मैं कहना चाहता हूं कि लगभग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1989-1990 के बाद से आज 2009 तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश ने अपनी बिजली क्षमता में 1 हजार मेगावाट की बढ़ोत्तरी की है और उत्तराखण्ड बन जाने के बाद 1 हजार मेगावाट बिजली उत्तराखण्ड चली गयी। मान्यवर, स्थिति आज 2009 में भी वहीं है जो वर्ष 1989 में थी। वर्ष 1989 में जो उपलब्धता थी वह उपलब्धता नहीं बढ़ी है जबकि मांग बढ़ गयी है। यह जो संकट है इसके लिये गैर कांग्रेसी सभी सरकारें बराबर की जिम्मेदार है।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहने पर सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, लगता है सर के ऊपर से चला गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां हमने छोड़ा था आज 20 साल बाद भी आप वहीं पर खड़े हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 1 हजार मेगावाट का उत्पादन बढ़ाया और उत्तराखण्ड बनने के बाद 1 हजार मेगावाट बिजली उत्तराखण्ड चली गयी इसलिए स्थिति आज भी वही है। समस्याओं का जो समाधान मैं देख रहा हूं, नयी सरकार मौजूदा सरकार ने दो साल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे यह आशा की जा सके कि बिजली का संकट दूर होगा। वादे हैं, घोषणाएं हैं लेकिन काम कुछ नहीं है। रिलायंस का प्रोजेक्ट आया, दादरी में चार साल में एक बाउन्ड्री ही बन पायी।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) पीठासीन हुए)

और कुछ हाईकोर्ट में मुकदमें हैं, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। कोई प्लाण्ट जिससे गैस ऊर्जा बनेगी उसका आर्डर अभी दुनिया के किसी बाजार में नहीं दिया गया है। यानि मानकर चलें 2500 एकड़ जमीन वह वहीं है और उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज की तारीख पर थर्मल प्लाण्ट शुरू करेंगे और यदि आदर्श स्थितियां रहीं तो 4 साल लग ही जायेगा अर्थात् 2009 में प्रारम्भ करेंगे तो 2013 में उत्पादन प्रारम्भ होगा। ऊर्जा मंत्री जी का बयान आया है हम वर्ष 2013 में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। शायद इसी 4 साल के अंतर को देखते हुए ही यह लाया गया है। कई प्लाण्ट मेजा, करछना में स्थापित करने जा रहे हैं लेकिन 4 सालों में प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? अगर 2800 मेगावाट और 10,000 मेगावाट की बीच का अंतर है तो न तो यहां आश्वासन से भला होने वाला है, न मेरी आलोचना से पूरा होने वाला है उसका एक मात्र रास्ता यही है कि बहुत से राज्य जो अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं, अगर उनसे आप ले सकें तो कुछ कमी दूर हो सकती है। अभी बताया कि गुजरात से लेना चाहते हैं लेकिन कोई पैसेज या कॉरीडोर नहीं मिल रहा है। हिमांचल, उत्तराखण्ड की क्या स्थिति है, वह आप बतायेंगे। एक नया राज्य सिक्किम भी बिजली उत्पादन कर रहा है उससे भी आप चाहें तो कुछ ले सकते हैं। केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध में हिसाब से जो मानक है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है। आपने मांगा 700 मेगावाट लेकिन आपको 100 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूशन में अतिरिक्त मिला है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है इस पर विचार करना होगा। अगर हमने दलीय बंधनों से उठकर निदान नहीं किया तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज आप कहियेगा, जरूर कहियेगा कि आप बहुत जल्दी करछना में शिलान्यास करने जा रहा हैं, सितम्बर, अक्टूबर में 3-4 परियोजनायें आने वाली हैं, उनसे थोड़ी स्थिति सुधरेगी। लेकिन मुझे

दुःख है कि मंत्री जी बहुत छापे मार रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, चोरी रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी चोरी बहुत कुछ लाईन-लॉस के नाम पर हो रही है, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। यह कैसे हो इस पर आप विचार करें। लाईन-लॉस के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा चोरी का है। रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि मंत्री जी आज यहां जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, मंत्री जी के छापे मारने से बिजली चोरी रुकने वाली नहीं है। यह क्यों हो रहा है इसका तकनीकी पहलू क्या है और जब तक इसका संज्ञान नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश को बताइये, जो कुछ आप बोलेंगे प्रदेश सुनेगा कि आगामी 4 वर्षों के लिए क्या कार्य योजना है और यह वर्ष 2013 तक होगा। यह तब होगा जब 2012 का चुनाव हो जायेगा नई सरकार का गठन हो जायेगा, नई विधान सभा बन जायेगी। मौजूदा विधान सभा के अन्तर्गत आप कितने मेगावाट बिजली देने जा रहे हैं। उसके बाद मांग और आपूर्ति में कितना फर्क रह जायेगा यह बताइये और यह बताइये कि कितना सुधार होगा ? अगर हम कहेंगे कि बिजली 3 घण्टे, 4 घण्टे, 5 घण्टे क्षेत्रों में मिल रही है तो आप कहेंगे कि 16 घण्टे बिजली मिल रही है। दबी जबान से पीछे बैठे आपके साथी भी आपके जवाब पर यकीन नहीं करेंगे दलीय अनुशासन है, वह कुछ नहीं पायेंगे लेकिन जितनी बिजली है उस बिजली से 4-5 घण्टे से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश को दे ही नहीं सकते। बिजली लायेंगे कहां से आसमान से तो आयेगी नहीं ? पिछले 20 सालों में उत्पादन हुआ नहीं। आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते क्योंकि 4 बार आ चुके हैं। फिर जरा बताइये इन चार बारों में कितने का आपने शिलान्यास किया तथा आज तक जिनका उद्घाटन हो पाया। यह मत बताइयेगा कि आज कितने का शिलान्यास करने जा रहे हैं जो सरकार आती है वह कुछ ऐसा बताती है कि अब यह होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। मैं किसी दल विशेष पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप यहां वातावरण पैदा करें बिजली के निवेश के लिए आज बिजली एक अच्छा उद्योग माना जा रहा है।

उद्योगपति इसमें निवेश करना चाहते हैं इसके लिए ऐसा वातावरण बनाइए कि निवेश के लिए लोग प्रस्तुत हों। जब तक निवेश नहीं होगा काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसे आलोचना प्रत्यालोचना के रूप में न लिया जाय बल्कि इसे समस्या के रूप में चुनौती के रूप में लिया जाय। यह सच्चाई है इससे आप इन्कार भी करेंगे तो भी कहीं न कहीं हृदय से आप भी स्वीकार करेंगे। मैं इसलिए प्रोत्साहित कर रहा हूं कि वहां बैठने से पहले आप एक विधायक हैं प्रदेश को पांच-छः घण्टे से ज्यादा बिजली देने की क्षमता नहीं है। एन0टी0पी0सी0 से या अन्य राज्यों से बिजली खरीद रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसके मद्देनजर इस सूखे को ध्यान मे रखते हुए आप गैर जरूरी खर्चे को रोक दीजिए, फिजूलखर्ची को रोक दीजिए मैं अगर किसी स्मारक का नाम ले लूंगा तो वित्त मंत्री जी को ऐतराज होगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन पर व्यय आप 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। बहुत से स्मारक 6 महीने बाद भी बन सकते हैं लेकिन किसानों को सूखे के समय बिजली आज जरूरत है आज जहां से भी संभव हो उन खर्चों में कटौती करके उनसे किसानों को बिजली उपलब्ध कराइए। खरीब की फसल को बचाइए यह जरूरी है यह काम आपको जुलाई, अगस्त, सितम्बर के महीने में भरपूर ढंग से करना है। यह डेफिसिट क्यों हुआ ऊंचाहार तापगृह जिसका

शिलान्यास हमने कराया था वह क्यों चला गया टाण्डा बिजलीघर जो हमने बनाया वह क्यों चला गया आप बताइये। एक दूसरे पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। जरूरत इस बात की है आप बताइए आप चार बार सरकार में आये आपने कितना जोड़ा कितने बिजली घर आपने बनवाए। बटन दबाने से आपके खाते में आ जायेगा। आपने कितनी बिजली पैदा की। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन सरकारों ने बिजली उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी उन्होंने उत्तर प्रदेश के हित के साथ द्रोह किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अक्षम्य अपराध किया है। आज अगर उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है तो यह गैर कांग्रेसी सरकारों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया। बिजली की जितनी दुर्दशा आज की सरकार में है उतनी कभी नहीं रही। यह बिजली की समस्या का जो विषय है यह तात्कालिक भी है और अविलम्बनीय भी यह लोक महत्व का तो है ही इससे बढ़कर दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है इसलिए इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विद्युत की नियम-56 की सूचनाओं पर ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो नेता कांग्रेस के द्वारा आ चुकी है। सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि बिजली के उत्पादन में और मांग में बहुत गैप है। आज एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया गया कि 10 हजार मेगावाट की मांग है और 2800 मेगावाट की आपूर्ति है। इतना बड़ा गैप है। इसको पूरा करने के लिए हमने समाचार-पत्रों से लेकर विधान सभाओं तक यह सुना कि लांग टर्म प्लानिंग इस सरकार की है शार्ट टर्म प्लानिंग के बारे में भी हम अनभिज्ञ हैं, सदन अनभिज्ञ है प्रदेश की जनता अनभिज्ञ है। वह कौन सी नीति अपनाई जा रही है कि जो आज की जरूरत है वह आज मिले और कल की जरूरत है वह कल मिले। सूखे की स्थिति है सिंचाई के लिए नलकूप भी चाहिए और विद्युत की वैसे भी आवश्यकता है सबसे बड़ी आवश्यकता कृषि के लिए है। आम जनजीवन के लिए है, उद्योग के लिए है हर क्षेत्र के लिए विद्युत की आवश्यकता है। लेकिन इस सरकार के पास कौन सी कार्य योजना है जो तुरन्त जनता की इस मांग को पूरा करने जा रही है। मैंने पहले भी कई बार इस सदन में कहा। बहुत से निजी उद्योग हैं, निजी क्षेत्र हैं जो बिजली पैदा करते हैं। 15-15, 20-20 मेगावाट बिजली इनके पास सरप्लस है। वह हमारी मांग को पूरी तरीके से पूर्ति तो नहीं कर सकते लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान उसमें दे सकते हैं। 15-15, 20-20 मेगावाट अगर हम उत्तर प्रदेश की 100 यूनिटों से परचेज करते हैं तो 1500-2000 मेगावाट हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मान्यवर, रोजा थर्मल पावर का सवाल है, उसके लिये भी कहा जाता है कि वह भी 2/3 महीने में प्रोडक्शन चालू करेगा। लगभग 900 मेगावाट बिजली उससे मिलने की संभावना है जो इस प्रदेश के लिये मान्यवर, एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हालांकि वह पिछली सरकार के कार्यकाल की देन है। आज मान्यवर, हम शाहजहांपुर से चुनकर आते हैं। शाहजहांपुर की कीमती जमीन उस थर्मल पावर को दी गयी। हमारी सबसे पहली मांग है कि हालांकि समझौते में तो नहीं है। कहेंगे कि पूल में जायेगी, ग्रिड में जायेगी मेन व्यवस्था में जायेगी लेकिन जहां पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस जमीन के योगदान से जिस जनपद से उस रिलायन्स को जहां से जमीन मिली, जहां से तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलीं, श्रम मिला, उस जनपद का भी अधिकार बनता है। खाली राख ही हमको दी जायेगी ? जो उसकी ऐश है वह शाहजहांपुर के हिस्से में आयेगी और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को रिलांयस के थर्मल पावर के द्वारा पैदा की हुई बिजली मेन पूल में चली जायेगी। मान्यवर, कोई न कोई व्यवस्था ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जिस स्थान पर यह कारखाना लगे उस स्थान पर राख के अतिरिक्त कुछ बिजली की सप्लाई भी मिलनी चाहिए। तीसरी बात मान्यवर, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर की तेल चोरी का इलाज आज तक विभाग नहीं ढूंढ पाया। यह समस्या लगातार बढ़ रही है। जहां पर 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर है ओवर लोडिंग के कारण रोज फुंक जाते हैं, इसका कोई स्थाई इलाज नहीं है। इसका स्थाई इलाज यही है कि हम बड़ी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगायें और तेल चोरी को रोकें। अन्यथा यह समस्या दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती चली जायेगी।

शाहजहांपुर के सम्बन्ध में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 72 घण्टे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था है जहां तक मेरी जानकारी है मान्यवर, आज तक वह शासनादेश लागू नहीं हुआ कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदला जाय। मान्यवर, 8 दिन, 10 दिन, महीना, दो महीना मैं आज भी इस सदन को बता सकता हूं कि दो-दो महीने से ग्राम टिकरा है हमारे क्षेत्र में भावलखेड़ा में वहां पर ट्रांसफार्मर और तार मान्यवर, दो महीने से ज्यादा समय से टूटे हैं, ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया, तार जोड़े नहीं गये। सुजातपुर गांव है वहां पर भी ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया। तार टूटे हुए हैं, वहां की जनता दो महीने से ज्यादा हो गये मांग कर रही है। बराबर धरना प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था की स्थिति हो गई। नेशनल हाई-वे मान्यवर, कई बार जाम हो चुका है। लेकिन मान्यवर, विद्युत विभाग के अधिकारी ऊपर देखते हैं और ऊपर से ट्रांसफार्मर मिलता नहीं तो यह पूरे प्रदेश की समस्या है। स्थानीय स्तर पर भी बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। ज्यादा लोड बढ़ने के कारण मांग ज्यादा बढ़ गयी और ट्रांसफार्मर बड़ा चाहिए लेकिन सरकार के पास नहीं है। तार टूटे हैं उसकी व्यवस्था नहीं। मान्यवर, स्टाफ की कमी, हमारे यहां एक नया डिवीजन सृजित हो गया लेकिन एक्सी0 इन0 नहीं। आज की तारीख में मान्यवर, 25 प्रतिशत स्टाफ चाहे एस0डी0ओ0 हो, ऐ0ई0 हो, लाइनमैन हो और एक एक्स0ईन0 तक उसकी कमी है मान्यवर। आखिरकार, इस समस्या का निदान कैसे हो ? मान्यवर, हम आलोचना प्रत्यालोचना की वजह से नहीं कह रहे हैं। बिजली की कमी है, यह सब स्वीकार करते हैं। कैसे बिजली की शार्ट टर्म आवश्यकता पूरी हो, इस साल पूरी हो, अगले साल पूरी हो इसके बारे में मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, आपके माध्यम से और अपने उत्तर में अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश जरूर डालें कि आखिर आज की जो आवश्यकता है वह कैसे पूरी होगी। आज पूरे प्रदेश में जो समस्या है, त्राहि-त्राहि है, तमाम धरना-प्रदर्शन हो रहा है, जगह-जगह जाम हो रहे हैं, कहीं आफिस का घेराव हो रहा है। लेकिन कोई भी स्थाई और अस्थाई योजना सरकार के पास नहीं है। शार्ट टर्म प्लान तो कोई है नहीं, इसलिये मान्यवर, आपने ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मैंने कुछ समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर दें उन समस्याओं के सम्बन्ध में प्रकाश डालें। मान्यवर, आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता-

सूचना में आपका नाम नहीं है। आप अपनी बात को एक मिनट में कह दें।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो बिजली की समस्या है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को बधाई तो कभी मिली नहीं होगी। मान्यवर, जो कानपुर महानगर को आपने प्राइवेट में देने की बात कही है अब वहां असमंजस की स्थिति है कि न घर के रहे न घाट के रहे। या तो मान्यवर, उनका निर्णय बदलवा दीजिए या फिर उनसे कहिये कि अपना काम करें। जनता चाहती है कि बिजली मिले, वह पैसे देने को तैयार है। लेकिन बीच में लटकाने का काम करें यह बात अच्छी नहीं है। मेरी बात आपको अच्छी न भी लगे तो भी आप इसका अच्छा सा जवाब दे दीजियेगा ताकि जनता की समस्या का समाधान हो उसका निराकरण हो, लोगों को बिजली मिले आज जो प्रदेश की स्थिति है वह सबको मालूम है मुझे भी मालूम है सबको मालूम है, इन्डस्ट्रीज पलायन कर रही है।

* श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस अहम् मुद्दे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, यह समस्या सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के रूप में न देखते हुए प्रदेश की समस्या के बतौर लेना चाहिए और यह चुनौती जितने भी हम सब विधायक यहां बैठे हैं सभी के लिए यह बड़ी समस्या है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है पूरे प्रदेश में बिजली चाहे शहरों में हो, चाहे देहात में हो, चाहे गांव में, वहां के किसानों की बात हो, चाहे फसल की बात हो, चाहे फैक्ट्रीज की बात हो, चाहे आम कन्ज्यूमर की बात हो, सभी लोगों को बिजली की कटौती से, बिजली की समस्या को झूझना पड़ रहा है। हम लोग जनता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इस हालात को देखते हुए यह नहीं कि हम सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष में बैठते हैं जनता तो यह देखती है कि आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी है, देखने के लिए बिजली आप दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं। मान्यवर, डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की जहां तक बात है उसमें भारी डिफरेंस है और उसमें प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बिजली जहां से भी खरीदे जैसे भी खरीदे। बिजली वह इम्पोर्ट करे, बाहर से खरीदे और प्रदेश को बिजली दे। तमाम खर्चे किये जा रहे हैं रोज आरोप प्रत्यारोप लगते हैं विभिन्न मदों में बड़ी रकम खर्च की जा रही है। आप सब लोगों को ज्ञात है सर्वविदित है मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस मद को बिजली की मद में लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे आपको जनता की दुआयें भी मिलेंगी और जनता को राहत भी मिलेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज पोजीशन यह है कि मंत्री जी दक्षिणांचल विद्युत निगम के परिकर में हैं आगरा और हाथरस में निवास करते हैं वहां पर ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनको 60 से 70 करोड़ तक का पेमेन्ट नहीं हुआ है। उनका एक प्रतिनिधि मण्डल आया था कि ट्रांसफार्मर कहां से रिपेयर करें सरकार को ट्रांसफार्मर कहां से दें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कमीशन देने के लिए जो हमारा पेमेन्ट है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह दे दें। हम ट्रांसफार्मर सप्लाई कर देंगे। आपने कहा है कि हम 24 घण्टे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदल देंगे आपके स्टाक में मैटीरियल नहीं है। बिजली के खम्भे नहीं हैं, लाइन्स नहीं हैं, तार नहीं है, इतना बुरा हाल है। अगर कोई आम किसान ट्रांसफार्मर को लेकर जाता है चार-चार दिन खड़ा रहता है तब तक वह ट्रांसफार्मर किसानों को नहीं मिल पाता है। किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है पिछली सरकारों में ट्यूबवेल लगाने के लिए किसानों को काफी राहत दी जाती थी। मैं समझता हूं कि आपकी सरकार में किसानों को ट्रांसफार्मर और बिजली कनेक्शन ट्यूबवेल के लिए देने की कोई राहत नहीं है। आप किसानों को राहत दें। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्दर मथुरा वृन्दावन आता है और लाखों तीर्थ यात्री वहां आते हैं मैं आपके एम0डी0 साहब से कई बार कह चुका हूं कि हमेशा से वह कटौती मुक्त रहा है। पूरे देश और प्रदेश में उसका रिफलेक्शन जाता है। गोवर्धन में, नन्दगांव में, बरसाना में, मथुरा में, वृन्दावन में, स्थानीय निवासियों को बिजली नहीं मिलती है तो बाहर से आने वालों को तो बिजली मिले। मैं चाहूंगा वहां रोस्टरिंग बन्द कराइए। वहां बराबर बिजली दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है।

श्री प्रदीप माथुर-

ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम जो वहां चल रही है उसकी जांच कराइए। केन्द्र सरकार ने इतना पैसा दिया क्या काम हुआ वह पैसा कहां गया। वह मैटीरियल कहां गया उस ए0पी0डी0आर0पी0 से जिन लोगों की जुगाड़ थी उन्होंने काम करा लिए। आज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो आज क्यों नहीं 60 मेगावाट और 100 मेगावाट के पावर प्लाण्ट, कंसट्रक्टिव पावर प्राइवेट-पब्लिक सेक्टर में लगवाते। आज दो-दो जिलों के बीच में 100-100 मेगावाट के पावर हाउस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत लगवाते, बिजली की आपकी जो गम्भीर समस्या है, उसका निदान होगा। इसकी आप प्लानिंग करिए, इसको आप जल्दी कराइये। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अन्तर्गत तमाम लोग आने को तैयार है। ऐसा माहौल बनाइये कि लोग आपको पावर का उत्पादन करके दें जिससे लोगों की ऊर्जा की समस्या का निदान हो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप जब निचले स्तर से काम करेंगे एक लाइन मैन से लेकर पावर स्टेशन के एक उच्चाधिकारी तक तभी इसमें सुधार हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी पूरी बात आ गयी है।

माननीय मंत्री जी।

(श्री विद्या सागर गुप्ता के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपका इसमें नाम नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को पुकार लिया है।

(श्री विद्या सागर गुप्ता ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कमी पर चिन्ता व्यक्त की)

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी यहां होते तो बहुत अच्छा लगता और उन्होंने 311 में जो सूचना दी उन्होंने इसमें दिखाया कि 6000 मेगावाट के आस-पास बिजली की आपूर्ति की जा रही है। मान्यवर, करीब 15 दिन पहले मैंने स्वयं जाकर देखा 8000 मेगावाट बिजली की सप्लाई हम दे रहे हैं और जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इससे ज्यादा सप्लाई नहीं दी गयी है। मैं मानता हूं कि 2000 मेगावाट से लेकर के 2500 मेगावाट तक की कमी है बिजली की। माननीय प्रमोद तिवारी जी बता रहे थे कि 1989 के बाद कोई पावर हाउस नहीं लगा है, यह सही है 1989 में अनपरा-बी लगाया गया था और अनपरा-बी के बाद अगर कोई पावर हाउस किसी सरकार ने लगाने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। 30-11-2007 को बहन जी ने 420 मेगावाट का पावर हाउस पारीक्षा झांसी जनपद में लगाने का काम किया, जिसका लोकार्पण 2007 में किया है। 1995 में केवल 4 महीने सरकार रही, 1997 में केवल 7 महीना हमारी सरकार रही, उस समय ये संभव नहीं था कि कोई बड़ा काम हो सकता लेकिन बहन जी जब तीसरी बार मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने 420 मेगावाट का पावर हाउस लगाने का काम उ0 प्र0 में किया जिससे आज लगभग 400 मेगावाट बिजली प्रदेश को मिल रही है। माननीय खन्ना साहब जो समस्या खड़ी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है वह मैं कहूंगा तो आप सब हल्ला मचाने लगेंगे लेकिन मैं कटु सत्य कहूंगा जरूर। प्रमोद जी आज चले गये हैं, हुकुम सिंह जी भी नहीं हैं वह होते तो बहुत अच्छा लगता। प्रमोद तिवारी जी, हुकुम सिंह जी दोनों लोग ऊर्जा मंत्री रहे हैं। यहां पर बैठ करके पिछले 20 सालों में लंबे चौड़े भाषण होते रहे हैं। पिछली सरकार ने जमीन ले ली. अधिग्रहण कर लिया लेकिन पावर हाउस अभी तक नहीं लगा है। भाषण देते रहे कि पावर हाउस लगा रहे हैं। खन्ना साहब आपने पावर हाउस लगाया नहीं बल्कि उन्हें बेचने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1992 में कौन मुख्य मंत्री था ? 420 मेगावाट का पावर हाउस बेचने का काम किसने किया ? एन0टी0पी0सी0 को उसे बेच दिया। मान्यवर, इसी प्रकार ऊंचाहार परियोजना टाण्डा 925 करोड़ रुपये में जनवरी 2000 में एन0टी0पी0सी0 को बेंच दिया। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री रहे, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्य मंत्री रहे, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया ? एक भी पावर हाउस नहीं लगाया बल्कि बेचने का काम किया है। माननीय शिवपाल जी नहीं हैं उन्होंने कहा कि पावर हाउस लगायेंगे नहीं लगाया लेकिन जमीन अवश्य अधिग्रहीत कर ली। प्रमोद जी चले गये मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार से सहयोग चाहते हैं लेकिन भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। 300 मेगावाट बिजली गुजरात से मिली है लेकिन रास्ता नहीं दे रहे हैं। 700 मेगावाट बिजली देने के लिए माननीय श्री सुशील कुमार शिन्दे जी से मिलकर अनुरोध किया, मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के और लिखकर के दिया लेकिन 100 मेगावाट बिजली दी गयी और मान्यवर, हिन्दुस्तान में पहली बार सबसे ज्यादा कार्य योजना बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया है। हमने 2017 तक की कार्ययोजना बनाने का काम किया है और चौथी बार जैसे ही बहन जी मुख्य मंत्री बनीं थीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाया जाए और इसके लिए 10000 मेगावाट बिजली के पावर हाउस लगाये जाएं।

मान्यवर, जो पहले से परियोजनाएं चली आ रही हैं, पारीछा, हरदुआगंज में हमने तेजी से काम शुरू कराया है, 500 मेगावाट का पारीछा में, 500 मेगावाट का हरदुआगंज में और मान्यवर, 1000 मेगावाट का काम अनपरा-डी में शुरू करा दिया है। धरातल पर काम चल रहा है। यह नहीं कि केवल भाषण हो रहे हैं, खन्ना जी आप जाकर के देख सकते हैं। अनपरा-सी में देख सकते हैं। 1000 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। मेजा में भी काम शुरू हो चुका है। मान्यवर, कोई भी परियोजना बनाने में थर्मल पावर हाउस बनाने में लगभग 36 महीने से लेकर 4 साल लगते हैं, हम बताना चाहते हैं, 2009-2010 में हमारा पारीछा और मेजा का क्रमशः 500 मेगावाट और 600 मेगावाट उत्पादन हो जायेगा, इस प्रकार कुल 1100 मेगावाट हो जाएगा और 2010-2011 में मान्यवर, हरदुआगंज से 500 मेगावाट, अनपरा-सी की प्रथम इकाई से 600 मेगावाट उत्पादन होने लगेगा। मान्यवर, 2011-2012 में लगभग 2930 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2012 में उ0 प्र0 बिजली के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जाएगा। इसी प्रकार मान्यवर, 2013-14 में 12 परियोजनाओं से 1320 मेगावाट बिजली हमें मिलने लगेगी। करछना परियोजना से 1320 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। अनपरा-सी से 1320 मेगावाट बिजली मिलेगी और मेजा परियोजना से 1040 मेगावाट बिजली मिलेगी।

इस तरह से कुल मिलाकर के 5000 मेगावाट बिजली मिलेगी। उस दिन आप यहां पर खड़े थे हमारे बी0जे0पी0 के साथी और कह रहे थे हाय बिजली, हाय सूखा। इस हाय बिजली के लिये कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार है इससे पहली सरकार। अगर किसी ने काम करना शुरू किया है और बिजली पर विशेष ध्यान दिया है जो कि हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में नहीं हो रहा है वह बहन कु0 मायावती की सरकार ने किया है। 2015-16 की जो परियोजना हमने बनाई है दोपह परियोजना 1320 मेगावाट, जवाहर परियोजना 1320 मेगावाट, ललितपुर परियोजना 2000 मेगावाट, यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना 2000 मेगावाट। मान्यवर, इस तरह से हम 2015-16 में 6640 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। 2016-17 में हम ललितपुर परियोजना से 2000 मेगावाट, दोपह परियोजना से 660 मेगावाट का उत्पादन करेंगे। इस तरह से 24310 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की कार्य योजना हमारी बन चुकी है और युद्ध स्तर पर काम जारी है और अभी 15 दिन पहले ही हमने बारा, करछना जो 3300 मेगावाट की परियोजना है उसके लिये हमने पूरी कार्यवाही कर दी है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिनों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी उसका शिलान्यास करने वाली हैं तो जब उत्पादन नहीं होगा डिमांड लगातार बढ़ रही है सप्लाई इतनी हम कर नहीं पा रहे हैं तब उसके लिये जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारी सरकार एक बार 6 महीने रही, एक बार 4 महीने रही और जब 15 महीने सरकार रही तो हमने 400 मेगावाट बिजली का पावर हाउस लगाया और जो अब हमारी स्थायी सरकार बनी है पांच साल के लिए तो हम इस पांच साल में इतनी बिजली पैदा कर देंगे जो हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में नहीं होगी। हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।

मान्यवर, आप कहें हम प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं आपको। काम चल रहा है धरातल पर। यहां पर हमारे माननीय नरेश अग्रवाल जी थे वह एक दिन कह रहे थे कि भाई रामवीर उपाध्याय जी जो आपने बताया वह कैसे हो रहा है तो मैंने कहा कि आप धरातल पर जाकर देखिए। मेजा

में जाकर के देखिए, पारीक्षा में जाकर के देखिये, हरदुआगंज में जाकर देखिये। काम चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के देखता हूं कोई कमी होती है तो मैं अधिकारियों को बताता हूं कि हां यह कमी है इस कमी को पूरा करो। तेजी से काम करो।

मान्यवर, बिजली का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, चोरी रोकने का भी काम हम कर रहे हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, आपके पास पैसे की कमी है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, बजट में कोई कमी नहीं है पैसे की कोई कमी नहीं है। बिजली के लिए बहन कु0 मायावती जी ने बजट में पूरी व्यवस्था की है, उन्हीं के दिशा-निर्देशन में यह कार्य योजना बनाई गई है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम 2013 तक तो हम कम से कम 2000 मेगावाट बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचने लगेंगे। आज हमको बिजली कहीं से नहीं मिल रही है। हिमांचल प्रदेश से मिल रही थी। प्रमोद जी चले गये, कह रहे थे कि हिमांचल से मिल रही थी तो क्या हुआ। हिमांचल में बारिश कम हो रही है, वह हाइड्रो का प्रोजेक्ट था। वहां से हमको 300 मेगावाट के करीब बिजली मिलती थी। वहां बारिश कम हो रही है इसलिए उनका प्लान्ट बंद है, वहां से बिजली हमको नहीं मिल पा रही है। गुजरात में हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी से, हमारे कांग्रेस के साथियों से कि सिफारिश करो हमारी, माथुर साहब से कहना चाहता हूं कि सिफारिश करिये हमारी कि गुजरात से रास्ता दिलवा दें। अथॉरिटी दिलवा दें। हमारी जरूरत की बिजली हमको मिलने लगे। मान्यवर, पूरे युद्ध स्तर पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

* डा0 पी0 के0 राय-

माननीय ऊर्जा मंत्री ने बड़ा ओजस्वी वक्तव्य अपना दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सरकार के अलावा और किसी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में एक कदम भी कार्य नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से केवल एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि करछना, पारीक्षा, विष्णुप्रयाग यह योजनाएं कब शुरू हुई हैं और किसके कार्यकाल में शुरू हुई हैं। कृपया इतना बता देने की कृपा करें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, बारा, करछना की परियोजना हमने ही शुरू की थी और हमने ही उनको जमीन उपलब्ध कराई, हमने ही कोयले की व्यवस्था कराई, विष्णुप्रयाग तो बहुत पुरानी परियोजना है उसे तो बिजली 2-3 साल पहले से मिल रही है। नोयडा, गाजियाबाद के लिये भी हमने कार्यवाही की।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, ये परियोजनाएं माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में शुरू हुई थीं। मान्यवर, इसे स्वीकार करें कि किस कार्यकाल में मिला है। माननीय मुलायम सिंह यादव के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यकाल में मिला है इसको स्वीकार कर लें इसमें क्या दिक्कत है। चाहे वह पारीक्षा की बात हो या विष्णुप्रयाग की दोनों ही जगह से उत्पादन उस कार्यकाल में हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, श्री प्रदीप माथुर जी को सुना, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कोई समुचित उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं और मेरा भारतीय जनता पार्टी दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना व उनके दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

* नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, बिजली की आपूर्ति की समस्या पूरे प्रदेश में व्याप्त है जो मंत्री जी ने कहा कि किसी सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है मंत्री जी। हो सकता है आपने प्रयास किया हो, चाहे भले ही सफल न हुए हों। क्योंकि अगर सफल हुए होते तो बिजली की दिक्कत कम से कम इस प्रदेश में न हो रही होती। मान्यवर, हमारी सरकार के समय में 12 घण्टे से बढ़ाकर 14 घण्टे आपूर्ति की गयी थी, फिर 14 घण्टे से बढ़ाकर 16 घण्टे की गयी और फिर 16 घण्टे से बढ़ाकर 20 घण्टे की गयी और 10-12 जिले उसमें ऐसे थे जिसमें 24 घण्टे बिजली जा रही थी। मान्यवर, आपके समय में तो बहुत लोगों को तो जेल में भी बन्द कर दिया गया, बहुत लोगों पर जुर्माना भी लगा दिया गया और बहुत स्थानों पर फैक्ट्रियां और ट्यूबवेल भी बन्द कर दिये गये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार के समय में पूरे प्रदेश में एक भी किसान बंद नहीं हुआ था और रेवन्यू भी बढ़ा था। आपके समय में रेवन्यू भी घटा है और दूसरी ओर लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही है। आपने कहा कि दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया। यह हो सकता है कि किसी सरकार ने नहीं किया हो। लेकिन मान्यवर, हमारी सरकार के समय में जो हुआ उसको मैं बताना चाहता हूं।

समाजवादी पार्टी की विगत सरकार में प्रदेश में पहली बार 12 वर्षों बाद विद्युत उत्पादन में विष्णु प्रयाग एवं पारीक्षा की दो नई परियोजनाओं से 622 मेगावाट का उत्पादन बढ़ा।

स0पा0 सरकार में तीन नई विद्युत परियोजनाओं हेतु करार किया था जिससे जुलाई, 2010 तक 1930 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होना था। यह परियोजनाएं निम्नवत् हैं:--

1-अनपरा सी परियोजना 1000 मेगावाट, का करार मे0 लेंको कोंडापल्ली समूह से किया गया था।

2-रोजा (शाहजहांपुर) 600 मेगावाट का करार मे0 रिलायंस एनर्जी जनरेशन लि0 से किया गया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3-श्रीनगर विद्युत परियोजना, 330 मेगावाट का करार मे0 अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जी0वी0के0 समूह से करार किया गया।

उक्त के साथ ही स0पा0 सरकार में पारीक्षा एवं हरदुआगंज तापीय बिजली घरों का विस्ताार कर यहां कुल 1000 मेगावाट क्षमता की चार नई इकाईयां स्थापित करने का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिक कं0 लि0 (भेल) ने प्रारम्भ कर दिया था। तथा 1000 मेगा वाट क्षमता की अनपरा डी की भी भेल से उत्पादन प्रारम्भ कराने की तैयारी दिसम्बर, 2006 से प्रारम्भ कर दी गयी थी। प्रदेश में पहली बार चीनी मिलों से भी 500 मेगावाट बिजली हासिल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी। इस प्रकार सपा सरकार में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजन करने का और लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए इलाहाबाद के शंकरगढ़ क्षेत्र में पिट हेड पर 1000-1000 मेगावाट के दो, सोनभद्र जिले में पिट हेड पर 2000 मेगावाट का एक बिजलीघर लगाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया था। ओबरा तापीय बिजली घर का विस्तार कर वहां भी 1000 मेगावाट बिजली उत्पाद का लक्ष्य रखा गया था।

माननीय मंत्री जी यह बता दें कि 2010 तक 13000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का जो करार किया गया था उसकी क्या स्थिति है उसके उत्पादन की स्थिति क्या है ? और आपको जरूरत है 1000 मेगावाट की।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इसको अग्राह्य कर दिया था लेकिन माननीय मंत्री जी बताना चाहें तो बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल उस समय यहां नहीं थे। आप कह रहे थे कि हम 13-14 घण्टे बिजली दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2006 जुलाई तक 131 मिलीयन यूनिट की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हो रही थी, वर्ष 2007 में जुलाई में 150 मिलीयन यूनिट हो रही थी और आज हम 173 मिलियन यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं। उस समय से जब आपकी सरकार थी उस समय से हम 30 प्रतिशत ज्यादा बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। यह मैं तथ्य बता रहा हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सीधी-सीधी बिजली चोरी हो रही है तो यह चोरी रोकने का क्या उपाय है।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, नेता विरोधी दल भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं। करार तो पहले किया। करार की फाइलें चलीं, लेकिन धरातल पर काम किसने किया। काम किया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, बहन कुमारी मायावती जी ने। करार हुआ लेकिन हुआ क्या ? अनपरा-सी जो वर्ष 2002 में लगना था। जे0वी0आई0सी0 बैंक ने लोन स्वीकृत कर दिया था। मुझे याद है। 25 अगस्त् को हमारी सरकार गयी थी, 29 अगस्त् को जे0वी0आई0सी0 भारत सरकार के जापान के अधिकारी यहां आये थे। हम वित्त मंत्री भारत सरकार से मिले थे तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिले थे, माननीय मुख्य मंत्री जी मिली थी, और जापान के एम्बेसडर से भी मिले थे। हमारी 1000 मेगावाट की परियोजना वर्ष 2002 में लगनी थी। उसके बाद आपकी सरकार आयी और उसने बदल लिया।

उसने एक उद्योगपति को देने के लिए जो हमने 4 साल मेहनत की थी उसको पीछे ले गये। यह किसी एक उद्योगपति को देना चाहते थे। ग्लोबल टेण्डर हुआ वह उसमें आ नहीं पाये। अगर अनपरा-सी हमारा आ गया होता तो 1000 मेगावाट की हमारी बिजली बढ़ गयी होती, जो आज त्राहि-त्राहि हो रही है वह नहीं हो रही होती। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बेचे इन्होंने, ऊंचाहार, टांडा इन्होंने बेचा। आपने पत्रावलियां चलायीं, धरातल पर कोई काम नहीं किया। मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। हम 173 मिलीयन यूनिट आज दे रहे हैं। 8000 मेगावाट से ज्यादा बिजली आज हम सप्लाई कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने नेता विरोधी दल और माननीय मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य किया जाता है। दूसरी सूचना-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें। मान्यवर, यह नियम-56 की जो नियमावली है उसमें नियम-58 के उप नियम-6 में दिया है कि "प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो।" इसी प्रकार से उप नियम-5 में दिया है कि "प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।" मान्यवर, कानून-व्यवस्था का प्रस्ताव, माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तथा माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, सभी माननीय सदस्यों ने दिनांक 04 तारीख को लाने का काम किया था और इस पर विस्तृत रूप में बातें आ गयी थीं और मैंने उत्तर भी दे दिया था। तो आज फिर से उसी विषय को उठाया जा रहा है। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि यह नियम-56 में नहीं आता है, इसे आप अग्राह्य कर दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, चूंकि मा0 अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया था, इसलिए केवल दो-दो मिनट सुन लेते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कोई व्यवस्था देने से पहले मुझे जरूर सुन लीजिएगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक ही विषय को बार-बार क्या सुनना ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, तारीख बदलती रहती है और तारीख के बाद, आजकल अपहरण, बलात्कार की इनकी इतनी आदत पड़ गई है, इस सरकार में कि अगर मान लीजिए कल एक घटना हो जाए तो परसों हमनें उठाया था तो कल वाली नहीं उठा सकते।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, शुरू करें।

* श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दे पर जिसका दम्भ यह सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर के भरती है, ऐसे मुद्दे पर बोलने का आपने अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 04 तारीख को उन्नाव जनपद के बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र का एक नवयुवक अपने घर से निकलता है, अपनी नाभी के इलाज के लिए, चन्द्रलोक शीतालय के पास जो बांगरमऊ शहर में स्थित है वहां पर पहुंचता है और किसान होने के नाते वह अपनी आलू की फ़सल की कीमत उस शीतालय से लेकर जब निकलता है तो गांव के ही एक मामूली झगड़े में जो झगड़ा एक दिन पहले ही हो चुका होता है, बांगरमऊ थाने की पुलिस वहां का दरोगा उस नौजवान को सुबह आठ बजे पकड़ कर लाता है, 11.00 बजे तक उसकी स्थिति हवालात में बन्द करने के बाद भी ठीक रहती है। 12 बजकर 15 मिनट पर वही दरोगा उस नौजवान को लेकर बांगरमऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाता है और वहां से 15 मिनट बाद उसी नौजवान को वहां से रिफर करा कर लखनऊ के ट्रामा सेण्टर की ओर पुलिस अभिरक्षा में वह लोग लेकर चल देते हैं, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस नौजवान को मारने के बाद पुलिस ने तमाम कृत्य किये। पहले उस नौजवान को लुटेरा बनाया, उसके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया, जब उसकी मृत्यु हो गई तो गांव के मामूली झगड़े में जिन लोगों से उसका मामूली झगड़ा हुआ था, उन लोगों को, पुलिस ने पांच आदमियों को अपनी तरफ से उस घटना का मुल्जिम बना दिया और हद हो गई माननीय अधिष्ठाता जी कि तीसरे दिन कल फिर एक मुकदमा लिखा गया और उसमें उन लोगों के नाम बदल कर दूसरे लोगों के नाम लिख दिये गये। कानून व्यवस्था का दम्भ भरने वाली इस सरकार ने अभी कल की एक घटना है, 01 तारीख का एक बच्चा गायब होता है, उसके परिवार के लोग उसकी प्रार्थना जनपद में कोतवाली पुलिस से करते हैं और उसी पुलिस ने उसको ढूंढने के बजाय जब जनता इकट्ठा होती है, उन्नाव जनपद के इकछौरामऊ थाने में तो पुलिस लाठियां चलाती है, गोली चलाती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती है। हमारा आपसे निवदेन है, सरकार से मांग है कि जब पुलिस की अभिरक्षा में श्वेत कुमार उर्फ राजू यादव की हत्या की गई है, पुलिस ही अगर उसकी जांच करेगी तो दूसरे जनपद की पुलिस से उसकी जांच करा ली जाय और परिवार को न्याय देने का काम किया जाय, यह हमारी मांग है।

*श्री उदयराज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो लोग प्रदेश की जनता की हिफाजत करने का काम करते थे, आज वह किस तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी बांगरमऊ-उन्नाव की एक घटना का जिक्र किया गया था। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, 04 तारीख को श्वेत कुमार उर्फ राजू यादव, ग्राम भावतपुर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बांगरमऊ में रह रहे थे उनका 03 तारीख की शाम को किसी पड़ोसी से विवाद होता है। पुलिस पैसा लेकर, जो आज पुलिस थानों में बैठकर केवल लूटने का काम कर रही है एक पक्ष से पैसा लेकर के राजू यादव को चौराहे से सुबह सवा आठ बजे गिरफ्तार करके ले जाती है पैसे के बल पर जो दरोगा पकड़ करके ले गया अनिल राय सब इन्सपेक्टर और उसके दो हमराही सिपाहियों ने थाने में ले जाकर के उसको बुरी तरह से मारने पीटने का काम किया और फिर उसको हवालात में बन्द किया। हवालात में उसकी हालत बिगड़ने पर उसको सवा बारह बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरमऊ में भर्ती कराने का काम किया गया बांगरमऊ के डाक्टर ने उसको तुरन्त रिफर किया कि इसको आप लखनऊ के ट्रामा सेन्टर ले जाइये इसका यहां पर इलाज हो पाना सम्भव नहीं है। ठीक 12.35 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांगरमऊ से राजू यादव को रिफर किया जाता है। ट्रामा सेन्टर पर राजू यादव को लाते समय राजू यादव की मृत्यु हो जाती है। पुलिस ने उसके बाद भी उसको यहां पर ट्रामा सेन्टर में लाकर के उसको अपनी अभिरक्षा में भर्ती कराया जहां पर डाक्टरों ने उसको मृत घोषित करने का काम किया। इतना ही नहीं पुलिस ने अपने इस अपराध को छिपाने के लिये प्रयास किया कि इसका पोस्टमार्टम न किया जाय। वहां उसके परिवार के लोग थे, मुझे भी जानकारी मिली मैंने भी कहा कि नहीं इस लड़के का पोस्टमार्टम कराया जाय तब जाकर उस लड़के का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने अपनी बचत के लिये क्या किया कि राजू के खिलाफ जिन लोगों से उसका विवाद हुआ था प्रदीप कुमार यादव उससे एक प्रार्थना-पत्र ले करके लूट का अभियोग पंजीकृत करने का काम किया और 4 तारीख को जैसे ही मालूम हुआ कि राजू यादव की मृत्यु हो गयी है पुलिस ने एक दूसरा खेल किया कि उस लूट के मुकदमें को तुरन्त एक्सपंज करके प्रदीप यादव और ठाकुर प्रसाद यादव इन लोगों के खिलाफ 147 और 304 का मुकदमा दर्ज करने का काम किया। मान्यवर, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि अगर स्थानीय पुलिस उस विवेचना की जांच करेगी, अगर उन्नाव जनपद की पुलिस उसकी जांच करेगी तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि जिन लोगों ने राजू यादव की हत्या करने का काम किया है उसको बचाने का काम किया जायेगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से मृतक राजू के परिवार वालों को 5 लाख रुपया मुआवजा देने का काम किया जाय और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का काम किया जाय और साथ ही इसकी जांच को सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने का काम किया जाय।

मान्यवर, दूसरी घटना आज कानून का राज बताने वाले लोग, मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि बराबर यह कहा जाता है कि सारे पुलिस कप्तानों को यह निर्देश दे दिया गया है कि जो थाने जाय उसका मुकदमा पंजीकृत किया जाय। कल उन्नाव में कानपुर लखनऊ मार्ग में जो घटना हुई उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे एक ही कारण था कि एक अगस्त को सोमदत्त नामक लड़के का जिसकी उम्र मात्र ढाई वर्ष की थी वह अपनी मां के साथ उसकी मां दही की चौकी उन्नाव सब्जी लेने गयी थी वहां पर लोगों ने उस लड़के के अपहरण करने का काम किया। पहली तारीख को जब फरियाद लेकर कोतवाली जाती है तो कोतवाली में उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है कल प्रातः किसी ने कहा कि सोहरामऊ के पास एक फैक्ट्री है उसमें आपके लड़के को बलि दे दी गयी है उसके मां बाप जब वहां गये और वहां गांव के लोगों

से कहा, गांव के लोगों में उत्तेजना हुई और वह वहां पर जाकर थाने के सामने सड़क पर बैठ गये। पुलिस ने क्या किया उन निर्दोष लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर कम से कम हजार दो हजार लोग थे उनके ऊपर लाठियां और गोलियां चलाने का काम किया। जिसके कारण गोली लगने से मिर्जापुर गांव का निवासी पुत्तन जिसके बाप का नाम रामशंकर है जो दलित परिवार से ताल्लुक रखता है उसके परिवार में गोली लगी और इतना ही नहीं उसके बाद वहां पुलिस क्या कर रही है कि आस पास के गांव के कम से 100 लोगों को लाकर के, निर्दोष लोगों को लाकर फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम कर रही है। मान्यवर, यह खेल यही पर खत्म नहीं होता है आज प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप देखें अभी सुल्तानपुर की घटना है आपके पड़ोस की घटना है दिनांक 5-8-2009 को एक महिला जिसका नाम है सुमन सिंह, सुमन सिंह के साथ दिनांक 5-8-09 को बलात्कार की घटना होती है। वह थाने जाती है, थाने में उसका अभियोग पंजीकृत नहीं किया जाता है और जब वहां के पूर्व सांसद जो कभी बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे वह जब वहां पर जाते हैं कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाय तो मान्यवर, उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता है उल्टे पूर्व सांसद के खिलाफ अभियोग दर्ज करने का काम पुलिस कर रही है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूं। आज सरकार में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, मंत्री हैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो आप कानून का राज बताने का काम कर रहे हैं जो कानून की दुहाई देते हैं सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा देते हैं उस पर अमल करने का काम करें और लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। अन्त में मैं पुनः राजू की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, पूरे मामले की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराने तथा 5 लाख रुपया मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक ऐसे.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक दिन में एक ही कार्य-स्थगन होगा । एक कार्य-स्थगन इनका पहले हो चुका है। अब दूसरा लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने एक सुन लिया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने चूंकि एक विनिश्चय कर लिया तो सुन लेते हैं वैसे नियमों के अन्तर्गत यह नहीं होना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पहली सूचना नियम-311 में थी और अब दूसरी नियम-56 में है। नियम-311 वाली सूचना को माननीय अध्यक्ष जी ने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया था, अब आप उनके विवेक को चुनौती दें तो यह आपको शोभा नहीं देता। पता नहीं क्यों मान्यवर, आजकल यह अध्यक्ष जी के खिलाफ हर वो काम करते हैं, जो अध्यक्ष जी कर जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम तो नहीं करते लेकिन यह क्या कर जाते हैं, यह कोई जान ही नहीं पाता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया।

श्री लालजी वर्मा-

तो मान्यवर, दो 56 हो गये तो एक तो स्वतः कैन्सिल हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, इनका अग्राह्य कर दीजिये। इनका सुनिये ही नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं और सिर्फ दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। इस समय मैं वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि इस समय जंगलराज कायम हो गया है आपके राज में। आप जबसे आये हैं आपने अपहरण बढ़ा दिया है। आपके राज में बलात्कार ज्यादा होने लगा है। आप जबसे आये हैं छिनैती ज्यादा होने लगी है। आप जबसे आये हैं लूट के मामले बढ़ गये हैं। मेरा मतलब आपसे नहीं है, आपकी सरकार से है। मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं मान्यवर, कि मैं आंकड़ों के अनुसार इस बात को रखना चाहता हूं जो आंकड़े आपके हैं। एक जनवरी से 30 जून तक डकैती 2008 में 60 हुई थी और 2009 में 65 हो चुकी है, जबकि अभी 5 महीने बाकी हैं। मान्यवर, आज चूंकि अन्तिम दिन है इसलिये हमारा वर्मा जी का थोड़ा हास-परिहास चलता रहता है। मान्यवर, वैसे तो इनको डकैती डालने को कह दीजिये यह भाग खड़े होंगे। यह डाल नहीं सकते मैं इनको जानता हूं यह इन सब कामों में जरा कम रहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें तो इन्हीं को महारत हासिल है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बता दें कि कब मैंने इनकी अस्मत पर डकैती डाली है, मैं उसको वापस कर दूंगा, केवल यह बता भर दें। जो कुछ भी मैंने इनका लूटा होगा, वह मैं इनको वापस कर दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने लोकतंत्र पर डाका डाला है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं सब कुछ वापस करने को तैयार हूं और जो कुछ भी मैंने किया होगा इनकी सहमति से किया होगा और यह 18-21 साल से ऊपर हैं। मान्यवर, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह वर्ष 2008 में लूट में 825 था और 2009 में 976 हो चुका है। 2008 में हत्या हुई थी 2184 और 2009 में हो गयी 2192। बलवा 2008 में 1982 था अब वर्ष 2009. में 2010 हो गया। मान्यवर, मैं अगर चाहता तो 2005-2006 के आंकड़े भी दे सकता था तो इनकी तरफ से

यह दलील आती कि आजकल हमारी सरकार के कड़े निर्देश हैं कि हर मामले लिखे जायें तो उस समय भी सरकार आपकी थी तब भी ये कड़े निर्देश थे कि लिखे जायें और आज भी सरकार आपकी है कि कड़े निर्देश हैं कि लिखे जायें तो आपकी सरकार में जो पिछली बार डकैती, हत्या बलवा और लूट हुई थी वह आपकी ही सरकार से ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चिन्ताजनक है, मान्यवर, अपराधियों को मारा जाये, इनकाउण्टर हों, उन्हें किसी भी तरह से पुलिस मारे, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन मान्यवर, फर्जी इनकाउण्टर के जो मामले सामने आये हैं मान्यवर, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउण्टर के हैं। यह हमारा कहना नहीं हैं यह कहना है मानवाधिकार आयोग का। यह चिन्ता का विषय है कि फर्जी इनकाउण्टर में कोई मारा जाये। जो फर्जी इनकाउण्टर हो रहे हैं मान्यवर, जान लेने का अधिकार किसी सरकार को नहीं होता है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार में सबसे ज्यादा इनकाण्टर हुए हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो ये कहते थे कि सत्ता में आयेंगे तो दलितों को अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। शायद मेरी बात से संसदीय कार्य मंत्री जी के आंकड़े उनका साथ न दें लेकिन मान्यवर, सबसे ज्यादा दलितों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार आपकी ही सरकार में हुआ है। आप कहेंगे कि हम एफ0आई0आर0 लिखवा रहे हैं इसलिये संख्या ज्यादा हो गई है लेकिन मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। मैं खुले मन से पूरे सदन के सामने कहना चाहता हूं कि आज एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। आज रिश्वत का सबसे साफ जरिया पुलिस का हो गया है कि हम तुम्हें एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में फंसा देंगे। मान्यवर, इसको रोकने के उपाय होने चाहिए क्योंकि इससे वैमनस्यता बढ़ रही है। तो बहुत सख्ती के साथ निपटिये, हम आपका सहयोग करेंगे और स्वागत करेंगे लेकिन मान्यवर, फर्जी मुकदमों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, जब विपक्ष में ये बैठते थे तो इन्होंने जिनको सबसे बड़ा अपराधी कहा था, जिनसे सर्वोच्च लोगों को जान का खतरा था आज ये बी0एस0पी0 का रजिस्टर चेक कर लें कि कहीं वह सबसे बड़े अपराधी बी0एस0पी0 में शामिल तो नहीं हो गये। कई लोगों को लोक सभा का टिकट मिल गया है, कई लोग राज्य मंत्री हो गये हैं कई कारपोरेशन में हो गये हैं, कई बड़े-बड़े पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। आज तक जिन्हें यह अपराधी कहते थे आज वह सत्ता में आ गये हैं, मान्यवर, यह भी बहुत खराब परम्परा है। मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा करायी जाय।

*श्री सनातन पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद बलिया के रानीपुर मनियारी स्व0 राम नारायण सिंह कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर, जिनकी हत्या अज्ञात बदमाशों ने दिन शनिवार 1 अगस्त,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2009 को कोल्ड स्टोरेज पर जाते समय कर दी। जब राज नारायण सिंह की हत्या हुई थी तो उनके भतीजे ने दौड़ा करके एक बदमाश को मार गिराने का काम किया था। जब इसकी सूचना वहां के थाने को मिली तो वहां का एस0ओ0 और दो कांस्टेबिल उन बदमाशों को ललकारते हुए वहां तक पहुंचे, बदमाश तो उनकी पहुंच से बाहर थे, सम्भवतः एक हफ्ते के बाद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पायी लेकिन उसी गांव के एक निर्दोष व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल कलाम था, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वह 151 का मुल्जिम था और अपनी जमानत कराने जा रहा था, उसने जब पुलिस की गाड़ी देखी तो डर के मारे भागने का काम किया। उसका कोई भी सरोकार कहीं से नहीं था वह नौजवान मोटर साइकिल छोड़कर भागता है, गिर जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यह सारी की सारी घटनायें पुलिस वालों के सामने होती है और एक हफ्ते के बाद भी हमारे संज्ञान में है। मैं मानता हूं कि और यह मेरा विवेक कह रहा है कि उस निर्दोष व्यक्ति की हत्या पुलिस ने स्वयं की है और उन पुलिस वालों पर भा0द0वि0 की धारा-302 के तहत कार्यवाही नहीं की गयी है। इस मामले में एस0ओ0 और दो कांस्टेबिल को वहां से हटाकर पुलिस प्रशासन ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े मां-बाप हैं लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वालों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि वे निर्दोश की हत्या के दोषी हैं। यह प्रकरण इस समय जिले में ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है क्योंकि जिस नवयुवक की हत्या हुई है वह शरीफ और ईमानदार था। मान्यवर, इससे खराब और घटिया किस्म का उदाहरण और दूसरा नहीं हो सकता। बदमाश पकड़े नहीं जाते हैं और 35 वर्ष के शरीफ नवयुवक को मार दिया जाता है। यह सरकार कानून के राज की बात करती है। हमने बहुत दिनों पहले सुना था कि अन्धेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। इस अन्धेर नगरी में अपराध कोई कर रहा है, मारा कोई जा रहा है। इससे घटिया और गया-गुजरा कानून व्यवस्था न सुना था न देखा है। मान्यवर, जो नवयुवक मरा है उसका भरा-पूरा परिवार है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये तथा दोषी पुलिस वालों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गयी है और जनवरी, 2009 से अप्रैल, 2009 तक 4 महीने में 13300 लोगों की हत्या हुई है, 1000 से अधिक बलवा की घटनायें हुईं, 3805 वाहन चोरी हुई, 1450 दहेज हत्यायें हुईं, 6900 चोरी की घटनायें हुई हैं। केवल लखनऊ में एक महीने में 37 हत्यायें, 35 लूट की घटना हुई हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, गृह से लेकर डी0जी0पी0 तक सभी लोग उपलब्ध हैं, यह हालत लखनऊ की है। अब पड़ोस के जिले हरदोई की बात करें तो हरदोई जिले में एक महीने के अन्दर 80 हत्यायें हो गयीं। जब दो जिलों की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी ? इसी तरीके से अभी सुमन सिंह के बारे में बताया, यह मामला है इसरौली सुल्तानपुर का। सुमन सिंह सुल्तानपुर जनपद के थाना-कूरेभार में अपनी 4 बेटियों के साथ रह रही थी। मनुभद्र और ऋषिभद्र सहित 3-4 लोग उसके घर में घुस गये और उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद

उस पीड़ित महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। जब रिपोर्ट लिखी गयी तो झूठी रिपोर्ट दूसरे लोगों के नाम लिखी गयी। वहां पर अभी चुनाव होने वाला है। इसी प्रकार से केवल कन्नौज में 8 हजार लोगों पर गुण्डा ऐक्ट के झूठे मुकदमें, 300 से ऊपर जिला बदर उसमें से 3 ब्लाक प्रमुख। इसी प्रकार से अभी एक घटना है दो को सीतापुर के लहरपुर थाने की फूलकली नाम की दलित महिला जो पासी विरादरी की थी वह रात में सो रही थी 12 बजे थे वहां पर एक दरोगा जाता है जिसका नाम रमेश कुमार भारतीय है वह उसके घर में घुस जाता है और कपड़े उतारकर, अपनी ड्रेस उतारकर, रिवाल्वर रखकर उसके साथ बलात्कार कर देता है, बुरा कर्म कर देता हैं उसके बाद जब कपड़े पहन लेता है तब महिला भागकर चिल्ला देती है उसकी देवरानी भी जाग जाती है और दोनों शोर मचा देती हैं उसके बाद आज तक भी उस घर में ड्रेस जूते सब रखे हुए हैं। रिवाल्वर के दम पर वह भाग आता है। उसके बाद वह महिला फूल कली यहां पर बैठे हुए डी0जी0पी0 से लेकर डी0जी0 लॉ एण्ड आर्डर के यहां तक और आई0 जी0 लखनऊ के पास भी एप्लीकेशन लेकर जाती है लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। रिपोर्ट किसकी लिखी हुई है उसके ससुर और उसके पति की जो खेतों पर काम कर रहे थे। खेतों पर सो रहे थे ला एण्ड आर्डर कैसे सुधरेगा। जब डी0जी0पी0 साहब आई0जी0 साहब रिपोर्ट नहीं लिखेंगे कोई सुनेगा नहीं। इसी तरह से मैं कन्नौज के बारे में बता रहा था। कन्नौज में 8 हजार गुण्डा ऐक्ट के फर्जी मुकदमें दर्ज किये गये हैं तीन ब्लाक प्रमुख जिला बदर किये गये हैं। यह दल बदलने के लिये किया गया है। यह धमकी है। जब चुनाव आता है तब प्रधान हैं कोटेदार हैं कोटेदार आजकल कितना परेशान हैं।

मैं जसवन्तनगर की बात बताना चाहता हूं। आपने पढ़ा होगा मैंने भी कल पढ़ा है दो सभासद के नाम झूठे मुकदमें लिखा दिये गये। ला एण्ड आर्डर के बारे में भी आपको पता होगा। जालौन के बारे में जैसा कि चन्देल साहब ने बताया एक गांव सरसेला में एक पंडित जी हैं पंडित जी के साथ क्या बीती है। उन्हें पांच जूते मारकर पूरे गांव में घुमाया गया जूतों का हार डाला गया। यह सुनी सुनाई बात नहीं है जाकर देख लीजिए। सुनी सुनाई नहीं, जाकर देख लो। कभी जाकर देख आइये।

(सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

शांत रहें, शांत रहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस तरीके से अब यह दलित उत्पीड़न के नाम पर सवर्ण उत्पीड़न और दूसरा गांव और वहीं पर ठाकुर साहब के तो मूंछ भी काटी गयी, चौराहा बनाया गया और पूरे गांव में घुमाया गया मुंह काला करके। तो यह दलित उत्पीड़न के नाम पर सवर्ण उत्पीड़न शुरू। रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई। यह दोनों घटनाएं हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। सीतापुर की जो महिला थी, फूलकली अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बलात्कार हो गया उसके साथ, दरोगा की ड्रेस आज भी उसी घर में है। उसके जूते भी उसी के घर पर हैं। दरोगा जी बिना कपड़ों के ही भागे और डी0जी0पी0 साहब क्या कर रहे ? अभी-अभी आपको पता होगा सुल्तानपुर में एक नाली का झगड़ा था। नाली के झगड़े मे पूरे मुसलमान भाइयों को निकाल दिया गया, पूरा खाली करा दिया

गया और डी0जी0पी0 साहब पहुंचे। जहां-जहां उनका हेलीकाप्टर उतरा तो सब लोग भागे। पूरे भगा दिये गये। तो यह तो हाल है। लॉ एण्ड आर्डर कैसे संभलेगा आपसे। तो इसलिये बाढ़ आ गई है हत्याओं की, लूट की, चोरियों की, बलात्कार की। और बलात्कार की कहिये तो मैं सूची सुना दूं। कितने बलात्कार हो गये। (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शांत रहें-शांत रहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अच्छा जेल भी गये। ऐसा नहीं है। कौन गये। अब आपको पता ही है। [x x x] कुमारी शीतल निवासी, एटा के साथ धोखाधड़ी एवं यौन शोषण प्रकरण में जेल गये। यह तो सबूत है, जेल गये। जेल गये कि नहीं गये, बताइये ? [x x x] विधायक, रामनगर बस्ती, कुमारी गायत्री गौतम के साथ दुष्कर्म बलात्कार, [x x x] अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मत्स्य राज्य मंत्री दर्जा अलीगढ़ को सीमा चौधरी के साथ यौन शोषण, फिरोजाबाद जनपद में बसपा के विधायक [x x x] द्वारा कुमारी रेखा दीक्षित का अपहरण कराकर अपने पास रखकर दुष्कर्म किया। (सत्ता पक्ष से शोर) अच्छा अब इसको साबित करो, किया कि नहीं किया। [x x x] जिला सचिव, बसपा बलिया की मंशा प्रजापति को जबरन भगा ले गये और यौन शोषण करते रहे। [x x x] विधायक बिलसी, बदायूं कु0 ज्योति शर्मा पुत्री कुलदीप किशोर शर्मा का अपहरण कराकर अपने पास बहुत समय रखा। बताइये। अशोक दोहरे, विधायक अजीतमल के मौसरे भाई...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह निराधार बातें हैं। बिना तथ्य के जो बातें रखी जा रही है इसका हमारे नियमों में आरोप लगाने का एक तरीका है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मुकदमें दर्ज हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर किसी सदस्य के ऊपर आरोप लगाये जायेंगें तो उसकी एक प्रक्रिया है, इस तरह से मान्यवर, नाम लेकर आरोप लगाये जा रहे हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। इसको कार्यवाही से निकलवा दें मान्यवर। (दोनों तरफ के विधायकों के एक साथ बोलने पर शोर) मान्यवर, बार-बार इस तरह से नाम देकर निराधार आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, यह एक प्रक्रिया है और उसके तहत आयेगा। नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, यह गलत है।

श्री अधिष्ठाता-

इसको दिखवा लिया जायेगा। जो आपत्तिजनक होगा उसको निकाल दिया जायेगा।

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(शोर)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह बलात्कारियों की सरकार है।

एक सदस्य-

यह जो बता रहे हैं इस सदन में स्पष्ट करें कौन सा मौसेरा भाई है।

श्री अधिष्ठाता-

बैठ जाएं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह बलात्कारियों की सरकार है, यह बेईमानों की सरकार है। यहीं तक नहीं, जितना भी खनिज बालू, मिट्टी, मौरंग है इसमें गुण्डा टैक्स वसूल होता है। कभी सुना था कि ब0स0पा0 के विधायक, ब0स0पा0 के मंत्री गुण्डा टैक्स वसूल करेंगे ? ऐसा कभी सुना था ? उसकी वजह से मंहगाई भी बढ़ी। गुण्डा टैक्स अगर मंत्री एम0एल0ए0 वसूलेंगे तो क्या होगा, फिर क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी ? नहीं सुधर सकती है। जब मंत्री गुण्डा टैक्स वसूल करेंगे तो क्या अधिकारी चाहे वह डी0जी0पी0 हों, चाहे प्रमुख सचिव, गृह हों वह उस पर कार्यवाही कर सकते है ? नहीं कर सकते हैं। तो मान्यवर, पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आ गई है। यह लोक महत्व का सवाल है। (शोर)

श्री अधिष्ठाता-

शान्त रहें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह लोक महत्व का सवाल हैं इस पर चर्चा करायी जाए और इन बलात्कारियों पर रोक लगाई जाए। यह हमारी मांग है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक कहावत है सूप हंसे तो हंसे, चलनियां भी हंसे, जीमा बहत्तर छेद, (हंसी) मान्यवर, जब समाजवादी पार्टी का नाम आता है तो पूरे प्रदेश की जन मानस यह मानती है कि यह समाजवादी, मतलब अपराधियों के संरक्षण वाली पार्टी, और मान्यवर, अभी नेता प्रतिपक्ष विभिन्न मुद्दों की चर्चा कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि वह अपने कार्यकाल का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, उस समय बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट, गुण्डा टैक्स में जो रिकार्ड कायम किया उसका उदाहरण नहीं है। मान्यवर, मेरे पास भी आंकड़ा है मैं भी उसका प्रयोग करूंगा। मान्यवर, अभी प्रमोद तिवारी जी और माननीय नेता विपक्ष जी ने 13 हजार हत्याओं की चर्चा की, कि 13 हजार हत्यायें हो गई। मुझे लगता है कि यह अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल का वर्णन नोट करके लाए हैं जो हत्या की घटना हुई 2005 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 5,713 और 2008 में 4,219, मान्यवर, डकैती 2005 में थी 222 और 2008 में सौ, मान्यवर, लूट....

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मै पूरी मजबूती के साथ इस तथ्य को आपके सामने रख रहा हूं।....

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लूट 2005 में 1847, 2006 में 1782, 2008 में मात्र 1401, फिरौती के लिए अपहरण मान्यवर, 2005 में 139, 2006 में 118, 2008 में 57, 2009 में 15 जुलाई तक 26 मान्यवर, इसके साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में मृत्यु की जो संख्या थी, 2006 में 6, 2007 में 11, 2008 में 3, 2009 में 30 जून तक दो। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के सामने भ्रष्टाचार की बात पूछेंगे। मान्यवर, हर तरह के जो अपराध हैं, हमारी सरकार का और प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी का, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि अपराध करने वालों से हमारा कोई समझौता नहीं है। अपराधी चाहे कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, यहां नेता प्रतिपक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने फैजाबाद की एक घटना का जिक्र किया, हमारे मंत्री पर एक आरोप लगाया, हमने उसे जेल भिजवाने का काम किया जब उसका नाम आया और आपने टिकट देने का काम किया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी में एक भी अपराधी को टिकट नहीं दिया गया है, जिनका टिकट हमने काटा उनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। मान्यवर, मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं कि एक भी अपराधी जीता नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अपराधियों की बात कर रहे हैं हमारे एक साथी अवधेश प्रसाद जी यहां नहीं हैं मान्यवर, उनके दमाद हमारे विधान सभा क्षेत्र में सहायक अभियन्ता विद्युत में कार्यरत थे। समाजवादी पार्टी के गुण्डों ने उनकी पिटाई की और नारा लगाते हुए कहा पीटते रहो हम तुम्हारे साथ हैं और एफ0आई0आर0 दर्ज हुई लेकिन कोई जेल नहीं गया। रामनगर, अम्बेडकर नगर जिले में, आलापुर तहसील है उसका मुख्यालय रामनगर है। वहां का जो सब रजिस्ट्रार था उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने दौड़ाकर पीटा। उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

पहले पूरी बात आ जाने दीजिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह गलत बयानी है। संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जीप के बोनट पर सी0ओ0 को घुमाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक ले जाने का कार्य किया। विधायकों का नाम लेकर और बिलकुल झूठा आरोप लगाकर गलत काम किया गया है। मान्यवर, बलात्कारियों को सब बलात्कारी ही दिखते हैं। मान्यवर, इस तरह से निराधार आरोप लगाने का काम किया गया है, हमारी सरकार ने इस बात को साबित किया कि अगर हमारे विधायक ने भी गलती की है तो हमने कोई भेदभाव न करके उसको जेल के सींखचों में भेजा है। हमारी सरकार ने इस बात को साबित किया कि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो यदि वह अपराध करता है तो उसका स्थान जेल है, वह सड़क पर नहीं घूम पाएगा, वह जेल जाएगा और जब हम अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं तो समाजवादी को लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। यानि जब-जब हम गुण्डों को पकड़ेंगे, हत्यारे को पकड़ेंगे, जब पुलिस कार्यवाही करेगी तब कहेंगे कि फला समाजवादी कार्यकर्ता को मारा गया है। मान्यवर, ये आंकड़े जो मैंने रखे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखीं थीं उसमें कुछ अनावश्यक और मनगढ़न्त आरोप लगाने का काम किया गया है। हमारी सरकार किसी अपराधी को बचाने का काम कदापि नहीं करेगी और कानून व्यवस्था के मामले में किसी प्रकार का समझौता करने का काम नहीं किया जाएगा। हमारी यह चाहत है कि उत्तर प्रदेश अपराध शून्य प्रदेश बने। गुण्डा टैक्स लिया जा रहा था। गुण्डा टैक्स की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष ने की पूरा सदन ही नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी और एस0पी0 का प्रशासन नहीं चल रहा था बल्कि हर जिले में गुण्डा और माफिया प्रशासन चलाने का काम करते थे। प्रदेश में जितने भी टेण्डर होते थे उसका बंटवारा टेण्डर से नहीं होता था। मान्यवर, टेण्डर का बंटवारा लोक निर्माण विभाग के जो कार्य थे, हर एक जिले में कोई न कोई माफिया सारे टेण्डर को होल्ड करने का काम कर लेता था और उसके बाद वह टेण्डर बेचने का काम करता था। यह तथ्यों पर आधारित है इस बात को कोई इंकार नहीं करता है। हमने उसको रोका जो अपराधी और माफिया इस प्रकार टेण्डर का संचालन करते थे, लोक निर्माण विभाग के ठेकों को या अन्य विभागों के ठेकों का माफिया संचालन करते थे, उन्हें लेने का काम करते थे, इसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी के कड़े निर्देश से यह हुआ है।

मान्यवर, आज प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है आज प्रदेश में अपराधों में कमी हो रही है लेकिन मान्यवर, हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है हम चाहते हैं इसमें और कमी आए और इसके लिए सघन समीक्षा माननीया मुख्य मंत्री के स्तर से प्रत्येक दिन होती है और निश्चित रूप से हमारी चाहत है कि इस प्रदेश की चाहे वह नारी हो, चाहे वह पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वह सुरक्षित अपने कार्यों को अंजाम दे सके, अपने हर कार्य को आसानी से कर सकें, गुण्डा और माफिया किसी प्रकार से उसके कार्य में व्यवधान न डालने पायें, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वह स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करे, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जिस भी तरह की कार्यवाही की आवश्यकता है, उसको हम करने का कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने

अनुसूचित जाति के अधिनियम की बात की थी कि बढ़ा है, 2007 में 2410 तथा 2008 में 2490 हुआ। मान्यवर, हत्या भी 2007 में 313 थी, 2008 में 229 हुआ और इस वर्ष 123 है। मान्यवर, हर अपराध में जो हमारी चाहत है कि इसमें कमी आए। हां, इसके लिए जरूरी है कि जो अपराधी तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उस कार्यवाही को करने के लिए जहां अभी केवल आठ हजार गुण्डा ऐक्ट का अकेले कन्नौज का विवरण देने का काम मा0 नेता प्रतिपक्ष ने किया, पूरे प्रदेश में 31528 लोगों को 2008 में और 2007 में 26370 लोगों को, 2006 में 11612 लोगों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट में कार्यवाही की गयी थी। मान्यवर, 2007 में 26,310 और 2006 11,612 मामलों में गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। मान्यवर, अधिनियम में जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत समाज में जो कलंकित लोग हैं और जिनकी पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, उन पर कार्यवाही करने का काम इसमें किया जा रहा है। मान्यवर, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसमें राजनितिक प्रताड़ना के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मान्यवर, अब अपराधी इसलिये नहीं बच पाएगा कि वह अमुक पार्टी का सांसद है, विधायक है, नगर पंचायत का सदस्य है। अब चाहे वह विधायक हो सांसद हो या ब्लाक प्रमुख हो अगर वह अपराध करता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसमें आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें परेशान नहीं होने दिया जाएगा। 13 मई, 2007 के पहले इस तरह की जो घटनाएं होती थीं अब वह घटनाएं बंद हो गई हैं।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में घटना हुई और उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने बी0जे0पी0 के कार्यालय को जला दिया और अभियुक्त बना दिये गये बी0एस0पी0 के लोग। अभी इटावा के अशोक जी बता रहे थे कि किस तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम 13 मई से पहले किया जाता था और आज वह बंद हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति के साथ किसी तरह का प्रताड़ना का काम नहीं किया जायेगा।

जहां तक इस मुद्दे पर चर्चा की बात है। मान्यवर, हमारी जो नियमावली है उसमें यह है कि यदि किसी उपवेशन में उसी सत्र में किसी विषय पर चर्चा हो चुकी है तो उस पर दोबारा चर्चा नहीं होती। मान्यवर, यह आपकी उदारता है कि आपने इस पर माननीय सदस्यों को सुना। जहां तक उदय राज यादव जी का जो प्रश्न है जो उन्होंने 4-8-2009 की घटना का जिक्र किया मैं उसके बारे में जो जिला प्रशासन उन्नाव से आख्या प्राप्त हुई है वह बता देता हूं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 04-08-09 को श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद निवासी हैबतपुर, थाना बांगरमऊ, उन्नाव ने एक तहरीर बाबत लूट तथा एक नफर अभि0 राजीव पुत्र नेकराम निवासी हैबतपुर, थाना बांगरमऊ, जिला उन्नाव को लेकर तथा सुरक्षा में उ0 नि0 श्री अनिल कुमार राय के साथ आकर थाना बांगरमऊ उन्नाव पर दी। तहरीर में अंकित किया गया कि अभि0 राजू उर्फ श्वेत प्रकाश यादव तथा उसके दो साथियों ने प्रातः 8.00 बजे नसीरपुर भिक्खन के सामने हरदोई-उन्नाव मुख्य सड़क पर उसे रोककर रु0 500/- छीन लिये तथा मोटर साइकिल की चाबी भी छीनने लगे तभी ग्राम हैबतपुर निवासी इन्द्रजीत पुत्र ब्रजलाल व अमर सिंह पुत्र शिवलाल आ गये। उनके ललकारने पर वे लोग पश्चिम

की ओर भागे। मेरे शोर करने पर गांव के अन्य लोग तथा पिताजी आ गये और चन्द्रलोक शौचालय के पास श्वेत प्रकाश उर्फ राजू को पकड़ लिया, शेष दोनों भाग गये। प्रभारी चौकी गंज मुरादाबाद श्री अनिल कुमार राय को फोन करके बुला लिया और उसको प्रभारी चौकी के सुपुर्द कर दिया।' समय लगभग 12.05 बजे जब वादी प्रदीप, अभि0 राजू तथा उप नि0 अनिल कुमार राय थाना बांगरमऊ पर आये, उस समय राजू अस्वस्थ था। अतः उसे उपचार हेतु तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांगरमऊ रवाना किया गया, जहां से उसे लखनऊ मेडिकल कालेज उपचार हेतु रिफर किया गया। मेडिकल कालेज, लखनऊ में अभि0 राजू उर्फ श्वेत प्रकाश यादव की मृत्यु हो गयी। वादी प्रदीप की तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 1197/09 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

मृतक राजू उर्फ श्वेत प्रकाश यादव के शव का लखनऊ में पंचायतनामा कराया गया तथा पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज लखनऊ में डाक्टरों की टीम द्वारा कराया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी करायी गयी है। उपरोक्त घटना में राजू उर्फ श्वेत प्रकाश यादव की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 1198/09 धारा 147/304 भा0द0वि0 बनाम 1-प्रदीप कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद, 2-ठाकुर प्रसाद पुत्र श्री ब्रजलाल यादव, 3-राकेश कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायन, 4-सन्तराम पुत्र मुन्नीलाल, 5-गिरीशचन्द्र पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम हैबतपुर, थाना बांगरमऊ, उन्नाव पंजीकृत किया गया है। निष्पक्ष विवेचना कराये जाने के आशय से दोनों अभियोगों की विवेचनाएं अन्य सर्किल के थाने को स्थानान्तरित कर दी गयी है। मु0अ0सं0 1198/09 धारा 147/304 भा0द0वि0 में नामजद अभि0 ठाकुर प्रसाद पुत्र ब्रजलाल यादव निवासी हैबतपुर, थाना बांगरमऊ, उन्नाव को दि0 06-08-09 को गिरफ्तार कर लिया गया हैं इसके अतिरिक्त प्रभारी चौकी गंज मुरादाबाद, थाना बांगरमऊ श्री अनिल कुमार राय व वरिष्ठ उ0 नि0 थाना बांगरमऊ, श्री बी0 एन0 पाण्डेय का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है। मान्यवर, यह सूचना के आधार पर मैं बता रहा हूं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना हो रही है। यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, फूलकली के साथ बलात्कार हुआ सीतापुर में, रमेश कुमार भारती एक दरोगा है, उसकी वजह से दहशत है, हम चाहते हैं कि दबिश की जाये। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें एफ0 आई0 आर0 लिखी जायेगी या नहीं ? कार्यवाही होगी या नहीं ?

मान्यवर, इसी तरह से सुमन सिंह के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कूड़ेभार थाने में जो बलात्कार की घटना हुई है, तो उसमें जो बलात्कारी है उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट होगी। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि फूलकली के परिवारवालों-ससुर, पति और देवर को जेल भेजा गया है। इसी प्रकार से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो उन्नाव के मामले में रिपोर्ट आयी है, जिन्होंने हत्या की है, उन्होंने ही वह रिपोर्ट बनाकर भेजी है। मेरी मांग है कि सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाये वह इसकी जांच कर ले। इन सभी घटनाओं की जांच कर ले। अगर मान्यवर, इसी तरह से असत्य रिपोर्टें आयेंगी और यहां पर पढ़ दी जायेंगी तो फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। स्थिति और खराब होगी। इसलिये माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़े-पढ़ाये पर मत जाइये और देखिये कि प्रदेश में क्या हालत है। अगर इसी तरह से आप यहां पर असत्य रिपोर्ट पढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को फिर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कुछ दिनों के बाद हम लोग उधर होंगे और आप लोग इधर होंगे। फिर यह परम्परा बहुत खराब पड़ेगी, अगर इसी तरह से झूठी रिपोर्ट लिखी जायेंगी तो परम्परा फिर खराब पड़ेगी। जो सही है वह सभी फैक्ट्स यहां पर आने चाहिए और सही जवाब आना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निष्पक्ष जांच के लिये दूसरे थाने के लिये प्रकरण स्थानान्तरित कर दिया गया है, उन्नाव वाले प्रकरण में, जो भी दोषी होगा, कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

कानून-व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी, बुन्देलखण्ड का संदर्भ दिया गया था नोटिस में।

इस पर मैंने माननीय सदस्यों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

सूखे के बारे में चर्चा सदन में हो गयी। माननीय श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और चन्देल जी ने एक नोटिस दी है बुन्देलखण्ड के कुछ जनपदों के बारे में। प्रदूषित पानी के बारे में नोटिस दी हैं उसमें स्पेसिफिक जनपदों का हवाला उन्होंने दिया है। माननीय निषाद जी सदन आज उठ जायेगा इसलिये आप लोग कृपया 2-2 मिनट बोल लेंगे।

(श्री उदयभान करवरिया, श्री सुरेश कुमार खन्ना सहित कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अगर आप शांति से रहेंगे तो सबकी बात आ जायेगी। हमारे द्वारा आपको शान्त कराने में कम से कम 4 सदस्यों का समय खत्म हो जायेगा। श्रीवास्तव जी, बैठ जाइये। सभी माननीय सदस्य अपनी बात 2-2 मिनट में बोल लें। जिस विषय पर कहना चाहते हैं 2-2 मिनट में अपनी बात कह दें। लेकिन जब एक सदस्य को आमंत्रित कर लिया है तो उनको सुन लें। परम्परा का पालन करें।

*भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में हमारे ऊपर एक आरोप लगाया।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री अशोक कुमार दोहरे-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने सदन में हमारे ऊपर यह आरोप लगाया कि हमारे मौसी के लड़के ने अपहरण किया था। मैं औरैया का रहने वाला हूं अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में यह साबित कर दें कि मेरी मौसी के लड़के ने अपहरण किया था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा वरना नेता प्रतिपक्ष जी इस सदन में माफी मांगें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

तो नाम बताइये कि किसने अपहरण किया था। आप मंत्री हैं आपके क्षेत्र का, आपके जिले का मामला है आप बता दें कि किसने अपहरण किया था ?

श्री लालजी वर्मा-

यह कोई बात हुई। कम से कम नेता प्रतिपक्ष को तो बिना सिर पैर के ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्मानित हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं यही चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ माननीय सदस्यों का नाम लेकर इस तरह के निराधार आरोप लगाये हैं उसको आप दिखवा लीजिए और कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगर इस तरह का आरोप है तो उसको दिखवा लिया जायेगा।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, हमारी सूचना थी तो हमें अवसर ही नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो अवसर चल रहा है, आप अवसर की तलाश में इतना जल्दी में क्यों रहती हैं ?

*श्री दीप नारायण सिंह-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के समस्त सातों जिलों के सम्बन्ध में आपको सूचना दी है। मान्यवर, सूखे की हालत बुन्देलखण्ड में क्या है इस पर चर्चा में कई लोगों ने आपके सामने सदन में बात रखी है। हम तो बुन्देलखण्ड से आते हैं। वहां पर पानी न बरसने के कारण लगातार जलस्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और गांवों के लोग कुएं में जो बचा हुआ पानी है उसे पीकर गम्भीर बीमारियों से पीड़ित होते जा रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मांगेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले एक महीने में मरीजों की संख्या में वृद्धि दोगुनी और तिगुनी हैं सारे नर्सिंग होम भरे पड़े हैं, सारे सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं। पीने के पानी के लिये लोग तरस रहे हैं। नदियों में जो शेष पानी है उसको पीने के लिये पशुओं और मनुष्यों में लड़ाई चल रही है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आपसे कि प्रदेश में हैण्ड पम्प कहां लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं मान्यवर, उस पर चर्चा अभी आई, लेकिन बुन्देलखण्ड के लोगों को यदि इन सात जिलों हैण्डपम्प नहीं दिये गये तो मान्यवर, भूख से तो मरते सुने होंगे आपने, यह पहला ऐसा इतिहास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा कि प्यास के कारण लोग मारे जायेंगे। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्ब कोई न कोई व्यवस्था कराने की कृपा करें। आप बोलेंगे जवाब अभी आयेगा मा0 मंत्री जी कहेंगे कि हमने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। जिलाधिकारी हैण्डपम्प लगवा रहे हैं। मान्यवर, कहीं कोई काम नहीं चल रहा है और जिलाधिकारी जैसे हैण्डपम्प लग रहे हैं, बसपा के नेता दबाव बना कर अपने घर के बाहर, अपने खलिहान में, अपने खेत में जगह-जगह हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं और जहां कहीं आवश्यकता है वहां हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, यह मेरा आपसे अनुरोध है और इसलिये भी अनुरोध है कि इससे जुड़ा एक सवाल और है क्योंकि एक दूसरे विभाग ने, कृषि विभाग ने वर्षा का जो आंकड़ा सरकार के समक्ष रखा है वह बड़ा चिन्तनीय है, बड़ा गम्भीर है। यह आंकड़ा आप लोगों के बीच में कल चर्चा के दौरान मैं सुन रहा है कि झांसी में जो औसतन वर्षा हुई है उस वर्षा का जो आंकड़ा दिया गया है वह 178 मि0मी0 बताया गया है। मान्यवर, यह गम्भीर विषय इसलिये बन गया है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वर्षा मापी कैसे जाती है। वर्षा मापी के मामले में जो धांधली हो रही है वह इतनी जबरदस्त, इतनी अनियमितता उसके अन्दर है कि मान्यवर, जानकर आपको आश्चर्य लगेगा, वर्षामापी जो यंत्र है मान्यवर, वर्षा मापने का जो तरीका है कहते हैं यह वर्षामापीयंत्र जहां लगाया जाता है, अगर एक छोटे से 10 कि0मी0 एरिया में वर्षा को मापना है तो कम से कम 20 जगह उस वर्षामापी यंत्र को लगना चाहिए तब जाकर औसतन वर्षा का अनुमान निकाला जा सकता है, लेकिन मान्यवर, मैंने सभी तहसीलों में फोन किया और यह जानकारी करने का प्रयास किया कि 178 मि0मी0 वर्षा हो गई, पानी कहां चला गया, आपने वर्षा को मापा कैसे है तो यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके कृषि विभाग के पास वर्षामापी यंत्र ही नहीं है। एक-दो वर्षामापी यंत्र कहीं हैं तो वह किसी रिसर्च सेन्टर में है और तहसीलदार को नियुक्त किया गया है कि वह वर्षा का रिकार्ड दे दें। मान्यवर, इसलिये यह गम्भीर अनियमितता हो रही है कि वर्षा मापने का तरीका तहसील के लोगों को नहीं मालूम है उन्हें नहीं मालूम है कि इस संयंत्र को हमको कहां लगाना है। मान्यवर, इन आंकड़ों के द्वारा एक और बात साबित हो रही है, एक तरफ झांसी में यह 178 मि0मी0 वर्षा बता रहे हैं दूसरी तरफ जालौन की वर्षा का जो इन्होंने आंकड़ा दिया है वह 114 मि0मी0 वर्षा का दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र जालौन जिले की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, मान्यवर, ऐसे कौन से आंकड़े इन्होंने दर्शाये कि हमारे क्षेत्र में 178 कर और बिल्कुल एक फुट की दूरी से जब जालौन लग गया तो वहां 114 कर दी है। मान्यवर, इसलिये यह गम्भीर बात है कि अगर इस तरह से आंकड़े बता कर कृषि विभाग के लोग वर्षा को मापते रहेंगे तो बुन्देलखण्ड के लोग मर जायेंगे। मान्यवर, वर्षा मापी का जो सही तरीका है, वह मा0 मंत्री जी स्पष्ट करें और उसकी आगे व्यवस्था बनायें जिससे गलत आंकड़े बता कर भविष्य किसानों का बरबाद करने के लिये कोई निर्णय हो तो वह निर्णय गलत मापी के आधार पर न बन जाये। मान्यवर, एक निवदेन कर के अपनी बात समाप्त करूंगा आज सुबह की घटना है, मुझे सूचना मिली है कि हमारे यहां एक करन राजपूत है सिमरधा गांव में वह अपने खेत पर अपने बैलों को ले जाकर बांध दिये, मान्यवर, बैल ने जैसे ही फसल को छुआ दोनों बैल मौके पर ही तत्काल खत्म हो गये। इतनी जहरीली हो गयी है यह फसल मान्यवर, इसलिये इस गम्भीर विषय

की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। यदि पानी नहीं मिला, नहरों में पानी नहीं छोड़ा, फसल को पानी नहीं पहुंचा, जो फसल बो दी गई है, आपने आंकड़े बता दिये कि हमने लगभग बहुत फसल बोई है। मान्यवर, यह कृषि विभाग के और आंकड़े हैं फसल बोने के आधार पर, मान्यवर, वह फसल जहरीली हो जा रही है, बहुत से जानवर मारे जायेंगे इसलिये मान्यवर, हैण्डपम्प लगा कर, ट्यूबवेल लगा कर, वहां के लोगों की जान की रक्षा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर हमने सूचना दी थी। बुन्देलखण्ड जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा की स्थिति भयानक हो गयी है। प्रदेश से भिन्न स्थिति हो गई है वहां की। मान्यवर, वहां का जलस्तर इतना गिर गया है कि हैण्डपम्प अभी से सूख गये हैं। तालाबों में बिल्कुल पानी नहीं है। पशुओं के पीने का पानी की समस्या पैदा हो गई है, गर्मी में तालाब भरवाये नहीं गये हैं, ट्यूबवेल कोई चल नहीं रहे हैं सरकार, नहर में पानी है नहीं, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो हैण्डपम्प लगाये गये थे, सारे के सारे फेल हो गये हैं, अब पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, हम आपने विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड के लिये अलग से व्यवस्था करा दी जाय वहां हैण्डपम्पों की व्यवस्था करा दी जाए और माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं हमने एक मामला उठाया था वहां बहुत बड़ा घोटाला हुआ, अभी डी0एम0 के यहां जांच पड़ी है, मान्यवर, फर्जी नाम से, फर्जी अनुसूचित जाति के लोगों के नाम भर कर के कम से कम करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। वहां किसानों को ट्यूबवेल के लिये कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, वहां हर तरह की समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं खरीफ की फसल नहीं बो पाये और जो फसल है वह इतनी जहरीली हो गई है मान्यवर, कि उसको खा कर जानवर मर रहे हैं।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के प्रदूषित पानी के सवाल पर सदन में बोलने का आपने मुझे मौका दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इतनी भयंकर स्थिति है पीने के पानी की कि लोग पोखरों का, नदियों का पानी पीने के लिये मजबूर हैं। जानवरों की तो इतनी खराब स्थिति है कि पीने का पानी है नहीं। यह महीना भैंसों का बच्चा देने का होता है भैंस 7-8 महीने में बच्चा डाल रही है इससे दूध का बहुत अभाव हो जायेगा। मान्यवर, जो नियम है डेढ़ सौ पर एक हैण्डपम्प देने का तो अध्यक्ष जी, जो पशुपालक लोग हैं उनके पास पशु बहुत हैं और डेढ़ सौ पर जो हैण्डपम्प दिया जाता है वह बहुत कम हैं रोज लाठियां चल रही हैं, मारपीट हो रही है, इतने मुकदमें लिखे जा रहे हैं इसलिये मेरी मांग है कि यह जो संख्या है इस संख्या को कम करें। मान्यवर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन इस सरकार ने किया है 2008 में। आज तक क्या कार्य हुआ बुन्देलखण्ड में हम लोगों को नहीं पता। केन्द्र की सरकार बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन करना चाहती है। बुन्देलखण्ड को पानी दे दे यह सरकार और केन्द्र की सरकार, बुन्देखण्ड को उद्योग धन्धे दे दे यह सरकार और केन्द्र की सरकार। हम तो मांग करते हैं आज इस सदन में कि बुन्देलखण्ड को यमुना बैराज दे दे यह सरकार और केन्द्र की सरकार,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सातों जिलों को पानी मिल जायेगा और बुन्देलखण्ड बहुत खुशहाल होगा, अगर यमुना में बैराज बना दिया जायेगा तो बुन्देलखण्ड को बहुत पानी मिल जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो पेयजल की समस्या का जिक्र किया है, पूरे बुन्देलखण्ड में पेयजल के लिये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की पर्याप्त संख्या है रिबोर, जो हैण्ड पम्प खराब है उनके रिबोर की कार्यवाही जा रही है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस सूखे से निपटने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता होगी उसमें किसी तरह की बाधा नहीं होगी और इतना ही नहीं मान्यवर, पिछले साल अच्छी बरसात हुई है बुन्देलखण्ड में उसके पहले 4 साल तक सूखा था। यह पहली सरकार है जिसने बुन्देलखण्ड में हर दिशा में सूखे से राहत के लिये भी, विकास के लिये भी जो कार्य किया है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं पेश कर पायेंगे। उस बुन्देलखण्ड के विकास के लिये हमारी सरकार कृतसंकल्प है और वहां के लोगों को पेयजल की समस्या के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

श्री दीप नारायण, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री विशम्भर सिंह यादव को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह नियम 56 में नहीं आता है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं हैं मैंने जो नोटिस दी है नियम 56 के अन्तर्गत, लखनऊ में पेयजल का अभूतपूर्व संकट व्याप्त हो गया है, यह क्यों व्याप्त हुआ है इस पर मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। यहां पर भूगर्भ जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, ट्यूबवेल रिबोर की स्थिति में हैं, नये ट्यूबवेल लग नहीं रहे हैं, हैण्डपम्प रिबोर की स्थिति में हैं, हैण्डपम्प की रिबोरिंग के लिये पैसा नहीं दिया जा रहा है। जल निगम यह कह रहा है कि सारा का सारा पैसा हमने डाइवर्ट कर दिया है दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत। आज लखनऊ में एक-एक बूंद पानी के लिये जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इसलिये मान्यवर, मैंने आपके सामने नियम 56 के अन्तर्गत यह नोटिस दी है और यह आग्रह किया है। हालत यहां तक है कि जो नये नलकूप लगाये गये, उनको कैंप लगाकर बंद कर दिया है, उनको चालू नहीं किया गया है कि वह जनता को पानी दे सकें। गोमती नदी की हालत बहुत खराब है, गोमती का जलस्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और गोमती से पानी लेने वाले जो जलकल है वह बिजली के अभाव में चल नहीं पा रहे हैं, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिजली न आने के कारण ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं। ट्यूबवेल न चलने के कारण ओवरहेड टैंक भर नहीं पा रहे हैं। रात में एक-एक, दो-दो बजे मेरे घर पर आकर 100-200 की संख्या में जनता खड़ी हो जाती है। जो लोग बिसलेरी का पानी पीते हैं उनको तो लखनऊ बहुत अच्छा लगता है, वह 15 रुपये की एक बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या हैं यहां सचिवालय के कर्मी मेरे क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रहते हैं, मैं सचिवालय कालोनी में रहता हूं। यहां पत्रकार बन्धु बैठे हुए हैं वह भी वहां रहते हैं, जरा इनसे पूछिये कि लखनऊ में पानी की क्या किल्लत है। लखनऊ में जो पानी का संकट है, इसलिये मैंने नियम-56 में नोटिस दी है कि इस पर चर्चा कराई जाय। मैं लखनऊ में रहता हूं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जल निगम के चेयरमैन जो इत्तिफाक से पावर कारपोरेशन के चेयरमैन हैं, मैंने 7 दिन तक उनसे लगातार समय मांगा कि हम लखनऊ के विधायक आपसे मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन उन्होंने हम लोगों को समय नहीं दिया। हम लोगों को प्रेस कान्फ्रेन्स में जाना पड़ा। यह सब करने के बाद भी जिलाधिकारी ने कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद हैण्डपम्प का एक समाचार छपा कि 5 हजार हैण्डपम्प लखनऊ में लगेंगे सांसद व विधायक शहरी क्षेत्र में 5 हजार हैण्डपम्प लगायेंगे। इसके लिये 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं जब यह समाचार अखबारों में छपा तो जनता हम लोगों के पास आई और कहा कि यह 15 करोड़ रुपया मिल गया, हैण्डपम्प कहां लगे और यह समाचार है 02 मार्च, 2009 का। लेकिन यहां के जिलाधिकारी, यहां कमिश्नर और जल निगम के चेयरमैन यह कोई भी अधिकारी बतावें कि लखनऊ में यह हैण्डपम्प कहां लगे ? एक भी हैण्डपम्प कहीं नहीं लगा है। महोदय, लखनऊ में पानी की हालत बहुत खराब हो गयी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐशबाग पम्पिंग स्टेशन, यहां पर बना हुआ है। इसकी हालत यह है कि 100 साल पुराना है। वहां सेप्टिक टैंक बना हुआ है और सेप्टिक टैंक की मरम्मत कराने के लिये यहां पर पैसा नहीं है। हर बात का एक जवाब है कि सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, 15 ड्रीम प्रोजेक्ट के लिये। आखिर आप पानी दीजिए। आपने कल कहा है कि आपने लखनऊ के विकास के लिये 100 करोड़ रुपया दिया है। मत कराइये लखनऊ का विकास। मत यहां पर फव्वारे लगवाइये, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है मगर हमारे शहर की जनता को कम से कम पानी तो दीजिये जो जीवन के लिये आवश्यक है। ऐसी हालत आज लोगों की हो रही है और आप सौन्दर्यीकरण करायेंगे लेकिन जनता को पानी नहीं देंगे। इसलिये मेरा विनम्र आग्रह है कि सौन्दर्यीकरण ईश्वर के नाम बंद कर दीजिये आप गोमतीनगर से कानपुर रोड का रास्ता छोड़ दीजिये और जरा घुसिये, आइये अपनी तरफ मशकगंज में आइये अमीनाबाद में, आइये मौलवीगंज में, आइये गोलागंज में, आइये बशीरतगंज में, और देखिये वहां पर एक-एक बूंद पानी के लिये 100-100 लोग लाइन लगाते हैं और छोटी-छोटी बोतलों में बच्चे पानी भरते हैं। ठेले पर लोग पानी भरकर ले जाते हैं तो आंख से आंसू निकल आता है। अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत गम्भीर है और इसलिये मैंने नियम-56 की नोटिस दी है कि इस पर चर्चा कराई जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय श्रीवास्तव जी को सुना। मैं आपकी पेयजल समस्या की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह इसको दिखवा लें। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिये मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

मा0 श्यामदेव राय चौधरी को कहीं जाना है। इनके यहां कोई बात पड़ गयी है इसलिये विशेष उल्लेख में हम थोड़ा क्रम को बदल रहे हैं। माननीय श्याम देव राय चौधरी जी, आप दो मिनट में बोल दीजिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इतने पुरुषों को आपने सुना है अब एक महिला को भी सुन लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, फातिमा जी के प्रकरण को तो आप अग्राह्य कर चुके हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

संसदीय कार्य मंत्री जी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि सुनेंगे, हमें आश्वासन दिया गया था इसलिये हम कह रहे हैं कि हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

फातिमा जी का एक अलग स्पेसिफिक प्रकरण हैं उसे हम सुन लेंगे लेकिन पहले चौधरी साहब को सुनेंगे।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वितीय वर्ष के 24 हजार छात्र, जो फेल हो गये हैं, उनके प्रकरण को सदन में उठाने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष लगभग 40 हजार छात्र परीक्षा में बैठे थे, मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है कि क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जो परीक्षाएं करायी जाती हैं उनमें दोष है या वहां की पढ़ाई में दोष है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में 24 हजार छात्र अनुत्तीर्ण घोषित हो गये। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 2007-2008 में प्रथम वर्ष में कई हजार छात्र फेल हुए थे लेकिन उन लोगों को इस आधार पर विशेष परीक्षा देने की अनुमति दी गयी थी कि उनका सिलेबस बदल गया था और उनको आगे पढ़ाई करने में कठिनाई होगी, इसलिये उनको विशेष परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गयी थी। मान्यवर, इस वर्ष जो 24 हजार बी0टेक0 के छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके अभिभावक आन्दोलित हैं, उनकी मांग है कि इन छात्रों का भी सिलेबस बदल गया है। उन लोगों के जो पांच पेपर होने हैं, पाठ्यक्रम बदल गया है और दो नये विषय ऐड कर दिये गये हैं। जिनकी अब परीक्षा ली जायेगी वह भी नये विषय हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि समान परिस्थिति में समान न्याय मिलना चाहिए, अगर प्रथम वर्ष के छात्रों को सिलेबस बदल जाने के आधार पर विशेष परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई तो जो 24 हजार छात्र हैं उनको भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मान्यवर, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, मैं 24 हजार छात्रों की ओर से और उनके अभिभावकों की ओर से, जिनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, अगर उन्हें विशेष परीक्षा का अवसर नहीं दिया गया तो लाखों रुपये का नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और इस दौर में वह इतनी व्यवस्था करने में अक्षम हैं, इसलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि रटा-रटाया जवाब न दे करके समान परिस्थिति में उन लोगों को भी विशेष परीक्षा देने की सरकार द्वारा विशेष कृपा की जाय। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिये मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके कार्यों में शासन के स्तर से दखल नहीं हो सकता, छात्रों के फेल-पास का निर्धारण विश्वविद्यालय करता है इसलिए इसमें सरकार का कोई दखल नहीं हो सकता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह तो हमें भी मालूम है कि वह एक स्वायत्तशासी संस्था है लेकिन शासन स्तर से हर प्रकार का नियंत्रण उन पर है इसलिए कम से कम कुछ संस्तुति तो कर सकते हैं, कुछ सिफारिश भेज सकते हैं इस पर विचार करने के लिये। क्योंकि यह 24 हजार छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है इसलिये सरकार संज्ञान में ले करके कोई कार्यवाही कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री अरविन्द गिरि जी की है।

*श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी में मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हैदराबाद गांव है, पहले तहसील था, आज परगना है। हैदराबाद विधान सभा इसी गांव के नाम पर है। 1962 में वहां पर एक थाना कायम हुआ था और आज तक वहां पर थाना है। 1980 से यह मामला तत्कालीन मुख्य मंत्री तक आया था और यहां से निर्देश होने के बाद वहां पर जमीन का अधिग्रहण हुआ, उस अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा भी दिया गया। जमीन का अधिग्रहण होने के साथ भवन निर्माण के लिये कार्यवाही की गयी और थाने के भवन का निर्माण होना था। पिछले 1 साल में एक अधिकारी की हठधर्मिता के लिये दूसरी जगह पर थाना भवन बना दिया गया है, किसी दल का सवाल नहीं है सभी दल के लोग और पूरी जनता की मांग है कि जो थाना हैदराबाद गांव में है जहां पर थाने के भवन के लिये जमीन अधिग्रहीत की गयी, मुआवजा भी दिया गया, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का निर्देश भी है। परन्तु एक अधिकारी की हठधर्मिता के चलते गलत जगह पर भवन का निर्माण करा दिया गया। पिछली बार वहां पर 4 फीट पानी भरा था। थानेदारों की मंशा नहीं थी कि वहां पर थाने का निर्माण हो। लेकिन एक अधिकारी की हठधर्मिता के कारण गलत जगह पर निर्माण करा दिया गया। इससे वहां की सम्पूर्ण जनता आक्रोशित है और इसको लेकर परेशान है। वहां पर सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। एक अधिकारी की हठधर्मिता के चलते गलत जगह पर थाने का निर्माण कराया गया जिसका उद्घाटन परसों कराया गया। मान्यवर, यह लोकमहत्व का प्रश्न इसलिये है क्योंकि हजारों लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है यह लीडिंग गांव है और उस गांव की आवाज पूरे क्षेत्र की आवाज बनती है। हजारों लोग आक्रोशित हैं कि जिस जगह पर थाने के लिये जमीन का अधिग्रहण किया गया है वहीं पर निर्माण कराया जाए। सैकड़ों लोगों ने अपनी जमीन दी है और मकान भी बनवाने का काम किया है। 1962 से थाना वहां पर चल रहा था मात्र एक अधिकारी की हठधर्मिता के चलते यह हुआ है। मान्यवर, मेरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आपका निर्देश हो जाए कि जो अधिग्रहीत भूमि थी उसी पर थाने का निर्माण कराया जाए और वहीं पर थाने का संचालन किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैने अरविन्द गिरि जी को सुना, नियम-56 में इसको अग्राह्य करता हूं परन्तु वहां पर इस तरह की स्थिति है तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको दिखवा लेंगे।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, महंगाई का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोग रहते हैं उसमें से 12 करोड़ की आबादी गांव में बसती है छोटे किसान और खेतिहर मजदूर के रूप में आज 12 करोड़ में से 80 प्रतिशत लोग जो गांव में गरीब, मजदूर, किसान के रूप में जीवन-यापन करते हैं जिनके पास केवल 2 एकड़ जमीन रह गयी है। 2 एकड़ जमीन जिस काश्तकार के पास है उसकी 3 से 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी होती है। करीब-करीब 9 करोड़ जो गांव के गरीब लोग हैं, इन बी0पी0एल0 परिवारों को छोड़ दीजिए बाकी शेष लोग इस गरीबी की मार से उनको रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी हैं। इस गरीबी की मार से पूरे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। दो-तीन महीने के अन्दर महंगाई करीब-19-20 प्रतिशत बढ़ी है। यदि पिछले वर्ष और आज के दाम देखें तो पायेंगे कि सब्जी के दाम दो-तीन गुना, अरहर जो 32 रुपये किलो मिलती थी आज 100 रुपये किलो मिल रही है अन्य दालों के दाम भी दो-तीन गुना बढ़ गये हैं। पिछले वर्ष जो चीनी 16-17 रुपये किलो बिका करती थी आज वह 30 रुपये किलो हो गयी है। यह और तेजी से बढ़ रही है। इस महंगाई की मार की वजह से मिलावटखोरी बढ़ी है। मिलावटी दूध, मिलावटी घी, मिलावटी मसाले और मिलावटी दाल इन सब चीजों से इस प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, आप जा रहे हैं इसलिए एक विधायक श्री विजय मिश्र के मामले को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी आ रहा हूं।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बृजेश सौरभ पीठासीन हुए)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

इस मंहगाई के लिये सत्तापक्ष के लोग जिम्मेदार हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या बहुजन समाज पार्टी के लोग हों। यह सब आपस में मिलकर ही केन्द्र की सरकार चला रहे हैं। महंगाई के लिए यह सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। केन्द्र की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीतियों की वजह से इस प्रदेश में महंगाई बढ़ी है आपके सहयोग से जो सरकार चल रही है उसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में महंगाई की मार से इस प्रदेश की गरीब जनता मजदूर किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मान्यवर, जो गांव का गरीब जिसके पास दो एकड़ से कम जमीन है आज उसके बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है उसका परिवार भूखों मर रहा है। एक गांव में पुरानी मिसल हुआ करती थी बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दिया करते थे कि भगवान आपको रोटी दाल देगा। आज उस गरीब की दाल रोटी छिन गई है। आज किसी गांव में चले जाइए 80 प्रतिशत घर ऐसे मिलेंगे जिनके यहां दाल नहीं बनती पतीली में सब्जी नहीं हुआ करती है। बच्चों को रोटी नहीं मिलती है हमारा जिला बुलन्दशहर जो एक वेल जिला माना जाता है मैं वहां पर एक गांव गया तो देखा कि एक परिवार में पानी को नमक डालकर उबाला गया था उसी में लोग रोटी डालकर खा रहे थे। आज ऐसी स्थिति हो रही है। इस प्रदेश की जनता महंगाई की मार से इस मिलावटी सामान की वजह से त्राहि-त्राहि कर रही है। उसके समाधान की तत्काल व्यवस्था हो उस गरीब के लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था हो और महंगाई की मार से उसको बचाया जाय। महंगाई पर नियंत्रण हो आज बाजार में सारी की सारी चीजें मिलावटी मिल रही हैं इन सब चीजों पर नियंत्रण की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी बात आ गई।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा है जिससे मौतें शुरू हो गयी हैं। बुन्देलखण्ड के बारे में घर-बार चर्चा चलती है सारा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इस मंहगाई पर तत्काल नियंत्रण हो और महंगाई के खिलाफ कार्यवाही हो, चाहे इसके लिये कानून बदलने की आवश्यकता हो तो वह बदला जाय। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान कानपुर महानगर में होने वाले सरल कर के नाम से जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर वसूली को लेकर आकृष्ट करना चाहती हूं। यह वसूली आज कानपुर महानगर की जनता और विशेष रूप से मकान मालिक लोगों के लिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस प्रश्न पर सरकार की ओर से कोई बात नहीं आई।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात तो शामिल हो गई थी। आपने पहले बात कही थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

नहीं कोई बात नहीं आई। सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है या तो कहना नहीं चाह रही है। यह सरकार के बस में नहीं है मंहगाई रोकना। सरकार रोक नही सकती है मंहगाई को।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मंहगाई पर रोक लगाने के लिये प्रदेश सरकार की ओर से जो भी कार्यवाहियां हैं, वह हो रही हैं। प्रदेश के लोगों को सुविधा मिले उसके लिये हम संकल्पित हैं और यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये हम चाहते हैं कि आप इसको अग्राह्य कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

सुन लिया गया है, उसको अग्राह्य करने के लिये मंत्री जी ने बताया कि उसको ग्राह्य करने का कोई कारण नहीं बनता और यह सूचना प्राप्त हो गई है सदन को।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

कानपुर महानगर की यह जी0आई0एस0 संस्था न तो कहीं से निश्चित है न संवैधानिक है। फिर पता नहीं किन परिस्थितियों में इसके सर्वे को आधार बनाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप जो वर्तमान टैक्स था, जो वर्तमान देय कर था, उस पर 50 से 100 प्रतिशत अधिक कर लगाकर यह बिल जनता के बीच में भेजे जा रहे हैं जिससे कानपुर नगर में भयावह स्थिति का निर्माण हुआ है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहती हूं कि यह तब हुआ है जब कानपुर नगर निगम ने और नगर निगम से सम्बन्धित सभी राजनीतिक दलों के सभासदों ने, माननीय महापौर ने सम्मिलित रूप से, सर्वसम्मति से एक निर्णय किया और प्रस्ताव पास किया कि इस ऐसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ अगर हम सीधे अपने सदन का निर्णय कराकर वर्तमान कर को 25 प्रतिशत बढ़ाकर लेने का प्रस्ताव पारित करें तो एक चुने हुए संवैधानिक संस्था के नाते हमारा यह प्रस्ताव वैधानिक होगा और इसके आधार पर कानपुर की जनता को सहयोग मिल जायेगा, सहारा मिल जायेगा। पूरी तरह से यह सुनिश्चित था कि यह अपनी स्वायत्तशासी संस्था है और यह संस्था अपने निर्णय करती है और उन निर्णयों को लागू करने की भी बाध्यता होती है और यह बाध्यता तब होती है जब वह संस्था नगर निगम अपने सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हो, सम्पूर्ण अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वहन कर रहा हो तब किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि अनावश्यक रूप से इस सार्वजनिक रूप से और सामूहिक रूप से संवैधानिक रूप से किये गये निर्णय की अनदेखी करके कानपुर की जनता को कठिनाइयों में झोंका जाय और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि तब और इसका भयावह रूप हो गया जब 23 जुलाई को शासन से भी इसकी व्यवस्था को मान्यता देते हुए कानपुर नगर निगम को बाध्य करने का प्रयास हुआ कि नहीं वसूली तो इसी आधार पर होगी। इसलिये शासन के समक्ष, माननीय पीठ के समक्ष आने की और विषय लाने की यह विवशता है और इसमें कोई न कोई निर्देश देने की शासन की भी विवशता है क्योंकि यह विषय तात्कालिक है, यह विषय अविलम्बनीय है और यह विषय एक निश्चित विषय को लेकर है और यह विषय एक संवैधानिक स्थिति के

उत्पन्न होने के संदर्भ में है तो इसका निश्चित रूप से मैं बिना अधिक समय लिये संक्षेप में अपने भाव यहां पर प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं धन्यवाद।

(श्री सतीश महाना के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, आपका तो अभी एक पक्ष प्रेमलता जी रख रही हैं आपके शहर से। दो और मा0 सदस्यों की सूचनायें हैं। उन पर बात आने दीजिए।

*श्री सतीश महाना-

जो मा0 सदस्य ने कहा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं उस पर कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, जे0ए0आई0एस0 सर्वे के मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने स्वयं उस सर्वे को गलत मानकर चुनाव के पहले उसको स्थगित करने के निर्देश दिये। जब माननीय मंत्री जी उसको स्थगित करने के आदेश दिए हैं तो उसमें किसी न किसी प्रकार की अनियमितता थी तभी तो उसको स्थगित करने के आदेश दिए। मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना करके उसको कोई अधिकारी लागू करने का साहस कर सकता है। यह गम्भीर बात है। मान्यवर, जिस प्रकार से हम लोग यहां सदन में चुनकर आते हैं उसी तरह से एक मजबूत इकाई नगर निगम के सभासद जो सभी समस्याओं से सम्बन्धित जिनकी बात होती है, चाहे वह सीवर हो, चाहे पानी हो, चाहे नाला हो, जो हाउस टैक्स मान्यवर, देते हैं पूरे नगर निगम सदन में एक मत से सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया उसको नहीं माना जाएगा। एक अधिकारी सदन के निर्णय को भी पार कर जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, लोग मकान बेचने के लिए मजबूर हैं। मान्यवर, आप तो जानते ही हैं जो मकान मालिक हैं वह पुराने किरायेदारों से 50 रुपया किराया ले रहे हैं उनके मकान पर 50,000 रुपया टैक्स आ रहा है इसमें अनियमितता है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरी बात समझ लें अपने पास मंगा लें। हम सब लोगों को बिठा लें उस पर चर्चा कर लें। जनहित में जो हो, टैक्स बढ़ाने का मैं विरोधी नहीं हूं जनता भी देने को तैयार है। मान्यवर, गरीब आदमी मकान जितने का नहीं है उससे ज्यादा उसका टैक्स आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा यह विषय उनके संज्ञान में है वह इसका उत्तर दें ताकि जनता को राहत मिले और हम सब संतुष्ट हों।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है आपकी बात आ गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, जो डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया है ...

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें।

श्री सलिल विश्नोई-

सर्वदलीय निर्णय था कि कोई कर नहीं लिया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई बैठें। सरकार का पक्ष आने दें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं। यह उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा मामला है। सभी नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू नहीं है इसलिए भी यह बाध्यकारी नहीं था कि नगर निगम का यह प्रस्ताव नकारा जाता।

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक यह कानपुर में सरल कर का प्रश्न है मैं व्यक्तिगत कानपुर महानगर में गया हुआ था। वहां पर वहां के सभासद और जनप्रतिनिधि मुझसे मिले उन्होंने मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उस समस्या को लाकर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखा। उसके पश्चात् उस सरल कर की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। उसके पश्चात् विस्तृत विश्लेषण में पाया गया कि वहां पर हाउस टैक्स का प्रतिशत काफी नीचे जा रहा है वहां पर नगर निगम की जो आमदनी होनी चाहिए उसमें भी कमी आ रही है। लेकिन उसके पश्चात् अभी जो टैक्स वसूला जा रहा है जो डी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर जो टैक्सेशन हुआ है, उन घरों में जहां किरायेदार हैं या जहां पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं उनके मानदण्ड कुछ अलग रखे गये हैं लेकिन जिस तरह से महाना साहब कह रहे हैं, प्रेमलता कटियार जी ने कहा है और माननीय सदस्य ने कहा अगर आप लोगों के सामने कोई भी समस्या सामने आ रही है तो उस समस्या को आप हमारे सामने संज्ञान में लाएं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुल्तान बेग जी, नहीं थे।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारे यहां भारत नेपाल सीमा पर तीन चार गांव हैं उनका भारत सरकार विस्थापन कर रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

श्री त्रिपाठी जी बीच में एक बात कहना है, माननीय महाना जी की सूचना पर उनकी बात को हमने सुना और वह अग्राह्य की जाती है।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र तहसील नौतनवां जनपद महाराजगंज में सुनौली, सुकरौली, जुगौली, केवटलिया जैसे चार पांच गांव उजाड़े जा रहे हैं, वहां पर इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट की स्थापना के लिए वहां से उन गांवों को उजाड़ा जा रहा है। मान्यवर, वैसे भी वहां पर छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनके पास वहां पर 10, 20, 50 डिसमिल के भूमिधर लोग हैं जिनको यदि आप उजाड़ेंगे तो उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो जायेगी। इसको लेकर स0पा0 और अन्य दलों के लोग एक भाव से एकत्रित होकर जनपद मुख्यालय पर तहसील मुख्यालय पर धरना दिये हुए हैं। कई बार उनको लाठियों से मारा गया, अन्य तमाम बल प्रयोग किये गये लेकिन वहां 250-300 किसान जनपद मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर बराबर धरना दे रहे हैं। मान्यवर, यह विषय मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूं कि जब एक तरफ देश में जितनी भी अधिग्रहण की नियमावली है उसे शिथिल किया जा रहा है, रोका जा रहा है और वहां पर भारत सरकार का चेक पोस्ट बनने के कारण हमारे क्षेत्र के करीब 10,000 किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि उ0 प्र0 में कहीं ऐसी विस्फोटक स्थिति न जाए कि किसान आत्मदाह करे या कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी कोई पैदा हो। इसीलिए मैं मान्यवर, आपसे मांग करता हूं कि इस विषय में सरकार को संज्ञान लेने के लिए और तत्काल वहां पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो रही है उसे रोक कर उस एकीकृत चेकपोस्ट को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित करके जहां पर बड़े गांव और बड़े किसान हैं, आप चाहेंगे तो सुझाव भी दे देंगे लेकिन मान्यवर, इन छोटे-छोटे 10,000 किसानों का संरक्षण हम आपकी पीठ से चाहते हैं और सरकार से चाहते हैं वह संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से इसे रोके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम इसे दिखवा लेंगे और जो आवश्यक होगा उस ढंग से कार्यवाही होगी। देश की सुरक्षा की नजर से जो जरूरी होगी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

त्रिपाठी अब आप बैठिये आपकी पूरी बात आ चुकी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है। मैंने मा0 अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता, इसको अग्राह्य किया जाता है।

इसके बाद अजय तोमर जी और शादाब फातिमा जी। पहले शादाब फातिमा जी को सुन लेते हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी कानून-व्यवस्था के ऊपर काफी बातें हुई। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कानून-व्यवस्था की जैसी स्थिति है, वैसी कभी नहीं रही, न भूतो, न भविष्यते। सच्चाई तो यह है कि हम और हमारे जैसे इस सूबे के लाखों आवाम जब अखबार के पन्ने को पलटते हैं तो बहुत डरते हुये पलटते हैं कि आज अखबार को बहुत गौर से देखना, आज अखबार को बहुत गौर से देखना, फिर कहीं कोई नया हादसा तो नहीं। हर लमहा, हर क्षण कोई न कोई हादसा आपके इन्तजार में रहता है। उसके बावजूद भी जब नेता प्रतिपक्ष जी ने जब आंकड़े रखे थे। हत्या के चोरी के, डकैती के बलात्कार के, माननीय प्रमोद तिवारी जी जो आंकड़े रखे थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह आंकड़े गलत हैं और उन्होंने अपने आंकड़े पेश किये थे। मेरा केवल इतना निवेदन है कि विधान सभा का पुस्तकालय मौजूद है, वहां पर वह चाहें तो स्वयं पुलिस के जो सोर्सेज हैं, उनको निकलवा कर देख लें कि कौन से आंकड़े सही हैं और मैं इतना ही उनसे कहूंगी और एक बात आपसे कहूंगी कि जब मा0 नेता प्रतिपक्ष ने चोरी, डकैती के आंकड़े देते हुये अपनी बात आपके सामने रखी थी। जब बलात्कार की घटनाओं का जिक्र किया तो उस समय सामने बैठे हुये लोगों में कहीं न कहीं विद्रूप हास्य फैल गया था और इसमें सबको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिये था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप इसको अग्राह्य कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तमाम ऐसी बातें कहीं जो निराधार थीं। हमारे एक सदस्य राजेन्द्र चौधरी जी के ऊपर भी आरोप लगाये थे, जो बिल्कुल निराधार थे। उस पर व्यवस्था आ चुकी है। यदि उसके बाद भी उसे दोहराने का काम किया जायेगा तो उचित नहीं है। मान्यवर, मा0 सदस्य ने जिस घटना का नोटिस दिया है, उसी तक सीमित रहें तो ठीक रहेगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो गयी है। एक घटना हमारे जनपद गाजीपुर की है। यहां पर 6 जुलाई को साढ़े 6 बजे शाम को जमानिया थाने के अन्तर्गत बैरिया गांव के अन्तर्गत दरोगा यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनको गोलियां बिरजू राजभर, सोभनाथ राजभर, शिवराज राजभर और रामराज यादव ने मारी थी। साढ़े छः बजे की ये घटना है खेत से वापस लौट रहे थे। साढ़े छः बजे की ये घटना है एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने के लिये गये। एफ0 आई0 आर0 धारा 302, 307, 323, 504 के तहत मुकदमा सं0 804/09 कायम किया गया और यहां तक ठीक था तीन दिन तक पुलिस निष्पक्ष भाव से काम करती रही। तीन दिन के बाद नौ जुलाई को कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में, सत्तापक्ष के लोगों के दबाव में आ करके तीन दिन के बाद जो वादी थे उन लोगों ने थाने जाकर अपनी एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी और उसमें जो धारायें लगायी गयी थीं वह थीं 147, 148, 149, 436, 323, 307, 354, 392 मुकदमा सं0 804-ए/09 कायम किया गया है। ये एफ0 आई0 आर0 जिस पन्ने पर

दर्ज की गयी थी उसका नं0 था 098613, इसके बाद कुछ समय बाद उस पन्ने को फाड़ दिया जाता है। दूसरी तहरीर ली जाती है। दूसरी तहरीर ले करके धारायें बदल दी गयीं। मैंने पहले आप को धारायें बतायीं, उन धाराओं को हटा करके दूसरी धारायें लगायी गयीं। धारा 395, 397, 436, 354, 504, 427 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। धारायें बदल दी गयीं और जो दूसरी तहरीर आयी उसमें लिया गया कि बलवा था, आगजनी, लूट, बलात्कार था। पहली तहरीर में कोई नाम नहीं दूसरी दी गयी हम उसका सबूत आपको दे रहे हैं कि पन्ना बदल दिया गया था और दूसरे पन्ने का नम्बर था 098614, यह इसका सबूत है और जो तहरीर दी गयी उसके अन्दर लिखा गया। (शोर) और मान्यवर, जिसकी हत्या हुयी उसके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

सैय्यदा फातिमा जी हम आपसे कागज मंगवा लेते हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैंने आपके सामने स्थिति को रखा हैं पहली तहरीर को कुछ घंटों के बाद फाड़कर दूसरी तहरीर लिख दी गई। मैं चाहती हूं कि इस प्रकरण की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जाय और जो मृतक के परिवारजन हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराई जाय। मैं यह भी मांग करती है कि मेरी सूचना पर तुरन्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

(व्यवधान)

*डा0 राजकुमार सिंह गौतम-

मान्यवर, वहां पर 25-30 घर राजभर बिरादरी के लोगों के हैं, एक खास बिरादरी के लोग वहां पर रहते हैं। आप वहां की जनता से पूछ सकते हैं कि प्रकरण क्या था।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, ये आपकी बगैर अनुमति के नहीं बोल सकते हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस नियम 56 की सूचना को स्वीकार कर लें और चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप सरकार का पक्ष तो आने दें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं मांग करती हूं कि मृतक के परिवारजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाय और उनको सुरक्षा प्रदान की जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह स्थानीय स्तर की घटना है उसकी विवेचना निष्पक्ष ढंग से होगी और जो भी दोषी होगा, नियमों के हिसाब से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री जी को सुना यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

* डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया।

(कुछ सदस्यों के कहने पर)

छह महीने बाद भी सत्र हो सकता है। जो संवैधानिक तरीका होगा उसके अन्तर्गत सत्र बुलाया जायेगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के किसानों के लिये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये एक बहुत बड़ा संकट आने जा रहा है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, यहां पर जो निजी क्षेत्र की गन्ना मिलें, चीनी मिलें हैं, अपने स्तर से सब कुछ तय करती हैं। चूंकि उन पर कानूनी कोई बाध्यता है नहीं, न उन पर सरकार का अंकुश है, न उन पर किसानों के धरना प्रदर्शन का असर पड़ता है, वह अपने तरीके से चीनी मिलें चल रही हैं और अपने तरीके से मिलों को बंद करने का काम करती हैं। मिलों की पेराई क्षमता कितनी होगी, कितना गन्ना प्रतिदिन लेना है यह वह मिलें ही तय करती हैं। मान्यवर, इसी तरह से यह बताना चाहता हूं कि पिछले पेराई सत्र का भुगतान का बकाया अभी तक इन मिलों पर है लेकिन वह नहीं दे रही हैं। मान्यवर, इसमें मोदी ग्रुप की एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोधन मलकपुर, बागपत है, इन्होंने पूरा भुगतान नहीं किया है।

इसी तरह से बजाज हिन्दुस्तान की किनौनी (मेरठ) की चीनी मिल है, इसी ग्रुप की भसाना (मुजफ्फरनगर) और थानाभवन की चीनी मिलें हैं जिनका भुगतान बाकी है। यह किसानों का पैसा नहीं दे रही हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले वहां के किसानों ने इसको लेकर अपना धरना-प्रदर्शन भी किया था।

श्री अधिष्ठाता-

आप चाहते क्या हैं वह बता दें ?

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, गन्ने का एक रिजर्व क्षेत्र होता है उसमें उन किसान के लिये बाध्यता है कि वह अपने रिजर्व क्षेत्र का गन्ना उसी मिल को ही दे सकते हैं उसको भी इन मिलों ने कम करने का काम किया। मान्यवर, वर्तमान पेराई सत्र लगभग दो माह बाद शुरू होने जा रहा है। वहां के किसानों की यह मांग है कि पिछले पेराई वर्षों का भुगतान की देरी वाले निजी क्षेत्र की मिलों पर समय रहते यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह शुगर मिल गन्ना किसानों का भुगतान वैलाई के 15 दिन के अन्तर्गत करना सुनिश्चित हो तथा जो शुगर मिल देरी से भुगतान के आदी हो गये हैं उनका गन्ना क्षेत्र, रिजर्व एरिया, घटाकर दूसरे मिल को देने की कार्यवाही हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वहां पर शुगर इण्डस्ट्रीज बहुत आदी हो चुकी हैं लेट भुगतान के मामले में अपनी मनमर्जी से काम करती हैं। यह बात हो कि वह मिलें सही समय पर भुगतान करें और अगर न करें तो उनका रिजर्व कोटा काटकर किसी अन्य मिल को दे दिया जाये। अन्य मिलों को गन्ना देने के लिये किसानों को फ्री कर दिया जाये ताकि कहीं भी वह अपना गन्ना डाल सकें। पूरे प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित यह मामला है, मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब इन मिलों का रिजर्व कोटा घटा दिया गया तो इन्होंने अपनी मिलों को चलाने के लिये स्वार्थ में गन्ना किसानों को अतिरिक्त बोनस देकर गन्ना खरीदने का काम किया। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्राविधानित नियमों के अनुसार गन्ना किसानों के हित में जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर डा0 अजय तोमर व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम 56 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, प्रतिदिन हमारे प्रदेश में लाखों लोग कुत्ता, बिल्ली और बन्दर के काटे जाने से बीमारी का शिकार होते हैं। यह सारे लोग जानते हैं कि ऐसे रोगियों को रैबीज नाम की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है इसलिये उन्हें एण्टी रैबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और मान्यवर, ज्यादातर कुत्ते या बन्दर गरीब लोगों को काटते हैं। हमारे जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। मान्यवर, प्रदेश में हालत यह है कि प्रतिदिन 7 लोग कुत्ते काटने की बीमारी रैबीज से मर जाते हैं और दर्दनाक मौत मरते हैं। इस बात को बताना इसलिये जरूरी है कि सभी को उस दर्द का अहसास होना चाहिए कि जिन लोगों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। सरकार कहती है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में ए0आर0वी0 के इंजेक्शन उपलब्ध हैं जबकि हालत यह है पिछले 15 दिनों के अन्दर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगराम कस्बे का रहने वाला सद्दाम नाम का एक युवक और भूसा मण्डी में रहने वाला जावेद नाम का एक युवक इस कुत्ता काटने की वजह से मौत का शिकार हो गया। राजधानी के बलरामपुर चिकित्सालय में प्रतिदिन 225 से 250 मरीज ए0आर0वी0 का इंजेक्शन लगवाने के लिये जाते हैं और हालत यह है कि बलरामपुर चिकित्सालय में जहां इतने मरीजों को सुई लगाने के लिये 125 से 150 वायल का इंतजाम होना चाहिए मात्र 50 से 60 वायल ही उपलब्ध हो पाता है। इसकी वजह से बहुत से गरीब मरीज जिनको इंजेक्शन लगना चाहिए वह अपने आपको भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और उसमें से कई मौत के शिकार होते हैं। अगर राजधानी के सबसे प्रमुख चिकित्सालय में यह हालत है कि मांग के आधे ए0आर0वी0 के इंजेक्शन उपलब्ध हैं तो प्रदेश के तमाम प्राथमिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी चिकित्सालय में क्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाल होगा। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि प्रदेश के सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 और जिला चिकित्सालयों में मांग के अनुसार जितने भी रोगी जायें उन सबको पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था हो ताकि कोई भी इस बीमारी के कारण मौत का शिकार न हो। साल में करीब ढाई हजार लोग इस रोग से मरते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार उचित व्यवस्था करे कि किसी गरीब का बच्चा फिर से मौत का शिकार न हो, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है और हमने इन दो सालों में यह प्रयास किया है कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब को इलाज के लिये जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाये। यह जो जानवर काटने की वैक्सीन का सवाल है इस वैक्सीन की उपलब्धता हर सी0एच0सी0 और जिला अस्पताल में करने की कोशिश करेंगे ताकि यह कमी न होने पाये।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री अनूप सण्डा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। इसे अग्राह्य करते हैं।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे नियम 56 की इस कार्य-स्थगन की नोटिस पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम सादुल्लानगर तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर में गाटा सं0-7.2/0.061 हे0 जो नवीन परती व गाटा संख्या-819/0.081 हे0 तालाब के खाते में है व गाटा संख्या-717ड/0.012 हे0 खलिहान के खाते में अंकित है एवं उससे लगी आबादी की भूमि पर हफीज पुत्र अब्दुल कय्यूम व तौकीर, सईद, जहीर पुत्रगण अब्दुल रहीम निवासी ग्राम नेवादा ने बाजोर जबरदस्ती कब्जा करके मकान व बिना सरकार की अनुमति के भूमि का कब्जा बनाये रखने के लिये एक मस्जिद का निर्माण करा लिया है। उक्त भूमि पर ग्राम सादुल्लानगर के बरईपुरवा के हिन्दू बिरादरी के लोगों का खलिहान निकास पैठार एवं रास्ता है। किन्तु कब्जा करने वाले लोग बहुत ही सरकस एवं गिरोहबंद व्यक्ति हैं जिनकी समाज में दहशत है। उक्त ग्राम पंचायत की जमीन को खाली कराने हेतु श्री राम लाल प्रधान ग्राम पंचायत सादुल्लानगर ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वरन कब्जा करने वाले दबंगों ने अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान राम लाल को जान से मार डालने की धमकी एवं गाली दी। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान को बार-बार धमकी दी जा रही है। जिन्होंने इस भूमि पर कब्जा किया है। क्योंकि खलिहान गांव के लोग लगाते थे, अन्य तालाब पर भी इनका कब्जा हो गया लेकिन इनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई न तो मान्यवर, यह सरकारी जमीन खाली कराई गई। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करता हूं और जमीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को खाली कराने के लिये तथा इस सदन की कार्यवाही को रोक कर के चर्चा कराये जाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति के प्रधान श्री रामलाल की सुरक्षा और उनकी हिफाजत की मांग करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 हाशमी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 1 लाख 18 हजार है और शिक्षा मित्रों के भरोसे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी का एक पत्र जारी हुआ है उस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह सर्वहिताय, सर्वसुखाय की सरकार है, लेकिन उसके अन्तिम पैराग्राफ में कहा गया है कि आपसे मेरा अनुरोध है कि समाज के सभी वर्गों विशेषकर बालिकाओं तथा अनुसूचित जन जाति के बच्चों के नामांकन पर विशेष ध्यान देंगे। यह सभी विधायकों को पत्र गया है। मुख्य मंत्री जी भी इस प्रकरण पर बहुत चिन्तित हैं कि सभी को प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा आजकल शिक्षा मित्रों के ही भरोसे चल रही है। शिक्षा मित्रों को नरेगा में जो काम करने वाले लेबर हैं उनको तो उनके खाते में ही सरकार सीधे पैसा दे देती है, लेकिन शिक्षामित्रों के साथ दुर्भाग्य है कि उनके खाते में सीधे उनको पैसा भी नहीं प्राप्त होता है। दूसरी बात, अभी तक उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है। मान्यवर, उत्तराखण्ड और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर शिक्षामित्रों की सेवा नियमावली बना दी गई है, छः हजार रुपये उत्तराखण्ड में मानदेय प्रतिमाह मिलता है, बिहार में चार हजार रुपये प्रतिमाह मिलता है, उत्तराखण्ड में 60 वर्ष तक की आयु और बिहार में भी 60 वर्ष तक की आयु के उनकी सेवा की अवधि हो गई है। मान्यवर, उनके जो अवकाश हैं वह भी परिषदीय अध्यापकों की भांति प्राप्त होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां की प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः शिक्षामित्रों के भरोसे चल रही है न तो उनकी कोई सेवा नियमावली बनी है और न ही उनके अवकाश का और मानदेय में कोई बढ़ोत्तरी की गई है। मैं मुख्य मंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं शैलेश कृष्ण जी इनका 17 फरवरी को समझौता हुआ शिक्षामित्र संघ के साथ में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के साथ में समझौता हुआ और लिखित यहां पर है। मान्यवर, इसमें तीन मांगें मानी गई कि शिक्षा मित्रों को अविलम्ब इग्नू द्वारा सी0पी0टी0 का प्रशिक्षण दिलाकर स्थाई शिक्षक बनाया जायेगा। दूसरा है छठवें वेतन आयोग और महंगाई के अनुरूप तीन हजार से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाकर दस हजार मानदेय दिया जायेगा, तीसरा है कि मानदेय देने हेतु विभाग द्वारा सीधे शिक्षामित्रों के व्यक्तिगत खाते में तत्काल भिजवा दिया जायेगा, लेकिन मान्यवर, यह फरवरी का समझौता और प्रमुख सचिव जी का पत्र उसके बावजूद भी अभी तक शिक्षामित्रों का कोई भला नहीं हो पाया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षामित्रों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि शिक्षामित्रों की सेवा नियमावली बनाई जाय और सेवा नियमावली बना कर के और उस पर आगे कम से कम प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिये कुछ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, आज सुबह प्रश्नकाल में मिलावट के ऊपर भी चर्चा आई। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, मैं अपनी नोटिस पर आ रहा हूं नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे कि नोटिस पर कुछ बोला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मिलावट में आप तो न शामिल हों।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अगर मिलावट में मैं शामिल हूंगा तो सभी शामिल हो जायेंगे।

मैं उसमें केवल एक चीज कहूंगा बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी बात उसमें नहीं कहूंगा लेकिन सुबह प्रश्नकाल में यह आया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे उन्होंने एक बात स्वीकार किया कि सिन्थेटिक दूध कहीं नहीं पकड़ा गया लेकिन मिश्रित दूध पकड़ा गया। मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूं मिलावट में दाल में कंकड़ की मिलावट है, आम के पकाने के लिये कैल्सियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैल्सियम कार्बाइड के इस्तेमाल से दिमाग कमजोर होता है, दिमाग में लकवे जैसी स्थिति आती है। दूध में सिन्थेटिक तत्व की मिलावट की सुबह बात आई थी क्योंकि पूरे प्रदेश में चल रहा है। यूरिया और डिटर्जेन्ट की मिलावट भी उसमें चल रही है। नमक में पत्थर और सफेद चाक का पाउडर की मिलावट भी उसमें हो रही है। मान्यवर, एक शाम को टी0वी0 के सामने बैठा था तो उसमें एक खबर आई कि मिलावट में धनिया में घोड़े की लीद मिलाई जा रही है। मान्यवर, यह टी0वी0 में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। धनिया एक ऐसी चीज है जो हर सब्जी में मिला दी जाती है वह चाहे कोई वेजेटेरियन खाने वाला हो चाहे नान वेजेटेरियन खाने वाला हो धनिया सब खा रहे हैं और इस प्रदेश में बहुत व्यापक स्तर पर यह धन्धा चल रहा है।

श्रीमती सैय्यदा सादाब फातिमा-

मान्यवर, इसका संज्ञान ले लीजिए।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, अब त्योहारों का समय आ रहा है तो खोआ की खपत बढ़नी है इसमें उबला हुआ आलू और मैदा यह खोया में मिलाया जा रहा है।

मान्यवर, न सब्जी इससे दूर है मिलावट से, न फल दूर है न दूध दूर है न तो अनाज दूर है। मैं निश्चित रूप से इसमें चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जिससे प्रदेश की आम जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे। आपके माध्यम से सरकार से एक मांग करता हूं देशी घी में

चर्बी की मिलावट हो रही हैं अभी इलाहाबाद में धूमनगंज थाना के अन्तर्गत 75 गौकशी एक जगह पर की गयी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप दूसरे विषय पर आ गये।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, 5-7 दिन के बाद थाना शाहगंज के अन्तर्गत गौ-मांस टीन में पाया गया। वह जब टीन में पाया गया हिन्दुस्तान अखबार ने जब उसका स्टिंग आपरेशन किया तो पता चला गौकशी का धन्धा दूसरे हिसाब से लोग करते हैं। गाय ले जाते हैं तो वह पकड़ जाती है तो गाय की वहीं मौके पर हत्या कर देते हैं और उसके मांस को टीन में भरकर दूसरी जगह भेजा जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने उदयभान करवरिया जी को सुना यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य की जाती है, करवरिया जी आपकी बात आ गयी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब यह स्वयं मिलावट कर रहे हैं तो मिलावट कैसे रोकेंगे ।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने तो अग्राह्य कर दिया। मैं किस सूचना का जवाब दूं इन्होंने तो घालमेल कर दिया कुल।

श्री अधिष्ठाता-

यह मिलावट पर ज्यादा चिन्तित हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, यह जनहित का है मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपकी सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, यह जनहित का मामला है, यह मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

करवरिया जी, आपकी बात आ गयी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने तो पहले ही अग्राह्य कर दिया है। मैं इनकी किस बात का जवाब दूं, इन्होंने तो खुद ही बहुत घालमेल कर दिया है।

*श्री सोबरन सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज नियम-56 में आपने लोक महत्व के अति गम्भीर प्रश्न पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जब से यह सत्र चला है, अलग-अलग माननीय सदस्यों की पीड़ा मैने सुनी है। मैं भी एक ऐसी ही समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे सभी साथी यह चाहते हैं कि पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये हैण्डपम्प अधिकारियों के माध्यम से न हों, बल्कि हम लोगों के माध्यम से हों। चाहे किसी भी दल के सम्मानित सदस्य हों, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, उनके सुख-दुख मे सम्मिलित होते हैं। जितना माननीय जनप्रतिनिधियों को आम लोगों की समस्या के बारे में जानकारी होती है, उतना अधिकारियों को नहीं। आपके सामने मैं एक ऐसे प्रश्न को रख रहा हूं। अभी दिनांक 14-7-09 का कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम इटावा की अष्टम इकाई के द्वारा हस्ताक्षरित अधिशासी अभियन्ता की एक प्रतिलिपि आपके पास मैं भेजूंगा। वर्ष 2008-2009 में सरकार ने 1575 हैण्डपम्प इटावा के लिये भेजे थे। मान्यवर, जब इन 1575 हैण्डपम्पों के बारे में वहां के सांसद और अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों ने सूची चाही तो इसी सूची में 452 हैण्डपम्प अलग-अलग नाम से दर्शाये गये हैं। यह सीधा-सीधा एक करोड़ 80 लाख रुपये का ाबन है। इसमें उपसचिव के लिये पत्र लिखा गया, माननीय सचिव, ग्राम्य विकास के लिये लिखा गया तो उत्तर आया कि जांच हो जायेगी। इस तरह एक अधिशासी अभियन्ता एक करोड़ 80 लाख रुपया खा गया। इटावा जिला यमुना और चम्बल के बीहड़ का जिला हैं लगभग बुन्देलखण्ड जैसी स्थिति इटावा और औरैया की है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे मन में कसक है जब मेरे माननीय कुछ साथियों ने इटावा के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बात कहकर उपहास उड़ाने का प्रयास किया। मान्यवर, संभवतः उन्हें यह नहीं मालूम होगा, हमारे वरिष्ठ लोगों के अलावा। इटावा जनपद समाजवादी पृष्ठभूमि की रची बसी जनपद है। माननीय कांशीराम जी जब तीन बार चुनाव हारे तो इटावा जनपद के लोगों ने ही उन्हें पहली बार लोकसभा पहुंचाकर एक सम्मान दिया। उन्हें एक मौका दिया कि वह वहां जाकर प्रदेश ओर देश में अपनी बात कहें। श्रीमन् मैं आपके पास यह लिस्ट भेज रहा हूं, 1575 हैण्डपम्प की, जिसमें 452 हैण्डपम्प डबल लिखे हुये हैं और उन 452 में वह सूची भी सम्मिलित है जो लोक सभा के माननीय सदस्य, राज्यसभा के माननीय सदस्य, वहां के विधायकगणों ने दी है, उसे भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं लूट की बहुत घटनायें लिखी नहीं जाती। लेकिन क्या यह लूट नहीं है कि एक करोड़ 80 लाख रुपया लूट ले गया एक अधिशासी अभियन्ता। क्या उसे कोई विशेषाधिकार है। कहीं कोई आज तक कान पर जूं नहीं रेगीं। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि तुरन्त जांच कराकर, जो पैसा वह गबन कर गया है, राजस्व वसूली की भांति उसकी सम्पत्ति से वसूल किया जाय और उन गरीब लोगों को, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं पेयजल की समस्या से उन बीहड़ इलाकों में। वहां हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराने का काम किया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक मान्यवर, कांशीराम जी की चर्चा की गई, इटावा से वह सांसद चुने गये थे और उस समय समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, कोई समाजवादी पार्टी की बदौलत वह नहीं चुने गये थे। यह बात जरूर है कि जब वर्ष 1991 में समाजवादी पार्टी मर चुकी थी उस समय समाजवादी पार्टी को जिन्दा करने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने अवश्य किया था। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में श्री राम सिंह शाक्य को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, जो सही तथ्य है वह मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को पुनर्जीवित करने में उनका एहसान जरूर है, जिसे आपको कभी भूलना नहीं चाहिये। मान्यवर, जहां तक इस प्रकरण का सवाल है इस प्रकरण में कई जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी, उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुये प्रबन्ध निदेशक, जल नगिम को उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं। जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे, उसमें जो दोषी पाया जायेगा, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जायेगी किसी को बख्शा नहीं जायेगा। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि यह सूचना नियम-56 में ग्राह्य करने योग्य नहीं है इसलिये इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने मा0 श्री सोबरन सिंह यादव जी को सुना और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इस सूचना को अग्रह्य करता हूं।

*श्री पूरन प्रकाश-

श्री गिरिराज महाराज की जय, मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नियम-56 में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र पड़ता है यह बहुत बीहड़ क्षेत्र है, यहां जमीन के नीचे बिल्कुल खारा पानी है। सिंचाई के हिसाब से यह क्षेत्र सबसे आखिरी टेल पर पड़ता है। ओखला से होकर यह पानी हरियाणा कोसी से निकल कर लोअर आगरा कैनाल, मथुरा तक पहुंचता है। हरियाणा वाले बीच में पानी काट लेते हैं और जो पानी बचता है उसे कृषि मंत्री सामने बैठे हैं यह अपने क्षेत्र में कटवा लेते हैं। हमारे गोवर्धन क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र साधन लोअर आगरा कैनाल है। वहां 20-20 साल से किसानों को पर्याप्त पानी न मिलने के कारण वह अपनी फसल नहीं बो पा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वहां स्थिति बदतर हो गई है, लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। सिंचाई विभाग के एस0 ई0 एवं अधिशासी अभियन्ता और पांच जे0ई0 आगरा में रहते हैं, पिछले दो वर्षों से सिंचाई विभाग की एवं जिले की जितनी मीटिंगें हुई हैं आज तक किसी मीटिंग में भी अधिशासी अभियन्ता नहीं आये हैं। डी0 एम0 के द्वारा भी इनको निर्देशित किया जा चुका है परन्तु स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई हैं मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि लोअर आगरा कैनाल को समाप्त करके इसे अपर आगरा कैनाल मथुरा में जोड़ दिया जाय, जिससे किसानों को पर्याप्त पानी एवं अपनी बात कहने के लिये अधिकारी मिल सकें। इस लोअर आगरा कैनाल टेल पर लगभग 55 गांव पानी के अभाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भुखमरी के कगार पर है। अगर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो किसान वहां से पलायन कर जायेंगे एवं खेती करना भूल जायेंगे। वहां पर जे0ई0 और अधिशासी अभियन्ता जो आगरा में रहते हैं को हेड क्वार्टर मथुरा में रहने के निर्देश देने की मैं सरकार से मांग करता हूं और मैं इस लोकमहत्व के प्रश्न पर कार्यवाही रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य की समस्या का संज्ञान ले लें।

* कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय विधायक श्री पूरन प्रकाश जी ने बात कही है इसमें मैं भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह आरोप तो इनका गलत है कि अपर आगरा कैनाल में पानी चलता है और लोअर आगरा कैनाल में पानी कम चलता है, जैसा रोस्टर बना हुआ है वैसे ही चलता है। इतना जरूर अनुरोध करूंगा, हमारा जो अपर आगरा नहर है हरियाणा में करीब 40 कि0मी0 पड़ती है और हरियाणा वाले इस समय कम से कम हमारा 50 प्रतिशत पानी पाइप डालकर चोरी करते हैं।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री पूरन प्रकाश व मा0 कृषि मंत्री जी को सुना, इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब जो सूचनायें बची हैं उन पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी भी एक सूचना है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत मैंने सूचना दी थी और आपने कहा था कि हम सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करिये, मा0 नेता विरोधी दल खड़े हुये हैं।

श्री विजय मिश्रा, सदस्य विधान सभा, ज्ञानपुर (भदोही) की सुरक्षा की मांग

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, विजय मिश्र जो ज्ञानपुर जनपद भदोही से विधायक हैं। अप्रैल महीने में उन पर हमला हुआ था और उनके गनर को भी गोली लगी थी, वहीं पर एक महिला भी घायल हुई थी। एफ0आई0आर0 लिखी गयी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद उल्टे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, उनकी सुरक्षा भी ले ली गयी और सुरक्षा न होने के कारण विधान सभा के उपवेशन में भी नहीं आ पाये, 3-4 दिन का सत्र था उसमें भी नहीं आ पाये क्योंकि उनकी जान को खतरा है। चूंकि इस वह सदन के सदस्य हैं और उनकी जान के खतरे को देखते हुये जो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया और जो उन पर हमला हुआ है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाय। अभी आपने देखा कि बनारस के विधायक अब्दुल समद को अधिकारियों ने किस तरह से अपमानित किया है, झूठे मुकदमें में फंसाया गया है, यह परम्परा नहीं होनी चाहिये। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अगर इसी तरीके से झूठे मुकदमें लिखे जायेंगे और फिर उनको अपमानित किया जायेगा तो पूरे सदन की गरिमा गिरेगी। इसलिये हमारा आपसे निवेदन है कि मा0 विधायक विजय मिश्र जी, अपने क्षेत्र में और जब विधान सभा का सत्र चल रहा है तो खतरे की वजह से सदन में आज उपस्थित नहीं हो पाये हैं और लगातार 3 दिन से उपस्थित नहीं हुये हैं तो उनको जो खतरा है, उनकी सुरक्षा को बहाल किया जाय जिससे अपने क्षेत्र में अपने जनपद में और सदन में आ सके। यह मेरी आपसे अपील है। सरकार को ऐसे निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 नेता प्रतिपक्ष किसी सदन के सदस्य को खतरा है और सदन के संज्ञान में ला दिया है तो इस विषय को दिखवा लिया जायेगा। श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, नहीं है।

नियम-311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की है, कृपया एक मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने इस योजना के बड़े ही अच्छे पहलू को ध्यान में रखकर लागू कराया था। पहले ग्राम्य स्तर पर जो गरीब मजदूरों के लिए योजना बनी थी उस योजना के अन्तर्गत उन गरीबों और मजदूरों को काम नहीं मिल सका। ग्राम प्रधान जाब कार्ड इकट्ठा कर पैसे विदड्रा कर लेते हैं। जगह-जगह श्रमिक लोगों को जितना काम मिलना चाहिए 100 दिनों की गारण्टी सरकार लेती है उन्हें रोजगार देने की किन्तु रोजगार नहीं मिल रहा है। माफिया लोग इसमें लग गए हैं और जो कार्य श्रमिकों के माध्यम से किया जाना चाहिए वह जे0सी0बी0 मशीनों के द्वारा किया जा रहा है कई जगह पक्के काम कराए जा रहे हैं तालाबों की फर्जी खुदाई दिखायी जा रही है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग को सतर्क करना पड़ेगा इस तरह की कमेटी बनानी पड़ेगी। गरीब श्रमिकों के लिए जिस उद्देश्य को लेकर यह योजना बनाई गई है केन्द्र सरकार द्वारा जहां पैसे की कोई कमी नहीं है जिस उद्देश्य को लेकर यह किया गया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। श्रमिकों और गरीब मजदूरों की हालत वैसी की वैसी है जैसा इस योजना के आने से पहले था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 19 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वहीं उत्तर प्रदेश में 66 लाख जाब कार्ड बने है। इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसके पीछे केन्द्र सरकार की सोच भी अच्छी है प्रदेश सरकार भी इसके लिए पब्लिसिटी कर रही है इसमें मजदूरों को जो मजदूरी मिलनी चाहिए वह मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर सारे कार्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को रोककर चर्चा करा ली जाए और किसी नतीजे पर पहुंचा जाय कि इन श्रमिकों का उद्धार कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री प्रदीप माथुर को सुना। यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन गरीबों के रोजगार से जुड़ी हुई योजना है अगर कहीं अनियमितता हो रही है, तो मंत्री जी इसको दिखवा लें।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। यह प्रकरण गोरखपुर नगर निगम का है नगर निगमों को कानून बनाकर दिए जाते हैं कि वह इन कानूनों के अनुसार कार्य करें। मंत्री जी जब कानून व्यवस्था पर जवाब दे रहे थे तो आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ठेकेदारी सिस्टम, टेण्डर सिस्टम में सरकार पारर्शिता स्थापित करना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस ओर बड़ी साफगोई से कहा। जो कुछ मैं रखने जा रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने टेंडर आवंटन में निविदा में पारदर्शिता की बात कही है मैं जब दोनों को मिलाने का काम करूंगा तो समझ में आएगा कि जो कुछ हुआ है शायद उचित नहीं हुआ है। इस पर गम्भीर कार्यवाही होनी चाहिए। प्रकरण स्थानीय निकाय में टेंडर प्रक्रिया का है। पिछले वर्ष एक व्यक्ति को जबरन 4 करोड़ में टेंडर दिया गया। नियमानुसार इस साल इसका नया आवंटन होना चाहिए इसके लिए नयी निविदाएं मांगनी चाहिए नया विज्ञापन निकलना चाहिए और हर आदमी को मौका दिया जाना चाहिए आवेदन करने का। पिछले वर्ष जो व्यक्ति काम कर रहा था उसके काम से पार्षद असंतुष्ट थे, मेयर असंतुष्ट थे सभी असंतुष्ट थे इतने असंतुष्ट थे कि नगर निगम के मिनट्स हैं उसमें पार्षदों ने अपने वक्तव्य लिखित रूप से दर्ज कराए उन्होंने कहा कि सफाई कार्य में बड़ी शिकायत है प्रातः उनके कार्यों के निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मी काफी कम पाए जाते हैं और क्षेत्र में काफी गन्दगी मिलती है इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और ठेके के अवधि का विस्तारीकण न किया जाय। महापौर ने भी इसी तरह की टिप्पणी की कि मैंने अपने निरीक्षण के दौरान सफाई के काम में लापरवाही पाई। नागरिकों ने रेडियो पर शिकायत की। नगर निगम की बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों और महापौर का यह बयान है। उसके बाद हमारे नगर आयुक्त ने उस बैठक में पत्र करवा पत्र में उन्होंने नगर विकास मंत्री और प्रमुख सचिव नगर विकास का हवाला दिया उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव का निर्देश आया है एक ठेकेदार का नाम लेते हुए जिसको पिछले वर्ष ठेका दिया गया था यह संदेश आया है कि उस ठेके का पुनः नवीनीकरण किया जाय। मैं इस सदन में उस बैठक की कार्यवाही के अंश लेकर आया हूं अगर अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं उनके पास भिजवा दूंगा। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उनका निर्देश आया है कि एक व्यक्ति विशेष, एक ठेकेदार काली प्रसाद का नवीनीकरण की कार्यवाही कर दी जाय और वह पार्षद और वह मेयर जो नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्ति व्यक्त कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्यवही की मांग कर रहे थे, दोबारा उन्हें ठेका न दिया जाय, ऐसा प्रस्ताव कर रहे थे, प्रमुख सचिव, नगर विकास के इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखित आदेश पर नगर आयुक्त के द्वारा यह सूचना दिये जाने पर उन्होंने उसी व्यक्ति को दोबारा टेण्डर दे दिया। दिया तो क्या 15 प्रतिशत दर बढ़ाकर के दे दिया यानि कोई टेण्डर आमंत्रित नहीं हुआ, कोई विज्ञापन नहीं हुआ सिर्फ एक कार्यकारी आदेश के आधार पर नगर निगम के कार्यकारज ने प्रमुख सचिव नगर विकास के दबाव में आकर उस व्यक्ति को जिससे वो स्वयं परेशान थे, पूरा नगर परेशान था, उसको वह आवंटन दे दिया। यह प्रश्न सिर्फ इसलिये अध्यक्ष महोदय कि प्रमुख सचिव नगर विकास हों या प्रमुख सचिव किसी विभाग के, प्रमुख सचिवों को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रदेश में किसे टेण्डर दिया जायेगा, किसे नौकरी दी जायेगी उसके बारे में कोई नामजद आदेश लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने का काम करे। प्रमुख सचिवों का काम नियमों को बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके अन्तर्गत आने वाला विभाग नियमों के अन्तर्गत काम कर रहा है कि नहीं। जब प्रमुख सचिव, हमसे यहां कहा जाता है कि जब मेड़ ही खेत खाने लगेगी तो सुरक्षा कौन करेगा ? जब प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति एक निचले नगर निगम के इकाई के टेण्डर, उसके सफाई के ठेके के नवीनीकरण के लिये पत्र लिखेगा, नगर आयुक्त पर दबाव बनायेगा और पूरी कार्यकारिणी को मजबूर करेगा कि किसे टेण्डर दिया जाय तो अध्यक्ष महोदय यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा कि इनकी सरकार प्राथमिकता पर रखती है, टेण्डर को लेकर पारदर्शिता के सन्दर्भ में और चूंकि गोरखपुर में अभी आपने पढ़ा होगा कि एक जे0ई0 की हत्या इसी टेण्डर को, इसी आवंटन, इसी ठेकेदारी को लेकर अभी 5 दिनों पूर्व हुई है। मैं सरकार से मांग करूंगा, मैं सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, सरकार इसमें कोई पक्ष नहीं है। लेकिन शासन में बैठा हुआ एक वरिष्ठ अधिकारी इसमें पक्ष है। मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि माननीय नगर विकास मंत्री यहां बैठे हुए हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। इस प्रकरण की आप यदि चाहते हैं तो यह पत्र मैं दूंगा अन्यथा मैं इसके लिये जिम्मेदार हूं, आप इसकी जांच करायें। अगर प्रमुख सचिव ने ऐसा दबाव डाला है तो प्रमुख सचिव कोई भी हों, प्रशासन और शासन का कितना भी वरिष्ठ अधिकारी हो, अगर उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकारों से परे जाकर कार्य किया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कुछ तो जवाब आना चाहिए। मैं लिखित कागज और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखित कागज दे दीजिए मंत्री जी को।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। कुछ तो उनका जवाब आना चाहिए।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

आपसे पत्र प्राप्त करके, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसलिए अग्राह्य करता हूं।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे इस नियम-56 के कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ बड़ी दिक्कत है। विद्युत की समस्या पूरे प्रदेश में है लेकिन मेरे क्षेत्र के जो किसान हैं, जहां से मैं चुनकर आता हूं वहां पर एक गम्भीर समस्या है कि वहां पर जितनी भी लाइनें हैं वह अतिभारित हैं और लाइनें बहुत जर्जर हालत में हैं। पुराने समय से तार लगे हुए हैं तो विद्युत आपूर्ति कहीं पर 6 घंटे और कहीं पर 8 घंटे देने का काम हो रहा है तो मेरे क्षेत्र में भी 8 घंटे के आदेश हैं। लेकिन मेरे यहां दो या तीन घंटे या चार घंटे मेक्सिमम मिल पाती है। क्योंकि सारी लाइनें ओवर लोड हैं। विद्युत मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। विद्युत की कमी है, विद्युत की सप्लाई तो बढ़ाई नहीं जा सकती लेकिन जो जर्जर तार हैं उसमें भी बीच-बीच में तार टूटने का काम हो जाता है। जब किसानों का आपका एक-एक दिन बांट कर बिजली देने का काम होता है तो जिस दिन मेरा दिन होता है, उस दिन मेरी लाइन का तार टूट जाता है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ लाइनें हैं जो मैं बताना चाहता हूं नोटिस में भी मैंने दिया है। जिनके तार बहुत ही जर्जर हालत में हैं। तमाम किसान इससे परेशान हैं। इन तारों के बदलवाने की व्यवस्था यदि हो जाय। माननीय मंत्री जी यदि इन तारों को बदलवाने का काम कर दें क्योंकि विद्युत उत्पादन में तो समय लगेगा लेकिन यह काम मंत्री जी करा सकते हैं। खाली तार बदलवाने का यदि कर दें, ऐसा कोई निर्देश दिलवा दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूं। अपने इस नियम-56 की ग्राह्यता पर बल देते हुए चाहता हूं कि नियमों को शिथिल करते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। तब भी मा0 मंत्री जी माननीय सदस्य जर्जर तारों के सम्बन्ध में और जहां ज्यादा लोड है और बिजली के सम्बन्ध में जहां ज्यादा दुर्व्यवस्था हो रही है लिखकर दे रहे हैं उसको आप दिखवा लीजिएगा।

*डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपका आभारी हूं किसानों की एक बहुत बड़ी पीड़ा के ऊपर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 21 जुलाई को एक नोटिफिकेशन औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव की ओर से जारी हुआ है। इसमें यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने का एक प्रस्ताव और मैं समझता हूं कि यह भारत वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण होने जा रहा है। सात तहसीलें इसमें शामिल की गई हैं, हाथरस जनपद की शासनीय, हाथरस, शादाबाद, मथुरा, जनपद की माट और महावन, अलीगढ़ जनपद की खैर और आगरा जनपद की एतमादपुर का आंशिक भाग। मान्यवर, हेक्टेयर जमीन इसमें गंगा जमुना की ज्वार की जो बहुत उपजाऊ भूमि है उसे किसानों से छीनकर, उद्योग माफियाओं के हाथ में, औद्योगीकरण के नाम पर सौंपी जा रही है। मान्यवर, यमुना एक्सप्रेस-वे जो बन रहा है उसकी जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रगति दीखती है उसको देखकर लगता है कि तीन-चार साल कुछ नहीं हो पाएगा और उसकी टेल पर यह जमीन को अगर अभी से अधिग्रहीत कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरी तहसील की तहसील एक जनपद से भी बड़ा रकवा इस अधिग्रहण के तहत जो लेने का काम किया जा रहा है इससे उस इलाके का पूरा किसान, बहुत उपजाऊ भूमि का किसान बरबादी की ओर बढ़ जाएगा। मेरा सुनिश्चित मानना है कि इससे सामाजिक विसंगतियां बढ़ेंगी अपराध की घटनायें बढ़ेंगी जिस दिन से यह नोटीफिकेशन की चर्चा किसानों में चल रही है एक आम सामाजिक समस्या उठ खड़ी हुई है नये-नये लड़के जिन्हें शराब पीने की और जुआ खेलने की लत लग गई है उन्होंने अपने बाप की गर्दन पकड़ना शुरू कर दिया है वह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पैसा हमें मिले और भू-माफिया इसका लाभ उठा रहे हैं। मेरा सुनिश्चित मानना है सरकार के पास इतने बड़े भूमि अधिग्रहण के लिए धन की व्यवस्था नहीं है। अभी एक स्ट्रैन्थ पैरीफ्रौल एक्सप्रेस-वे के बारे में अनुपूरक बजट में सरकार ने पैसा लिया है। उस स्ट्रैन्थ पैरीफ्रौल एक्सप्रेस में मात्र दस या बारह गांवों की जमीन जा रही है उसके लिए भी सरकार पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जे0पी0 या अन्य कोई ग्रुप भी इतनी जमीनों के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। मेरा यह निश्चित मानना है कि यह किसानों को बर्बाद करने की साजिश है किसानों की जमीन को लेकर या उनको धमकाकर आतंकित किया जा रहा है कि आपकी जमीन अब सरकार के कब्जे में होगी। इससे वह आतंकित होकर इधर-उधर भागकर भू-माफियाओं को सौंपेंगे या फिर कोई धन्ना सेठ चले आयेंगे अटैची उठाकर, यहां कुछ भर देंगे और वह जिस जमीन पर हाथ रख देंगे, जिस उपजाऊ जमीन पर हाथ रख देंगे वह किसान की जमीन को कब्जाने का काम करेंगे। मान्यवर, हाथरस में एक सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र है मोहन मीकिंग्स नाम की कम्पनी पर पांच सौ एकड़ जमीन 14 वर्ष से उसके नाम एलाट है लेकिन उस पर एक इंच भर काम नहीं हुआ है। नौ सौ एकड़ की योजना है उसमें कोई एक उद्योग आज तक नहीं लगा। केवल एक वोटलिंग प्लान्ट लगा हुआ है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तहसील का मामला है आप विधिवत् इस चीज से परिचित हैं मैं अपनी इस अविलम्बनीय लोक महत्व की बात पर बल देते हुए एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस चीज को और समझ लिया जाए कि जिस भूमि पर अधिग्रहण हो रहा है विश्व की सबसे पहली किसान क्रान्ति अगर शुरू हुई थी आज से चार सौ वर्ष पूर्व हमारे पुरखे वीर गोखला ने मुगल बादशाहत से उनकी राजधानी के नीचे इसी धरती के ऊपर लट्ठ बजाने का काम किया था। उन तोपों के सामने हमारे पूरखे निहत्थे लड़े थे तो मैं सरकार को यह भी चेतावनी दे देना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि गुड़ का पुआ भी न समझ लें बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी चार जिलों का किसान बरबाद होगा तो वह किसी भी शासन को, किसी सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा मैं आपसे अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर ग्राह्यता पर बल देते हुए चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। साथ ही यह भी मांग करता हूं कि इस भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को अविलम्ब शासन वापस लेने का काम करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 अनिल चौधरी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(डॉ0 अजय तोमर जी के द्वारा खड़े होकर पुनः बोले जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 अजय तोमर जी आपने अपनी सूचना में स्पेसिफिक दो मिलों का गन्ना न लेना और गन्ने का भुगतान न करना, यही नोटिस दी है तो उस लाइट में तो आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस विषय को दिखवा लें।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 07 अगस्त, 2009 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जाएं :-

1-इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

2-जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

3-उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 04 अगस्त, 2009 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-1992, 1992-1993, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक,2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-91, 1991-1992, 1992-1993, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 04 अगस्त, 2009 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक,2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 04 अगस्त, 2009 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009

को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 07 अगस्त, 2009 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

*डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मा0 मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मा0 मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, वैट आने के बाद में एक संशोधन इससे पहले के सत्र में आ चुका है। आज दो संशोधन फिर आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि वैट आज सरकार के लिए सांप-छंछूदर की गति जैसा हो गया है न तो निगलते ही बन रहा है, न उगलते ही बन रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, जिस समय असीम दास गुप्ता की कमेटी ने वैट का प्रारूप तैयार किया था, उनकी सोच थी कि पूरे देश के अन्दर एक जैसी कर-प्रणाली रहनी चाहिए। हम आज देखते हैं कि न तो वैट के कारण सरकार को उचित राजस्व मिल पा रहा है, न ही व्यापारियों को इससे कोई लाभ मिल पा रहा है और न आम जनता को वैट के कारण कोई फायदा हो पा रहा है क्योंकि एकदम से इतनी मंहगाई बढ़ गई है जो वैट से पहले नहीं थी। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो आपने वैट लगाया फिर उसके ऊपर से सैट भी लगा दिया। 5 प्रतिशत अधिभार लगाने की सरकार की मंशा है और वैट के साथ ही इस अतिरिक्त कर को भी अधिरोपित करने की सरकार की मंशा है। आप खुद सोचें, जहां पर जीरो प्रतिशत वैट था, फिर 4 प्रतिशत वैट था, 12.5 प्रतिशत वैट था और कुछ वस्तुओं पर ज्यादा वैट था, उस पर 5 प्रतिशत तक यदि यह कर लगा देंगे तो महंगाई की हालत किस तरह से होगी। मान्यवर, आज महंगाई की हालत यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान, खाने की वस्तुओं किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, तेजी से महंगाई बढ़ रही है और आज इस अतिरिक्त कर के लगाने से महंगाई की हालत और भी खराब हो जायेगी। मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि ऐसे समय में जब कि सूखा पड़ा हुआ है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की हालत सूखे के कारण बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे समय में कोई अतिरिक्त कर लगाने की मंशा सरकार न करे। अन्यथा आम आदमी का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो वैट की दरें हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं, दूसरे प्रदेशों की तुलना में वह बहुत ज्यादा है। विशेषकर मैं पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पेट्रोल की दर 26.55 इन्होंने लगा रखा है और डीजल का 17.13 लगा रखा है जबकि अन्य प्रदेशों में यह दरें 16, 20 या 21 प्रतिशत के आस-पास हैं इसके कारण हमारे प्रदेश का जितना भी व्यापार है वह बुरी तरह से प्रभावित हो रहा हैं इसलिये मान्यवर, मैं इस वैट के ऊपर सैट लगाने को पूरी तरह से असंवैधानिक मानता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार से कहें कि इस पूरे प्रकरण को प्रवर समिति को दे दें और मैं जानता हूं कि आज यह दो संशोधन जरूर लाये हैं, लेकिन इसके बाद भी संशोधन आने हैं इसलिये मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने के लिये जितने संशोधन आने हों, उनको एक साथ ले आयें और उसके बाद वैट को लागू करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, राजेन्द्र सिंह जी ने कल ही अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया था लेकिन आज उन्होंने हमारे साथ ज्यादती किया है। जहां तक द्वितीय संशोधन, 2009 का प्रश्न है, मा0 अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण हिन्दुस्तान को देखेंगे, चाहे वह गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की तुलना में आज हमारे प्रदेश में वैट की दरें कम हैं और इस अतिरिक्त कर के माध्यम से कुछ वस्तुओं पर .5 प्रतिशत और कुछ वस्तुओं पर 1 प्रतिशत यह कर लगाया जा रहा है। जहां तक यह 5 प्रतिशत का संज्ञान मा0 सदस्य ने ले लिया है किसी भी वस्तु पर 5 प्रतिशत का अतिरिक्त कर नहीं लगाया जा रहा है। यह दोनों इस लिये किया जा रहा है कि यह वैट व्यवस्था हमारे प्रदेश में सन् 2005 में आ जानी चाहिए थी। यह वैट व्यवस्था, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो उसके पश्चात् 1 जनवरी, 2008 को आई। मा0 सदस्य ने कह दिया कि पेट्रोलियम और डीजल के दाम हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, मैं इनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि डीजल में वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 4.89 और पेट्रोल पर 9.79 प्रतिशत कर मिल रहा है इसलिये यह कहना कतई उचित नहीं है कि हम लोगों के यहां सबसे ज्यादा टैक्स है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्य वस्तुओं का प्रश्न है, मैं मा0 सदस्य महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक जून, 2009 से इस अतिरिक्त कर लगाये जाने के बाद से मशीन और मशीन के पुर्जे, एल्यूमिनियम उत्पाद, सभी प्रकार के केबिल, लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम, मार्बल्स, टाइल्स, एयर कंडीशनर इन सब पर प्रवेश कर समाप्त हो गया है।

मान्यवर, कुछ चीजों पर 1 जून, 2009 से प्रवेश कर समाप्त हो गया है। ये हैं-मशीन और मशीन के पुर्जे, भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां और बांस भी हैं, चाहे वे उगाई जा रही हों, या चीरी गयी हों। क्लिंकर, एल्यूमीनियम एवं इसके उत्पाद। सभी प्रकार के केबिल्स। लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरी फेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0, टी0वी0

सम्मिलित हैं। मार्बल्स पत्थर एवं इनके टाइल्स रेफ्रिजरेटर, एअर कंडीशनर एवं कण्डीशनिंग प्लाण्ट्स।

यह मान्यवर, वैट के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में एक संवाद लाने के लिये यह संशोधन किया जा रहा है। हम चाहते हैं मान्यवर, कि हम सब मिलजुलकर इस सिस्टम के सम्बन्ध में काम करेंगे तभी यह सिस्टम नियंत्रण में आयेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने का अवसर प्रदान करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आपने मान्यवर, बजट में हजारों-करोड़ों रुपये का घाटा दिखाया। फिर छठे वेतन आयोग की संस्तुति हो उससे आपका घाटा और बढ़ गया। क्या उस घाटे को पूरा करने के लिये आप यह अतिरिक्त कर लगाने जा रहे हैं। इससे कितने रुपये की राजस्व प्राप्ति और होगी आपकी कर के रूप में।

श्री नकुल दुबे-

श्रीमन्, कुल लगभग 75 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नहीं, इससे महंगाई और हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 27 मई, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (क छ) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(तीन) धारा 3-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर की धनराशि।"

नई धारा 3-क का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण

"3-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्तु उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त माल के विक्रय या क्रय या दोनों के कराधेय आवर्त पर राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर जो 5 प्रतिशत से अधिक न हो अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा। विभिन्न माल अथवा विभिन्न श्रेणियों के माल के सम्बन्ध में अलग-अलग दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण एवं भुगतान निम्नलिखित पर नहीं किया जाएगा-

(क) अनुसूची-एक एवं अनुसूची-तीन के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर,

(ख) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिये विशेष महत्व के रूप में घोषित माल के यथास्थिति विक्रय या क्रय या दोनों के आवर्त पर,

(ग) राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट व्यवहारी वर्ग द्वारा ऐसा विक्रय या क्रय या ऐसे माल का विक्रय या क्रय।

(3) उपधारा (1) के अधीन भुगतान की गयी धनराशि धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिये पात्र होगी।

(4) कोई व्यवहारी जो धारा 6 के अधीन कर समाधान की सुविधा का उपभोग कर रहा है, अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में भी कर समाधान की सुविधा का उपभोग करने का पात्र होगा।

(5) इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।"

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, एक परम्परा रही है कि विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद माननीय मंत्री जी अपनी बात सदन में रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर बोलने का कष्ट करें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस समय जो सिनेमाघरों की स्थिति है उससे सब अवगत हैं। इसको आपके संरक्षण की जरूरत होगी इस समय डी0टी0एच0, विडियो, मनोरंजन पार्क आदि से इन सिनेमा हालों पर प्रभाव पड़ रहा है इसके फलस्वरूप अब सिनेमाहालों की संख्या बहुत कम रह गयी है। आज हालत यह है कि आज सिनेमाहालों को चलाने के लिये खर्च नहीं निकल पा रहे हैं। आप मल्टीप्लैक्स को तो पांच साल की छूट दे रहे हैं करों में और जो नये बन रहे हैं उन्हें एक साल की छूट है। इसी तरह से जो 60 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है वह प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं इंटरटेनमेंट टैक्स दिल्ली में प्रवेश पर 20 प्रतिशत है, एम0 पी0 में 20 प्रतिशत है, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। लखनऊ में कम से कम 10, कानपुर में 16, बलिया में 13, चित्रकूट में 5, हमीरपुर में 6, जालौन-उरई में 7, महोबा में 3, ललितपुर में 3, गोरखपुर में 4, इलाहाबाद में 16, मुरादाबाद में 3, गाजियाबाद में 4 और आगरा में 17 सिनेमाहाल बंद हो चुके हैं। आपने मनोरंजन टैक्स लगा दिया, सिनेमा शुल्क लगता है, विकास शुल्क नाम से नया कर लगा दिया, जो नयी पिक्चर बनेगी, वह भी इसमें सम्मिलित कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिया है। रख-रखाव के लिये 2 प्रतिशत टैक्स ले रहे हैं। आपने इसको इसके अन्तर्गत ला दिया है। अब इस तरीके से लम्पसम एक टैक्स का स्वरूप बन गया है। इस तरह से अब किसी सिनेमा हाल के प्रबन्धतंत्र के लिये सिनेमा हाल चलाना मुश्किल हो रहा है उनकी हालत बहुत खराब है। मान्यवर, इसी तरह से होटल में मंच प्रदर्शन कर की दर भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी है। इस तरह से अब हर तरह से टैक्स की दरें बढ़ती जा रही हैं। आपका पूरा का पूरा फोकस केवल टैक्स बढ़ाने पर हो गया है। इससे महंगाई कितनी बढ़ेगी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस टैक्स की वृद्धि का विरोध करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में, जो यह विधेयक लाया जा रहा है, उसके द्वारा जो डिफिनेशन क्लाज है उसको एक्जास्टिव करने का कार्य किया गया है मान्यवर, तमाम तरह के आयोजन पार्क अब तक मनोरंजन की परिभाषा में नहीं आते थे, उनको इसकी परिभाषा में लाने का काम किया गया है। अब टिक पर इंटरटेनमेंट टैक्स लेने की बात की जा रही है न कि प्रवेश पर। इसी तरह से मनोरंजन के इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिये जिलाधिकारी से परमीशन लेने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इसी तरह से इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि जितनी भी अपीलों की सुनवाई शासन स्तर पर होगी वह अपीलें 1/3 टैक्स जमा करके ही इंटर होंगी। केबिल जोन को रिस्पांसिबिल करने के लिये प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 60 प्रतिशत टैक्स नहीं है 37.50 प्रतिशत टैक्स है। मान्यवर, जहां तक सिनेमा हालों के प्रोत्साहन की बात है, तमाम तरह की योजनाएं हमारे यहां विचाराधीन हैं। इंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से सिनेमा हालों पर कोई संकट आ रहा है, ऐसा नहीं है। मान्यवर, इसमें तरह-तरह की बातें हैं जैसे घरों में केबिल हो गया है, पाइरेसी की बातें हैं, मल्टीप्लैक्स आ गये हैं सिनेमाहालों की समस्याओं के समाधान के लिये तमाम बातें शासन के विचाराधीन हैं। हमारा यह मानना है कि जहां भी सिनेमा हाल हैं उनको मजबूती से सपोर्ट मिले और वहां पर पिक्चरें चलें और जो उनकी आमदनी होती है उसमें कोई कमी न आने पाये। मान्यवर, तीन रुपये अनुरक्षण शुल्क की बात कही है। मान्यवर, यह पांच शेड्यूल में बंटा हुआ था उसको दो कर दिया है इसमें एक पारेशन सिनेमा मालिक का होगा और दूसरा टैक्स का होगा। बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी जहां तक संशोधन का प्रश्न है सभी संशोधन सिनेमाहालों के दुख-तकलीफों को ध्यान में रखकर किये जा रहे हैं। इसमें किसी भी संशोधन के माध्यम से एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप अपना यह संशोधन प्रस्ताव वापस लेकर इसको सर्वसम्मति से पास कराने का कष्ट करें।

*श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पूरी योजना बता डाली। मान्यवर, सिनेमा में मेंटीनेंस सी0एम0सी0 करके कुछ पैसे मेंटीनेंस के लिए लिये जाते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। उसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिनेमाहाल अपनी कुर्सियों की मरम्मत और सिनेमा देखने वालों के उपयोग की चीजों के मेंटीनेंस का काम कराते हैं मान्यवर, जो प्रवेश कर था केवल उसी पर टैक्स लगता था। मान्यवर, अब यह सी0एम0सी0 भी हटा दिया गया। अब उन्हें यह बता दिया गया कि केवल सिनेमा मालिक का हिस्सा रहेगा और टैक्स रहेगा। आधा-आधा रहेगा। बाकी न सी0एम0सी0 दिया जायेगा और न कुछ और दिया जायेगा। जब आप पूरे एमाउंट पर टैक्स लगायेंगे तो निश्चित रूप से टैक्स बढ़ेगा। अगर आप घटा भी देते हैं। अगर आप 37 प्रतिशत का 35 प्रतिशत भी कर देते हैं तो भी कहीं न कहीं से बोझ आना है। मान्यवर, सारी चीजें हैं। उस पैसे से जो मेंटीनेंस सिनेमाहाल की हो रही थी वह भी बंद हो जायेगी। मैं केवल दो स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। पहला यह कि यह जो आप सी0एम0सी0 हटा रहे हैं तो सिनेमा मेंटीनेंस के लिये क्या कोई एक नया ऐसा फंड क्रिएट कर रहे हैं जो टैक्सेबल नहीं होगा और उससे सिनेमा की मेंटीनेंस हो जायेगी। दूसरा मान्यवर, 6 जून को यह अध्यादेश जारी किया गया और यह कहा गया कि इसमें आगे कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा उसका आदेश आगे निर्गत किया जायेगा। 6 जून से आज तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस एमाउंट पर टैक्स लगेगा और कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा। जब तक यह विधेयक जारी नहीं हो जाता है तब तक वह 37 प्रतिशत केवल प्रवेश कर पर ही लगेगा। अध्यादेश जारी किया है और आपने टोटल में उसको जोड़ना शुरू कर दिया है तो यह भ्रम की स्थिति पैदा हुयी है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो सी0एम0सी0 पर स्थिति स्पष्ट कर दें और दूसरा आपने 6 जून को अधिसूचना जारी कर दी और उसके बाद से टैक्स कितना प्रतिशत आप सिनेमा से लेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो कब और कितना प्रतिशत डिसाइड किया है।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में सिनेमा के मद में 5 कम्पोनेंट्स थे। इसमें प्रवेश प्रभार, इंटरटेनमेंट टैक्स, अनुरक्षण प्रभार सी0एम0सी0, वातानुकूलन प्रभार वायुशीतन प्रभार तथा फिल्म विकास निधि एफ0डी0एफ0 के नाम से पुकारा जाता है। सी0एम0सी0 के रूप में 3 रुपये प्रति टिकट प्रभार के रूप में लिया जाता था। यह 3 रुपये से तमाम तरह की समस्या उत्पन्न होती थी। कभी यह जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके माध्यम से नहीं मिल पाता था तो कभी सिनेमा मालिक के यहां से विवाद उत्पन्न हो जाता था। कभी यह होता था कि घर उन्होंने किराये पर ले लिया लेकिन घर की रंगाई-पुताई का अलग से चार्ज लगने लगा। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इसको दो शेड्यूल्स में बांटा गया। एक इंटरटेनमेंट टैक्स और दूसरा अनुरक्षण। मान्यवर, अभी मनोरंजन कर की जो धनराशि थी वह 37.50 प्रतिशत पहले भी थी और आज भी वही 37.50 प्रतिशत है। इसके अलावा जितना भी धन है वह सिनेमा मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, मैंने जो शक जाहिर किया था, माननीय मंत्री जी ने वही बात कह डाली। प्रदेश की आम जनता के फायदे का है। मेरा जो शक था वह स्पष्ट हो गया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि टोटल एमाउण्ट पर अभी भी वही टैक्स है। मान्यवर, पहले वह चार रुपये पर जो हम 37 परसेण्ट ले रहे थे आज वह 10 रुपये पर 37 परसेण्ट ले रहे हैं तो

इससे सिनेमाहाल की हालत और अच्छी होगी या खराब होगी इसका मा0 मंत्री जी स्वतः आंकलन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे सिनेमा उद्योग जो हैं उत्तर प्रदेश का सिनेमाहाल जो किसी तरह से चल पड़े हैं वह मल्टीप्लेक्स तो चलते रहेंगे, लेकिन नीचे जो सिनेमा छोटे-छोटे लोगों के हैं वह बन्द हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

टीक है। डा0 साहब आप वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

नहीं मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 16 जून, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द जिसमें कोई "जिसमें कोई आमोद आयोजित हो" के स्थान पर शब्द जिसमें आमोद "आयोजित हो या कोई स्थान जहां से केबिल टेलीविजन नेटवर्क या डी0टी0एच0 सेवा या कोई अन्य उदीयमान परेषण सेवा से किसी भी नाम से पुकारा जाये, के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराया जा रहा हो।" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क-1) 'मनोरंजन पार्क' का तात्पर्य ऐसे किसी स्थान से है जहां विभिन्न प्रकार के आमोद होते हैं, जिसमें प्रवेश हेतु भुगतान के आधार पर खेल या राइड्स या जलक्रीड़ा/वाटरपार्क, स्पलैश पूल इत्यादि सम्मिलित हैं किन्तु सिनेमैटोग्राफ और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन सम्मिलित नहीं हैं।"

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(च-1) 'डाइरेक्ट टू होम (डी0टी0एच0) सेवा' का तात्पर्य उपग्रही प्रणाली का प्रयोग करके बिना किसी मध्यस्थ यथा केबिल आपरेटर के माध्यम से उपभोक्ता के परिसर में सीधे कू बैण्ड में टेलीविजन संकेत उपलब्ध कराकर बहुचैनल टेलीविजन कार्यक्रमों के वितरण की प्रणाली से है।"

(घ) खण्ड (छ) में अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"इसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आमोद के रूप में अधिसूचित कोई क्रिया-कलाप भी सम्मिलित है।"

(ङ) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(झ-1) 'कू बैण्ड' का तात्पर्य सामान्यतः 11.7 से 12.7 गीजा हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी बैण्ड जो दो भागों अर्थात् 11.7 से 12.2 गीजा हर्ट्ज की फ्रिक्वेन्सी वाले फिक्स सैटेलाइट सर्विस और 12.2 से 12.7 गीजा हर्ट्स की फ्रिक्वेन्सी वाले ब्राडकास्टिंग सैटेलाइट सर्विस में विभाजित होती है अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित विड्थ वाले किसी भी अन्य बैण्ड से है।"

(च) खण्ड (ठ) में, उप खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(छः) कनेक्शन धारक के आवासीय या गैर आवासीय स्थान पर टेलीविजन सेट या अन्य किसी उपकरण से जुड़े केबिल टी0वी0 नेटवर्क अथवा ऐसे किसी अन्य नेटवर्क चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, के माध्यम से टेलीविजन प्रदर्शन हेतु अंशदान या अभिदान या अधिष्ठापन और संयोजन प्रभार या किसी भी रीति से एकत्रित अन्य कोई भी प्रभार, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ; या

(सात) किसी मध्यस्थ यथा केबिल आपरेटर के माध्यम से बिना सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन धारक के आवासीय या गैर आवासीय स्थान पर टेलीविजन सेट या अन्य किसी उपकरण से जुड़े सेट टॉप बाक्स या समान प्रकार के किसी अन्य उपकरण की सहायता से डी0टी0एच0 सेवा के उद्देश्य से स्थापित किसी अभिकरण के माध्यम से या सीधे किसी डी0टी0एच0 सेवा या किसी अन्य सेवा जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के मालिक को अंशदान या अभिदान या अधिष्ठापन और संयोजन प्रभार या किसी भी रीति से संग्रहीत अन्य कोई प्रभार, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय के रूप में, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ;

स्पष्टीकरण-उपखण्ड (छः) और (सात) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति अपने सदस्यों या कर्मकारों के लिए या ग्राहकों के लिए या स्वयं के लिए केबिल टेलीविजन नेटवर्क, डी0टी0एच0 या कोई अन्य सेवा, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, के माध्यम से प्रसारण को सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रकार के एण्टीना या किसी अन्य उपकरण को खरीदने हेतु किसी सहकारी समिति (जिसमें सहकारी आवास समिति सम्मिलित हो) या किसी कारखाने, होटल, लॉज, बार, परमिट रूम, पब के प्रबन्धतंत्र द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उपगत व्यय इन उपखण्डों के अधीन किया गया भुगतान समझा जायेगा।

(आठ) जहां किसी आमोद में प्रवेश, सकल भुगतान पर किया गया हो वहां ऐसा सकल भुगतान समग्र भुगतान समझा जायेगा।

(छ) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"बहुप्रणाली आपरेटर" का तात्पर्य ऐसे किसी केबिल आपरेटर से है जो किसी ब्राडकास्टर या उसके प्राधिकृत अभिकरणों से प्रोग्रामिंग सेवा प्राप्त करता है और अनेक अभिदाताओं द्वारा सीधे या एक या उससे अधिक स्थानीय केबिल आपरेटरों, जिसमें उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, सम्मिलित हैं, के माध्यम से एक साथ अभिग्रहण के लिए उसका पुनः पारेषण करता है या अपने निजी प्रोग्रामिंग सेवा का पारेषण करता है।

(ज) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(ठ-1) 'आमोद के स्थान' में,-

(एक) कोई गृह, भवन, तम्बू (टेन्ट), सिनेमा भवन के उद्देश्य

से प्रयोग होने वाला स्थल या कोई अन्य ढांचा और यातायात का साधन जो भी हो ;

(दो) आमोद स्थल में किसी प्रकार का परिवर्धन ;

(तीन) कोई गृह भवन, टेन्ट (तम्बू) या कोई अन्य स्थान, जहां केबिल सेवा या डी0टी0एच0 सेवा या ब्राडबैन्ड सेवा या कोई उदीयमान पारेषण सेवा, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदान करने वाले प्रबन्धन से सम्बन्धित या किसी मनोरंजन सम्बन्धी लेखा बही, टिकट बुक या अन्य सुसंगत अभिलेख रखे जाते हों या रखे जाने आशयित हो, सम्मिलित है।"

(झ) उपखण्ड (ड) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(तीन) उसके प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी या तत्समय उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो ; या

(चार) केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या-7 सन् 1995) की धारा 4 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई केबिल आपरेटर या केबिल टेलीविजन नेटवर्क अथवा किसी अन्य उदीयमान प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान किये जा रहे केबिल संयोजन के प्रबन्ध तंत्र का तत्समय प्रभारी या इस हेतु कोई उत्तरदायी व्यक्ति ; या

(पांच) डी0टी0एच0 सेवा या कोई अन्य उदीयमान पारेषण सेवा, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 की धारा 4 तथा भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कोई कम्पनी या उससे सम्बन्धित उपकरणों को बेचने, किराये पर देने या आवंटन के प्रयोजनार्थ नियुक्त उनका कोई अभिकर्ता।"

(ञ) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(त-1) 'टेलीविजन सिग्नल रिसीवर' का तात्पर्य ऐसे उपकरण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जो विशिष्ट चैनल के कार्यक्रम के पारेषण को प्राप्त करने और/या डिकोड करने में प्रयोग होता है तथा जिसके बिना कोई व्यक्ति उक्त विशिष्ट चैनल कार्यक्रम को देख नहीं सकता है।"

(त-2) 'टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी' का तात्पर्य ऐसे किसी मनोरंजन स्थल, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जहां

टेलीविजन सिग्नल रिसीवर के बेचने, किराये पर देने, वितरण करने या विनिमय करने या किसी रूप में परिचालन का व्यवसाय होता हो।

(ट) खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(प) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली तथा केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 व उसके अधीन बनायी गयी नियमावली में क्रमशः उनके लिए दिये गये हों।

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,- धारा 3 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "आमोद के प्रवेश शुल्क पर कर" के स्थान पर शब्द "आमोद पर कर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द "प्रवेश के लिए किये गये सभी भुगतान" के स्थान पर शब्द "किसी आमोद के लिए प्रवेश हेतु अपेक्षित समस्त संकलित अदायगियों" रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि केबिल सेवा के मामले में केबिल सेवा नियंत्रण कक्ष का स्वामी/बहुप्रणाली आपरेटर कर की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा, इस तथ्य के बिना कि चाहे वह इसे प्रवेश हेतु भुगतान करने वाले व्यक्ति से सीधे अथवा एक सहायक या फ्रेन्चाइजी केबिल आपरेटर या किसी ऐसे अभिकर्ता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वसूल करता हो जो बदले में इसे भुगतान करने वाले व्यक्ति से वसूल करता हो।

परन्तु यह भी कि किसी सिनेमा का मालिक, इस उपधारा के अधीन भुगतान के बदले में ऐसे शर्तों और निबन्धनों पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय और ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, राज्य सरकार को एकमुश्त भुगतान करेगा और विभिन्न कोटि के स्थानीय क्षेत्रों या सिनेमाओं अथवा विभिन्न प्रवेश के लिए भुगतान हेतु भिन्न-भिन्न एक मुश्त दरें अधिसूचित की जा सकती है।"

(ग) उपधारा (2) में शब्द "प्रवेश के लिये भुगतान" के स्थान पर शब्द "प्रवेश के लिये अपेक्षित भिन्न-भिन्न सकल भुगतान" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2-क) राज्य सरकार के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी आमोद या आमोद के किसी वर्ग के लिए या आमोद हेतु प्रवेश के लिए विभिन्न भुगतान या विभिन्न क्षेत्र के लिए आमोद कर की एक मुश्त दर अधिसूचित करे।"

(ङ) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) जहां इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय किसी अन्य प्रभार के साथ किसी आमोद में प्रवेश हेतु अपेक्षित कुल भुगतान एक रुपये के गुणांक में नहीं है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (2) या उसके अधीन जारी किसी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कर की धनराशि इस सीमा तक बढ़ा दी जायेगी और उसे इस प्रकार से प्रगणित किया जायेगा कि ऐसे सकल भुगतान और अन्य प्रभारों को कुल योग एक रुपये के अगले उच्चतर गुणांक में पूर्णांकित हो जाये और इस प्रकार से बढ़ा हुआ कर मालिक द्वारा एकत्र किया जायेगा तथा यथा विहित रीति से राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।"

(च) उपधारा (5) में शब्द "प्रवेश के लिये भुगतान" जहां कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "प्रवेश हेतु अपेक्षित सकल भुगतान" रख दिये जायेंगे।

(छ) उपधारा (6) में,

(एक) शब्द "प्रवेश के लिये भुगतान" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "प्रवेश हेतु अपेक्षित सकल भुगतान" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "तीस प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

(ज) उपधारा (7) में विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण-(2) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु पद सकल भुगतान का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अदा किया गया आमोद कर और इस अधिनियम के अधीन अदा किये जाने हेतु अपेक्षित कोई अन्य धनराशि सहित कुल धनराशि से है, किन्तु उसमें ऐसा कोई शुल्क या अन्य प्रभार, जो इस अधिनियम के अधीन आमोद कर का भाग नहीं है, सम्मिलित नहीं है।"

4-मूल अधिनियम की धारा 3-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :- धारा 3-क का संशोधन

"3-क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सिनेमा का मालिक, आमोद कर को छोड़कर टिकट मूल्य की ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, सिनेमा परिसर के अनुरक्षण तथा वायुकूलन अथवा वातानुकूलन सुविधा हेतु उपयोग करेगा।"

सिनेमाओं के अनुरक्षण तथा वायुकूलन व वातानुकूलन सुविधा हेतु अतिरिक्त प्रभार

5-मूल अधिनियम की धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात् :- धारा 3-ख का संशोधन

"3-ख-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सिनेमा का मालिक धारा 3 की उपधारा (1) धारा 4 तथा धारा 4-क के अधीन उद्गृहीत कर की धनराशि में से ऐसी धनराशि, जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अधिसूचित करे, फिल्म विकास के निमित्त ऐसी रीति से जमा करेगा जैसी विहित की जाये।"

फिल्म विकास हेतु अतिरिक्त प्रभार

6-मूल अधिनियम की धारा 3-ग की उपधारा (2) में खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- धारा 3-ग का संशोधन

(छछ) सिने दर्शकों की सुविधा को बढ़ाने हेतु सिनेमा को उसके पुनर्निर्माण, पुनर्नवीकरण अथवा उच्चीकरण के लिए वित्त पोषित करना।

7-मूल अधिनियम की धारा 4, 4-क, 4-ख और 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :- धारा 4, 4-क, 4-ख और 5 का संशोधन

"क-(1) किसी अन्तर्वर्ती सिनेमा का स्वामी, जो चलचित्र का प्रदर्शन करता है, ऐसे दरों पर आमोद कर अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे और विभिन्न कोटि के अन्तर्वर्ती सिनेमा या विभिन्न क्षेत्रों के लिये या सिनेमा मालिक द्वारा घोषित विभिन्न टिकट दरों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं।"

अन्तर्वर्ती सिनेमा पर कर

(2) उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में अन्तर्वर्ती सिनेमा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जहां अन्तर्वर्ती सिनेमा का लाइसेन्स विस्तारित किया जाय अथवा नवीनीकृत किया जाय अथवा नया लाइसेन्स प्रदान किया जाय, वहां ऐसे अन्तर्वर्ती सिनेमा के लिए धारा 3 के उपबन्धों

के अनुसार "प्रवेश हेतु अपेक्षित सकल भुगतान" पर आमोद कर उद्ग्रहीत एवं अदा किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन संदेय कर विहित रीति से अदा, संग्रहीत और वसूल किया जायेगा।

"4-क (1) किसी वीडियो सिनेमा का मालिक ऐसे दर पर आमोद कर अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित करे और विभिन्न कोटियों के वीडियो सिनेमा या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अथवा विभिन्न टिकट दरों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है।"

वीडियो सिनेमा पर कर

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वीडियो सिनेमाओं को उन स्थानीय क्षेत्रों जहां वे स्थित हों, की जनसंख्या और वहां विद्यमान स्थाई सिनेमाओं की संख्या की दृष्टि से वर्गीकृत कर सकती है और विभिन्न वर्गों के वीडियो सिनेमाओं हेतु भिन्न-भिन्न आमोद कर की दरें अधिसूचित कर सकती है।

(3) जहां उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 के अधीन चल वीडियो सिनेमा के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो सिनेमा के लाइसेन्स का विस्तार या नवीकरण किया जाता है वहां स्थायी भवन में समान श्रेणी के वीडियो सिनेमा के लिये नियत आमोद कर उद्ग्रहीत और अदा किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन संदेय कर यथाविहित रीति से अदा, संग्रहीत और वसूल किया जायेगा।

4-ख (1) किसी सार्वजनिक सेवायान का मालिक जो ऐसे यान से वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन उपलब्ध कराता है ऐसे दर, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, पर आमोद कर अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा और विभिन्न कोटि के यानों या विभिन्न क्षेत्रों हेतु या विभिन्न टिकट दरों हेतु भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं।

सार्वजनिक सेवा यानी या होटल में वीडियो प्रदर्शन पर कर

(2) जहां किसी होटल में ठहरने वालों को किराये पर दिये गये कमरों में वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन उपलब्ध कराया जाता हो, वहां ऐसे होटल का मालिक ऐसे दर जैसा राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर

अधिसूचित करे, पर आमोद कर अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा और विभिन्न कोटि के होटलों या विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न टिकट दरों के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती हैं।

(3) इस धारा के अधीन संदेय कर यथा विहित रीति से अदा, संग्रहीत और वसूल किया जायेगा।

"5-(1) कोई आमोद जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, चाहे वह कर अदायगी के देयता से मुक्त हो अथवा नहीं, ऐसे रूप में और रीति से जैसी विहित की जाये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जायेगा :-

मनोरंजन आयोजन हेतु अनुमति

(2) जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि उस स्थान जहां आमोद आयोजित होना प्रस्तावित है, पर विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए समुचित पूर्वोपाय किये गये हैं और वायुकूलन अथवा वातानुकूलन सुविधा, किसी अन्य विद्युत अधिष्ठापन के सम्बन्ध में समुचित सावधानी बरती गयी हो, ऐसे किसी आमोद के लिए अनुमति दे सकता है।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे आमोद के आयोजन को प्रतिषिद्ध कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि-

(क) मालिक ने कोई मिथ्या सूचना दी है जिससे करापवंचन की सम्भावना हो ;

(ख) मालिक ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के किसी उपबन्ध को भंग किया हो या उसके द्वारा भंग किया जाना सम्भावित हो ; या

(ग) मनोरंजन के आयोजन से लोक सुरक्षा, शिष्टता या नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ;

परन्तु इस धारा में कही गयी कोई बात उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त चलचित्र प्रदर्शन पर लागू नहीं होगी।"

धारा 8 का संशोधन

8-धारा 8 में, खण्ड (ख) में शब्द "प्रवेश के लिए भुगतान" के स्थान पर शब्द "प्रवेश हेतु अपेक्षित सकल भुगतान" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 12 में,-

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "विहित प्रपत्रों के स्थान पर" शब्द "विहित प्रपत्रों या निर्धारित समय के भीतर किसी मनोरंजन के सम्बन्ध में विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) इस धारा के अधीन किये गये किसी निर्धारण से इस अधिनियम के अधीन अपराध के किसी अभियोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ी दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) राज्य सरकार द्वारा कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर की अविवादित धनराशि तथा विवादित धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि मालिक द्वारा अदा नहीं कर दी जाती है।"

धारा 15 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में शब्द "ऐसे आमोद" के स्थान पर शब्द "ऐसे आमोद और कोई उपकरण, केबिल तार व अन्य सामग्री, जिन्हें वह ऐसे आमोद को रोकने के लिए आवश्यक समझे, अभिग्रहीत करने" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

बिना अनुमति के आमोद आयोजित करने के लिए शास्ति

"24-धारा-5 के उल्लंघन में किसी आमोद का आयोजन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अर्थदण्ड, जो 10 हजार रुपये तक हो सकता है या कारावास जो तीन माह तक हो सकता है या दोनों के साथ दण्डित किये जाने का भागी होगा।"

धारा 32 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द तथा अंक "धारा 26" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 24 या धारा 26" रख दिये जायेंगे।"

निरसन और अपवाद

13-(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी मैंने विज्ञापन कर के बारे में देखा तो दो चीजें मेरे जहन में बहुत अजीब सी लगीं। सिनेमा के अन्दर विज्ञापन की दर और केबिल आपरेटरों के लिए विज्ञापन की दर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय ने दोनों दरों को समान रखा हुआ है इसके अलावा जो शास्ति लगाने की बात हुई थी, उन दरों को भी एक सा ही रखा है, इसलिए एक तो यह है कि सिनेमा आपरेटरों के लिए या केबिल आपरेटरों के लिए जो भी विज्ञापन की दरें हों वह एक जैसी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा यह है कि इसमें एक मूल धारा है 3 उसमें एक उपधारा है-2, उसके अन्दर यह दिया हुआ है कि किस तरह से किस पर कितना कर लगेगा। मा0 मंत्री महोदय के संज्ञान में भी होगा कि उपधारा-2 में दिया हुआ है कि विज्ञापन, किसी फिल्म की झलकियां, स्लाइड की स्थिति में कितना-कितना पैसा लगेगा, लेकिन इस पूरी धारा को ही इन्होंने निकाल दिया है और सारा का सारा अपने हाथ में ही ले लिया है कि मेरी मर्जी आयेगी उतने विज्ञापनों पर मैं टैक्स लगाऊंगा, इसका भी मैं विरोध करूंगा। तीसरी बात जो धारा-8 है, उसके मूल अधिनियम में जो शास्ति का इन्होंने प्राविधान किया था वह 500 रुपये थी या देयकर उससे दुगनी थी, लेकिन मा0 मंत्री जी महोदय ने उसे एकदम से बढ़ाकर के 25 हजार रुपये कर दिया है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। 500 से आप 1000 कर लेते, 1500 कर लेते, 2000 कर लेते, एकदम से 25 हजार करना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरा है कि जब कोई देय कर देने के लिए जाता है और देरी हो जाती है उसको कर देने में तो उसका भी इन्होंने शास्ति बनाकर के काफी कर दिया है, एक हजार से सीधा-सीधा पांच हजार इन्होंने कर दिया है, मैं इसका भी विरोध करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि इस विज्ञापन दर के इस विधेयक को सीधा-सीधा प्रवर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति को दे दिया जाय जिसमें कि शास्ति के मामले में और जो विज्ञापन की दर है उनमें एकरसता को खत्म किया जाय और शास्ति दरों को भी केबिल आपरेटरों के लिए वीडियो वालों के लिए और सिनेमा वालों के लिए अलग-अलग हों, उनको बनाया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञापन के क्षेत्र में जितनी नई टेक्निक्स आ रही है उस पर जो एडवर्टिजमेन्ट आते हैं अभी तक यह सिस्टम है कि जो सिनेमा हाल में विज्ञापन आ रहा है उस विज्ञापन पर टैक्स लिया जाता है जो केबिल आपरेटर्स के माध्यम से हमारे घरों में विज्ञापन चल रहे हैं उन विज्ञापनों पर अभी टैक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक टैक्स रेट का सवाल है टैक्स रेट बाद में तय किये जायेंगे फिलहाल इन केबिल आपरेटर्स को, मास्टर केबिल आपरेटर्स को इन लोगों को इस परिधि में लाया जाय इसी मद में यह संशोधन है जहां पर करापवंचन का सवाल है दण्ड लगाने का सवाल है मेरे विचार से 25 हजार दण्ड बिल्कुल ठीक है। धारा 10 में जो एक हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपया लगाया जा रहा है इसमें भी कोई अनुचित बात नहीं है। इस प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से हम लोगों का अनुमान है कि हम लोग उत्तर प्रदेश को राजस्व की दिशा में आगे बढ़ाने में सफल होंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब वापस ले रहे हैं ?

*श्री उदयभान करवरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह भारत का संविधान है मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मान्यवर, यह संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची है इसके क्रमांक 55 पर राज्य सरकार जो टैक्स लगा सकती है उसकी पूरी सूची दी हुई है। इसमें दिया हुआ है :-

टैक्सेज आन एडवरटाइजमेंट्स अदर दैन एडवरटाइजमेंट्स पब्लिस्ड इन द न्यूजपेपर्स एण्ड एडवरटाइजमेंट्स ब्राडकास्ट बाई रेडियो आर टेलीविजन्स।

श्री अध्यक्ष-

इसका हिन्दी अनुवाद बता दें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मैं बता दे रहा हूं :-

'समाचार-पत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर।'

मान्यवर, यह संविधान के बयालिसवें संशोधन में अधिनियम,1976 की धारा 57 द्वारा यह अन्तः स्थापित किया गया है। मान्यवर, यह भारत के संविधान में यह कही है ही नहीं कि राज्य सरकार अखबार में एडवरटाइजमेंट में या दूरदर्शन या रेडियो के एडवरटाइजमेंट में कर लगा सकती है तो मान्यवर, यह राज्य सरकार सिनेमा के अतिरिक्त कहीं भी कर उस पर लगा रही है तो यह संवैधानिक संकट पड़ गया है अब आपको जो अधिकारियों ने पता नहीं कैसे बना दिया होगा। अब यह जिज्ञासा है मेरी कि यह तो पूरा का पूरा मामला ही गड़बड़ हुआ जा रहा है आपके संशोधन से तो मेरी जिज्ञासा है इसका स्पष्टीकरण दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने जो सातवीं अनुसूची पढ़ी है उसमें दूरदर्शन और अखबार दिया हुआ है जहां तक केबिल आदि की बात है केबिल आपरेटर्स के ऊपर राज्य सरकार पूर्णतया टैक्स लगाने के लिए सक्षम है और उसी के तहत यह टैक्स लगाया गया है।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, केबिल आपरेटर्स पर इन्टरटेनमेन्ट टैक्स सिनेमा पर सरकार पहले से लगाती है मान्यवर, यह जो एडवरटाइजमेंट केबिल आपरेटर्स देंगे यह उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो भारत का संविधान है इसके अन्तर्गत इनको टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं प्राप्त है तो यह टैक्स लगा कैसे सकते हैं। मान्यवर, यह सीधा-सीधा सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। मैं केबिल आपरेटर्स के ऊपर के टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। उस पर यह बता रहे हैं कि जो एडवरटाइजमेंट होगा उस पर यह टैक्स लेंगे उस पर टैक्स ले ही नहीं सकते तो यह अध्यादेश ला कैसे रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं अब तक के जहां पर सिनेमाहालों में विज्ञापन चलते हैं।

मेरी बात को सुनें यह जो नवीन क्षेत्र डेवलप हो गया है इस समय बीच में उसको इन्होंने ले लिया है कि भाई यहां भी हम टैक्स लेंगे। अगर उनके अलावा भी कोई नया डेवलपमेन्ट हो गया है नवीन क्षेत्र का डेवलपमेन्ट हो गया है तो उसमें इन्होंने कहा है कि हम इसमें भी टैक्स लेंगे तो इसमें आपको कौन एतराज है।

श्री उदयभान करवरिया-

जो भारत के संविधान में राज्य सरकार को टैक्स लेने के अधिकार प्राप्त हैं क्या उससे अन्यत्र यह टैक्स ले लेंगे प्रश्न यह है। भारत के संविधान में राज्य सरकार क्या-क्या टैक्स ले सकती है यह स्पष्ट है मैंने उसको पढ़कर बता दिया अब इसमें आपको अधिकार ही नहीं है टैक्स लेने का तो आप उस टैक्स को लगा कैसे सकते हैं कैसे उस पर संशोधन ला सकते हैं। क्या यह संविधान से भी बढ़कर पूरा का पूरा यह कार्यवाही की जायेगी ? इसका तो पालन करना पड़ेगा, इसमें कहीं राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह टैक्स लगाये।

श्री अध्यक्ष-

यह जो नेटवर्क हो रहा है, नया विकास हो रहा है। क्या यह एक्जेम्प्ट है ?

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, चाहे नया नेटवर्क हो या पुराना नेटवर्क हो कोई भी चीज हमारे संविधान से ज्यादा बड़ी नहीं है। मान्यवर, कोई भी नई चीज आ जाय लेकिन संविधान का पालन सुनिश्चित करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार ही उससे भिन्न टैक्स लगा रही है जो आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। मान्यवर, मैं केवल इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो संविधान में आपको अधिकार प्राप्त नहीं है क्या सरकार उस पर टैक्स लगा सकती है। यह मेरी स्पष्ट जिज्ञासा है।

श्री अध्यक्ष-

आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। आप संविधान की सूची पढ़ रहे हैं। एक सिस्टम था डिजिटल का, सिनेमा का, विज्ञापन का, वही डेवलप कर गया, विकसित कर गया। अब जितना क्षेत्र विकसित कर गया, उस पर भी टैक्सेशन कर दे रहे हैं। उसी में से वह विकसित हो गया, उस पर भी टैक्सेशन कर दे रहे हैं। इसमें कहीं अलग से टैक्स नहीं लगा रहे हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा है। भारत का संविधान यह कहता है कि राज्य सरकार को यह टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या इसके बावजूद भी राज्य सरकार इस टैक्स को लगा सकती है जो लगाने जा रही है, केवल इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री नकुल दुबे-

माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है वह पूर्णतः आधारहीन है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जो केबिल आपरेटर्स हैं जो कि पूर्णतः उत्तर प्रदेश के अधिनियमों के द्वारा अनुशासित हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जायेगा, जो भी कृत्य किया जायेगा, उस कृत्य को टैक्स में शामिल किया गया है। यह पन्ना हमारे पास आ गया है, इसको हम आपके पास भिजवा देते हैं।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, इसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि आप एडवर्टिजमेंट पर टैक्स नहीं ले सकते।

श्री नकुल दुबे-

मैं पढ़ दे रहा हूं। विज्ञापन कर अधिरोपण के सम्बन्ध में संविधान के अनुसूची संख्या-7 के सूची-2 राज्य सूची का इंट्री प्रासंगिक है जो निम्नवत् है 55 समाचार-पत्रों में प्रकाशित रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर। उपरोक्त अंश से स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास पूर्व में ही नहीं रहा और बयालिसवें संशोधन के द्वारा दिनांक 3-1-77 से रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों पर भी कर लगाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन प्रसार भारती के नियंत्रणाधीन और प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न सभी प्रकार के विज्ञापनों पर कर लगाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को जो भी न्यायिक सलाह दी गयी है, मुझे लगता है कि भारत के संविधान का जो हिन्दी संस्करण है, उसके आधार पर दी गयी है। माननीय मंत्री जी स्वयं विधिवेत्ता हैं। उनको यह जानकारी होगी, निश्चित मानकर मैं यह चलता हूं कि भारत का संविधान जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता है, वही उसकी एथारटेटिव टेक्स्ट मानी जाती है। भारत के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान में क्या लिखा है जब हम इसकी विवेचना शुरू करते हैं तो हम हिन्दी टेक्स्ट के आधार पर भारत के संविधान को पढ़ने और विवेचना करने का काम नहीं करते हैं। हम उसको उसके अंग्रेजी के टेक्स्ट के आधार पर करते हैं। आप स्वयं वकील हैं आप इसे जानते होंगे और जो आपने पढ़ा वह उसका हिन्दी का शब्द पढ़ा। जो माननीय करवरिया जी पढ़ रहे हैं वह 55 नं0 है 'टैक्सेस आन द एडवर्टिजमेन्ट अदर दैन दि एडवर्टिजमेन्ट पब्लिशड इन दि न्यूजपेपर्स एण्ड एडवर्टिजमेंट्स ब्राडकास्ड बाई रेडियो आर टेलीविजन' जिस टेलीविजन को आप हिन्दी के अनुवाद में दूरदर्शन कहकर बताने का प्रयास कर रहे हैं लिखा है इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब यहां इसीलिए बैठे हैं कि नियमानुसार कार्य करें। आपको आपके न्याय विभाग की रिपोर्ट मिली होगी। उन्होंने आपको रिपोर्ट दी है भारत के संविधान के हिन्दी वर्जन के आधार पर। आपको यह ज्ञात होगा कि हम भारत के संविधान की विवेचना उसके हिन्दी वर्जन पर करने के लिये अधिकृत नहीं है। भारत का संविधान इस बात को लिखता है कि यदि भारत का संविधान की विवेचना में हिन्दी और अंग्रेजी में कोई विवाद पैदा हो जाये तो जो अंग्रेजी वर्जन में लिखा गया है, वही मान्य होगा। मान्यवर, अंग्रेजी में दूरदर्शन शब्द नहीं लिखा है बल्कि टेलीविजन लिखा है और टेलीविजन में सब कुछ आता है चाहे वह दूरदर्शन हो, केबिल हो या लोकल चैनल हो। मान्यवर, जो विषय यहां आता है उसे आप संख्याबल पर पास तो करा लेंगे लेकिन यदि यह असंवैधानिक हो जायेगा तो आगे चल करके रुकेगा और आपको शर्मिन्दगी होगी। भीड़ अक्सर ही असंवैधानिक काम कर बैठती है। लेकिन उचित क्या है यह आपको देखना है। मान्यवर, जिन्होंने ज्युडिशियल ओपीनियन दी है वस्तुतः आपको उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिन्दी वर्जन पर अपनी ओपिनियन कैसे दे दी। ऐसा करके उन्होंने संविधान के प्रति अपनी अज्ञानता को ही प्रदर्शित किया है मैं सदन में इस बात को कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायगा।

(2) यह 16 जून, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1981 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में-

(1) धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द "स्लाइड या फिल्म के माध्यम से" के स्थान पर शब्द "सिनेमा में प्रदर्शित स्लाइड, फिल्म के माध्यम से या टेलीविजन पर वीडियो या किसी अन्य डिजिटल इलेक्ट्रानिक या हस्तचालित प्रणाली, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के माध्यम से केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप उसकी प्रोन्नति और तारीफ करने के लिए" रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(घ) "मालिक" का तात्पर्य,-

(एक) सिनेमा के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के अर्थान्तर्गत लाइसेन्सग्रहीता से है ;

(दो) केबिल नेटवर्क के सम्बन्ध में मल्टीसर्विस आपरेटर्स सिस्टम या केबिल नियंत्रण कक्ष के ऐसे स्वामी, मालिक, भागीदार या प्रबन्धक से है जो सीधे या अपने फ्रैंचाइजी केबिल आपरेटर के माध्यम से केबिल सेवा प्रदान कर रहे हों और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा केबिल आपरेटर भी है जो केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995 के अधीन पंजीकृत मल्टी सर्विस आपरेटर या केबिल नियंत्रण कक्ष से सम्बद्ध हो ;

(तीन) किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी सिनेमा में किसी स्लाइड या फिल्म के प्रदर्शन या वीडियो, इलेक्ट्रानिक, डिजिटल या हस्तचालित प्रणाली के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, टेलीविजन स्क्रीन पर या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक या डिजिटल गैजेट पर किसी विज्ञापन के प्रदर्शन का प्रभार हो ;

(चार) किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर पूर्वगामी उपखण्डों में निर्दिष्ट किसी सिनेमा, केबिल, टेलीविजन, नेटवर्क या किसी अन्य प्रणाली का उत्तरदायित्व या तत्समय प्रभार हो।"

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 या केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में उनके लिए समनुदेशित है।"

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,- धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) किसी सिनेमा में या टेलीविजन स्क्रीन पर या किसी उपकरण पर जिसे किसी नाम से पुकारा जाय, किसी मालिक द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक विज्ञापन पर विज्ञापन कर ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, प्रभारित, उद्ग्रहीत और अदा किया जायेगा :

परन्तु यह कि समस्त विज्ञापन केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगे,"

(ख) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा ;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "पांच पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायेंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 8 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) मे,- धारा 9 का संशोधन

(क) शब्द "किसी सिनेमा" के स्थान पर शब्द "किसी सिनेमा या किसी स्थान में जिसे विज्ञापनों के प्रदर्शन या मालिक के कार्यालय के लिए प्रयुक्त किये जाने का सन्देह हो" रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द "ऐसे अभिलेख" के स्थान पर शब्द "उससे सम्बन्धित ऐसे अभिलेख और सामग्री, वस्तु, उपकरण, संयंत्र और अभिलेख" रख दिये जायेंगे।

6-मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द "एक हजार रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 10 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द "सिनेमा के मालिकों" के स्थान पर शब्द "मालिकों" रख दिया जायेगा। धारा 17 का संशोधन

8-मूल अधियिम की धारा 19 में शब्द "सिनेमा के भीतर पर्दे पर" के स्थान पर शब्द "सिनेमा के भीतर पर्दे पर या टेलीविजन स्क्रीन पर या किसी डिवाइस पर, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय" रख दिये जायेंगे। धारा 19 का संशोधन

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक ,2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

*उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

*डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो सरकार थी उसने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के अन्दर तीन सत्रों तक अच्छा शैक्षिक कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए एक व्यवस्था की थी और उन्होंने व्यवस्था की थी कि जिन्होंने तीन सत्रों तक अच्छा कार्य किया है वह अपने निदेशक के आग्रह पर प्रबन्ध तंत्र द्वारा भरने में तैयार रहें। मुझे नहीं लगता है कि इससे आरक्षण के प्रावधान में किसी प्रकार का संकट आ रहा था। मान्यवर, जब इनकी नियुक्ति की गई थी तो पूरा का पूरा देखा गया था कि यह शिक्षक के योग्य है या नहीं। जब उन्होंने तीन सत्रों तक शिक्षण कार्य किया था तो उस आधार पर उन लोगों की कुछ अच्छी भावना बनी होगी। मुझे लगता है कि जो मानदेय शिक्षक थे उनको नियुक्तियां देने की जगह पर उन्हें बाहर निकालने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से उनकी नियुक्ति करने में सरकार असमर्थता दिखा रही है जो मुख्य कारण बताया गया है कि आरक्षण के प्रावधानों का हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पायेंगे यह भी कोई बड़ी बात दिखायी नहीं देती कि आरक्षण के प्राविधानों का पालन नहीं किया जा सकता। महाविद्यालयों के अन्दर जितने भी मानदेय शिक्षक हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 या सामान्य जो भी सीट हो, उसमें उनको रखा जा सकता है। मैं खास तौर से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मानदेय शिक्षक अपने तैनाती के लिए वेट कर रहे हैं उन मानदेय शिक्षकों को निदेशालय से कह करके और प्रबन्धतंत्र से कह करके उनको नियुक्ति दिलवायी जाए। यदि इस विधेयक को लाना ही लाना है तो जितने मानदेय शिक्षक हैं उन सबको पहले समायोजित कर लें उसके बाद इस विधेयक के प्राविधानों को लागू करने का कष्ट करें। जो मानदेय शिक्षक कार्य कर रहे हैं वह किसी भी हालत में इस स्थिति में नहीं होंगे कि आयोग के द्वारा चयनित हो करके किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जा करके अपना कार्य कर सकें। इसलिए मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा एक तरह से मानवता के नाते भी निवेदन है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि जो मानदेय शिक्षक किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अब तक कार्य कर रहे हों उनको समायोजित करने के लिए इस विधेयक के प्राविधानों में ढील दी जाए। आगे चल करके इसे लागू करें इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इस समय जो मानदेय शिक्षक हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। मैं चाहता हूं कि जो प्राविधान पहले था उसी प्राविधान के तहत उनको समायोजित करने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उच्चतर शिक्षा सेवा संशोधन विधेयक, 2006 पारित हुआ था उसके बाद कुछ मानदेय शिक्षक विनियोजित हुये होंगे, रेगुलराइज किये गये होंगे, अब वर्ष 2009 है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने पढ़ा उसको पढ़ने से प्रतीत होता है कि आप मान कर चल रहे हैं कि वर्ष 2006 का संशोधन कभी हुआ ही नहीं। क्या यह माना जाए कि जो मानदेय शिक्षक वर्ष 2006 से 2009 के बीच में रेगुलराइज किये गये थे इस संशोधन के आने के बाद से वह हटा दिये जायेंगे या वह रेगुलराइज बने रहेंगे ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से चूंकि अभी राजेन्द्र सिंह जी ने और मा0 अग्रवाल साहब ने जो स्पष्टीकरण चाहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद निरन्तर प्रक्रिया रही है और चयन होता रहा है। पिछले दिनों तमाम ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका आयोग से मेरिट पर चयन हो गया वह महाविद्यालयों में स्थान नहीं पा रहे थे, योगदान नहीं दे पा रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है कि समय-समय पर कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है और इन शब्दों में कहा कि मानदेय शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, बैकडोर इण्ट्री नहीं लेना चाहिए, आयोग से मेरिट पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। तीसरा बिन्दु है कि कुछ लोगों ने पूरी गिनती याद नहीं, लगभग 12 लोगों ने पहले न्यायालय के आदेश से विनियमितीकरण करा लिया था लेकिन उसमें भी यह सवाल था कि इन तमाम लोगों को विनियमित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि निरन्तर प्रक्रिया आयोग की प्रारम्भ थी और 39, 40, 41, 42 तमाम विज्ञापन आ गये थे। अंतिम बिन्दु मा0 अध्यक्ष जी हैं कि इन मानदेय शिक्षकों में बहुतों में यू0जी0सी0 के मानक के अनुसार उनकी नियुक्ति का निर्धारण नहीं किया गया और सबसे बड़ा बिन्दु जो था कि सभी नियुक्तियों में मनमाने ढंग से प्रबन्धतंत्र ने नियुक्ति की, आरक्षण नीति उन्होंने कहीं भी लागू नहीं की। इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी कि आरक्षण के कानून को मेरिट को ध्यान में रखते हुए यह जरूर है कि जब तक आयोग के चयनित अध्यापक उन विज्ञापित पदों पर नहीं भेजे जायेंगे तब तक ये मानदेय शिक्षक कार्यरत रहेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, एक चीज कहना चाहता हूं कि जितने चयन आयोग हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, आपकी आवश्यकता के अनुसार यह चयन प्रक्रिया चलाकर इतने अध्यापक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं इसलिए व्यवस्था थी कि जब तक ये नहीं होते हैं, मानदेय शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाए। क्या आप यह निश्चय करते हैं कि जितने पद रिक्त हैं बहुत से महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में 4-5 साल से पद रिक्त हैं, अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानदेय अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि चयन आयोग से कोई भी विद्यालय जहां अध्यापकों के पद खाली हों तुरन्त मिल जायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी पाण्डेय जी की चिन्ता जायज है। लोक सेवा आयोग में चयन के लिए जाता है तो अधियाचन करने के लिए काफी विलम्ब होता है। लोक सेवा आयोग के चयन के विलम्ब के कारणों से हम संविदा पर अध्यापक रखते हैं काफी बड़ी तादाद में तमाम विभागों में भी रखे जाते हैं। महाविद्यालयों में जो प्राइवेट या एडेड महाविद्यालय हैं उनकी चयन प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और हमारी समझ से जल्द हो जाएगा और तेजी से इसको किया जायेगा ताकि कहीं अध्यापकों की कमी न रहने पाए।

श्री अध्यक्ष-

क्या संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायगा।

(2) यह 28 दिसम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1980 की धारा 31-ङ का लोप	2-किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-ङ को निकाल दिया जाएगा और सदैव से निकला हुआ समझा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक ,2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें।

*श्री राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

कर के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। चौकियां समाप्त कर दी गई हैं इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

क्या अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह-

माल के मूल्य की 40 प्रतिशत शास्ति रखी गई है इसको घटाकर 20 प्रतिशत कर दें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायगा।

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008 की धारा 49 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 49 को निकाल दिया जायेगा।

धारा 50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) कोई व्यक्ति (जिसे इस धारा में आगे आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर कारबार के सम्बन्ध में

अनुसूची-1 में नामित एवं वर्णित वस्तुओं से भिन्न ऐसी मात्रा या माप या मूल्य का माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो या तो निर्धारक अधिकारी से जिसकी अधिकारिता इस क्षेत्र पर हो जहां इस व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान रिक्त है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहां पर साधारणतया वह निवास करता है यथाविहित रीति से निर्धारित घोषणा का प्रपत्र प्राप्त करेगा या यथाविहित रीति से विभागीय वेब साईट से डाउनलोड करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध में भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे माल को लाने आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर रोकेगा और उसे तब तक रोक रखेगा जब तक कि यथास्थिति धारा 45 की उपधारा (1) या धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का तथा पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख पत्रों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाय तो उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा।"

धारा 52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

राज्य से होकर गुजरने वाले माल के लिए उपलब्ध

"52-जब राज्य से बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 50 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे तब ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में ऐसे दस्तावेजों को रखेगा जैसाकि विहित किया जाय और ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेचने के लिए हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक,2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन), विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन), विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 का आरम्भ से विखण्डन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,-

(क) "आमेलन नियमावली" का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या-3/4/90 कार्मिक 2-91, दिनांक 9 मई, 1991 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 से है ;

(ख) "सार्वजनिक निगम" का तात्पर्य, किसी विश्वविद्यालय या स्थानी स्वायत्त शासन के प्रयोजन के लिए गठित स्थानीय प्राधिकरण के सिवाय, उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किसी निगमित निकाय से है और उसमें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई ऐसी सरकारी कम्पनी सम्मिलित है, जिसमें राज्य सरकार का प्रचूर हित हो।

5-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में तालिका में क्रमांक 9 और 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

धारा 54 का संशोधन

(1)	(2)	(3)
"9	यथास्थिति, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति धारा 45 या धारा 48 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन करने में व्यवधान डालता है या उसे रोकता है।	रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी के मामले में पांच हजार रुपये और अन्य के मामले में उसकी पांच गुना धनराशि।
15	जहां, यस्थास्थिति, चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति,- (एक) धारा 52 के अधीन निर्दिष्ट दस्तावेजों को साथ में रखने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि वाहन में रखा माल राज्य के बाहर के व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदत्त करने के लिए है ; या (दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु ऐसे दस्तावेजों के रहते हुए माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने से विफल रहता है ; या	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत।
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है ; या	
	(चार) परिवाहक या वाहन या भाड़ेदार होते हुये, राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता हो ;"	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(ग) "विखण्डन नियमावली" का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना संख्या-874/का-3-2003/18-98, दिनांक 8 अप्रैल, 2003 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (विखण्डन) नियमावली, 2003 से है ;

(घ) "छंटनीशुदा कर्मचारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 1 अक्टूबर, 1986 को या उसके पूर्व पद पर भर्ती के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार सरकार या किसी सार्वजनिक निगम के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया था और यथास्थिति, सरकार या सार्वजनिक निगम के किसी अधिष्ठान में कमी किये जाने या उसका परिसमापन किये जाने के कारण अपनी छंटनी के दिनांक तक सरकार के या ऐसे निगम के अधीन किसी पद पर निरन्तर कार्य कर रहा था और जिसके सम्बन्ध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो ;

विखण्डन और व्यावृत्ति

3-(1) "आमेलन नियमावली" जिसे विखण्डन नियमावली द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से विखण्डित किया गया था, को विखण्डित कर दिया जायेगा और दिनांक 9 मई, 1991 को विखण्डित की गई समझी जाएगी और ऐसे विखण्डन के फलस्वरूप,-

(क) "छंटनीशुदा कर्मचारियों" का सिवाय उनके जिनका आमेलन दिनांक 9 मई, 1991 से 8 अप्रैल, 2003 तक की अवधि के दौरान हो गया था, उक्त आमेलन नियमावली के अधीन या तत्सम्बन्ध में जारी किन्हीं सरकारी आदेशों के अधीन आमेलन सम्बन्धी उनका अधिकार समाप्त हुआ समझा जायेगा ;

(ख) किसी विशिष्ट सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम के छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिए आमेलन के प्रतिमान विहित करने और वेतन संरक्षण सहित पारिणामिक प्रसुविधाओं को प्रदान करने से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेश आरम्भ से प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

2-ऐसे विखण्डन के होते हुए भी,-

(क) आमेलन नियमावली के उपबन्धों के अधीन दिनांक 8 अप्रैल, 2003 के पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी आमेलन सम्बन्धी प्रसुविधा वापस नहीं ली जाएगी।

(ख) दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से पूर्व आमेलित छंटनीशुदा कर्मचारियों को प्रदान की गयी वेतन संरक्षण की प्रसुविधा भी संरक्षित रहेगी।

(ग) आमेलन नियमावली द्वारा आच्छादित कोई छंटनीशुदा कर्मचारी, जिसे दिनांक 8 अप्रैल, 2003 तक आमेलित न किया गया हो, ऐसे समूह "ग" और समूह "घ" के पद, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के हों, पर सीधी भर्ती के लिए, उच्च आयु सीमा में उस सीमा तक शिथिलता प्राप्त करने का हकदार होगा, जितनी उसने सम्बन्धित सरकारी विभाग या सार्वजनिक निगम में मौलिक हैसियत से पूर्ण किये गये वर्षों तक निरन्तर सेवा की हो।

4-विखण्डन नियमावली विखण्डित कर दी जायेगी और दिनांक 8 अप्रैल, 2003 से विखण्डित की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय इससे पहले भी मैं कह चुका था कि चाहे मल्टी प्लैक्स हो, सिनेमाघर हो, बी0डी0ओ0 हो, चाहे डी0टी0एच0 हो सभी के लिये इन्होंने एक सी कर दरें लगा रखी हैं। एक तो मैं यह चाहता हूं कि विज्ञापन के लिये इनके लिये अलग-अलग रखें और दूसरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो जुर्माना की केटेगरी है उसको भी अलग-अलग रखें। मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ यह कोशिश कर रही है कि धन कहां से आये। मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं कि अब जैसे कि कापी राइट उल्लंघन के मामले में सरकार ने बहुत बड़ी धनराशि का प्राविधान किया है कि दण्ड के रूप में जिस आदमी ने कापी राइट का उल्लंघन किया है उसको देनी पड़ेगी। पहली बार कापी राइट के उल्लंघन में दो साल की कैद और 25 हजार से लगाकर के 5 लाख तक का जुर्माना रखा जाय लेकिन एक और खास बात सरकार ने की कि यदि दोबारा वह कापी राइट का उल्लंघन करता है तो उसको उतनी बड़ी सजा नहीं दी जायेगी क्योंकि उसको आदत पड़ गई है उल्लंघन करने की। इसमें उन्होंने रखा है कि दोबारा में उसको केवल एक साल की कैद दी जायेगी और 25 हजार से लगाकर 5 लाख का जुर्माना किया जायेगा। लेकिन आमूमन तो ऐसा देखा गया है कि दूसरी बार वह उल्लंघन करता है तो दण्ड की मात्रा भी बढ़ जानी चाहिए और पैसे की मात्रा भी बढ़ जानी चाहिए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय देख लें कि दोबारा का जो उन्होंने लिखा है कि एक साल की कैद तथा 25 हजार से लगाकर 5 लाख तक का जुर्माना रखा हुआ है। इस चीज को दिखवा लें, बस मुझे इतना ही संशोधन करना है और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3, सन् 1956 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) खण्ड (कक) में,-

(एक) शब्द, "यंत्र" के स्थान पर शब्द, "कोई यंत्र या इलेक्ट्रानिक डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम या कोई अन्य उभरती हुई तत्समान तकनीक" रख दिये जायेंगे ;

(दो) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण :-

डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम हार्डडिस्क के माध्यम से या सेटेलाइट के माध्यम से या अन्यथा डिजिटल प्रिन्ट डिलीवरी प्राप्त करके डिजिटल सिनेमा प्रदर्शन में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरणों का सेट है।"

(ख) खण्ड (ककक) को खण्ड (क-1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (क-1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क-2) "मल्टीप्लेक्स" का तात्पर्य एक ही परिसर के भीतर वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन से जुड़ी सुविधाओं के साथ दो या दो से अधिक सिनेमा हालों के समूह या समुच्चय से है ;

(ग) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(च-1) "टेलीविजन सिग्नल रिसीवर" का तात्पर्य किसी ऐसी युक्ति से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये जो विशिष्ट चैनल के ट्रान्समिशन प्रोग्राम को प्राप्त करने और/या डिकोड करने के लिये प्रयुक्त किया जाये और जिसके बिना कोई भी व्यक्ति ऐसे विशिष्ट चैनल के प्रोग्राम को देखने में समर्थ न हो,"

"(च-2) 'टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी' का तात्पर्य ऐसे स्थान से है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जहां टेलीविजन जब सिग्नल रिसीवर का किसी भी रीति से विक्रय या किराये पर देना या वितरण या विनियम या परिचालन में रखने का व्यवसाय होता हो ;"

(घ) खण्ड (छ) को खण्ड (ज) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये खण्ड (ज) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(छ) 'वीडियो' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जिसमें वीडियो कैसेट से या किसी अन्य युक्ति से, चाहे जो भी नाम हो, रिकार्ड करना या पुनः प्रस्तुत करना या किसी रिकार्डिंग के माध्यम से पारेषण करना या सीधे ध्वनि के साथ या ध्वनि के बिना दृश्य छायाओं को चलाना।"

(ड) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेग, अर्थात् :-

"(झ) इस अधिनियम में उपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 या केबिल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में परिभाषित शब्दों और पदों का वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियमों में समनुदेशित हैं।"

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"3-इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त स्थान से भिन्न स्थान पर या ऐसे लाइसेंस द्वारा अधिरोपित शर्तों और निबन्धनों के अनुपालन के अलावा,-

(क) चलचित्र के माध्यम से कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, या

(ख) वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करेगा, या

(ग) वीडियो नहीं रखेगा, या

(घ) टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी नहीं रखेगा।"

धारा 6-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 6-क में शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) यदि कोई व्यक्ति किसी चलचित्र या वीडियो फिल्म या किसी रिकार्ड जिसमें फिल्म से सम्बन्धित साउन्ड ट्रैक का भाग समाविष्ट है, से सम्बन्धित प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अधीन दण्डनीय है, से सम्बन्धित अपराध करता है या करने का प्रयास

करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या चलचित्र या वीडियो कैसेट या कोई अन्य डिवाइस, जिसे जिस भी नाम से पुकारा जाय, की किसी उल्लंघन-कृत प्रति को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देता है या उसका विक्रय, भण्डारण करता है, किराये पर देता है या वितरण करना है, उसका विनिमय करता है या परिचालन में लाता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये जाने के पश्चात् उक्त उपधारा के अधीन दण्डनीय अपराध का पुनः दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।"

धारा 13 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (2) में,-

(क) खण्ड (क) में शब्द "वीडियो पुस्तकालय" के स्थान पर शब्द "वीडियो पुस्तकालय या टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (कक) में शब्द "चलचित्र" के स्थान पर शब्द "चलचित्र या वीडियो" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009

*पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दियां जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, बहुत ज्यादा चीज नहीं कहनी है। मंत्री महोदय ने इसमें जो आयु रखी है उससे थोड़ा सा विवाद है। इन्होंने आयु रखी है कि 65 साल से कम न हो यदि उसको तीन साल का वो मिल जाय तो 68 साल में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन यदि वह 65 साल से पहले अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं तो दूसरा भी उनको कार्यकाल मिल जायेगा 65 से लगाकर के 68 साल तक का। मेरा जो मुख्य मुद्दा है मैं जो चाहता हूं कि इस आयु को 62 साल कर दिया जाय और दूसरी जो रिटायरमेंट की आयु है उसको 65 साल कर दिया जाय। किसी भी हालत में इन्होंने सीधा-सीधा लिखा है कि उनको दूसरा भी कार्यकाल दिया जा सकता है। इसमें लिखा है कि कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो वह इस रूप में द्वितीय अवधि के लिये भी नियुक्त किया जा सकेगा तो इसे नियुक्त किया जा सकेगा यह उसके गुण और दोष के आधार पर रखा जाय न कि आयु के आधार पर कहा जाय कि 65 साल का हुआ है अभी एक कार्यकाल और बढ़ाया जाता है। मान्यवर, मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 2001 की धारा 11 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 की धारा 11 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) (क) कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए केवल ऐसा व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

(ख) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए या 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(ग) कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो, को इस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति, कुलाधिपति को लिखित रूप में संबोधित स्वहस्ताक्षर द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसे पद त्याग की स्वीकृति पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अवध पाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, अगर सैद्धान्तिक आधार पर देखा जाए तो यह प्रगतिशील कदम है। जो हम सबके अवधारणा है कि समाज के गरीब वर्ग को, दुर्बल वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अगर जिनके पास आय के साधन कम है जिनके पास आय के साधन कम हों, जो नगर में रहते हों गांव से चलकर आये हों और आय के साधन कम हों, शहर की गरीबी गांव की गरीबी से अधिक है उनको सस्ते दर पर जमीन मुहैया करायेगा। सिद्धान्त के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई कमी परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन जो स्वरूप आपने दिया है उसमें अगर दिमाग लगाया जाए, हम सब संविधान के 74वें संशोधन से बंधे हैं। हम सब मानते हैं कि नगर निगम की जो व्यवस्था है वह सुदृढ़ होनी चाहिए। राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, इनका काम नियम बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इनके बनाये हुए नियमों पर नगर निगम काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपने इसमें यह प्राविधान किया होता कि नगर निगम अधिनियम, 1959 में परिवर्तन करके जो उनके पास जमीनें थी उसका एक निश्चित प्रतिशत आपने घोषित कर दिया होता कि नगर निगम को इतना प्रतिशत देने में समाज के दुर्बल वर्ग के लिए प्रयोग करनी होगी और दुर्बल वर्ग को आपने डिफाइन कर दिया होता कि आपके दुर्बल वर्ग का अर्थ क्या है। सामाजिक आधार पर दलित समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए या समाज के गरीब समाज के लिए किसके लिए आप करना चाहते हैं अगर आपने इसको परिभाषित कर दिया होता तो एक सुस्पष्टता होती और इस अधिनियम का दुरुपयोग करने का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार किसी के पास न होता। आपने ऐसा करने की जगह पर नगर निगम के अधिकारियों को एक बार पुनः सीमित करने का प्रयास किया है जो निर्णय नगर निगम के स्तर पर नगर निगम की कार्यकारी समिति को लेना चाहिए नगर निगम की सलाह पर लेना चाहिए आप एक और दूसरा संशोधन अधिनियम लाए हैं जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे दूसरे जो अधिकार आपको उनको देना चाहिए था वह आपने अपने तक सीमित कर लिया आपके निर्देश पर नगर निगम निर्णय लेगा कि कौन सी जमीन किसको दी जाए तो यह आपत्तिजनक है और यह संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप नहीं है और नगर निगम के अधिकारों का संकुचितीकरण है। इस सैद्धान्तिक आधार को मानते हुए कि विचारधारा के आधार पर यह सही कदम था मैं इसका विरोध करता हूं।

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, नगर निगम के अन्दर जितनी जमीन है वह बेशकीमती है। मैं नहीं कहता कि निर्बल वर्ग के लिए मकान नहीं बनने चाहिए। नगर निगम की जो बेशकीमती जमीन है उसको आप नीलाम कर दें और जो पैसा बचे, वह नगर निगम को दे दें क्योंकि नगर निगमों की माली हालत बहुत खराब है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसा डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल कह रहे थे कि यदि अधिकार विहीन नगर निगम होगा तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा। कक्ष समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कक्ष समितियों में पहले पार्षद रहा करते थे।

श्री अध्यक्ष-

वह इसमें नहीं है। वो अगले में आएगा।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

ठीक है इतना ही कहना है।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक आया है वह समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मान्यवर, दुर्बल वर्ग के हितों को किस माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा ? कहीं स्मारक बनाकर तो उनके हितों का सुरक्षित नहीं रखा जाएगा। यह किसी मल्टीप्लेक्स या किसी बड़े आदमी को जमीन बेचकर उनका हित सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। दुर्बल वर्ग के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा, इसका जिक्र इसमें नहीं है। उनके लिए मकान बनाए जायेंगे, दुकानें बनाई जायेंगी मान्यवर, अगर निगम के अधिकारों को आप खुद लेना चाहते हैं तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। जो सरकार नगर निगमों को निर्देश देती है वो उनको मानना पड़ता है और उनके जो थोड़े बहुत अधिकार थे कि उनसे पूछकर किया जाए, वह भी समाप्त हो जायेंगे। मैं मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि दुर्बल वर्ग के लोगों के हितों का संरक्षण किस प्रकार होगा ? इसको डिफाइन कर देते तब तो पता चलता कि दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण सरकार किस प्रकार करेगी। ये माननीय मंत्री जी बता देते तो बड़ी कृपा होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नकुल दुबे-

इस विधेयक को लाते वक्त, पटल पर रखते समय मेरे दिमाग में यह था कि हमारा ये विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा। क्योंकि आजादी के 60 साल बाद भी प्रदेश की सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वह समाज के ऐसे लोगों की ओर ध्यान दे कि जो समाज का हिस्सा होने के बाद भी न तो उनका भरपूर सम्मान है और न उनको भरपूर सुविधायें मिल पा रही हैं लेकिन वो शहर के आवश्यक अंग बने हुए हैं जो माननीय सदस्यों की शंकाओं का प्रश्न है कि ये अधिनियम शहरी क्षेत्रों में जो स्लम एरियाज हैं उन एरियाज को अगर हम रेगुलेट कर देंगे उनको डेवलप कर देंगे जो सुविधाएं एक आम नागरिक को मुहैया होती है तो सबसे पहला यह कार्य है कि जो ऐसी आबादी में रह रहा है उनको मालिकाना हक देने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा हैं मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह आदरणीया बहन कुमारी मायावती द्वारा उठाया गया बहुत ही ऐतिहासिक कदम है इसलिए इसको सर्वसम्मति से पास करें। ताकि एक ऐसी परम्परा को बल मिले जिसकी हमारी देश और प्रदेश को बहुत आवश्यकता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप ये स्पष्टीकरण दे दें कि केवल उन्हें बस्तियों में जहां पर स्लम्स है उसके अलावा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा 124 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 124 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(4) किसी नगरीय क्षेत्र में समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार किसी नगर पालिका में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959 की धारा 128 का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 128 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

(2) किसी नगरीय क्षेत्र में समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, राज्य सरकार किसी नगर निगम में अर्जित या निहित भूमि के सम्बन्ध में ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एव निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सम्भवतः नगरीय लोकतंत्र के लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था जो शहर के लोगों को अधिकार है, हम लोगों ने पिछले 1992 से नहीं दिया। आज यह बेला था कि हम नगर के नागरिकों को अधिकार देते, गर्व के साथ जाते और कहते कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में हमने गणतंत्र की स्थापना की लेकिन जो लोकतांत्रित अधिकार तुमको 1950 से आज तक नहीं दिये गये, बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन ने 2009 आते-आते दे दिया। 1992 में जो 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ था, मा0 सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा, कम से कम जो नगरीय क्षेत्र के विधायक होंगे उनके लिए सम्भवतः यह सबसे महत्वूपर्ण संशोधन विधेयक है। इसलिए इसको सुनना तो पड़ेगा। 73वें और 74वें संशोधन में एक बड़ा बेसिक अन्तर था, 74वें संशोधन में गांव के नागरिकों को जिन्हें हम पिछड़ा कहते थे, अशिक्षित कहते थे, गवारू कहते थे, वह अधिकार दे दिये, जिसके तहत वह अपनी ग्राम सभा बना लेते थे, ग्राम पंचायत बना लेते थे, अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लेते थे, अपनी शिक्षा समिति, स्वच्छता समिति और निर्माण समिति, गुणवत्ता समिति न जाने क्या-क्या बना करके 27 ऐसे कार्य थे, जो हम लोगों ने उनको दे दिये। गांव के लोग, 2 हजार, 3 हजार की जनसंख्या इकट्ठी हो करके पिछले 15 सालों से अनवरत् अपने इस लोकतांत्रित अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस अधिकार के नाते प्रारम्भ में लोगों को लगा होगा कि गांव के लोगों को अधिकार दे रहे हैं, क्या वह उसका सही उपयोग कर पायेंगे ? लेकिन 15-20 सालों का इतिहास यह बता रहा है कि जैसे-जैसे समय बदलता गया है, नागरिकों के अन्दर एक लोकतांत्रित परिपक्वता आती गयी है, जागरूकता आती गयी है, उनको जानकारी मिलने लगी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें हम वास्तव में पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, सहभागिता के आधार पर लोकतंत्र का चलाना, उस संकल्पना को हमारे गांव के लोग शायद अमेरिका और यूरोप के शहरी लोगों से बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर रहे हैं। लेकिन यह वह अधिकार था जो शहर के लोगों को नहीं दिया गया।

मा0 मंत्री जी को एक सुअवसर मिला था, यदि वह अपने उस अधिकार का अपने विवेक से और वस्तुतः जितना वह पढ़े-लिखे हैं, उसका प्रयोग करके उस अधिकार का प्रयोग किया होता उनकी चिन्ता में वह विषय आता कि कैसे हम ग्राम सभा की रचना करते हैं, ग्राम सभा के जनसंख्या कितनी होती है, ग्राम सभा प्रतिनिधियों को कैसे चुनता है, ग्राम सभा के कर्तव्य क्या होते हैं, ग्राम सभा के दायित्व क्या होते हैं, ग्राम सभा के अधिकार क्या होते हैं, दिल्ली और लखनऊ से चलता है तो जिला पंचायत पर कितना रुकता है, ब्लाक पर कितना रुकता है और सीधे कितना ग्राम सभा में चला जाता है और सीधे अधिकार देते हैं, ग्राम सभा को कि वह अपने गांव के विकास की योजनाएं बनाये, हम उन्हें संसाधन देते हैं कि वह केवल विकास की योजनाओं की

कल्पनाओं ही न करे बल्कि उनको साकार रूप दे। हम उनको अधिकार देते हैं कि वह हर चीज को नियंत्रित करे। मा0 मंत्री जी की चिन्ता का यह विषय होना चाहिए था, 15 सालों से अनवरत् जो अधिकार हमने गांवों के नागरिकों को दिया है, आज उतनी देर में अगर शहर के नागरिकों को अधिकार देने का अवसर आया है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार गांव के लोगों को दिया गया, वह तो दें ही, 15 साल के लोकतंत्र के अनुभव से हमें जो महसूस होता है कि शहर के नागरिकों को इसके अतिरिक्त यह अधिकार भी दिये जाने चाहिए, हम उसे भी दें। मा0 मंत्री जी ने अगर अपने इस अधिकार का प्रयोग किया होता तो शायद आज पूरे प्रदेश में नगरीय लोकतंत्र की स्थापना की दृष्टि से नगरीय लोकतंत्र के इतिहास में मा0 नकुल दुबे जी का नाम एक ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता, एक समय आया था, इनके पास यह चूक गए। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को महान बनने के लिए और महान से कम रहने के लिए एक क्षण की जरूरत होती है। हमारे यहां कहा जाता है, ''लमहों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई'', आज अगर इस समय यह हिम्मत कर गये होते कि वह अधिकार जो ग्राम सभाओं को दिया गया, वही अधिकार नगरीय सभाओं को दे दिया होता तो बहुत अच्छा होता। मान्यवर, और सबसे बड़ी समस्या क्या है ? मा0 नगर विकास मंत्री को स्वयं दिमाग भी नहीं लगाना था। भारत सरकार ने जो योजना चलाई है, जी0आर0एम0 की, उसके जो आलेखीय लेखांश बनाये हैं, आपको याद होगा 28 फरवरी, 2008 को जब बजट पर हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने इसी सदन में सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से कहा था कि आई0एस0आई0डी0 जो आपको पैसा दे रही है, मुफ्त में नहीं दे रही है, आपसे कुछ कराने जा रही है। मा0 मंत्री जी बतायें, वह क्या है ? आपने नुकसान की बात नहीं बताई थी, मा0 मंत्री जी बतायें, वह क्या है ? मान्यवर, हमने कहा था कि शहर के नागरिकों का यह अधिकार दीजिए, आपने नहीं दिया और आपने किया क्या, भारत सरकार ने आपको बनाकर दिया, एक था माडल राज्य नगर बिल, यह भारत सरकार के द्वारा देश के सभी प्रदेशों में भेजा गया एक आदर्श बिल है और यह अपेक्षा की गई कि गांव के समुचित् अधिकारों को देखते हुए हम शहर के नागरिकों को भी इसी प्रकार के विकेन्द्रित अधिकार देंगे। हम जब लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं तो तीन विकेन्द्रीकरण होता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकेन्द्रीकरण और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

यह जो मॉडल बिल बनाकर भारत सरकार ने आपके पास भेजा था। मुझे नहीं मालूम कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में जो गाइडलाइंस बनायी गयी है और इधर दो वर्षों में इन गाइडलाइंस में जो परिवर्तन किये गये हैं आपने इन गाइडलाइंस को पढ़ा या नहीं। अगर आपने पढ़ा होता तो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की सारी परियोजना इस संकल्पना पर चलती है कि वार्ड कमेटियों और एरिया कमेटियों को अधिकार देंगे। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 इस बात को कहती है कि हमारा उद्देश्य 50 हजार करोड़ रुपये उन बड़े-बड़े या छोटे-छोटे शहरों में बांटना नहीं है, हमारा उद्देश्य इन रुपयों के माध्यम से बाध्य करना है नगरीय व्यवस्था में उन लोकतांत्रिक अधिकारों को देने के लिये जो गांवों में हमने 1992 में दे दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की जो गाइडलाइंस है वह यह कहती है। आप अगर इस माडल बिल को पलटना शुरू करें तो आप पायेंगे कि एरिया और एरिया सभा, इसका मतलब गांव सभा। जैसे

आप गांवों में 2 हजार या 3 हजार की जनसंख्या पर ग्राम सभा बनाते हैं वैसे ही यह संकल्पना की थी भारत सरकार के इस विभाग ने कि हम उस लोकतंत्र को देंगे जिसमें 3 हजार या 4 हजार की जनसंख्या में मान लीजिए कि अगर एक वार्ड है नगर निगम है उसमें 70 वार्ड हैं और एक वार्ड में 10 बूथ हैं और एक-एक वार्ड ऐसे हैं जहां 20-25 हजार की जनसंख्या रहती है उसमें उन्होंने डिफाइन किया। अगर 8 बूथ हैं तो एक बूथ की एक एरिया सभा होगी या दो बूथ मिलाकर एक एरिया सभा हो जाएगी। उन्होंने यह सारा कुछ मॉडल बिल की संकल्पना एरिया सभा के आधार पर की थी। एरिया कैसे डिफाइन किया जायेगा, एरिया सभा के सदस्य कैसे होंगे। एरिया सभा के क्या-क्या दायित्व होंगे, एरिया सभा के क्या-क्या अधिकार होंगे और यहां तक कि अपने एरिया में क्या कार्य होना है, क्या एरिया प्लान बनेगा, क्या एरिया बजट होगा, क्या उसकी प्राथमिकता होगी, एरिया में रहने वाले नागरिकों में कौन से बेनिफिशियरी होंगे, कौन से वह नागरिक होंगे जो समाज की दृष्टि से बी0पी0एल0 सूची में माने जायेंगे, किस प्रकार की समस्याएं होंगी, किस प्रकार की हारमोनी हो, एरिया सभा से मानकर के चला जाता था कि एरिया सभा अपनी बैठकों के माध्यम से पूरा बजट बनायेगी और बजट बनाकर एरिया सभा से वार्ड सभा की कमेटी की बैठक में भेजेगी। एरिया सभा जैसे 2-3 हजार की जनसंख्या पर परिभाषित किया गया उसमें भी नामिनेटेड प्रतिनिधि की बात नहीं की गयी। जो मॉडल बिल बनाया गया है उसमें भी एरिया सभा के रिप्रजेंटेटिव को चयनित करने की बात कही गयी है। एरिया सभा के बाद यही जो एरिया सभा के प्रतिनिधि हैं यह मिलकर के वार्ड कमेटी बनाते, वार्ड का जो पार्षद होगा वह चेयरमैन होगा और एरिया समिति के जितने सदस्य होते अधिकतम 10, उसके दो तिहाई इसी वार्ड कमेटी के प्रतिनिधि होते। लोकतंत्र की वह अवधारणा जिसके लिए प्राचीन भारत अपने गणराज्य व्यवस्था के लिए गर्व करता है, वह संकल्पना जो सिन्धु भारतीय सभ्यता के जमाने की थी, वह संकल्पना उस मॉडल नगर राज्य बिल में आपको बनी-बनायी दी गयी थी। आपको करना कुछ नहीं था, आपको ज्यों का त्यों लागू करना था। आपने क्या किया ? एरिया सभा का कन्सेप्ट ही गायब कर दिया। यानी वह जो जमीनी आधार था, गांव के नागरिकों को ग्राम सभा का जमीनी आधार मिला, 2 हजार का 3 हजार का, लेकिन आपने शहर के नागरिकों को वह अधिकार नहीं दिया। आपने वार्ड कमेटी बनायी लेकिन वार्ड कमेटी में वार्ड कमेटी के प्रतिनिधि चुनकर के आयें यह अधिकार भी आपने उनसे छीन लिया। बल्कि आपने यह कह दिया कि 10 सदस्य होंगे या पांच सदस्य होंगे नामिनेटेड होंगे, नामनिर्दिष्ट होंगे, राज्य सरकार तय करेगी कि वार्ड कमेटियों के कौन सदस्य होंगे यह कौन सा लोकतंत्र है, क्या पार्षद हम नामिटेड करते हैं क्या विधायक हम नामिटेड करते हैं, क्या एम0पी0 हम नामिनेट करते हैं, अगर एम0पी0, विधायक, पार्षद यह नामिनेट नहीं होंगे तो वार्ड कमेटियों के सदस्य क्यों नामिनेट होंगे और इस प्रकार से वास्तव में जो लोकतांत्रीकरण के लिए आपके पास आया था आपने उसका वीडेमोक्रेटाईजेशन कर दिया, वी-लोकतंत्रीकरण कर दिया, लोकतंत्र की आपने वस्तुतः आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं आपने हत्या की है, मा0 नगर विकास मंत्री, मैं इसे निहायत ही अधूरा विधेयक मानता हूं, भारत सरकार की मंशा के विपरीत आपके द्वारा उठाया गया कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिन्हित होना चाहिए जो अवधारणा है लोकतंत्र को जनता तक पहुंचाने की है और मा0 मंत्री जी ने जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का काम किया है, इतिहास गवाह इस बात का है, जब भी संघर्ष होता है, अमृत का उत्पादन होता है तो राहू-केतू पैदा होते हैं जो जनता के हाथ से अमृत को छीन लेते हैं, आज वह लोकतांत्रिक अमृत जो एक सामान्य शहरी नागरिक के पास पहुंच सकता था, मा0 नगर विकास मंत्री ने राहु और केतू का आचरण किया है और उन अधिकारों को छीनने का काम किया है इसलिए अध्यक्ष महोदय,पूरी गम्भीरता के साथ बावजूद इसके कि यह बहुत बेहतर कदम था मैं आपसे बताऊं मा0 मंत्री जी, यह दूसरा माडल बिल है, माडल डिस्क्लोजर बिल, जो भारत सरकार ने आपको भेजा था, आपने इस अधिनियम में इसको सार्ट बिल किया लेकिन चतुराई क्या थी, भारत सरकार आपसे अपेक्षा करती थी कि एरिया समिति का बजट बनेगा, एरिया समिति के सदस्य बनायेंगे, वार्ड कमेटी का बजट बनेगा, वार्ड कमेटी के सदस्य बनायेंगे और नगर निगम की बाध्यता होगी कि वार्ड कमेटी के सदस्य जो बजट बनायेंगे उसका हर तीन महीने पर डिस्क्लोजर करें। आपने जो अपना डिस्क्लोजर बिल बनाया, वार्ड कमेटी के बजट बनाने के इस अधिकार को भी छीन लिया और व्यवस्था क्या किया, जैसा राज्य सरकार तय करेगी, वैसा वार्ड कमेटी काम करेगी। तो यह जो लोकतंत्र है जिसे हर इशारे पर आप राज्य सरकार के सहारे छोड़ दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय यह वस्तुतः लोकतंत्र नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, देश की स्वतंत्रता आन्दोलन की लड़ाई के आदर्श स्थापित करने के लिए माना जाता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस पर पुनर्विचार करिये। हमारे और आपके बीच का कोई इगो नहीं होना चाहिए। आप विधेयक लेकर आये हैं इसमें कोई बात नहीं। आप मुझसे अगर एक वायदा करिये कि जो कमियां इसमें रह गई हैं जो आपको माडल राज्य नगर बिल भारत सरकार ने भेजा है, आपके सामने वह बिल होगा, अगर मेरे पास है, अगर वह इण्टरनेट पर है तो आपके पास भी होगा। जो आदर्श विधेयक भारत सरकार ने आपके पास भेजा है और जो विधेयक आपने प्रस्तुत किया है, इन दोनों के बीच की जो कमियां हैं, अगर आप इसी सदन में यह वायदा कर लें कि अगले सत्र में आप उन कमियों को दूर करते हुए भारत सरकार की मंशा के अनुरूप पुनः एक संशोधन विधेयक लायेंगे और इस माडल विधेयक को पारित करायेंगे तो मैं इन लोगों में होऊंगा कि आज यह बिल आपको पारित करने दिया जाय अन्यथा लोकतंत्र की हत्या के हम गवाह नहीं बन सकते, लोकतंत्र की हत्या में हम मूक सहमति नहीं दे सकते और हम उसके हिस्सेदार नहीं बन सकते।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से इस सदन में अपनी बात रखी। मान्यवर, निश्चित रूप से मैंने कुछ समय पहले इस सदन में कहा था कि जो घर का मुखिया है वह सारा का सारा काम कर लेगा। मान्यवर, लोकतंत्र में यह जिम्मेवारियां तीनों स्तर के ऊपर दी गयी है कि किसको क्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम करना है। आप अभी भूमि अधिग्रहण कर रहे थे नगर निगम का वह अधिकार आपने समाप्त कर दिया था। अब आप सभासद का भी अधिकार समाप्त कर रहे हो। मान्यवर, आप इस बात को सोचों कि एक वार्ड में जो काम होना है और वार्ड की जो इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिए थी उसको भी आप यहां से नामित करके भेजना चाहते हो। आप उसको केवल राजनीतिक कारणों से नामित करना चाहते हैं नहीं तो जो भारत सरकार की मंशा थी एरिया कमेटी की आप उसी के अनुरूप यहां पर चुनने की प्रक्रिया करते। मान्यवर, इस बात को भूल जाइये कि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत राजनीतिक लाभ हमारे को क्या मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा। आज जो आप कदम उठायेंगे, कभी-कभी यह बात कही जाती है कि 'लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई।' मान्यवर, आज आप हैं कल कोई दूसरा आयेगा, परसों कोई तीसरा आयेगा, चौथा आयेगा अगर इस प्रकार की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी तो लोकतंत्र के ऊपर भी खतरा होगा, चुनी हुई सरकारों के ऊपर भी खतरा होगा। आज आपने यहां के लिए स्थानीय निकायों के ऊपर तय कर दिया वार्ड कमेटी के लिए तय कर दिया मुझे लगता है कि केन्द्र में सरकार बैठी है वह अगर आपके लिए तय करना शुरू हो जाय तो हम लोगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। यह अलोकतांत्रिक कदम है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इतिहास में यह एक काला दिवस माना जायेगा। यदि आप कहेंगे कि हम अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे नामित कर देंगे हम जिसको चाहेंगे कमेटी में बना देंगे। उस कमेटी के आधार के ऊपर हम सिर्फ यह निर्णय ले लेंगे कि जो हमने यहां से दिशा-निर्देश भेजे अगर आपने दिशा-निर्देश भेजने हैं, आपने अपनी मर्जी से ही सब कुछ करवाना है तो आप नगर निगमों को भंग कर दीजिए आप सारी व्यवस्था को समाप्त कर दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को अभी वापस ले लें या इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें इसके लिए यदि आप तैयार नहीं हैं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये तैयार हैं, कतई नहीं, तो इस अलोकतांत्रिक बिल को पास करने के हम गवाह नहीं बन सकते। इसलिए मैं और मेरा दल आज इस सदन से इस विषय को लेकर बहिष्कार करते हैं।

[श्री सतीश महाना अपने दल (भाजपा) के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये]

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक,

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में खण्ड (23-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(23-ख) 'प्रयोक्ता प्रभार' का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण मे नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई विनिर्दिष्ट या सृजित अवसंरचना या उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिये उद्ग्रहीत् प्रभार या शुल्क से है।"

धारा-3 ख का प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"3-ख (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 343-ध के खण्ड (1) के अधीन गठित प्रत्येक कक्ष समिति में एक कक्ष होगा।

कक्ष समितियों का गठन और संरचना

(2) किसी कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र सम्बद्ध कक्ष में प्रादेशिक क्षेत्र से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे-

(क) कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका परिषद् का सदस्य,

(ख) दस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो नगर पालिका परिषद् द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत, व्यक्तियों, नागरिक कल्याण सोसायटियों के पदाधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अन्यून संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित की जायेगी। यदि ऐसी संख्या का अवधारण करने मे कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) नगर पालिका परिषद् में उक्त कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उक्त समिति का अध्यक्ष होगा;

(5) कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका परिषद् का समूह "ग" का कर्मचारी कक्ष समिति का सचिव होगा;

(6) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल कक्ष समिति की अवधि के साथ समाप्त होगा;

(7) नगरपालिका परिषद् का सदस्य न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा;

(8) अध्यक्ष के पद के उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्याग-पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उक्त अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती;

(9) कक्ष समिति का कार्यकाल नगरपालिका परिषद् की अवधि के साथ समाप्त होगा;

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो नियमों द्वारा विहित किये जाय।"

नई धारा 97-ख का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 97-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

निजी क्षेत्र का भागीदारी अनुबन्ध

"97-ख (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई नगरपालिका धारा 7 और 8 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निष्पादन में,-

(क) नगरीय अवसंरचना या सेवाओं की आपूर्ति के लिये किसी नगर पालिका की परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, अनुरक्षण और संचालन में उसकी लागत पर ध्यान न देते हुए किसी व्यक्ति, कम्पनी, धर्म, सोसाइटी, न्यास या किसी नियमित निकाय या किसी संस्था या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यरत किसी अभिकरण की भागीदारी द्वारा जिम्मेदारी ली गई परियोजना को प्रोन्नत कर सकेगी,

(ख) किसी व्यक्ति, कम्पनी या फर्म या सोसाइटी या न्यास या किसी निगमित निकाय या किसी संस्था या सरकारी अभिकरण या किसी निजी क्षेत्र के भागीदारी अनुबन्ध के अनुसार किसी अभिकरण या संयुक्त रूप से ऐसे अभिकरण द्वारा नगरीय अवसंरचना या सेवाओं से सम्बन्धित किसी जिम्मेदारी ली गई परियोजना पर विचार कर सकेगी और उसे अनुमोदित कर सकेगी।

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यपाकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुबन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-

(क) निर्माण-स्वामित्व-संचालन अन्तरण अनुबन्ध,

(ख) निर्माण-स्वामित्व-संचालन अनुरक्षण अनुबन्ध,

(ग) निर्माण और अन्तरण अनुबन्ध,

(घ) निर्माण-पट्टा-अन्तरण अनुबन्ध,

(ङ) निर्माण अन्तरण-संचालन अनुबन्ध,

(च) पट्टा और प्रबन्ध अनुबन्ध,

(छ) प्रबन्धन अनुबन्ध,

(ज) पुनर्वास-संचालन-अन्तरण अनुबन्ध,

(झ) पुनर्वास-स्वामित्व-संचालन-अनुरक्षण अनुबन्ध,

(ञ) सेवा संविदा अनुबन्ध और,

(ट) आपूर्ति-संचालन-अन्तरण अनुबन्ध

(3) जल आपूर्ति, जल निकास और मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नगरीय परिवहन पार्कों, खेल के मैदानों, स्वास्थ्य और आरोग्य, मनोरंजन और सामुदायिक केन्द्र तथा अन्य नागरिक सुख-सुविधाओं और सुविधाओं तथा वाणिज्यिक अवसंरचना के सम्बन्ध में नगरीय अवसंरचना तथा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये अपने दायित्वों के निर्वहन में नगर पालिका लोक हित में जहां कहीं उपयुक्त समझे,-

(क) अपने किसी दायित्व का निर्वहन अपने आप कर सकती है, या

(ख) किसी निजी क्षेत्र की भागीदारी का अनुबन्ध कर सकती है।

नई धारा 293-ख का बढ़ाया जाना

5-मूल अधिनियम की धारा 293-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी

प्रयोक्ता प्रभारों को उद्ग्रहीत करने की शक्ति

293-ख-नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण या संगठन निम्नलिखित के लिये ऐसी दरों पर जैसी कि नियमावली द्वारा समय-समय पर विहित की जायं, प्रयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकता है :-

(एक) जल आपूर्ति, जल निकास और मल वहन की व्यवस्था,

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,

(तीन) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधियों के लिये विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग,

(चार) सार्वजनिक पगडंडियों, पटरियों और सार्वजनिक भूमि का उपयोग,

(पांच) किसी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ध्वस्तीकरण कार्य के लिये सार्वजनिक मार्ग पर सामग्रियों या कूड़ा-करकट का एकत्रीकरण,

(छः) नगरीय अवसंरचना और नागरिक सुख-सुविधाओं का प्रबन्धन,

(सात) मल शोधन संयंत्रों का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रबन्धन,

(आठ) सड़कों, सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं और सुरंगपन्थों का निर्माण और अनुरक्षण,

(नौ) बूचड़खानों, पशु शव उपयोग संयंत्रों, मांस या मत्स्य बाजारों आदि का निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्धन,

(दस) प्रदान की गई कोई अन्य विनिर्दिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या उपलब्ध कराई गई सुविधा या सुख-सुविधा।

धारा 332-क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 332 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्-

प्रयोक्ता प्रभारों को उद्ग्रहीत करने की शक्ति

332-क-नगर पालिका परिषद् नीचे यथा उल्लिखित त्रैमासिक अन्तरालों पर अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगी और प्रकाशित करेगी;

(क) नगरपालिका परिषद् या उसकी समितियों की कार्यवाही या कार्यवाहियों का सारांश;

(ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदर्शिनी;

(ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियां जो नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों में रियायत, परमिट, लाइसेंस प्रदान करते हैं, या नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराते हैं;

(घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एंव व्ययों और वार्षिक बजट आदि का सम्परीक्षित वित्तीय विवरण;

(ङ) नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिये उपबंधित किये गये सेवा स्तर;

(च) समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गई प्रमुख सेवाओं या निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय और किये गये वितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां;

(छ) नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रदान की गई प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर समनुषंगी कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदंण्डों का विवरण;

(ज) नगरपालिका परिषद् द्वारा दायित्व ग्रहण किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) नगरपालिका परिषद् के विकास से संबंधित नगर विकास योजनाओं एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विवरण;

(ञ) मुख्य निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का मूल्य, समापन का समय का विवरण और संविदा का ब्यौरा;

(ट) नगरपालिका परिषद् निधियों का विवरण;

(एक) कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्व वर्ष में जनित एवं वसूल की गई आय;

(दो) कर, शुल्क, सेस और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, परमिट और लाइसेंस तथा प्रयोक्ता प्रभार;

(तीन) उपर्युक्त (दो) के सापेक्ष धनराशि, जो असंग्रहीत हो;

(चार) विभिन्न प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपभोग की स्थिति,

(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय,

(2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :-

"(क) समाचार पत्र,

(ख) इंटरनेट,

(ग) नगरपालिका परिषद् का सूचना पट्ट,

(घ) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना,

(ङ) गजट में अधिसूचना,

(च) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

7-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे एतद्पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-2 में खण्ड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(80-क) 'प्रयोक्ता प्रभारों का तात्पर्य नगर निगमों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में दी गई विनिर्दिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या प्रदान की गई सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिये उद्ग्रहीत प्रभारों या शुल्क से है।"

8-मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- धारा 6-क का संशोधन

6-क (1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगमों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243-ध के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में एक कक्ष होगा। कक्ष समिति का संगठन और संरचना

(2) कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र संबंधित कक्ष के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद;

(ख) दस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य, जो निगम द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, नागरिक कल्याण सोसायटियों के पदाधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेज्ञ ज्ञान और अनुभव हो, नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि कुल सदस्यों की एक तिहाई से अन्यून संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित की जायेगी और यदि ऐसी संस्था को अवधारित करने में कोई शेष बचता है तो भागफल में एक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) निगम में उक्त कक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद उक्त समिति का अध्यक्ष होगा।

(5) नगर निगम का समूह "ग" का नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी कक्ष समिति का सचिव होगा।

(6) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल कक्ष समिति की अवधि के साथ समाप्त होगा।

(7) पार्षद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा।

(8) अध्यक्ष पद के उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्याग-पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उक्त अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(9) कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा;

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

धारा 58 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 58 में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के किसी व्यक्ति को अपर नगर आयुक्त के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह निगम के ज्येष्ठतम वेतनमान में उप नगर आयुक्त न हो।"

धारा 137-क का बढ़ाया जाना

10-मूल अधिनियम की धारा 137 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

निजी क्षेत्र की भागीदारी का अनुबन्ध

137-क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी नगर निगम धारा 114 और धारा 115 में विनिर्दिष्ट अपने कृत्यों के निर्वहन में,-

(क) नगरीय अवसंरचना या सेवाओं की आपूर्ति के लिये अपर निगम की किसी परियोजना को वित्तीय सहायता देने, निर्माण, अनुरक्षण और संचालन के लिये उसके मूल्य पर विचार किये बिना किसी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या कोई निगमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अभिकरण की भागीदारी द्वारा सेवाओं के आपूर्ति के लिये जिम्मेदारी ली गई किसी परियोजना को प्रोन्नत कर सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, न्यास या किसी निगमित निकाय या किसी संस्था या सरकारी अभिकरण या किसी निजी क्षेत्र के भागीदारी अनुबन्ध के अनुसार या किसी अभिकरण या संयुक्त रूप से ऐसे अभिकरण द्वारा नगरीय अवसंरचना या सेवाओं के सम्बन्ध में जिम्मेदारी ली गई किसी परियोजना पर विचार करना और अनुमोदित करना, और

(2) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुबन्ध में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा :-

"(क) निर्माण-स्वामित्व-संचालन अन्तरण अनुबन्ध,

(ख) निर्माण-स्वामित्व-संचालन अनुरक्षण अनुबन्ध,

(ग) निर्माण और अन्तरण अनुबन्ध,

(घ) निर्माण-पट्टा-अन्तरण अनुबन्ध,

(ङ) निर्माण अन्तरण-संचालन अनुबन्ध,

(च) पट्टा और प्रबन्ध अनुबन्ध,

(छ) प्रबन्धन अनुबन्ध,

(ज) पुनर्वास-संचालन-अन्तरण अनुबन्ध,

(झ) पुनर्वास-स्वामित्व-संचालन-अनुरक्षण अनुबन्ध,

(ञ) सेवा संविदा अनुबन्ध और,

(ट) आपूर्ति-संचालन-अन्तरण अनुबन्ध"

(3) नगरीय अवसंरचना और जल आपूर्ति, जल निष्कासन और मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पार्क, क्रीड़ा स्थल, स्वास्थ्य और आरोग्यता, मनोरंजन और सामुदायिक केन्द्रों और अन्य नागरिक सुख-सुविधाएं और सुविधाओं और वाणिज्यिक अवसंरचना की सेवाओं से संबंधित व्यवस्था करने के लिये अपने दायित्वों के निर्वहन में नगर निगम, जहां कहीं लोकहित में समीचीन समझा जाये,-

"(क) अपने किसी दायित्व या निर्वाहन स्वयं या

(ख) किसी निजी क्षेत्र, भागीदारी अनुबन्ध को करके"।

धारा 174 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 174 में, उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में नियम द्वारा निश्चित की गई यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट किराये की मासिक दर में गुणांक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य।"

धारा 207-क का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 207-क में "आवासिक भवन", शब्द, "भवन" और शब्द और अंक "धारा 174 का खण्ड (ख)" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 174" रख दिये जायेंगे।

धारा 573-क और धारा 573-ख का बढ़ाया जाना।

13-मूल अधिनियम की धारा 573 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

प्रयोक्ता प्रभारों को उद्ग्राहण करने की शक्ति

573-क-नगर निगम या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण या संगठन निम्नलिखित के लिये ऐसी दरों पर जैसी कि नियमावली द्वारा समय-समय पर विहित की जायं, प्रयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रणह करेगा-

(एक) जल आपूर्ति, जल निष्कासन और मल वहन की व्यवस्था;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन;

(तीन) विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवधियों के लिये विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग;

(चार) सार्वजनिक पगडंडियों, फुटपाथों और सार्वजनिक भूमि का उपयोग;

(पांच) किसी प्रकार के निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत या ध्वस्तीकरण कार्य के लिये सार्वजनिक मार्ग पर सामग्रियों या कूड़ा करकट या एकत्रीकरण;

(छः) नगरीय अवसंरचना और नागरिक सुख-सुविधाओं के प्रबन्धन;

(सात) मल शोधन संयंत्रों का निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और प्रबन्धन;

(आठ) सड़कों, पुलों, उपरिगामी सेतुओं और भूमिगत पारपथ का निर्माण और अनुरक्षण;

(नौ) बूचड़खानों, पशु शव उपयोग संत्रयों, मांस और मछली बाजारों आदि का निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्धन;

(दस) प्रदान की गई, किसी अन्य विनिर्दिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या उपलब्ध कराई गई सुविधा या सुख-सुविधा;

"573-ख(1) नगर निगम नीचे यथा उल्लिखित त्रैमासिक अन्तरालों पर अपेक्षित सूचना को प्रकट करने हेतु अपने अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा और प्रकाशित करेगा;

सूचना का लोक प्रकटीकरण

(क) नगर निगम या उसकी समितियों की कार्यवाहियों या कार्यवाहियों का सारांश;

(ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदर्शिनी;

(ग) ऐसे अधिकारियों की विशिष्टियां जो नगर निगम के विभिन्न विभागों में रियायत, परमिट और लाइसेंस प्रदान करते हैं, या नागरिक सुख सुविधायें उपलब्ध कराते हैं;

(घ) तुलनपत्र, प्राप्तियों एवं व्ययों और वार्षिक बजट आदि का सम्परीक्षित वित्तीय विवरण;

(ङ) निगम द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिये उपबंधित किये गये सेवा स्तर;

(च) समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्यय, प्रदान की गई प्रमुख सेवाओं या निष्पादित क्रियाकलापों पर वास्तविक व्यय और किये गये वितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां;

(छ) निगम द्वारा प्रदान की गई प्रमुख सेवाओं और उसके द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों पर समनुषंगी कार्यक्रमों और ऐसे कार्यक्रमों हेतु हिताधिकारियों की पहचान की रीति एवं मानदण्डों का विवरण;

(ज) निगम द्वारा दायित्व ग्रहण किये गये कार्यक्रमों का विवरण;

(झ) निगम के विकास से संबंधित नगर विकास योजनाओं एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का विवरण;

(ञ) प्रमुख निर्माण कार्यों, निर्माण कार्यों के मूल्यों, कार्य पूरा होने के समय, और संविदा वितरण की विशिष्टियां;

(ट) निगम की निधियों के वितरण;

(एक) कर एवं करेत्तर शीर्षकों के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष में जनित एवं वसूल की गई आय;

(दो) कर, शुल्क, सेस और अधिभार, किराया, सम्पत्ति से शुल्क, परमिट और लाइसेंस तथा प्रयोक्ता प्रभार;

(तीन) उपर्युक्त (दो) के सापेक्ष धनराशि, जो असंग्रहीत हो;

(चार) विभिन्न प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार से अनुदान, ऋण या निधियों का न्यागमन और उपयोग की स्थिति;

(ठ) ऐसी अन्य सूचना जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय;

(2) प्रकटीकरण की रीति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

"(क) समाचार पत्र,

(ख) इंटरनेट,

(ग) निगम की सूचना पट्ट,

(घ) जोन कार्यालयय;

(ङ) किसी बुलेटिन का जारी किया जाना,

(च) गजट में अधिसूचना,

(छ) ऐसी कोई अन्य रीति, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-13 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

यह प्रस्तुत हुआ और इसकी किताब भी जो इसका विधेयक था वह भी समय से नहीं मिला। यह प्रस्तुत हो जाने के बाद आया है तो हम लोगों को पूरा तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के बारे में कुछ बतायें तो सदन तो समझ जाय कि क्या विधेयक है ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाण्डेय जी, वरिष्ठ सदस्य हैं। मान्यवर, यह एक विश्वविद्यालय के बारे में है और उसकी तत्कालिकता यह है कि जुलाई, अगस्त का महीना ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का होता है, सदन का आज अन्तिम दिन भी है इसलिये आवश्यक हुआ कि इसको पारित करा दिया जाय और उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो पिछले सदन में भी हमने कहा था कि शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना है, उसे बढ़ाना है तो तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद करनी पड़ेगी, कुछ छूट देना पड़ेगा, कुछ लिबरल होना पड़ेगा। उसी कड़ी में निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने में, खुलवाने में या मदद करने में यह एक अधिनियम लाया गया है जो कि विधेयक है, जिस पर विचार करने के लिये आपके बीच में रखा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इसे पढ़ नहीं सका। लेकिन जो विश्वविद्यालय है यह निजी विश्वविद्यालय है और इस निजी विश्वविद्यालय में सम्बद्धता भी होगी महाविद्यालय की, या नहीं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, सब निजी विश्वविद्यालय हैं और इनको जो पहले एक नीति बनी थी उसी आधार पर यह विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं, इनको सम्बद्धता करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

प्रश्न यह है कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

उत्तरांचल वेल्फेयर सोसायटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं ;

(ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है ;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जिसे इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "समिति" का तात्पर्य दिनांक 26–03–1996 को उप निबंधक कार्यालय में सोसाइटी फण्डस एण्ड चिट्स, गाजियाबाद में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत उत्तरांचल वेलफेयर सोसाइटी, गाजियाबाद से है;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से हैं;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

3–(1) बरेली उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4–समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :– विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिए निश्चित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर कार्यालय और प्रयोगशालाओं की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा। विश्वविद्यालय का आरंभ

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के विश्वविद्यालय के उद्देश्य

लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7– विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षिणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/ प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हों, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल संपत्ति का, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों;

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठयक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9– विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर भी राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति-कुलपति;

(ङ) निदेशक/प्रधान

(च) कुलसचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11–(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति, समिति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति-कुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबंध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्, एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15–निदेशक प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। संकायाध्यक्ष

18–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। कोषाध्यक्ष

19(1)–वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए। अन्य अधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ड) नियोजन बोर्ड;

(च) पाठ्य बोर्ड;

(छ) संकाय बोर्ड;

(ज) परीक्षा समिति और;

(झ) प्रवेश समिति

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय। सभा

(2) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियों और कृत्य होंगे, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथा विहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धिया;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ड) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमे संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय मे छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठयक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अंतर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चिय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति की गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या निर्वाचित या सहयोहित किया था ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

38– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। कार्यवाही की अवधि मान्यता

39– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा। विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

41–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा। स्थायी विन्यास निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :– सामान्य निधि

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियो को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क परिनियम एवम् अध्यादेश के क्रम में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसाकि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निदिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49–(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50–(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम का उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय;

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति कर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन मान्यता रद होने पर परिसम्पत्तियां, उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52—अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व समिति से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

53—राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या-33-ख पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

इसके लिये धन की व्यवस्था क्या सरकारी राजकोष से होगी। इसमें जो 8-9 करोड़ धन का प्रावधान है, क्या यह सरकारी राजकोष से होगा ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

नहीं-नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, सदन को भी अवगत कराना चाहूंगा कि यह पूर्णरूपेण निजी विश्वविद्यालय है और निजी श्रोतों से यह विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। पिछले सत्र में भी एक दो विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई थी उसी तरह से यह निजी विश्वविद्यालय है और जो शिक्षा जगत में पहले से जुड़े हुए महाविद्यालय या इंस्टीट्यूट या किसी शिक्षण संस्थाओं को चला रहे हैं, अगर यह विश्वविद्यालय के मानक को पूरा कर रहे हैं 50 एकड़ जमीन, उतने वर्गफीट की उनकी कंस्ट्रक्टिव एरिया, शैक्षिक वातावरण, तो उनको निजी विश्वविद्यालय की मान्यता दी जा रही है। यह पूरी तौर पर निजी विश्वविद्यालय है। सरकार का एक भी रुपया/धन का आवंटन इस पर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009

श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "प्रतिकुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "सभा" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र, स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं ;

(ज) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् से है;

(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करताहै तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है ;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) "संस्था" "महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जिसे इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ण) "समिति" का तात्पर्य दिनांक 30.09.1997 को स्थापित और दिनांक 30.09.1997 को उपनिबंधक कार्यालय में सोसाइटी फण्डस एण्ड चिट्स, आगरा में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत श्री जगन्नाथ प्रसाद गनेशीलाल बजाज चेरिटेबिल ट्रस्ट समिति से है;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से हैं;

(थ) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(द) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(न) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन स्थापित जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) मथुरा उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा जी०एल०ए० विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–समिति, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए निश्चित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम पांच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर कार्यालय और प्रयोगशालाओं की प्रतिष्ठापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें, जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

विश्वविद्यालय का आरंभ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए समिति को प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि धारा चार में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं संबंधित असंदिग्ध शपथ पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और

विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7– विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षिणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/ प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हों, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या देश/विदेश की प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल संपत्ति का, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखना या आडमानकृत करना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना ;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों;

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठयक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9– विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर भी राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति-कुलपति;

(ङ) निदेशक/प्रधान

(च) कुलसचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जायें।

कुलाधिपति

11–(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति, समिति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबंध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्, एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

प्राचार्य या निदेशक

15–निदेशक प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19(1)–वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ड) नियोजन बोर्ड;

(च) पाठ्य बोर्ड;

(छ) संकाय बोर्ड;

(ज) परीक्षा समिति और;

(झ) प्रवेश समिति

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22–(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथा विहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य,

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो,

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमे संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय मे छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठयक्रमों की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अंतर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो;

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चिय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के संबंध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति की गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या निर्वाचित या सहयोहित किया था ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अवधि मान्यता

38– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39– विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तवेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्व-विद्यालयों की मान्यता वापस लिया जाना

50-(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर, जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम का उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय;

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति कर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्य कलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

विघटन मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियां, उत्तरदायित्व की प्रास्थिति

52–अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व समिति से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53–राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार परिवर्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें कोई बहुत संशोधन नहीं है। उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009, इसमें जो पहले विधेयक था उसमें संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948 था उसमें शब्द जो दिया गया था संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल और प्रान्तीय सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेंट के स्थान पर क्रमशः शब्द उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल राज्य सरकार और महानिदेशक रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया. गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009

संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, 1948 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "संयुक्त प्रान्तीय" "रक्षक दल", "प्रान्तीय सरकार" और "ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेंट" जहां कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक, उप शीर्षक, पार्श्व शीर्षक और अनुसूची भी है, के स्थान पर क्रमशः शब्द "उत्तर" "प्रान्तीय रक्षक दल" "राज्य सरकार" और "महा निदेशक" रख दिये जायेंगे। संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 38 सन् 1948 में सामान्य संशोधन

धारा-2 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) में शब्द "समान पद के आनरेरी (अवैतनिक) अफसर" निकाल दिये जायेंगे।

धारा-9 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 9 में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा-10 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-10 में शब्द "या कोई समान पद का ऐसा आनरेरी अफसर" निकाल दिये जायेंगे।

धारा-11 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-11 में,-

(क) शब्द "या कोई समान पद का ऐसा आनरेरी अफसर" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "रैंक्स (सामान्य कोटि) में" के स्थान पर शब्द "सामान्य कोटि में" रख दिये जायेंगे।

धारा-12 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "या समान पद के किसी आनरेरी अफसर" निकाल दिये जायेंगे।

धारा-16 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द "या समान पद के किसी आनरेरी अफसर" निकाल दिये जायेंगे।

धारा-17 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (3) में शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा-19 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 19 निकाल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन भैया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इसमें चर्चा जारी रहेगी और जितने भी संकल्प और हैं उनमें चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदास नगर को सम्मिलित करके पूर्वांचल प्रदेश का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा को आज की कार्यसूची में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति तथा आगे के लिए स्थगित करने का अनुरोध

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल राज्य बनाये जाने के लिए चर्चा लगायी थी और आपने कहा था कि चर्चा जारी रहेगी लेकिन इस एजेण्डे में उसे शामिल नहीं किया गया है। आपसे निवेदन है कि यह चर्चा जारी रहे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य श्रोत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इसमें चर्चा जारी रहेगी।

वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषणमुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मलयुक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इसमें चर्चा जारी रहेगी।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन की प्रदेश स्तर पर गठित समिति में क्षेत्र में होने वाले कार्यों के चिन्हीकरण एवं प्रस्ताव में सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन की प्रदेश स्तर पर गठित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति में क्षेत्र में होने वाले कार्यों के चिन्हींकरण एवं प्रस्ताव में सम्बन्धित क्षेत्रों के विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाय।"

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इस बात को बार-बार इस माननीय सदन में कहा है कि यहां पर अधिकारी जो तय कर देंगे हम यहां पर बैठ करके उस पर मुहर लगा देंगे। मान्यवर, उस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए उनकी सलाह से कामों को चिन्हित करना चाहिए और वह कार्य आवश्यक है या नहीं, उसमें उनके भी दस्तखत होने चाहिए और उनकी स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार से प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 7-8-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 75 सूचनाएं प्राप्त हुईं, सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी प्रशासन की लापरवाही से मिड-डे मील न बनाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर नगर की जली हुई दुकानों के दुकानदारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश्वर सिंह की जनपद बहराइच को सूखाग्रस्त जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री मदन चौहान की गौतमबुद्ध नगर के नोयडा के ग्राम बिशुनपुरा, से0-58 में दीवार गिरने से हुई मौत की जांच व मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के अम्बेडकर ग्राम के लिए चयनित पैना बुजुर्ग में आर0सी0सी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ स्थित मेहनगर में 132 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की सचिवालय प्रशासन विभाग में बाहरी कर्मचारियों को हटाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद के मिल्कीपुर-अमानीगंज क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की आवास एवं विकास परिषद् के अधीन सम्पत्ति अधिकारी देहरादून द्वारा की गयी लाखों की धोखाधड़ी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के बल्दीराय ब्लाक के सरकारी जूनियर हाई स्कूल बहुरावां में सभी मानक पूर्ण होने के बाद भी हाई स्कूल में उच्चीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह की पूर्वी उत्तर प्रदेश में एफ0एम0डी0पी0सी0पी0 के अन्तर्गत पशुओं में हो रहे खुरपका एवं मुंहपका बीमारी का इलाज निःशुल्क कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल की नगर पालिका परिषद्, सिद्धार्थनगर में बिजली के जर्जर खम्भों को बदले जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा को सूखाग्रस्त जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की

सी0एम0एस0डी0 स्टोर, आजमगढ़ में तैनात चीफ फार्मासिस्ट द्वारा किये जा रहे सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की लखनऊ के ग्राम मुन्शीगंज में दबंगों द्वारा सरकारी चकरोड व पक्की नाली पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री काशीराम की इलाहाबाद में ग्राम भड़ेवरा में प्रधान द्वारा स्कूल की जमीन पर पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तरहवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की बुन्देलखण्ड को मिल रहे आर्थिक पैकेज का लाभ वारा, मेजा तथा कोरांव तहसील को भी दिये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के बावजूद भी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर के ग्राम बदनौरा स्थित आश्रम पद्धति द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षण सुचारु रूप से चलाये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम में हो रहे जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की पशुपालन विभाग में दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है। बाइसवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की अलीगढ़ स्थित हिन्द एग्रो पशु वधशाला में किये जा रहे अवैध पशुओं के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह की कन्नौज के ग्राम निजामपुर स्थित पशु चिकित्सालय में स्टाफ की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता लखनऊ स्थित नवयुग कन्या विद्यालय के प्राइमरी विभाग में रिक्त सहायक अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की प्रदेश में नील गायों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सूचना श्री मदन भैया की गाजियाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में आवास विकास परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मिलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की इलाहाबाद के थाना झूंसी में फर्जी नामजद मुल्जिम अरूणेन्द्र यादव पुत्र स्व0 मोहन लाल की सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तीसवीं सूचना श्री विश्वनाथ सिंह जनपद कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्र की नहरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की भगवती प्रसाद पाण्डेय, उ0 मा0 विद्यालय, टिकुर, सिद्धार्थनगर के अध्यापकों को बिना विनियमितीकरण किये ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है। इकत्तीसवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की सीतापुरवा के पंचमपुरवा के फर्जी नामजद मुकदमें के आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम भरोसे की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद की मलिन बस्तियों को डूडा इलाहाबाद द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। तैंतीसवीं सूचना श्री अशोक सिंह की रायबरेली के सरैनी क्षेत्र में रजबहों में पानी न आने एवं विद्युत सप्लाई न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौंतीसवीं

सूचना श्री विवेक कुमार सिंह की यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 की सतर्कता शाखा में नियुक्त पुलिस अधीक्षक की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतीसवीं सूचना श्री कौकब हमीद खां की बागपत में विद्युत मांग के सापेक्ष 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन लगाये जाने के सम्बन्ध में है। छत्तीसवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत में जिला योजना वर्ष 2009-2010 में प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत मार्गों के लिए धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है। सैंतीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु बंद पड़ी पानी की टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। अड़तीसवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कर्मचारियों को पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन न मिलने के सम्बन्ध में है। उन्तालीसवीं सूचना चौ0 सत्यपाल सिंह की जनपद मेरठ के थाना सरूरपुर के थानाध्यक्ष को तत्काल हटाये जाने के सम्बन्ध में है। चालीसवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की जनपद रायबरेली में अतरेहटा चन्दरपुर मार्ग तथा हैदरगढ़ महाराजगंज पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्तालीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह (सीपू) की मऊ स्थित मोहासों मोड़ से रेलवे क्रासिंग तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बयालीसवीं सूचना श्री लालजी यादव की जनपद सिद्धार्थनगर सूपा चेतिया मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। तैंतालीसवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा सोसायटी के नाम भूमि होने पर एन0ओ0सी0 जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है। चवालीसवीं सूचना श्री भोला पासवान की पशुधन विभाग के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय प्रतापगढ़ में कार्यरत स्व0 श्याम लाल शर्मा स्टाफ मैन के आश्रित को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतालीसवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर में नेशनल हाई-वे-58 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा किसानों को शासन के नीति के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में है। छियालीसवीं सूचना श्री सुल्तान बेग की जनपद बरेली के ग्राम कपूरपुर के पास रामगंगा पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सैंतालीसवीं सूचना श्रीमती प्रेमलता कटियार की जनपद शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शासनादेशों के विरुद्ध महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। अड़तालीसवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की विधायक डा0 आर0 ए0 उस्मानी को धमकी देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। उन्चासवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर की तहसील मनिहारान के ग्राम ननौता के राजस्व अभिलेखों में किये गये फेरबदल की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पचासवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में है। इक्यावनवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत रामकोला में दिये गये क्लर्क के पद पर गलत नियुक्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बावनवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम सरैया आराजी नं0 195 पर दबंगों द्वारा अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तिरपनवीं सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की लखीमपुर-बहराइच मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौवनवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की उ0 प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड गोण्डा के अवमुक्त किये गये सरकारी धन के वापस न होने एवं सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। पचपनवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता

की पराग डेरी व अन्य दुग्ध क्रय केन्द्रों द्वारा किसानों से क्रय किये गये दुग्ध का भुगतान न किये जाने के के सम्बन्ध में है। छप्पनवीं सूचना श्री जावेद अन्सारी की जौनपुर स्थित छबीलेपुर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तावनवीं सूचना श्री विनोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजना अन्तर्गत लखपेड़ा से पुरमई सुल्तानपुर तक हुये सड़क निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठानवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर-शामली रोड स्थित पीमना बाईपास के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्सठवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा स्थित जमुना किनारे कैलाश मंदिर के पास शमशान घाट बनाने व टिन शेड व बेंच आदि लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। साठवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जनपदों में स्थापित मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र पर रिक्त पड़े मनोवैज्ञानिकों के पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। इकसठवीं सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की फतेहपुर जनपद में पेयजल की समस्या को देखते हुए 500 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है। बासठवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत हापुड़ रोड स्थित पशुवधशाला से हो रहे जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु तत्काल बंद कराये जाने के सम्बन्ध में है। तिरसठवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर घण्टा घर से कपूरगंज जाने वाली सड़क के निर्माण के दोषी ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों से धन वसूली की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौसठवीं सूचना श्री दीप नारायण सिंह की झांसी स्थित एर चुंगी से लेकर खेर इण्टर कालेज तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंसठवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद लखनऊ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत होने से घी एवं तेल में हो रही मिलावट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छाछठवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की कुशीनगर अन्तर्गत देवराडपिरा में गंडक नदी पर बन्द पड़े निर्माणाधीन पुल को प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है। सड़सठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। अड़सठवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की बांदा के मोहल्ला भवानीपुरवा के रवीन्द्र प्रसाद पुत्र राम सहायक को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्हत्तरवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद बागपत के बरनावां क्षेत्र स्थित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तरहवीं सूचना श्री विमलेश सिंह की जनपद गाजियाबाद के ग्राम औरंगाबाद निवासी दिनेश मेहरा व श्री यशवीर सिंह को शस्त्र लाइसेन्स प्राथमिकता पर निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है। इकत्तरहवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जनपद लखनऊ स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन रक्षक औषधि निर्माण इकाई, कानपुर रोड, नादरगंज को बन्द होने से बचाये जाने के सम्बन्ध में है। बहत्तरहवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पूरपुर में बांध वाली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तिहत्तरहवीं सूचना श्री सुखलाल की जनपद लखनऊ के थाना नाका के थानाध्यक्ष द्वारा दलित श्री किशोर वर्मा का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। चौहत्तरवीं सूचना श्री माधव पासवान की जनपद गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जर्जर लकड़ी के विद्युत पोल को बदले जाने के सम्बन्ध में है। पचहत्तरवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद

की उत्तर प्रदेश अधिसूचना विभाग में कार्यरत जनपद लखनऊ के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी पद पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति न होने के सम्बन्ध में है।

प्रदेश के कारागार विभाग में जेल अधीक्षकों/जेलरों की पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

डा0 वकार अहमद शाह, मा0 सदस्य, विधान सभा ...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा प्रदेश के कारागार विभाग में जेल अधीक्षकों/जेलरों की पदोन्नति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन दिनांक 3-8-2009 को निम्नानुसार सूचना दी गयी है :-

"उत्तर प्रदेश में कारागार विभाग के जेल अधीक्षकों/जेलरों की पदोन्नति काफी दिनों से प्रभावित है जिससे कारागारों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और आये दिन घटनायें जेलों में हो रही हैं, पदोन्नति प्रक्रिया को विभागीय अधिकारियों द्वारा जानबूझ करके लम्बित रखा गया है इसके कारण कारागार विभाग में तैनात लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। बार-बार शासन एवं प्रशासन को लिखा गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है यह एक बहुत ही गम्भीर लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु वक्तव्य देने की मांग करता हूं।"

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कारापाल (जेलर) के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं जिनका पोषक संवर्ग उप कारापाल है। जेल अधीक्षक के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु कारापाल पोषक संवर्ग है। कारापाल तथा अधीक्षक कारागार के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही उप कारापाल/कारापाल की संयुक्त अविवादित वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। उप कारापाल/कारापाल की एक ही संयुक्त वरिष्ठता सूची होती है। कारापाल के पदों पर शासन स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है। अधीक्षक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारागार के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 के माध्यम से होती है जिसके लिए अधियाचन शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है।

3-कारापालों/उप कारापालों की वरिष्ठता को रिट याचिका संख्या-22919/99 रीबन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-1529 (एसबी)/2002 एस0सी0 शौरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य द्वारा चुनौती दी गयी थी। उक्त रिट याचिकाओं में पारित स्थगन आदेशों के कारण पदोन्नति की कार्यवाही बाधित थी। रिट याचिका संख्या-22919/99 रीबन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2-12-2002 को निर्णीत की गयी तथा रिट याचिका संख्या-1529 (एसबी)/2002 एस0सी0 शौरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6-5-2008 को निर्णीत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में कारापालों/उप कारापालों की अन्तिम वरिष्ठता सूची उनके नियुक्ति प्राधिकारी महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिनांक 2-12-2008 को जारी की गयी है।

4-कारापालों/उप कारापालों की दिनांक 2-12-2008 को जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्तमान में कारापाल के कुल 35 रिक्त पदों तथा अधीक्षक कारागार के 29 रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के परामर्श से कतिपय कमियों/विसंगतियों का निराकरण कराने हेतु संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश महानिरीक्षक कारागार को दिये गये हैं। कमियों/विसंगतियों का निराकरण कराते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार कारापाल के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी और अधीक्षक कारागार के पदों पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा जायेगा।]

जनपद लखीमपुर के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद लखीमपुर खीरी विकास खण्ड ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

I बांकेगंज के ग्राम अलीगंज में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र के रुके निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का चयन कर

नोट :_[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भूमि अधिग्रहीत कर ली गयी है। उपकेन्द्र का निर्माण किसी प्रचलित योजना के अन्तर्गत चयनित नहीं था तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने संसाधनों से उपकेन्द्र का निर्माण कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में वित्तीय संसाधन की कमी के कारण निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी। वर्तमान में उपकेन्द्र निर्माण हेतु निविदा निस्तारित कर एग्रीमेन्ट कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य लगभग छः माह में पूर्ण होने की संभावना है।]

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम जेवई में आबकारी विभाग में अधिकारियों द्वारा की गई फायरिंग में मृतका श्रीमती सेवकहीन के परिवार एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा निर्दोषों पर फायरिंग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आबकारी मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी ...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

। उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्य नियमित रूप से किया जाता है तथा विशेष प्रवर्तन अभियान प्रायः चलाये जाते हैं और दोषियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम/भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा एरिया में भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्ठियां चलाने व अवैध शराब की बिक्री होने सम्बन्धी शिकायती पत्र दिनांक 20-7-09 को प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 को निर्देशित किया गया। संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 के नेतृत्व में दिनांक 22-7-09 को आबकारी विभाग के दो उप आबकारी आयुक्त एक सहायक आबकारी आयुक्त, 8 आबकारी निरीक्षक तथा लगभग 35 आबकारी सिपाहियों का दल गठित कर 7 वाहनों से शिकायती-पत्र में उल्लिखित स्थलों पर जनपद प्रतापगढ़ में दबिश डाली गई। इसी क्रम में ग्राम जेवई, थाना लालगंज में दबिश डाली गई। संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 की आख्यानुसार दबिश में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई तथा अवैध शराब की भट्ठियां व महुआ लहन बरामद किया गया एवं चार अभियुक्त अभिरक्षा में लिये गये। इस कार्यवाही के दौरान ग्राम के असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं को शामिल करते हुए आबकारी स्टाफ पर पथराव किया गया तथा लाठी, डंडों से हमला बोल दिया गया। इन लोगों द्वारा चारों अभियुक्तों को छुड़ा लिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया तथा जब्त की गई अवैध शराब की अधिकतर मात्रा को जमीन पर फैला दिया गया। इस भीड़ जिसमें अधिकतर महिलायें थीं, द्वारा विभागीय वाहनों में तोड़ फोड़ भी की गई। इन परिस्थितियों में आबकारी की टीम मौके से वापस आ गई। जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा इस प्रकरण की सूचना जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दूरभाष पर दी गई। साथ ही साथ उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार, जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोतवाली लालगंज में मु0अ0सं0 281/09, धारा-147/332/363/336/427 आई0पी0सी0 एवं क्रिमिनल ला ऐक्ट दिनांक 22-7-09 जमनी पत्नी धनी, नन्हेलाल पुत्र कल्लू पासी, जलवरसी पत्नी सेवक तथा बड़कू पत्नी श्यामलाल व गांव के लोग आदि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

2-यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ की संयुक्त आख्या संख्या-2677/शिविर/2009/दिनांक 23-7-09 के अनुसार दिनांक 23-7-09 को उक्त ग्राम की एक महिला सेवकाइन, पत्नी मतई की मृत्यु होने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई, जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा आरोप लगाया गया कि मृतका सेवकाइन की आबकारी टीम में से किसी ने धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और देर रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में मृतका के पति मतई सुत डाका द्वारा भी कोतवाली लालगंज में श्री राजेन्द्र कुमार, जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ व उनके साथी के विरुद्ध मु0अ0सं0 281ए/09, धारा-147/148/304/307 आई0पी0सी0 व 3(2) एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट दिनांक 23-7-09 को पंजीकृत कराया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम हो चुका है। इस प्रकरण में दर्ज दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विवेचना प्रचलित है तथा वर्तमान में स्थिति सामान्य बतायी जा रही है।

जनपद कुशीनगर स्थित जे0 आर0 आर्गेनिक्स लिमिटेड इकाई डिस्टलरी, कप्तानगंज के मजदूरों का वेतन एवं अन्य बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री शम्भू चौधरी मा0 विधायक द्वारा ...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज में स्थित जे0आर0 आर्गेनिक्स लि0 इकाई के द्वारा मजदूरों का वेतन, बोनस, मेडिकल एलाउंस, अतिरिक्त कार्य भत्ता, गर्म कपड़े, सेवानिवृत्ति एवं मृत श्रमिकों का बकाया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्रेच्युटी तथा फण्ड एवं सन् 2006 से श्रमिकों के वेतन से कटे पी0एफ0 एल0आई0सी0 की रकम को उनके सम्बन्धित कार्यालयों में न भेजकर व्यक्तिगत लाभ लिया गया है। आर्थिक तंगी के चलते दो श्रमिकों श्री विक्रम सिंह व जवाहर लाल की असामायिक मृत्यु हो चुकी है। मिल प्रबंधन द्वारा श्रमायुक्त के द्वारा कराये गये समझौते का भी अनुपालन नहीं कराया जा रहा है।

श्रमायुक्त कानपुर/उप श्रमायुक्त, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रतिष्ठान में विगत दो वर्षों से कच्चे माल की आपूर्ति न होने के कारण उत्पादन कार्य रुक-रुक कर होता रहा है। अक्टूबर, 2008 तक के वेतन का भुगतान सेवायोजक द्वारा किया गया है। सेवायोजकों को शेष वेतन भुगतान हेतु पत्र भी भेजे गए तथा वार्ता भी करायी गयी। सेवायोजकों द्वारा यह बताया गया कि प्रतिष्ठान में उत्पादन विगत सात माह से बन्द है मुख्यालय को वेतन भुगतान हेतु पत्र लिखा गया है। धनराशि प्राप्त होते ही श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान न होने पर श्रमिकों को यह परामर्श दिया गया कि वे अपने बकाये वेतन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें जिससे कि नियमानुसार वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। श्रमिकों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप श्रम प्रवर्तन अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 27-7-09 के आधार पर सेवायोजकों के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम 1978 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कारण बताओं नोटिस दिनांक 29-7-2009 को भेजी गयी है जिसमें दिनांक 10-8-2009 की तिथि सेवायोजकों के जवाब हेतु नियत है। भुगतान न होने की स्थिति में सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम 1978 सपठित नियमावली 1981 की धारा-6 के उल्लंघन हेतु सेवायोजकों के विरुद्ध, "कारण बताओ नोटिस" दिनांक 1-8-09 को जारी किया गया है।

ग्रेच्युटी के भुगतान के आठ मामले पेमेंट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट 1972 की धारा-4(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं, जिसमें श्रमिकों के साक्ष्य हेतु अग्रिम तिथि 11/17-8-09 निर्धारित है।

आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण एल0आई0सी0 का प्रीमियम प्रतिष्ठान के खाते में जमा है। वह सेवायोजक किश्तों में जमा करेंगे जो पालिसी लैप्स कर गयी हैं उनके पुनः संचालन के लिए श्रमिकगण रिवाइवल फार्म भरेंगे और सेवायोजक प्रत्येक माह में लगभग 08 श्रमिकों का प्रीमियम मय ब्याज के जमा करके पालिसी का संचालन प्रारम्भ करा देंगे। भविष्य निधि में श्रमिकों का अवशेष अंशदान सेवायोजकों द्वारा शीघ्र जमा करा दिया जायेगा। सेवायोजक तथा डिस्टलरी मजदूर संघ कप्तानगंज के साथ इस आशय का समझौता दिनांक 21-11-2008 को हुआ है।]

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम/निगम यू0पी0 डेस्को द्वारा अपने कर्मचारियों को पंचम वेतन का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य विधान सभा ...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 03-8-2009 को दी गई सूचना जिसमें उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को), लाभ में है, इसमें कोई संचित घाटा नहीं है तथा सरकार को लाभांश भुगतान करने के उपरान्त भी पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है।

उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को), लखनऊ की स्थापना वर्ष 1977 में बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर नियोजन विभाग के अधीन की गई थी। वर्ष 1998 से यह निगम सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत है। यह निगम वर्ष 2000-01 तक घाटे में रहा है तथा इसमें संचित हानि वर्ष 2003-04 में समाप्त हुई है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के लिए शा0 सं0-607/44-1-2007/16उवेरि/97 दिनांक 22-6-2007 द्वारा यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि निगमों में पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार तभी पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर विचार किया जायेगा, जबकि प्रश्नगत निगम/उपक्रम में संचित घाटा न हो, वह लाभ अर्भित कर रहा हो एवं सरकार को लाभांश भी अदा कर रहा हो। यह उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य करने की स्थिति में आने वाले व्यय का वहन यूपीडेस्को द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से किया जाना है।

वर्तमान में यूपीडेस्को लाभ में है इसका संचित घाटा वर्ष 2003-04 में समाप्त हो गया है, यूपीडेस्को द्वारा सरकार को 2 वर्ष का लाभांश भुगतान (वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09) माह फरवरी, 2009 में किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के उक्त शासनादेश के अधीन निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले उपक्रम/निगमों में पंचम वेतनमान दिये जाने पर विचार किया जाना है। यूपीडेस्को द्वारा माह फरवरी 2009 में निर्धारित समस्त शर्तें पूर्ण की गई हैं। यूपीडेस्को को पंचम वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।]

मेसर्स रिलायंस एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड को दी गयी हजारों एकड़ भूमि वापस लेने व सरकार द्वारा गैस आधारित पावर प्लांट स्वयं लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन प्राप्त हो गया है इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा क्षेत्र सेवरही ...

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनपद-कुशीनगर की नहरों में पानी न होने तथा सूखे से किसानों की तैयार नर्सरी की रोपाई नहीं हो पा रही है तथा जो रोपाई हुई है वह सूख रही है। परसौनी राजवाहा से सम्बन्धित कोईन्दी राजवाहा, माधोपुर माइनर, भटवलिया माइनर, गाजीपुर माइनर, हरिहरपुर माइनर, डिवनी माइनर, रामपुर माइनर, परसौनी माइनर तथा भगवानपुर राजवाहा, तुलसी पट्टी माइनर, माल्हों माइनर, भावपुर माइनर, कोटवा माइनर तथा हफुआ माइनर आदि में सिल्ट की सफाई नहीं हुई है एवं पानी न आने से सूखी पड़ी है। चीफ शाखा से निकले राजवाहा व माइनर में पानी न छोड़े जाने से किसानों के धान की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

<u>कृत कार्यवाही की आख्या :-</u>

अभिकथित नहरें गण्डक नहर प्रणाली की नहरें हैं, जो जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में स्थित है। चाफ शाखा, परसौनी राजवाहा तथा भगवानपुर राजवाहा में जल की आपूर्ति मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के माध्यम से होती है तथा यह नहरें मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के क्रमशः कि0मी0 97.73, कि0मी0 117.20 तथा कि0मी0 118.3 से निकलती है। वर्तमान में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर जो कि जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है सिल्ट से पटी होने के कारण अपने निर्धारित क्षमता के सापेक्ष लगभग आधी क्षमता से ही चल पाती है जिसके कारण इन पोषित होने वाली नहरों को वांछित मात्रा में जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार चाफ शाखा, परसौनी राजवाहा तथा भगवानपुर राजवाहा भी सिल्ट से पटी होने के कारण अपनी निर्धारित क्षमता से अत्यन्त कम जल ले पाती है। जिसके कारण उनसे पोषित होने वाली माइनरों में वांछित मात्रा में जलापूर्ति एवं टेल फीडिंग नहीं हो पाती है। गण्डक नहर परियोजना की नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रु0 132.97 करोड़ के अन्तर्गत इन नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना वित्तीय पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित है तथा वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परीक्षणाधीन है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रबी फसली के पूर्व भगवानपुर राजवाहा में विभागीय धनराशि से हेड से 7.00 कि0मी0 तक सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया था। जिला पंचायत के माध्यम से कोइन्दी माइनर में हेड से टेल तक कार्य कराया गया था। इस खरीफ फसली में चाफ शाखा में हेड से 1.00 कि0मी0 तक आंशिक रूप से क्यूनेट में सफाई कार्य कराया गया था जिससे कि भगवानपुर राजवाहा एवं चाफ शाखा की नहरों में आंशिक रूप से पानी पहुंचाया जाना संभव हो सका है परन्तु समस्या का पूर्ण निराकरण मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर, चाफ शाखा, परसौनी राजवाहा तथा भगवानपुर राजवाहा के क्षमता पुनर्स्थापना कार्यों जो कि गण्डक नहर क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है के कराये जाने पर हो सकेगा।]

प्रदेश की जिलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गई मजदूरी का भुगतान न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन प्राप्त हो गया है इसलिए इसे स्थगित किया जाता है।

प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग व हार्टिकल्चर विभाग द्वारा सुविधा की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्री प्रदीप माथुर द्वारा सुविधा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री को वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्थगन प्राप्त हो गया है इसलिए इस स्थगित किया जाता है।

खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र व सुविधाओं से वंचित रखने के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

श्री शम्भू चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना चाही गयी है कि जनपद कुशीनगर में खरवार जाति के व्यक्तियों को अकारण परेशान किया जा रहा है जिससे खरवार जाति के व्यक्तियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा न तो विद्यालय में नामांकन हो पा रहा है और न ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्य आरक्षण का लाभ मिल रहा है जब कि खरवार

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाति के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए तमाम शासनादेश भी समय-समय पर जारी होते रहे हैं किन्तु कुशीनगर के (अधिकारी) तहसीलदारों, कानूनगो एवं लेखपालों द्वारा खरवार जाति का जाति प्रमाण-पत्र व अन्य सुविधाओं से वंचित रख लगातार ढाई वर्षो से परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। जिससे खरवार जाति (समाज) का काफी क्षति हो रही है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर खरवार जाति का जाति प्रमाण-पत्र जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर निर्गत किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।]

जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ में बने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों को स्टाफ नर्सों को आवंटित किये जाने सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री दुर्गा प्रसाद यादव .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा दिनांक 04-08-2009 को उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि जिला महिला अस्पताल, आजमगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए सरकारी आवास बने हैं, जिसमें यह कर्मी रह रहे हैं, परन्तु उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों को स्टाफ नर्सों के नाम से अनाधिकृत रूप से आवंटित कर दिया गया है, जबकि उसी प्रांगण में स्टाफ नर्सों के लिए अलग से आवास बने हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को परेशान किया जा रहा है इससे इन लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से तत्काल वक्तव्य देने एवं अनाधिकृत रूप से आवंटन करने वाले लोगों को दण्डित किए जाने की मांग की गयी है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 06-08-2009 द्वारा अवगत कराया है कि जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवासों में से क्रमशः टाइप-2 के 18 (अठारह आवास) तथा टाइप-1 के 24 (चौबीस आवास) निर्मित हैं।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टाइप-2 के सभी 18 आवास अनुमन्य श्रेणी के कर्मियों को आवंटित हैं और वर्तमान में सभी आवास भरे हुये हैं। टाइप-1 श्रेणी के 24 आवास चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए निर्मित है, जिसमें से 20 आवास चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की मांगों के क्रम में आवंटित किये गये हैं। वर्तमान में आवास आवंटन हेतु किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है तथा उक्त आवंटित आवासों में से 01 आवास दिनांक 03-08-2009 को सम्बन्धित कर्मी द्वारा खाली कर दिया गया है। उक्त आवास अभी भी रिक्त है। शेष 04 बचे हुए आवासों को चिकित्सालय के आकस्मिक सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में कार्यरत 03 उपचारिकाओं व एक चीफ फार्मासिस्ट को आवंटित कर दिया गया है, जिसे भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के लिए आवश्यकता पड़ने पर उक्त आवास रिक्त करा लिया जायेगा।]

वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत भवनों के गृहकर जी0आई0एस0 आकाशीय सर्वे द्वारा कई गुना रेट बढ़ाकर बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना जाय)

श्री लालजी वर्मा-

[मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 03-08-2009 को प्रदत्त सूचना के अनुसार वाराणसी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत भवनों के गृहकर का (जी0आई0एस0) आकाशीय सर्वे द्वारा कई गुना रेट बढ़ाकर नगर निगम के सदन की स्वीकृति के बिना अनाप-शनाप बिल दिये जा रहे हैं। इस प्रणाली को समझने के लिए नगर निगम के पास कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। इस कारण भवन स्वामियों में आपा धापी मची है। विषय की जांच कराने और गृहकर एवं जलकर स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत ही वसूल किये जाने के निर्देश दिये जाने की मांग मा0 सदस्य द्वारा की गयी है।

नगर निगम, वाराणसी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले प्रदेश के वाराणसी को सम्मिलित करते हुए 6 बड़े शहरों में लागू की गई भारत सरकार की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत अनिवार्य राज्य स्तरीय सुधारों में जी0आई0एस0 से

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य कराये जाने की स्वीकृति शासन के अर्द्धशासं0 पत्र-संख्या-2030/नौ-6-2006-113सा/2006 दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रणाली में सम्पत्ति कर 'यूजर चार्जेज' एवं दोहरी लेखा प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु अरबन रिफार्म इन्सेन्टिव फण्ड योजना (यूरिफ) योजना में वाराणसी, नगर निगम को शासन के पत्र संख्या-184/नौ-5-2006-247सा/2002टी0सी0 दिनांक 5-01-2006 द्वारा जी0आई0एस0 कार्य हेतु रु0 75.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु0 35.00 लाख एवं कम्प्यूटराइजेशन के लिए स्वीकृत रु0 40.00 लाख के सापेक्ष रु0 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। प्राप्त धनराशि से आमंत्रित किये गये टेण्डर के आधार पर मे0 विकास इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट, गोरखपुर को इस कार्य का आदेश देकर इस प्रणाली को क्रियान्वित कराया गया है। जी0आई0एस0 प्रणाली को नगर निगम में लागू करने के लिए नगर निगम के सदन से दिनांक 04-08-2007 को स्वीकृति प्राप्त की गई है। नगर निगम की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को यू0एन0डी0पी0 भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इस कारण मा0 महापौर के अनुमोदन से उक्त फर्म के देयको का भुगतान भी किया जा चुका है।

जी0आई0एस0 प्रणाली के माध्यम से नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर में सुधार, सभी सम्पत्तियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करना, और मैपिंग तथा कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य किया जाता है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2008-09 से ही सम्पत्ति कर से सम्बन्धित बिलों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2008-09 में कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर 3898 भवन स्वामियों द्वारा गृहकर के रूप में रु0 40,68,187/- की धनराशि जमा भी की गई है।

नगर निगम की सीमान्तर्गत आवासीय भवनों पर देय सम्पत्ति कर की स्वकर प्रणाली सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1449/9-9-2000-63ज/95टी0सी0 दिनांक 24 अप्रैल, 2000 के प्रस्तर-5 में प्राविधानित है कि दो वर्ष के अन्तराल पर एक बार प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रतिवर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराये की दर निर्धारित करेगा, ऐसे किराये की दर निर्धारित करने में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के परियोजना हेतु सम्बन्धित जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दरों को ध्यान में रखेगा। सम्पत्ति कर की जी0आई0एस0 प्रणाली एवं स्वकर निर्धारण प्रणाली प्रकारान्तर रूप से एक ही है। स्वकर प्रणाली एवं नगर निगम, वाराणसी की सीमा के अन्तर्गत भवनों के सम्पत्ति कर के बारे में उक्त स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत सम्पत्ति कर का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार भवन स्वामी द्वारा अपनी सम्पत्ति का वास्तविक स्वकर निर्धारित किया जाता है। यदि भवन स्वामी द्वारा वास्तविक मूल्यांकन किया गया है तो जी0आई0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित किये गये गृहकर में कोई अन्तर नहीं आयेगा किन्तु यदि भवन स्वामी द्वारा वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया हो तो जी0आई0एस0 प्रणाली के अनुसार किये गये वास्तविक मूल्यांकन के कारण निश्चय ही कर की धनराशि में भिन्नता आ

जायेगी। इस प्रकार इस प्रणाली से भवनों के सम्पत्ति कर का वास्तविक मूल्यांकन किया जा रहा है, और अभी तक कुल जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर 71300 भवन स्वामियों के निर्गत बिलों के कर से नगर निगम को 80.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित हुई है।

जी0आई0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत भेजे गये सम्पत्ति कर के बिलों में भिन्नता होने पर भवन स्वामियों को उसके सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई या आपत्ति हो तो उसके तात्कालिक निराकरण के लिए कम्प्यूटर सेल स्थापित किया गया है, जिसमें योग्य कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं, जो बिलिंग की त्रुटियों का निराकरण करने में पूर्ण सक्षम है। तद्नुसार उनके द्वारा उक्त कार्य संचालित किया जा रहा है।

विदित है कि जी0आई0एस0 प्रणाली जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के राज्य स्तरीय सुधारों के अन्तर्गत शासन की सहमति और नगर निगम के सदन की स्वीकृति के उपरान्त प्राधिकृत एवं प्रतिष्ठित फर्म द्वारा इसे नगर निगम, वाराणसी में लागू किया गया है, इस प्रणाली से नगर निगम की आय में वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त धनराशि से जन सामान्य को अधिकधिक मूल भूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

अतएव जी0आई0एस0 प्रणाली नगर निगम एवं जन सामान्य के हित में है।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुदानित योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट के वितरण में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना जाय)

श्री लालजी वर्मा-

[की योजनान्तर्गत वर्ष 2008-2009 में रु0 65.00 करोड़ की बजटीय व्यवस्था के माध्यम से झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल के समस्त जनपदों में कुल 10826 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जनपद	लक्ष्य		पूर्ति		अभ्युक्ति
		भौतिक लक्ष्य (सं0)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	झांसी	1842	1105.98	1347	740.89	
2	जालौन	2072	1244.10	1467	838.56	
3	ललितपुर	1382	829.72	185	97.41	
4	चित्रकूट	1152	691.60	922	489.38	
5	बांदा	1842	1105.97	692	364.02	
6	हमीरपुर	1612	967.85	1519	599.05	
7	महोबा	924	554.78	905	389.09	
	योग :-	10826	6500.00	7037	3518.40	

स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर सेट डिलवरी पाइप (एच0डी0पी0ई0 पाइप) एवं पम्पसेट/प्राइम मूवर रु0 65000 औसत दर पर उपलब्ध कराया गया है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी कृषकों को शासकीय व्यय पर तथा सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। स्प्रिंकलर सेट के विभिन्न अवयवों एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप की दरें निविदा प्राप्त कर स्वीकृत की गयी है। चयनित फर्मों में से अपनी स्वेच्छा से किसी एक फर्म से निर्धारित दरों पर स्प्रिंकलर सेट एवं डिलवरी पाइप कृषकों द्वारा स्वयं क्रय किया गया है। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के एक अवयव के रूप में आई0एस0आई0 मार्क अधिकतम 10 हार्सपावर एक पम्पसेट का क्रय कृषक/कृषक समूहों द्वारा अपनी पसन्द की फर्म/कम्पनी से योजना में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत किया गया। पम्पसेट की हार्सपावर तथा अन्य विशिष्टियों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया है।

योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना हेतु लाभार्थी चयन एवं अनुदान भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है :-

क-लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठकों में कराया गया है जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित कर्मचारियों के सहयोग से ग्राम पंचायतवार लाभार्थी कृषकों की सूची तैयार की गयी है एवं इसे विकास खण्डवार संकलित किया गया है।

ख-विकास खण्डवार संकलित सूची पर उपलब्ध जलस्रोत/सिंचाई साधनों की क्षमता की पुष्टि सम्बन्धित विकास खण्डों के अवर अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग द्वारा करायी गयी है।

ग-ग्राम पंचायतवार/विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण एवं चयनित लाभार्थियों की सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया गया है।

घ-स्प्रिंकलर सेट, डिलवरी पाइप एवं पम्पसेट का क्रय कृषक/कृषक समूहों द्वारा सीधे कम्पनी/फर्म द्वारा किया गया है तथा अनुदान की धनराशि कृषकों के बैंक खाते में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

कृषि विभाग एवं सप्लाई करने वाली एजेन्सी/डीलरों की सांठगांठ से पुराने तथा आगरा एवं कानपुर के निर्मित बिना आई0एस0आई0 मार्क के 8 हार्सपावर के डीजल इंजन लाल-हरे करके तथा एच0डी0पी0ई0 पाइप हजारों किसानों को वितरित करने का आरोप निराधार है। इस विषय में यह भी अवगत कराना है कि कार्ययोजना में एच0डी0पी0ई0 पाइप/स्प्रिंकलर सेट जिस फर्म/कम्पनी से लाभार्थियों द्वारा अपनी स्वेच्छा से क्रय किये गये हैं, मान्य दर का निर्धारण नियमानुसार निदेशालय स्तर पर टेण्डर आमंत्रित कर शासन की सहमति/स्वीकृति के उपरान्त जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त लाभार्थियों द्वारा जो पम्प सेट क्रय किये गये हैं उसके लिए विशिष्टियों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है। कृषक/कृषक समूहों को किसी भी जनपद के किसी भी फर्म से 10 हार्सपावर तक आई0एस0आई0 मार्क का पम्पसेट क्रय करने हेतु स्वतंत्र रखा गया है। स्प्रिंकलर सेट डिलीवरी पाइप एवं पम्पसेट का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन भी कराया गया है।

जहां तक कैशमेमो की रसीद के आधार पर वियरर सादे चेक लाभार्थियों से लिये जाने का प्रश्न है, इस विषय में अवगत कराना है कि कृषकों ने अपनी स्वेच्छा से किसी एक फर्म/कम्पनी से स्प्रिंकलर सेट, डिलीवरी पाइप एवं पम्पसेट स्वयं क्रय कर फर्म/कम्पनी को भुगतान किया गया है। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को वियरर चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से भुगतान करने हेतु योजनान्तर्गत स्वतंत्र है। लाभार्थी द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा नियमानुसार भौतिक सत्यापन कर लाभार्थी कृषक/कृषक समूह के बैंक खाते में एकाउन्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से देय अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। टैक्स की इनवाइस की रसीद, टिन नम्बर सहित ली गयी है।

जनपद बांदा में कुल 692 स्प्रिंकलर सेटों का वितरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	कृषक/कृषक का विवरण	संख्या
1	अनुसूचित जाति/जनजाति	241
2	लघु/सीमान्त कृषक	393
3	सामान्य जाति	58
	योग :-	692

जिलाधिकारी, बांदा द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि पम्पसेट का क्रय, कृषक अपनी स्वेच्छा से किसी भी आई0एस0आई0 मार्क फर्म से करके अधिकतम रु0 25000.00 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह बाजार दर से अन्तर की बात निराधार है। अवर अभियन्ता,

लघु सिंचाई विभाग द्वारा सत्यापित जलस्रोतों के आधार पर ही कृषक चयन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किया गया है। डीलरों से सांठ-गांठ का आरोप निराधार है, क्योंकि कृषकों द्वारा स्वयं अपनी स्वेच्छा से ही क्रय किया गया है।

जहां तक डीजल इंजन एवं पाइपों में बाजार दर 10-12 हजार रुपये के अन्तर का प्रश्न है, के विषय में अवगत कराना है कि लाभार्थियों को सम्बन्धित आई0एस0आई0 मार्क फर्मों से क्रय करने हेतु स्वतंत्र रखा गया है। विभाग को कहीं भी क्रय प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः लाभार्थियों द्वारा बाजार मूल्य से अधिक दर पर क्रय किये जाने का औचित्य ही नहीं है। लाभार्थी कृषकों का चयन सम्बन्धित विकास खण्ड के लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा उपलब्ध जलस्रोत/सिंचाई साधनों की क्षमता की पुष्टि के पश्चात् ही किया गया है। योजनान्तर्गत किसी प्रकार के फर्जी नाम पर बिल बाउचर बनाकर भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।]

गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में निजी स्कूलों द्वारा की गयी फीस में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 सदस्य द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में निजी ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[स्कूलों द्वारा फीस में की गयी वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में स्थित सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्ध विद्यालयों में की गयी शुल्क वृद्धि के विरोध में छात्रों एवं अभिभावकों में व्याप्त रोष एवं विरोध की भावना के दृष्टिगत इस समस्या से सम्बद्ध समस्त पहलुओं का समयबद्ध अध्ययन कर शासन को समुचित संस्तुतियां उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती बीना कुमारी मीना, राज्य परियोजना निदेशक सभी के लिए शिक्षा परियोजना, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6-5-2009 को लिया गया। समिति की संस्तुतियां शासन को दिनांक 18-5-2009 को प्राप्त हुयी। समिति द्वारा प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रचलित फीस स्ट्रक्चर एवं लिये जा रहे अन्य शुल्कों के औचित्य का परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की गयीं।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-चूंकि प्रकरण छात्रों एवं अभिभावकों की समस्या से जुड़ा हुआ था, अतः राज्य सरकार द्वारा संवेदनशील रुख अपनाते हुए एवं तत्परतापूर्ण कार्यवाही करते हुए राज्य मंत्रि-परिषद् के समक्ष दिनांक 25-6-2009 को ले जाया गया। राज्य मंत्रि-परिषद् के निर्णयोपरान्त प्रदेश स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) में शुल्क निर्धारण एवं नियमन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1719/15-7-09-10 (107)/2006, दिनांक 29-6-2009 निर्गत किया गया। इस शासनादेश द्वारा निजी प्रबन्ध तंत्रों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन की व्यवस्था किये जाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की व्यवस्था निम्नवत् की गयी है :-

(क) जिलाधिकारी, सम्बन्धित जनपद	-	अध्यक्ष
(ख) मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य-सचिव
(घ) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	-	सदस्य
(ङ) मुख्यालय स्थित राजकीय इ0का0 के प्रधानाचार्य	-	सदस्य

उक्त गठित समिति संख्या का शुल्क निर्धारण करते समय यथावश्यक उक्त संस्था में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों प्रतिनिधियों (अधिकतम-दो) को समिति के विशिष्ट सदस्य के रूप में नामित कर सकती है। इस समिति द्वारा जनपद के निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित प्रबन्धतंत्र द्वारा लिये जा रहे शुल्क का निर्धारण/नियमन किये जाने की व्यवस्था की गयी है जो सामान्यतः तीन शैक्षिक सत्रों तक लागू रहेगा।

3-यहां पर यह तथ्य स्पष्ट कर देना प्रासंगिक एवं आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा शुल्क नियमन/निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप ही निजी विद्यालयों द्वारा शासनादेश दिनांक 29-6-2009 को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय में याचिकायें योजित की जा रही है, जिसका शासन की ओर से प्रभावी विरोध किया जा रहा है।

4-निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित विद्यालयों द्वारा शुल्क में की गयी वृद्धि के परिणामस्वरूप अभिभावकों एवं छात्रों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए ही राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त संवेदनशीलता, सजगता एवं तत्परतापूर्ण कार्यवाही की गयी है फिर भी यदि कहीं कोई समस्या अवशेष है तो पीड़ित पक्ष शासनादेश के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष जा सकता है। समिति शासनादेश में उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धान्त के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार शुल्क वृद्धि का सम्यक् समाधान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभिभावकों के शिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु जनपद/स्थानीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय फोरम उपलब्ध करा दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी व्यवस्थान्तर्गत गम्भीरतापूर्वक एवं उच्च स्तरीय विचारोपरान्त शुल्क निर्धारण एवं नियमन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है। छात्र एवं अभिभावकों पर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से आरोपित विभिन्न प्रकार के दबावों

को समाप्त करने हेतु ही राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण एवं नियमन के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है। अतः शुल्क नियमन के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति के अभाव का दोषारोपण राज्य सरकार पर नहीं किया जा सकता है।]

जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर सिचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[सादात, जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23, लालगंज, रजवाहा, जनपद गाजीपुर में खिदिरगंज-मखदूमपुर होते हुए कनेरी टेल तक जाता है, परन्तु उक्त रजवाहे में विगत 5 वर्षों से पानी न आने के कारण किसानों की फसल असिंचित रह जाती है। सिंचाई का अन्य साधन न होने के कारण खेती से उपज न होने के कारण उस क्षेत्र की जनता गांवों से अन्यत्र शहरों की ओर पलायन कर जाती है।

अतः मेरे क्षेत्र की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जनहित में गरीब जनता के जीविकोपार्जन हेतु भूमि सिंचन के लिए शारदा सहायक खण्ड-23, लालगंज, रजवाहा, जनपद आजमगढ़ से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम खिदिरगंज मखदूमपुर होते हुए कनेरी टेल तक पानी पहुंचाने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

कृत कार्यवाही की आख्या :-

जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23, लालगंज रजवाहा, जनपद गाजीपुर में खिदिरगंज-मखदूमपुर होते हुए कनेरी टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लालगंज रजवाहा, शाहगंज शाखा के कि0मी0 25.400 के बांयें बैंक से निकलती है, इसकी कुल लम्बाई, 71.00 कि0मी0 है जो जनपद जौनपुर में कि0मी0 0.00 से 7.60 तक जनपद आजमगढ़ में कि0मी0 7.60 से 61.00 तक एवं जनपद गाजीपुर में कि0मी0 61.00 से 71.00 तक पड़ती है। इस रजवाहा के परिकल्पित हेड डिस्चार्ज 627 क्यूसेक है, वास्तविक डिस्चार्ज 4.00 क्यूसेक है। उपलब्ध पानी के अनुसार विगत पांच वर्षों में पानी टेल तक पहुंचाया गया है। विधान सभा क्षेत्र सादात जनपद गाजीपुर में लालगंज राजवाहा के कि0मी0 61.00 से 71.00 तक

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(खिदिरगंज-मखदूमपुर होते हुए टेल तक) उपलब्ध पानी के अनुसार विगत पांच वर्षों से सिंचाई व टेल तक पानी पहुंचने की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	फसली (खरीफ+रबी) वर्ष	जनपद गाजीपुर में दर्ज की गयी सिंचाई का विवरण (हे0 में)	पानी पहुंचने की स्थिति
1	1412/2004-05	1157	टेल तक
2	1413/2005-06	1111	टेल तक
3	1414/2006-07	966	टेल तक
4	1415/2007-08	965	टेल तक
5	1416/2008-09	709	टेल तक

चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मई/जुलाई में पानी जनपद गाजीपुर के लालगंज रजवाहा के टेल भाग में पहुंचाया गया है। लालगंज रजवाहा का टेल भाग ही जनपद गाजीपुर में स्थित है। यद्यपि समय-समय पर पानी पहुंचता है लेकिन शीर्ष भाग में पानी की खपत बढ़ जाने से उक्त रजवाहे में पानी की कमी अनुभव की जाती है। नहरों की पुनर्स्थापना के लिए रु0 11.43 करोड़ की एक योजना विचाराधीन है जिसके कार्यान्वित हो जाने पर टेल भाग से पानी की समुचित उपलब्धता हो जायेगी।]

सदन के संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

यह मानसून सत्र जो संक्षिप्त जरूर रहा लेकिन काम निपटाने में और मा0 सदस्यों की भावनाओं का आदर करने में उनको अपनी बात उठाने में यह सत्र काफी प्रभावशाली रहा है। मान्यवर, यह सब आपके माननीय नेता सदन मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी, मा0 नेता कांग्रेस, मा0 नेता लोकदल और सभी मा0 प्रतिपक्ष के नेताओं और सदस्यों तथा सत्ता पक्ष के सभी मा0 मंत्रिगण के सहयोग से बहुत प्रभावशाली रहा है और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं सभी मा0 नेताओं के साथ-साथ आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपके सहयोग से आज जैसे अंतिम दिन था, कार्य-स्थगन के जो प्रस्ताव आज आये मैं समझता हूं कि 15 दिनों का कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आज निपटाया गया। कार्य-स्थगन का जो कार्य 15 दिन में करते उसे एक दिन में निपटाने का काम किया। विधायी कार्य भी आप सभी के सहयोग से सम्पादित हुए। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नेताओं और मा0 नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत ही सार्थक सहयोग सभी का रहा है। अपनी तमाम बातें भी सदन के संज्ञान में ला करके जन कल्याण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है। कुल 20 घण्टे

27 मिनट सदन चला हैं और आज ही कुल 9 घण्टे तक सदन की कार्यवाही संचालित हुई है जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिस तरह से सभी के सहयोग से एक अच्छा कार्य, एक अच्छे वातावरण में, हम सभी लोगों ने मिल करके प्रदेश की समस्याओं के निराकरण में सहयोग किया है इसके लिए मैं सभी का विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, सुरक्षा दल के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

नेता, विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इस सत्र का आखिरी क्षण है और हमारी तरफ से विपक्ष की मांग थी कि यह सत्र कुछ और दिन चले लेकिन हो सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार की कोई बहुत मजबूरी हो। लेकिन बहुत से मुद्दे हम विपक्ष के विधायकों के मुद्दे इस सत्र में छूट गये हैं। बहुत सी समस्याओं पर भी बहस होनी थी, वह भी नहीं हो पायी लेकिन मान्यवर, आप पर हमें पूरा भरोसा है, पूरे विपक्ष को भरोसा है और हमेशा प्रतिपक्ष को इसी तरीके से आपके संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार चाहे हम लोगों की बात सुने या न सुने, वह विपक्ष की अनदेखी करे, लेकिन आप पर हम लोग भरोसा करते हैं कि विपक्ष को पूरा संरक्षण मिलता रहेगा। हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत अच्छे मन से इस सदन को चलाया है इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही चतुराई के साथ एक ही दिन में पूरा काम निपटा लिया है। शायद इसी चतुराई से पूरे साल का काम इसी तरीके से निपटाने में अगर सदस्यों की बात भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सतीश महाना-

यह विधान सभा का सत्र ऐतिहासिक होगा क्योंकि तीन दिनों से विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से केवल दो दिन ही चली है। पहले दिन तो निधन के निर्देश हुए थे उसके बाद तीन तारीख को विधान सभा का सत्र व्यवस्थित नहीं हो सका। चार तारीख को प्रश्नकाल नहीं हुआ आज पहले दिन प्रश्नकाल हुआ था। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा अध्यक्ष का कोई जोड़ नहीं है जिस प्यार के साथ वह सदन चलाते हैं वह कभी गुस्सा नहीं होते हैं हां एक बार जरूर उनको गुस्सा आ गई थी लेकिन बाद में अपने को ठीक कर लिया। आपने तीन दिन सत्र चलाया मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप सत्र जल्दी बुलायेंगे अध्यक्ष महोदय इसके लिए आप भी सरकार से सिफारिश कर दें। मान्यवर, आप तो अपने सक्षम अधिकारी का प्रयोग करते हैं लेकिन सरकार आपको सहयोग नहीं करती है हम सब लोग तो आपको पूरा सहयोग करते हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी सहयोग करें। अध्यक्ष जी के साथ एक बार घूमने की इच्छा है संसदीय कार्य मंत्री जी अध्यक्ष जी के साथ घुमवा दिया करें। मैं सरकार के पास जो संदेश देना चाहता हूं वह समझ रहे हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो

सदन के अन्तर्गत आनी चाहिए। मंहगाई के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। थोड़ी सी बात आई थी सरकार ने अपना पक्ष रखा। विधायकों से सम्बन्धित विकास से सम्बन्धित प्रश्न पर सरकार ने उत्तर दिया कि पैसा नहीं है इससे कहीं न कहीं दुख होता है। विकास की बात करने वाली सरकार को विकास में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें आपके संरक्षण की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सूखे के ऊपर यहां विस्तृत चर्चा हुई सरकार ने बहुत सारे आश्वासन दिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने आश्वासन दिया है उसको पूरा अवश्य करिये। अध्यक्ष जी जो आपके आसन के ऊपर घड़ी लगी है उसको अगले सत्र के पहले अवश्य ठीक करवा लीजिए इसमें छोटी सुई आठ बजा रही है और बड़ी सुई साढ़े सात पर फंसी है।

श्री अध्यक्ष-

आप छोटी वाली जाने दीजिए बड़ी वाली देखिए।

श्री सतीश महाना-

इसी के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं आपने जिस प्रकार से संरक्षण हम लोगों को दिया है उसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस सदन को चलाने में जो सहयोग दिया उसके लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इनके लिए थोड़ी सी चिन्ता हमारी तरफ से भी किया करिए सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं। सत्र अगर चलता रहे तो बातचीत होती रहे जिससे आपस में प्यार बना रहे। हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते-चलते। जल्दी-जल्दी मुलाकात हो इसके लिए जल्दी-जल्दी मिलने की व्यवस्था कर दें। इन शब्दों के साथ अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

अध्यक्ष जी मानसून सत्र के द्वितीय सत्र के समापन के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उम्मीद तो यह थी कि यह सत्र थोड़ा लम्बा चलेगा लेकिन बहुत थोड़ा समय हम लोगों को मिला अपनी समस्या रखने के लिए क्षेत्र के विकास की तमाम समस्याओं को रखने के लिए। मान्यवर, जिस तरीके से मानसून सत्र इस बात बहुत छोटा रहा उसी तरीके से मानसून भी छोटा रहा प्रदेश में। मानसून ने भी प्रदेश के किसानों को और सभी को धोखा देने का काम कर दिया। बहुत छोटा मानसून रहा, बारिश न के बराबर ही हुई लेकिन सत्र भी बहुत छोटा रहा लेकिन अंतिम दिन बहुत ही अच्छे तरीके से सत्र को चलाने का काम आपने किया। तमाम हमारे साथियों की तमाम सारी जितनी भी नोटिस थी उनको सुनने का काम किया, सबको बोलने का अवसर दिया

तो इस उम्मीद के साथ कि फिर आप जल्द सत्र बुलाने का काम करेंगे, हम लोग जल्दी मिलेंगे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं इस अवसर पर उन तमाम सफाई कर्मचारियों को जो इस पूरे विधान भवन को, जब हम यहां सत्र से जाते हैं शाम को लेकिन अगले दिन सुबह आते हैं तो हमारा सारा विधान भवन बहुत ही साफ सुथरा बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें व्यवस्थित मिलता है। हमारे तमाम दूसरे कर्मचारियों को जो सुरक्षा कर्मचारी हैं विधान सभा के उनको भी बधाई देना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मंत्रि-परिषद् के तमाम जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल और तमाम दलों के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उनका सहयोग जो हमको मिला, उसके लिये बधाई देना चाहता हूं। आपको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और यह मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप सदन चलाने में हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो हम आपस में बैठकर इस बात का जिक्र करते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमको इस पन्द्रहवीं विधान सभा में आपके जैसा अध्यक्ष मिला; बड़ा स्नेह और संरक्षण हमको आपसे मिलता है। हम लोग कभी ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हम सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं हम विपक्ष के विधायक हैं और आपका संरक्षण हमारे पक्ष में कम है। हमें यह महसूस नहीं होता, हमें यह लगता है कि आप हमारे अध्यक्ष हैं तो मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और इस उम्मीद के साथ कि अब जल्दी ही सत्र बुलाने का काम करेंगे, फिर हम सब लोग जल्दी मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

यह सूक्ष्म समय का सदन जो थोड़े समय तक ही चला है कुल 20 घण्टा 27 मिनट यह सदन चला लेकिन स्थगन केवल मात्र 3 घंटे का ही हुआ जबकि अपेक्षाएं और उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं माननीय सदस्यों की। इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कि आपने सरकार का पक्ष रखने के साथ-साथ विपक्ष की भावनाओं का जिस तरह से समय-समय पर आदर किया है। यह सूक्ष्म समय बहुत ही तनावपूर्ण होता है। तमाम उम्मीदें रखकर हमारे माननीय सदस्य आते हैं और ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा होती है कि अपने क्षेत्र से और प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को रखें लेकिन मैं तब भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आभारी हूं कि आपने इस थोड़े समय के सत्र के संचालन में बहुत अच्छा सहयोग किया। सरकार के पक्ष को रखने के साथ-साथ विपक्ष की भावनाओं का भी आदर किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सर्वप्रथम तो मैं स्वागत करता हूं कि प्रथम इस सदन में इस सत्र में प्रतिपक्ष नेता के रूप में हमको मिले हैं और इस तरह से इस माहौल को जब भी बिगड़ा आपने बनाने की कोशिश की और पूरा समय दे रहे हैं सदन में और समय-समय पर अपने सभी विपक्ष के साथियों की भावनाओं को जब जरूरत पड़ती आप खड़े होकर पूरा यह सिद्ध करते हैं कि हम आपके संरक्षक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं

आपकी बातों को रख रहा हूं। यह आपका बहुत सहयोग मिला है और आप अपने विचारों से मुस्कान से और व्यवहार से वातावरण को भी कभी-कभी जो तनावपूर्ण रहा एक अच्छे वातावरण में लाये हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष जी का बहुत आभारी हूं। साथ ही साथ मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि आप इस सत्र में प्रथम बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमको मिले हैं। मैं महाना साहब का और सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिये जो कहा हमने कुछ नहीं किया है। अध्यक्ष पीठ पर जो भी अध्यक्ष हो वो तब ही सुचारु रूप से काम कर सकता है जब सम्मानित सदस्यों का सहयोग मिले तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूं सभी सम्मानित सदस्यों का चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे मंत्रि-परिषद् के हों, चाहे हमारे सम्मानित सदस्य हों, सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है। मैंने अनुशासन के आधार पर परम्पराओं के आधार पर संविधान के आधार पर नियमावली के आधार पर इस सदन को संचालित करने की कोशिश की है और बराबर निवेदन करता हूं कि हम निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलावें। नये सदस्यों का तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिस तरह की जिज्ञासा नये मा0 सदस्यों में दिखाई पड़ रही है इससे कहीं न कहीं लोकतांत्रिक परम्परा कायम होगी। जब जिज्ञासा है तो किसी बात को कहने में, संयम से, शान्ति से संचालन करने में मदद करेगी। नये सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी बात रखें। हमें सभी सम्मानित सदस्यों का सहयोग मिला है इस संचालन में हमारे विधान सभा के प्रमुख सचिव जी का, विशेष सचिव जी का, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं एवं और कर्मचारी हैं उनका सहयोग मिला है। हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी आपके साथ रह करके सुबह से लेकर शाम तक, इस सदन में जो व्यवस्था उनको दी गई उसको तन्मयता से उन्होंने किया है हमारे सभी कर्मचारी चाहे साउन्ड सिस्टम के हों या हमारे पत्रकार भाई हों बैठकर बहुत ढंग से यहां की कार्यवाही को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है वह भी हमारे सदन का अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सदन की बातों को पहुंचाते हैं। चाहे हमारे सफाई कर्मी रहे हों सब साथियों का सहयोग रहा है। बहुत सूक्ष्म समय में सदन चला है आगे भी हमारी पूरी शुभकामना है। आज के बाद हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में गांव में जा रहे हैं हमारी पूरी शुभकामना है कि आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप समाज की सेवा करते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी सम्मानित सदस्यों का नेता प्रतिपक्ष का, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का, सभी दलों के मा0 नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि इसी तरह से आप हमारा सहयोग करते रहें ताकि निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन हो और पूरे देश में यह संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में संविधान और मर्यादाओं का पालन करके जनहित में वहां एक डिवेट का वातावरण बना है यह संदेश पूरे देश में जाए इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के प्रति शुभकामनायें व्यक्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 13 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 07 अगस्त, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 129 विधान सभा (264)-2009-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा